लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol.XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27–सोमवार, 16 दिसम्बर, 1968/25 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 27 –Monday, December 16, 1968/Agrahayana 25, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
754	विदेशों के बैंकों में सरकारी कर्मचारियों के खाते	Government Employees having Bank Accounts Abroad	3–9
755	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance Paid to Central Government Employees	9–12
757	नदी विवाद अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम	Rules framed under River Disputes Act	12–15
758	राजस्व की प्राप्तियां	Revenue Receipts	15–21
759	घटिया किस्म के जिप्सम की सप्लाई के कारण सिन्दरी उर्वरक कारखाने में संकट	Crisis in Sindri Fertilizer Factory due to Supply of Inferior Quality of Gypsum	21–23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

751	वित्त मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनका पुत्र	Finance Minister's Son as his Private Secretary	23–24
752	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	24–26
753	कास्टिक सोडा के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Caustic Soda	26
756	सफदरजंग हवाई अड्डे का स्थानान्तरण	Shifting of Safdarjung Airport	26
760	शुल्क वापसी जांच समिति का प्रतिवेदन	Drawback Inquiry Committee's Report	26–27

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

761 बिहार में सिंचाई योजनायें	Irrigation Plans in Bihar	27
762 बरौनी तापीय विद्युत परियोजना में जेनेरेटर प्लांट	Generator Plants in Barauni Thermal Power Project	27–28
763 इंडियन आयल कारपोरेशन	Indian Oil Corporation	28–29
764 भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिस्थापन	India's Economic Recovery	29
765 हिन्दी टाइपराइटर	Hindi Typewriters	29-30
766 नर्सों की ट्रेनिंग	Training of Nurses	30
767 बरौनी उर्वरक परियोजना के लिये नेफ्था	Naptha for Barauni Fertilizers Project	30
768 गांवों में परिवार नियोजन	Family Planning work in Rural Areas	30-31
769 परिवार नियोजन कर्मचारियों का प्रशिक्षण	Training of Family Planning Workers	31
770 पश्चिम बंगाल में बाढ़	Floods in West Bengal	31 32
771 होटलों में प्रदर्शन करने वाले विदेशी कलाकारों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Foreign Artistes for performances in Hotels	32-33
772 जापान द्वारा दी जाने वाली सहायता	Japanese Aid	33
773 इलाको हाउस, कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के कार्यालय में संगणकों का लगाया जाना	Installation of Computer in L.I.C. Office in Ilaco House, Calcutta	33
774 उत्तर प्रदेश में कृषि के लिये बिजली की दरों में राजसहायता	Subsidy for power rates for Agricultural Purposes in U.P.	33–34
775 उर्वरक कारखाना लगाने में रूस का सहयोग	U.S.S.R.'s Collaboration for a Fertilizers Plant	34

776 जीवन बीमा निगम द्वारा नये समान शेयरों में विनियोजन	L.I.C.'s Investment in New Equities ..	34
777 पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी नगर में तोड़-फोड़ की घटना	Sabotage in Electricity Department in Siliguri, West Bengal	34–35
778 भारत में मैडिकल शिक्षा प्रणाली के अध्ययन के लिये आयोग	Commission to Study Medical Education Pattern in India	35
779 बिहार तथा उत्तर प्रदेश में लू लगने के कारण मृत्यु	Deaths due to Heat-Wave in Bihar and U.P.	36
780 भारत के स्टेट बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण	Loans Given by State Bank of India	36

अता. प्र. सं./U. S. Q. Nos.

453 कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गैस का रिसना	Seepage of Gas in Kangra, Himachal Pradesh	36–37
4535 केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	Central Water and Power Commission	37
4536 भारत में अधिक आयकर देने वाले प्रथम पचास व्यक्ति	Top fifty Income-tax Payers in India...	37
4537 राज्यों द्वारा लगाया गया कृषि आयकर	Agricultural Income-tax levied by States	37–38
4538 नेपाल में उत्पाद' मार्का लगाकर स्काच व्हिस्की का आयात तथा नेपाल से तस्करी	Import of scotch Whisky branced as 'Produce of Nepal' and smuggling of goods from Nepal	38–39
4539 मध्य प्रदेश में ग्राम आवास परियोजना	Village Housing Project Scheme in Madhya Pradesh	39–40
4540 मध्य प्रदेश में निर्माण प्रयोजनों हेतु सहायता	Assistance for Housing Schemes in Madhya Pradesh	40

4541	तीन पंचवर्षीय योजनाओं में मध्य प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to Madhya Pradesh during three Plants	40-41
4542	राजदूत होटल, नई दिल्ली द्वारा प्रयोग की गई भूमि में परिवर्तन किया जाना	Change in Land use of Rajdoot Hotel in Delhi	41-42
4543	अपर बेला रोड के शरणार्थियों की आइस फैक्टरियों को पट्टे का दिया जाना	Lease to Ice Factories of Refugees at Upper Bela Road, Delhi	42
4544	पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए सहायता उपाय	Relief Measures for Flood-Affected People in Midnapur, West Bengal	42-43
4545	कन्टाई सब-डिवीजन में तूफान	Cyclonic Storm in Contai Subdivision	43
4546	कलकत्ता के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता	Aid for Development of Calcutta by World Bank	43-44
4547	सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों द्वारा पानी के मीटरों का खरीदा जाना	Purchase of Water Meters by Governments Servants occupying Government Quarters	44
4548	गुजरांवाला मकान निर्माण सहकारी समिति दिल्ली	Gujaranwala House building Cooperative Society, Delhi	44-45
4549	स्वास्थ्य-सेवा महानिदेशालय में वास्तुशिल्पी	Architects in Directorate General of Health Services	45-46
4550	स्वास्थ्य-सेवा महानिदेशालय में वास्तुशिल्पी	Architects in Directorate General of Health Services	46
4551	स्वास्थ्य-सेवा महानिदेशालय में नक्शानवीसों को स्थायी किया जाना	Confirmation of Draughtsmen in Directorate General of Health Services	46-47

4552 केन्द्रीय लोक - निर्माण विभाग में सैक्शनल अधिकारियों तथा सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति	Promotions of Sectional Officers and Assistants Engineers of C.P.W.D.	47
4553 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तु सूचियां	Inventories of Public Undertakings	47
4554 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तु सूचियां	Inventories of Public Undertakings	48
4555 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	48
4556 गुजरात में चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Gujarat in Fourth Plan	48-49
4557 केन्द्रीय लोक - निर्माण विभाग, नई दिल्ली में सैंट्रल डिजाइन आफिस की स्थापना	Setting up of Central Design Office in C.P.W.D., New Delhi	49-50
4558 सरकारी कर्मचारियों को दैनिक भत्ता	Daily Allowance to Government Employees	50
4559 गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली	Gujaranwala House-building Co-operative Society, Delhi	50-51
4560 उत्तरी बंगाल में बाढ़	Floods in North Bengal	51-52
4561 कलकत्ते का विकास	Development of Calcutta	52-53
4562 सर्वप्रिय कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली	Sarvapriya Cooperative House-building Society, Delhi	53
4563 सर्वप्रिय कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली	Sarvapriya Cooperative House building Society, Delhi	53
4564 केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग, नई दिल्ली में सैक्शनल अधिकारियों का सलेक्शन ग्रेड	Selection grade Sectional officers in C. P.W.D.	53-54

4565	वित्त मंत्री के पुत्र द्वारा सरकारी फाइलों पर लिये गये टिप्पण	Notings done by Finance Minister's son on official files	54
4566	दरभंगा मैडिकल कालेज	Dardhanga Medical College	54–55
4567	मध्य प्रदेश के मंत्रियों द्वारा आयात की गई राइफलें	Rifles Imported by Ministers of M.P.	55
4568	हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड	Hindustan Latex Ltd.	55
4569	आराम बाग, पहाड़गंज दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत	Repair of Government quarters of Arambagh, Paharganj, Delhi	55–56
4570	दिल्ली में मकानों का निर्माण	Construction of Houses in Delhi	56
4571	अमृतसर शहर की श्रेणी	Status of Amritsar	56–57
4572	अमृतसर में रेशम के कपड़े पर बिक्री कर के हटाये जाने की मांग	Demand for the withdrawal of Sales tax on silk Fabrics in Amritsar	57
4573	सरकारी मुद्रणालयों की क्षमता का उपयोग न किया जाना	Non-utilization of capacity of Government Presses	57–58
4574	दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी समस्या संबंधी अध्ययन दल	Study Team an Jhuggi and Jhopri Problem in Delhi	58
4575	सोने और अन्य वस्तुओं का तस्कर व्यापार	Smuggling of Gold and other goods	58
4576	दिल्ली के पीने के पानी की व्यवस्था	Arrangements for drinking water in Delhi	59
4577	दिल्ली में अस्पतालों की संख्या में वृद्धि	Increase of Hospitals in Delhi	59

4578 बिहार के अस्पतालों और औषधालयों में औषधियों की कमी	Shortage of Medicines in Hospitals and Dispensaries of Bihar	59–60
4579 सरकारी उपक्रमों तथा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा स्थापित की गई सम्बद्ध समितियों में गैर-सरकारी कर्मचारी	Non-Government Servants in Public Undertakings and attached to Committees set up by various Ministries	60
4580 मैसर्स एन्ट्रीफ्रिक्शन बेयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	M/s. Antifriction Bearing Corporation Limited, Bombay	60–61
4581 बिहार के दरभंगा जिले में बाढ़	Floods in Darbhanga District, Bihar	61
4582 चौथी योजना में अनुसंधान एवं विकास डिवीजन, सिंदरी के लिये धन की व्यवस्था	Allocation of Funds to the Research and Development Division, Sindri in the Fourth Plan	61–62
4583 अनुसंधान एवं विकास डिवीजन, सिंदरी	Research and Development Division, Sindri.	62
4584 रॉक फास्फेट के निक्षेप	Deposits of Rock Phosphate	62–63
4586 मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड	Madras Fertilizers Limited	63-64
4587 हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Limited	64–65
4588 हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड	Hindustan Antibiotics Limited	65–66
4589 जीवन बीमा निगम में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Life Insurance Corporation...	66–67
4590 दिल्ली में अस्पताल	Hospitals in Delhi	67

4591 वित्त मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Finance Ministry	67
4592 विदेशों में बैंकों में खाते	Accounts in Banks Abroad	67-68
4593 मंत्रियों द्वारा धन कर का भुगतान	Wealth Tax paid by Ministers	68
4594 उज्जैन में मिलों की आय कर का आंकन	Income Tax Assessment of Mills in Ujjain	68
4595 कपड़ा मिलों द्वारा आय कर का भुगतान	Income-Tax paid by Textile Mills	68
4596 इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	Indian Tubes Company Ltd., Calcutta	69
4597 मैसर्स किर्लोस्कर आयल एंजिन्स लिमिटेड, पूना को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Foreign Exchange Released to M/s. Kirloskar Oil Engines Ltd., Poona	69
4598 गुजरात के गांवों में पीने के पानी की कमी	Lack of Drinking Water in Villages in Gujarat	69–70
4599 प्रधान मंत्री के साथ विदेश यात्रा पर गये व्यक्तियों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Persons accompanying the Prime Minister on her Tour Abroad	70
4600 रावी नदी पर थीन बांध परियोजना	Theiu Dam Project over the river Ravi	70
4601 साबुन में चर्बी का प्रयोग	Use of Tallow in Soaps	70-71
4602 परिवार नियोजन केन्द्र आगरा में बलपूर्वक नस-बन्दी आपरेशन	Forced Vasectomy Operation at a Family Planning Centre, Agra	71
4603 मैसर्स ओरयंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड द्वारा दिया गया आयकर	Income-tax paid by M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M)s. Mckenzies Ltd.	71–72

अता. प्र. संख्या/U.S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
4604 आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर अपीलीय आदेशों की क्रियान्विती	Implemeatation of Income-tax Appellate Orders by I.T.Os.	72
4605 भारतीय अर्थ-व्यवस्था का मूल्यांकन	Assessment of Indian Economy	73
4606 नर्मदा बेसिन में भूसंरक्षण तथा वनरोपण	Soil Conservation and Afforestation in Narbada Basin	73–74
4607 सरकारी उपक्रमों में महा-प्रबन्धक	General Managers in Public Undertakings	74
4608 भारत में मनश्चिकित्सकों की कमी	Shortage of Psychiatrists in India	74
4609 बैंकों को दी गइ पुनर्वित्त की सुविधायें	Refinance facilities offered to Bank	74–75
4610 बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोना पकड़ा जाना	Recovery of Gold by Customs Authorities at Bombay	75
4611 जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया व्यापार	Business transacted by Life Insurance Corporation	75–76
4612 लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लगाने का काम	Rural Electrification in Ladakh	76
4613 नेपाल को सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क की वापसी	Refund of Customs and Excise Duties to Nepal	76 77
4614 गोहाटी तेल शोधक कारखाने का मिट्टी के तेल वाला एकक	Kerosene Unit of Gauhati Refinery	77
4615 लघु उद्योगों के लिये स्टेट बैंक द्वारा दिया गया ऋण	State Bank's loans to Small Scale Industries...	77

4616 साबुन बनाने में काम आने वाली चर्बी का अमरीका से आयात	Import of Tallow for Soap manufacturing from U.S.A.	78
4617 आसाम, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में हैजा	Cholera in Flood-affected Areas of Assam, Orissa and West Bengal	78–79
4618 नयी दिल्ली नगरपालिका द्वारा राजधानी के क्षेत्र को सुन्दर बनाया जाना	Beautification of Capital by N.D.M.C.	79
4619 लोमड़ियों और चूहों द्वारा बनाये गये बिलों के कारण कोसी बांध में दरारें	Breaches of Kosi Dam due to holes made by Foxes and Rats	79–80
4620 दार्जिलिंग और जलपाई-गुड़ी में भू-स्खलन	Landseides in Jalpaiguriy and Darjeeling, West Bengal	80–81
4621 कोचीन में तेल के गोदामों में आग लगने की घटना	Fire in an Oil Storage at Cochin	81
4622 बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बिजली के लिये धन की व्यवस्था	Funds for irrigation and Power purposes in Bihar and U.P.	82
4623 भारत की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं	Major Irrigation Projects in India	82
4624 'डी' टाइप एम. पी. फ्लैटों में बरसाती का निर्माण	Construction of Barsati in 'D' Type M.P. Flats	82–83
4625 दिल्ली के गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Family Planning in Villages in Delhi	83
4626 मध्य प्रदेश में तेल शोधन-शाला पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Oil Refinery and Petro-Chemical Complex in Madhya Pradesh	84

4627 राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मलेरिया का प्रकोप	Malaria in Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat	84–85
4628 तपेदिक के इलाज के लिये ऐथियोनामाइड	Ethionamide for treating Tuberclosis...	85–86
4629 पश्चिम बंगाल में वाणिज्य कराधिकारी	Commercial Tax Officers in West Bengal	86
4530 घड़ियों की तस्करी	Smuggling of Watches	86–87
4531 उत्तर बंगाल को खाद्यान्न तथा औषधियों की सप्लाई	Supply of Food-stuffs and Medicine to North Bengal	87
4632 बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar for flood affected people	88
4633 स्टेट बैंक, दिल्ली द्वारा हिन्दी में किये गये हस्ताक्षरों का स्वीकार न किया जाना	Non-Acceptance of Hindi signatures by State Bank	88
4634 रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन	Production of Chemical Fertilizers	89–90
4635 विलिंग्डन अस्पताल में ढाई वर्ष की आयु के बालक का लापरवाही से उपचार	Treatment to 2-1/2 years Child in Willingdon Hospital	90
4636 कानपुर में लूप फैक्टरी में तथाकथित अनियमितताएं	Alleged irregularities in Kanpur Loop Fectory	90–91
4637 पटना सिटी में सड़कें	Roads in Patna City	91
4638 बरुआ बांध की बांई नहर	Left Canal of Barua Dam	91–92
4639 किराया नियंत्रक, दिल्ली की अदालत में अनिर्णीत मुकदमें	Decree cases pending in Court of Rent Controller. Delhi	92

4640 बाढ़ नियंत्रण संबंधी जानकारी	Flood Control know-how	92-93
4641 बिहार के भागलपुर सर्किल में मैडिकल कालेज की स्थापना	Opening of Medical College in Bhagalpur Circle, Bihar	93
4642 कोसी की बाढ़ से प्रभावित सरकारी अस्पताल	Governmen Hospitals affected by Kosi floods	93-94
4643 जिला सहरसा बिहार में सदर अस्पताल	Sadar Hospitals in District Saharsa, Bihar	94
4644 कोसी नदी के तटबन्धों के पास रहने वाले लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Flood-affected people Settled on Embankments of Kosi River	94
4645 खुर्जा (बुलन्दशहर) में अविवाहित युवकों और वृद्ध व्यक्तियों के नसबन्दी के आपरेशन	Vasectomy Operations on Bachelors and Old Men in Khurja, Bulandshahr	95
4646 आई. एन. एफ. ए., आई. एन. एफ. ए. पब्लिकेशन्स और दुर्गादास एसोसियेट्स का कर निर्धारण तथा कुछ फर्मों को विदेशी मुद्रा दिया जाना	As esment of Income-tax and INFA, INFA Publications and Durgadas Associates a d Foreign Exchange given to Certain Firms	95
4647 विदेशी राजनयिकों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिये भेजी जाने वाली राशि पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Remittances on Import by Foreign Diplomats	95-96
4648 कानपुर के उद्योगपति श्री राम रतन गुप्त से जीवन बीमा निगम के ऋण की वसूली	Realisation of L.I.C. Loan from Shri Ram Rattan Gupta of Kanpur	96-97

अता. प्र संख्या/ U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4649	सम्भरण तथा निपटान निदेशालय द्वारा लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर को दिये गये क्रयादेश	Orders Placed by Directorate-General of Supplies and Disposals on Lakshmiratan Cotton Mills, Kanpur	97-98
4650	औषधियों और भेषजों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Medicine and Drugs	98-99
4651	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय, बम्बई के कर्मचारी	Employees Workings in Central Excise Office, Bombay	99
4652	फिल्मों संबंधी लोगों द्वारा आय का छिपाया जाना	Concealment of Income by Film People	99-100
4653	पी. एल. 480 निधियां	P.L.480 Funds	100
4654	निषिद्ध सोने का बरामद किया जाना	Recovery of Contraband Gold	101
4655	फिल्मों सम्बन्धी लोगों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income-tax by Film people	101
4656	सिंचित भूमि	Irrigated Land	101-102
4657	बैंकों की आय	Income of Banks	102
4658	भारत में स्टेट बैंक के प्रबन्ध व्यय में कमी	Reduction in Cost of Management of State Bank of India	102-103
4659	पश्चिम बंगाल के पी.डब्लू.डी. निर्माण बोर्ड में धोखाधड़ी	Fraudulent Practice of West Bengal P.W.D. Construction Board	103
4660	पश्चिम बंगाल विकास निगम	West Bengal Development Corporation	103-105
4661	जी. ई. सी. आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड	G.E.C. of India (P) Ltd.	105-106

4662 जी. ई. सी. आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड	G.E C. of India (P) Ltd.	106
4663 मंत्रालय में अधिकारियों का वेतन	Salary of Officers in the Ministry	107
4664 दिल्ली में नलकूपों के लिए मोटरें	Electric Motors for Tube Wells in Delhi	108
4665 सर्वप्रिय सहकारी गृह-निर्माण समिति	Sarva Priya Cooperative House-Building Society	108–109
4666 सर्वप्रिय सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली	Sarvapriya Cooperativa House Building Society, Delhi	109-110
4667 सर्वप्रिय गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली	Sarvapriya House-building Cooperative Society, Delhi	110–111
4668 साराभाई मर्क आफ बड़ौदा द्वारा विटामिन 'सी' का उत्पादन	Production of Vitamin 'C' by Sarabhai Merck of Baroda	111–112
4669 रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन करने के लिये तरल अमोनिया, नेफ्था और कोयले के गुण	Relative Merits of Liquid Ammonia, Naptha and Coal for producing Chemical Fertilizers	112–113
4670 फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा उत्पादित अमोनियम क्लोराइड की बिक्री के लिये एजेंसी का नवीकरण	Renewal of Agency for sale of Ammonium Chloride produced by Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	113
4671 फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर के उत्पादकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये ठेका	Contract for moving F.A.C.T. Products ...	114

4672	सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता, कोचीन	Assistant Collector of Customs, Cochin	114
4673	कालटेक्स द्वारा दक्षिण वियतनाम को एस्फाल्ट का निर्यात	Export by Caltex of Asphalt to South Vietnam	114–115
4674	मिठापुर स्थित टाटा फर्टिलाइजर प्लांट	Fertilizers Plant at Mithapur	115
4675	मन्नम शूगर मिल्स, कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर को देय राशि	Amount due to F.A.C.T. from Mannam Sugar Mills Cooperative Society, Ltd. ..	115-116
4676	सिन्दरी उर्वरक कारखाने द्वारा दरों में वृद्धि	Increase in rates of Fertilizers by Sindri Fertilizers Factory	116
4677	सोडियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क	Custom Duty on Sodium Nitrate	117
4678	बर्माशेल द्वारा बम्बई में उर्वरक कारखाना की स्थापना	Setting up Fertilizers Plant by Burmah Shell in Bombay	117
4679	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन	Manufacture of Sodium Nitrate by Fertilizer Corporation of India	118–119
4680	गैर-सरकारी क्षेत्र की तेल शोधन शालाओं में विस्तार	Expansion of Private Oil Refineries	119
4681	बड़ी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कुल सिंचित क्षेत्र	Total Area targetted for Major Irrigation Projects	119
4682	फिल्म कम्पनियों द्वारा भुगतान किया गया आयकर	Income Tax paid by Film Companies.	120

4683	फिल्म कलाकारों से बकाया आय-कर	Income-tax due from Film People	120
4684	उत्तर प्रदेश में नहर में पानी की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate Water Supply position in a canal in U.P.	120–121
4685	भारतीय तेल निगम के एर्णाकुलम केन्द्र में आग	Fire in Ernakulam Centre of I.O.C.	121
4686	समाचारपत्र संस्थापनों को दिया गया ऋण	Loans Advanced to Newspaper Establishments	121–122
4687	कांग्रेस के ससद सदस्यों तथा कांग्रेस दल के संसदीय कार्यालयों के कर्मचारियों का फ्रास का दौरा	Visit to France by Congress M.Ps. and Congress Parliamentary Party Office Employees	122
4688	मनीपुर में जल-विद्युत विभाग के कर्मचारियों की दुर्घटना	Accidents to Hydro-Electric Department Employees in Manipur	122–123
4689	मनीपुर के सरकारी अस्पतालों की नर्सें	Nursings Staff of Government Hospital of Manipur	123-124
4690	बुलन्दशहर के विद्युत विभाग का विभाजन	Bifurcation of Electric Department of Buland-Shahr	124
4691	मनीपुर में सुनारों को सहायता	Aid to Goldsmiths in Manipur	124–125
4692	राजस्थान में सूखा सहायता योजना	Drought Relief Scheme in Rajasthan	125–126
4693	फिल्म उद्योग के लोगों की आय का आंका जाना	Assessment of Incomes of Film People	126
4694	भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्तपोषण	Refinance provided by Industrial Development Bank of India	126–127

4695	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय	C.G.H.S. Dispensaries	127
4696	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में डाक्टरों की काम करने की अवधि	Tenure of Doctors in C.G H.S. Dispensaries	127–128
4697	राजस्थान के गंगानगर जिले को अपर्याप्त पानी की सप्लाई	Inadequate Water Supply to Ganganagar District, Rajasthan	128
4698	विशाखापटनम में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Vishakhapatnam	128–129
4699	मध्य प्रदेश में पूंजी विनियोजन के लिये संस्थागत निधियां	Institutional Funds for Capital Investment in Madhya Pradesh	129
4700	विश्व बैंक द्वारा ब्याज की दर में वृद्धि	Raising of Rate of interest by the World Bank	129
4701	निषिद्ध माल की विदेशियों द्वारा तस्करी	Smuggling of contraband goods by foreigners	129–130
4702	फिल्म उद्योग से संबंधित व्यक्तियों की ओर करों की बकाया राशि	Tax arrears due from film people	130
4703	राजस्थान को बिजली की सप्लाई में कमी	Shortage of power supply to Rajasthan	130–131
4704	विषाक्त भोजन के कारण मृत्यु	Deaths due to Food Poisoning	131
4705	अधावड़ा समूह की नदियों की योजना से संबंधित जफर अली समिति की सिफारिशें	Recommendations of Jaffar Ali Committee on Schemes of Adhawara Group of Rivers	132–133
4706	हरिहरपुर कालीगांव के समीप मोहिनी नदी पर जल कपाट (स्लूस गेट) का निर्माण	Construction of Sluice gates at Hariharpur Kaligaon on Mohini River	133

4707 दिल्ली में प्लाटों की बिक्री	Sale of Plots in Delhi	133-134
4708 जयपुर में नकली इन्जेक्शनों को बनाने वाले गिरोह का पकड़ा जाना	Unearthing of a gang manufacturing spurious injections in Jaipur	134
4710 नेपाल से कृत्रिम धागे से बने कपड़े के आयात पर हुए लाभ पर आयकर	Income-tax on profits from import of Synthetic Fabrics from Nepal	134–135
4711 राजस्थान में कुछ नगरों में बिजली की सप्लाई	Power Supply to certain towns in Rajasthan...	135
4712 मैसूर में काली नदी पन-बिजली परियोजना	Kalinadi Hydel Project in Mysore	135–136
4713 किसानों को वित्तीय सहायता	Financial help to Agriculturists	136–137
4714 यूनानी चिकित्सा प्रणाली	Unani System of Medicine	137
4715 कांडला में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Oil Refinery at Kandla	137
4716 कैंसर रोग के उपचार के लिए सड़े आलू की औषधि	Rotten Potato Drug for Cancer Cure...	138
4718 बिहार के स्थानीय श्रमिकों के साथ भेदभाव	Discrimination against Local Labourers of Bihar	138
4719 सरकारी टकसालों में काम के घटों में कटौती	Reduction in Working Hours in Government Mints	139
4720 नेपाल में नाइलोन और पोलिस्टर धागे का आयात	Import of Nylon and Polyster Yarn into Nepal	139–140
4721 टैक्सिंड कारपोरेशन, बम्बई	Texind Corporation, Bombay	140–141
4722 केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा फाइलें पकड़ना	Seizure of Files by C.B.I.	141

4723	प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Allegations against Officers of Enforcement Directorate	142
4724	मैसर्स पहिलाज एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा आयकर का अपवंचन	Income-tax Evasion by M/s Pahilaj and Co., Bombay	142–143
4725	प्रवर्तन उप-निदेशक बम्बई के विरुद्ध जांच	Enquiries against Deputy Director of Enforcement, Bombay	143–144
4726	संयुक्त राष्ट्र के बाल आपात कोष की सहायता से टीके बनाने का कारखाना स्थापित करना	Setting up of Vaccine Unit with the help to U.N.I.C.E.F.	144
4727	उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले का सादुल्लापुर माइनर	Sadullapur Minor of District Bulandshahr, U.P.	144–145
4728	नई दिल्ली में आयोजित जनरल प्रैक्टिस विश्व सम्मेलन	World Conference of General Practice in New Delhi	145-146
4729	अमरीकी गैरे-सरकारी पूंजी	U.S. Private Investment	146
4730	राजस्थान में इंजीनियरों की बेरोजगारी	Unemployment of Engineers in Rajasthan	146-147
4731	रामेश्वरम् के निकट तेल का सर्वेक्षण	Survey of Oil near Rameshwaram	147
4732	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees	147
4733	नई दिल्ली स्थित आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज मे न्यूरोलाजी के प्रोफेसर का चयन	Selection of a Professor of Neurology in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	147–149

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	149–153
गृह-कार्य मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा हरयाणा के बारे में कथित वक्तव्य	Reported statement by spokesman of Home Ministry re. Haryana	149
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	153–157
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members	157
कार्यवाही सारांश	Minutes	157
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of absence from the sittings of the House	157–158
विधेयक पुर: स्थापित	Bill Introduced.	
1 भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक	Indian Post Office (Amendment) Bill	158
2 भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक	Indian Tariff (Amendment) Bill	159
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	159
उड़ीसा में पुलिस द्वारा संसद सदस्यों का पीछा किया जाना	Shadowing of M.Ps by Police in Orissa	159
आवश्यक सेवाएं 'बनाए रखना' के अध्यादेश के बारे में संकल्प-जारी	Resolution re. essential services Maintenance Ordinance Contd.	161
साविधिक संकल्प-अस्वीकृत हुआ ; और	Ordinance-Negatived, and	161
आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का विधेयक-जारी	Essential Services Maintenance Bill-Contd.	161
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	161–167
श्री स० कुन्डू	Shri S. Kundu	168
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	172
श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shantilal Shah	173
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	175

श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	177
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	178
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	110
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	181
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	182
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S.S. Kothari	183
खंड 2	Clause 2	185–191
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-Hour Discusion	192
कलकत्ता में वृताकार रेलवे	Circular Railway in Calcutta	192
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	192
श्री परिमल घोष	Shri Parimal Ghosh	194

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 16 दिसम्बर 1968/ 25 अग्रहायण, 1890 (शक)
Monday, December 16, 1968/*Agrahayana* 25, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DeputySpeaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये अनुपस्थित हैं।

अगला प्रश्न ।

श्री उमानाथ : मैं पहले प्रश्न पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूं । उस प्रश्न का एक महत्वपूर्ण भाग उप प्रधान मंत्री के पत्र द्वारा फाइलों पर किये गये टिप्पणों के बारे में था। **(अन्तर्बाधाएं)**

उस पर मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं मार्ग दर्शन तथा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

Shri Rabi Ray : Mr. Deputy Speaker, we wrote a letter to you day before yesterday but we have not received any reply.

श्री उमानाथ : प्रश्न का महत्वपूर्ण भाग उप-प्रधान मंत्री के पत्र द्वारा उनके निजी सचिव के रूप में फाइलों पर किये गये टिप्पणों के बारे में था। ऐसे कितने टिप्पण थे ?

Shri Sheo Narain : What is this happening ? If a man, on whose name the question is standing, is absent next question may be taken.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। प्रक्रिया यह है कि यदि किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत किया जाता है तब भी प्रथम बारी के समाप्त होने के पश्चात आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जायेगा।

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न नियम 48 (3) के अन्तर्गत है। (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उमानाथ, मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूं। आप अपना स्थान ग्रहण करें। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है यद्यपि किसी अन्य को प्राधिकृत किया गया है...

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न यह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय। अपना स्थान ग्रहण करें। प्रश्न किसी अन्य सदस्य को अनुमति देने के बारे में है....

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न यह नहीं है....

उपाध्यक्ष महोदय : अतः ऐसा प्रश्न नहीं है जो सभा में कहा गया हो। यह एक पृथक बात है। फिर जो भी आपकी कठिनाई है.... आपने उसको कह दिया ... आप मुझे चैम्बर में मिल सकते है। मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा।

श्री उमानाथ : मैं प्रश्न के एक अलग पहलू के बारे में कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसको समझ लिया है कि उसका कुछ भाग छोड़ दिया गया है अथवा परिवर्तित कर दिया गया है आदि। मैंने इसको पढ़ा है : (**अन्तर्बाधा**) मैं आपको अपने चैम्बर में संतुष्ट कर दूंगा।

श्री उमानाथ : नियम 48 (3) में कहा गया है "यदि प्रश्न पूछे जाने के लिए कहे जाने पर वह नहीं पूछा जाता" .....(**अन्तर्बाधा**) आपने अन्य सदस्य को प्राधिकृत किये जाने के बारे में उत्तर दिया है। मेरा प्रश्न अलग है। मैं नियम 48 (3) के बारे में कह रहा हूं जो कि इस प्रकार है :

"यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाये या जिस सदस्य के नाम में प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष, किसी सदस्य की प्रार्थना पर, निदेश दे सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाये।"

यह किसी को कोई अधिकार देने के बारे में नहीं है। अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य की प्रार्थना पर उत्तर दिये जाने का निदेश दे सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे अनुमति दें। आपने पहले श्री मधु लिमये को पुकारा था और फिर कहा कि वह अनुपस्थित हैं, तो मैं यह कह रहा हूँ कि प्रश्न का एक भाग जो कि निजी सचिव द्वारा टिप्पणों के बारे में है.....

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं नियम 49 के बारे में कह रहा हूं।

श्री उमानाथ : प्रश्न का महत्वपूर्ण भाग जो कि उप प्रधान मंत्री के पत्र द्वारा फाइलों पर किये गये टिप्पणों के बारे में है, प्रश्न में नहीं है मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उप-प्रधान मंत्री को उसके बारे में उत्तर देने के लिए कहें ताकि सभा को ठीक स्थिति के बारे में पता चल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दो प्रश्न उठाये गये हैं। (**अन्तर्बाधा**) श्री कुन्दू आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब जो मामला उठाया गया है वह उस नियम के अन्तर्गत आता है। यह नियम 49 के अन्तर्गत है। यह एक बात है। जहां तक प्रश्न के कुछ भागों के छोड़े जाने का प्रश्न है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, उनको अतारांकित प्रश्न के रूप में ले लिया गया है।

Shri Rabi Ray : It was one question. How it has been separated ?

उपाध्यक्ष महोदय : दो प्रश्न अलग अलग थे। श्री कंवरलाल गुप्त।

श्री उमानाथ : नियम 49 किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बारे में हैं। उसके लिये हमें प्रश्न काल के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। परन्तु आप नियम 48 (3) के अन्तर्गत उप-प्रधान मंत्री को उत्तर देने के लिए कह सकते हैं। (**अन्तर्बाधा**)

एक माननीय सदस्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वश्री शिव नारायण तथा उमानाथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

Government Employees Having Bank Accounts Abroad

***754. Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5948 on the 1st April, 1968 and state:

(a) the names of the Government employees and retired Government employees having bank accounts abroad;

(b) whether any enquiry has been held as to how this money found its way to foreign banks and the reasons for its being deposited in foreign countries; and

(c) if so, the irregularities that have come to the notice of Government and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c): Data is not maintained on the basis of such classifications. However, if information about any particular individual is required, it can be supplied.

Shri Kanwar Lal Gupta : What answer he has given to part (b) of the question, which reads as follows.

"क्या इस बात की कोई जांच कराई गई है कि यह राशि विदेश स्थित बैंकों में किस प्रकार जमा कराई गई तथा विदेशों में इस बारे में इसे जमा कराये जाने के क्या कारण हैं।"

In reply to the first part he has stated that data is not maintained. But answer has not been given in regard to the question 'whether any enquiry has been made' and 'whether some irregularities have been committed or not'.

Shri Morarji Desai : When data is not maintained, the question of holding an enquiry does not arise. when we have no information how can we make a enquiry.

Shri Kanwar Lal Gupta : You do not know how much money has been deposited in the foreign banks.

Shri Morarji Desai : I do not know.

Shri Kanwar Lal Gupta : This Government is in the dark.

Shri Morarji Desai : The number of accounts is so much that it is difficult to keep them. They are kept in the Reserve Bank.

Shri Kanwar Lal Gupta : If you do not know this much. Please resign.

Shri Sheo Narain : Talk sence.

Shri Kanwar Lal Gupta : I protest against it ..... **(interruption)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवनारायण, मुझे आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी होगी।

श्री शिवनारायण : यदि आप मुझे नहीं चाहते तो मैं सभा से उठकर चला जाता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have more respect for the Deputy Prime Minister than Shri Sheo Narain. If I have demanded his resignation I have done nothing wrong. If he is not aware of this much why he is not resigning from his post ? There is nothing wrong in it.

Shri Randhir Singh : Resignation has become very cheap. Why should he resign ? On everything he should resign.

Shri Sheo Narain : You should control that side also which you are not doing.

Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Pande asked a question on 1-4-68 in which he enquired.

(क) क्या विदेशों में स्थित बैंकों में खाते रखने वाले भारतीयों के बारे में जानकारी एकत्र करली गई है,

(ख) यदि हां, तो खाते रखने वालों के नाम क्या है, बैंकों तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें खाते रखे गये है ?

The Deputy Prime Minister replied to this question as follows :

(क) जी हां।

(ख) और (घ) : सभापटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें 1220 लेखाधारियों के नाम दिये गये हैं। इसमें भूतपूर्व नरेशों सहित 827 व्यक्ति है और शेष 393 समवाय हैं। जिन देशों में इनके खाते हैं उनके भी नाम दिये गये हैं। विदेशी बैंकों के जिनमें ये खाते हैं नाम देना व्यवहार्य नहीं है।

But now he has stated that they are not maintaining any data. On this when I said that this Government····· (अन्तर्बाधा)

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य मुझे सुनकर प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा है कि इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है। मैंने यह नहीं कहा था कि उन सब व्यक्तियों के नाम और खाते रिजर्व बैंक में नहीं है। वे वहां हैं। उन लोगों के नाम भी है जिनके खाते देश से बाहर औपचारिक रूप से हैं। जो अपने खाते अनौपचारिक रूप से विदेशों में रखते हैं और उनके बारे में हमें सूचित नहीं करते वे रिजर्व बैंक में खाते नहीं रख सकते। इस बारे में हमने कोई वर्गीकरण नहीं किया है कि वे सरकारी कर्मचारी हैं या सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। रिजर्व बैंक के पास ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। मेरे माननीय मित्र ने मुझे नहीं सुना और मेरा त्याग पत्र देने पर जोर दिया।

Shri Kanwar Lal Gupta : I still challenge your competence. Government have 1220 accounts. Government is supposed to know the names of the persons who have got their accounts abroad. If the Government had tried it would have know the name of those persons, who are maintaining their accounts abroad. The statement includes the names of 14 or 15 senior military officers. It also includes the names of some twenty five or thirty senior I. C. S. persons. The fact is this that when these officers go abroad to purchase goods on behalf of the Government, they purchase snb-standard goods and open bank accounts abroad with the money they receive from the suppliers as bribe. They purchase out moded arms and ammuniatione for the country. Thus they deposit that money in their own name or in the name of their relatives. I want to know whether the Government will make an enquiry in this matter. Some complaints against the senior officers have also been received by the Government. We can understand if an account is kept by Shri Tapuria or some businessmen or industrialist. But when the accounts are kept by some Government officers or military officers, the question naturally arises about the source from which they have received that money. I want to know whether the source from which they have received that money. I want to know whether the Government will make an inquiry in this matter and place the copy of the findings of the inquiry on the Table of the House ?

श्री मोरारजी देसाई : दुर्भाग्य से मेरे मित्र ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशों में खाता रखने से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने उन अधिकारियों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने विदेशों में कोई गलत बात की और व्यक्तियों से गलत तरीके से रुपये प्राप्त किये, क्या उन्हें विदित नहीं है कि वे खाते अधिकृत रुप से रखे जायेंगे ?

मुझे इस बारे में क्या जांच करनी है ? यदि माननीय सदस्य किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का नाम देते हैं और यह कहते हैं कि वे इन व्यक्तियों के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो मैं उनके बारे में ब्यौरा दे सकता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके बारे

में ब्यौरा नहीं दूंगा। लेकिन मैं सब 1220 खातों के बारे में जांच नहीं कर सकता कि उनमें से कौनसे कर्मचारी है और कौनसे कर्मचारी नहीं है। पूर्व "प्रीजीरो" खातों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है और केवल उन्हीं व्यक्तियों को खाते रखने की स्वीकृति दी गई है जिनके 1947 या 1948 से पूर्व "प्रीजीरो" खाते थे अतः बैंक में जमा की गई राशि को जमा करने के स्रोत के बारे में पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इसके पश्चात जो भी खाते खोले जाते थे उनकी जानकारी रिजर्व बैंक को देनी होती थी और रिजर्व बैंक को इस बात की जानकारी है कि वह धन राशि कहां से आई और वह धनराई वहां कैसे जमा हुई। अतः इस बारे में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि माननीय सदस्य को किसी अधिकारी के बारे में जानकारी है तो यदि वे उन अधिकारियों के नाम मुझे यहां या सभा के बाहर दे दें तो मैं उनका आभारी हूंगा। मैं उनके बारे में जांच करुंगा और माननीय सदस्य को स्थिति से अवगत कर दूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Shrimati Aruna Asaf Ali has also got an account abroad.

Shri Morarji Desai : She is not a Government employee.

Shri Kanwar Lal Gupta : Similarly D. N. Banerjee, Secretary, Animal Husbandry and Veterinary Services Department,Caclutta, Shri S.K. Banerjee, Joint Secretary and Chief of protocol, Major Genral A. M. Chaudhary, Lieutenant Colonel Hari Chand, Brigadier A. N. Chopra, Lieutenant Commodore B. A. Gyaneshwar have their accounts abroad. There is a presumption that the Government employees should not keep an account abroad because they have no source of income other other than their salaries unless it is known they have some source of income. I want to know whether an investigation with regard to the account open abroad by military personnels and Government employees will be made?

I want to know the numoer of accdunts opened after 1947. I think the Hon. Minister must have made an enquiry in this connection. If it is so, whether some irregularity has come to light. If some irregularities have come to light what are they and the actions taken in regard thereto ?

Shri Morarji Desai : I can not answer to this omnitens question. Reserve Bank looks in to this matter. I have no information that some irregularities have been found in the accounts. It is possible that the Government personnels who have found in the accounts. It is possible that the Government personnels who have opened accounts abroad might have been posted abroad and they might have opened those accounts with their salaries and have taken permission for that.

It is possible that they might have opened accounts after taking the permission. They cannot keep an amount beyond a certain specified limit. If the amount deposited is more than the specified limit, the Reserve Bank atonce forfeits it. The hon. Member may kindly give the names of persons about whom he wants investigations to be carried out. I will certainly give information regarding the persons whose names have been given to me.

श्री शिवाजी राव शं देशमुख : क्या माननीय उप प्रधान मन्त्री का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्विटजरलैंड के बैंकों में कोड नम्बर से खोले गये खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समय अमरीका और स्विटजरलैंड के प्राधिकारियों के

बीच उच्चस्तर पर वार्ता चल रही है ताकि उन व्यक्तियों का पता लग सके जो इस बारे में अपराधी है और अन्त में स्विटजरलैंड सरकार इस बारे में सहमत हो गई है। अपनी सामान्य बैंकिंग नीति के अपवाद में स्विटजरलैंड सरकार अमरीका में वित्त मन्त्रालय में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों के गुप्त खातों के नम्बर देने के लिए सहमत हो गई है। क्या सरकार का विचार भारतीय के बारे में भी इसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने की है।

श्री मोरारजी देसाई : इस बारे में माननीय सदस्य को मुझ से अधिक जानकारी है। मुझे यह जानकारी माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है। मैं इस बारे में आगे जांच करूंगा। यदि स्विटजरलैंड सरकार ने अमरीका सरकार को ये अधिकार दे दिये हैं तो स्विटजरलैंड सरकार हमें भी इन सुविधाओं को प्रदान करने से इन्कार नहीं कर सकती। लेकिन मुझे शक हैं कि ऐसा किया गया है। मैं इस बारे में जांच करूंगा।

श्री उमानाथ : श्री कंवरलाल गुप्त के प्रश्न के उत्तर में उप प्रधान मन्त्री जी बार बार कह रहे हैं कि सूची से बाहर किसी अधिकारी का नाम बताया जाये तो वे उसकी जांच करेंगे, सरकार के लिए आपराधिक सूचना विभाग, सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्क व कई अन्य गुप्तचर विभाग कार्य कर रहे हैं और अगर देश के किसी नागरिक अथवा सरकारी आफिसर ने खाता खोला हुआ है तो इसका पता लगाने के लिए उनका अपना गुप्तचर विभाग है। उप प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य, कि अगर किसी विशेष अधिकारी का नाम बताने पर वे इसकी जांच पड़ताल करेंगे, से मैं यह अनुमान लगाऊं कि उनकी गुप्तचर सेवाओं से सूची में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा किसी उन आधिकारिक संवर्ग व्यक्तियों के मामले नहीं बताये हैं जिनका विदेशों में अनधिकृत खाते है, अथवा क्या वे किसी निर्णय पर पहुंचे है अथवा वे कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कर रहे हैं, मेरा तात्पर्य सामान्य जांच से नहीं हैं अपितु किसी विशेष व्यक्तियों के विरुद्ध जांच से है जिनका कि गुप्तचर विभाग ने विदेशों में अनधिकृत खाते खोलने के बारे में जांच पड़ताल की है।

श्री मोरारजी देसाई : अगर हमारे पास किसी अधिकारी के बारे में सूचना होती तो हम उस पर जांच करते, जो सूचना हमें मिलती हैं हम उसे निश्चय ही जांच पड़ताल करते हैं। यह कार्य गुप्तचर विभाग, वित्त मन्त्रालय का प्रवर्तन विभाग करता है। बहुत से मामलों में, जहां अनियमितताएं पाई गई, वहां लोगों पर मुकदमें चलाए गए तथा जुर्माने किये गए, इन मामलों की सूचना सभा को दी गई है, परन्तु इन मामलों में मैंने किसी सरकारी अधिकारी को अन्तर्ग्रस्त नहीं पाया।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार सभा को यह बताने में समर्थ है कि विदेशों में नियुक्त सरकारी अधिकारी अथवा दूतावास के अधिकारियों ने कितना धन प्रेषित किया है और जब उनका स्थानान्तरण किसी दूसरे देश में होता है तो विदेशों में कमाए हुए समस्त धन को प्रेषित करने में कितना समय दिया जाता है ? उदाहरण के लिए किसी अधिकारी का अमेरिका से बेल्जियम को स्थानान्तरण होता है तो जो धन उसने अमेरिका में संग्रह किया है उसको स्थानान्तरपर करने के लिए कितना धन दिया जायेगा ? क्या वह उस धन को बेल्जियम भेज सकता है अथवा उसे उस धन को भारत भेजना पड़ेगा ? भारत के धन भेजने के लिए उसे कितना समय दिया जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरे विचार में जब वे भारत वापिस आते हैं तब ही धन को स्थानान्तरित कर देते है, एक देश से दूसरे देश में जाने में वे अपने साथ धन को ले जा सकते हैं। परन्तु भारत वापिस आने पर उन्हें सब धन अपने साथ लाना पड़ता है जो रिजर्व बैंक द्वारा नियत अधिकतम और न्यूनतम सीमा के भीतर होता है।

श्री रंगा : इसके लिए कितना समय है ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा शीघ्र ही करना पड़ता है, वे अधिक समय तक इसको रख नहीं सकते।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अधिकारियों द्वारा प्रेषित किया हुआ कुल धन कितना है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को देखते हुए कि विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय राजनयिक विदेशी बैंकों में अपना धन जमा कर सकते है तो कई भारतीय रायनयिक और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्य कर रहे व्यक्तियों ने लंदन स्थित ग्रिन्डले बैंक में बहुत सा धन जमा किया है यद्यपि ब्रिटेन में मान्य नहीं है, इसको देखते हुए मैं जान सकता हूं कि सरकार का विचार विदेशी बैंकों में येलोगों को धन जमा करने के अधिकार देने की नीति को संशोधित करने का है अथवा विकल्प के रूप में क्या सरकार उन अधिकारियों के भारत लौटने पर उस धन को भारतीय बैंकों में पुनः जमा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है ?

श्री मोरारजी देसाई : इन अधिकारियों को विदेशों में कार्य करते समय अपना खाता विदेशी बैंकों में खोलना पड़ता है नहीं तो वे अपना कार्य कैसे चला सकेंगे ?

श्री हेम बरुआ : रुस में कार्य कर रहे भारतीय राजनयिकों ने जो इंगलैंड स्थित ग्रिन्डले बैंक में अपना खाता खोला है उसका क्या हुआ ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं जानता। मैं उसके बारे में पता लगा सकता हूँ अगर वे ऐसा करते है तो यह वे अपनी बच्चों की सुविधा के लिए कर रहे हैं जो इंगलैंड में अथवा कहीं और अध्ययन कर रहे है, जो अधिकारी विदेशों में कार्य कर रहे है और जिन्हें विदेशों से धन मिलता हैं, उन्हें विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है। अतएव अगर वे विभिन्न देशों में अपने बच्चों के लिए खाता खोलते है तो यह कोई अनियमितता का मामला नहीं होगा जब तक कि वे वहां है। जब वे यहां आते हैं तो उन्हें इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी।

श्री हेम बरुआ : मैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानता हूँ जो अपने बच्चों को भारत में अध्ययन करा रहे है और इंगलैंड में अपना खाता खोला हुआ है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इसका पता लगा सकता हूं।

श्री शान्तिलाल शाह : क्या सरकार को मालूम है कि अवैध ढंग से प्राप्त किए हुए धन, चाहे वह सरकारी कर्मचारी अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा कमाया गया हो, को रखने का सबसे अच्छा तरीका स्विस बैंक में जमा करने का है जो कि अपने ग्राहकों के नाम और खाते के ब्यौरा को नहीं बताती। यहां तक कि स्विटजरलैण्ड के कानून के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण दिया जाता है। न तो स्विटजरलैण्ड के न्यायालय और न स्विटजरलैंड की सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करती है।

श्री मोरारजी देसाई : यह सच है।

Overtime Allowance Paid to Central Government Employees

*755. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of Overtime Allowance paid to the Central Government employees during the current financial year upto the 30th October, 1968 ;

(b) whether the amount paid is more than the amount paid during the same period last Year ;

(c) whether Government propose to take some steps to reduce this expenditure ; and

(d) if so, the nature of such steps ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ) : सदन की मेज पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष में 30 अक्टूबर 1968 तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिये गये अतिरिक्त समय भत्ते की कुल रकम के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन, 31 मई 1967 और 31 मई, 1968 को समाप्त हुए छः महीनों की अवधि में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के मुख्य सचिवालय के कर्मचारियों को दिये गये अतिरिक्त समय भत्ते की कुल रकम के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध है और वह निम्न प्रकार से है :

31 मई, 1967 को समाप्त छः महीनों में (लाख रुपयों में)	31 मई 1968 को समाप्त छः महीनों में (लाख रुपयों में)
15.69	24.31

31 मई, 1967 को समाप्त छः महीनों की अवधि की तुलना में 31 मई, 1968 को समाप्त छः महीनों की अवधि में अतिरिक्त-समय भत्ते पर व्यय में वृद्धि निम्नलिखित दो कारणों से हुई लगती है :

(i) 1 दिसम्बर, 1967 से कार्यालय के काम के घंटे आधा घंटा घटा दिये गये ।

(ii) सितम्बर, 1967 में तथा पुन: दिसम्बर 1967 में मंहगाई भत्ते में पिछली तारीख से संशोधन के कारण कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि हुई और अतिरिक्त समय-भत्ता परिलब्धियों से सम्बद्ध है ।

भारत सरकार के कार्यालयों तथा तत्सम कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त-समय भत्ते पर खर्च में कमी करने के लिए सरकार समय-समय पर उपाय करती रही है:—

(i) 1-10-1961 से यह सीमा बांध दी गई है कि कर्मचारियों को किसी भी महीने में उनकी मासिक वेतन परिलब्धियों के तीसरे हिस्से से अधिक रकम अतिरिक्त समय भत्ते के रुप में नहीं मिलेगी । मन्त्रियों तथा अधिकारियों के व्यक्तिक कर्मचारियों के मामले में यह सीमा उनकी मासिक परिलब्धियों के आधे तक रखी गई है, क्योंकि उन्हें महीने में अधिकांश दिन कार्यालय समय के बाद देर तक बैठना होता है ।

(ii) 1962 में आपात की स्थिति की घोषणा के शीघ्र बाद ही कार्य के निर्धारित घंटों के बाद बिना अतिरिक्त-समय-भत्ते के काम करने को पौन घंटे से बढ़ा कर एक घण्टा कर दिया गया ।

(iii) 1965 में ऐसे आदेश जारी किये गये कि रविवार तथा साप्ताहिक अथवा पाक्षिक छुट्टी तथा दूसरे शनिवार को काम करने के लिए अमूमन प्रतिपूर्ति छुट्टी दी जाये, और नकदी रूप में प्रतिपूर्ति, संयुक्त सचिव अथवा कार्यालय अध्यक्ष की स्वीकृति से केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जाये ।

(iv) पाकिस्तान के साथ विग्रह शुरु होने के शीघ्र बाद अतिरिक्त समय भत्ते की मूल दरों में किफायत के तौर पर, 10 प्रतिशत की कमी कर दी गई । ये घटाई गई दरें रविवार तथा छुट्टी के दिन काम करने के लिए भी समान रूप से लागू कर दी गई । इसके लिए पहले सामान्य से डेढ़ गुना है दरें लागू थीं । यह भी निश्चय किया गया कि अतिरिक्त काम के घण्टों में वृद्धि के साथ भत्ते की दर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : The statement, which has been laid on the Table, indicates that the Government have paid more than Rs. 8.75 lakhs as overtime allowance for the last six months. I want to know whether the Government, keeping in view that the overtime allowance increases every month, is prepared to remove the ban on recruitment of Government servants ?

Shri Jagannath Pahadia : If the hon. member is asking about the ban on recruitment then I will say that the ban on recruitment has been imposed to avoid increase in expenditure.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question has not been answered. When the Government have been paying so much amount as over time allowance, why they do not have fresh recruitment ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : We pay overtime allowance instead of making new recruitment because the work is not of whole day's duration but of only two or three hours duration. If we make fresh recruitment then the hon. member will blame me and not others. He wants that the staff should be less and here he suggests that it should be increased. I cannot understand this point.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The overtime allowance should be cut-down.

Shri Morarji Desai : If the Hon. Member co-operates, it can be brought down.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : The Hon. Minister has stated that a plea is made in the House to reduce the number of employees. I want to ask him whether it is not a fact that the posts of Gazetted officers like Under Secretaries, Joint Secretaries and officers on special Duty are being increased. If so, what is the purpose for banning the recruitments of class III and class IV posts. It does not result in economy.

Shri Morarji Desai : The reason is that the non-gazetted staff is more than the requirement.

Shri B. N. Kureel : Are Government aware that since the work is not done during working-hours and as such the work is left to be done after office hours for which the employees are given over time allowance ?

Shri Jagannath Pahadia : The employees are given overtime allowance when the work is required to be done beyond normal office hours and not otherwise.

श्री लोबो प्रभु : मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री महोदय का ध्यान मूलभूत नियम 11 की ओर दिलाया जाये जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी का सारा समय सरकार का है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनको 24 घंटे काम करना चाहिए ।

श्री लोबो प्रभु : मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने इस नियम को बनाया है, वे ही इसका हिसाब लगा सकते हैं । मैं तो केवल सभा और सम्बन्धित विरोधी सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला रहा हूं कि ऐसा भी नियम है । दूसरा, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि तीन वर्ष पूर्व एक जांच की गई थी-जो शायद अब भी चल रही है—और यह पाया गया था कि गृह मंत्रालय में 30 प्रतिशत कर्मचारी वृन्द फालतू है । प्रश्न अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति का नहीं हैं अपितु वितरण का है, जब समयोपरि भत्ता दिया जाता है तो क्या कोई जांच करवाई गई है कि क्या वितरण सम्भव हैं ।

मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह समयोपरि भत्ता राज्यों को नहीं स्वयं दिया जाता हैं । मैंने 24 घटे कार्य किया है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, और मुझे एक दिन में 16 घंटे का समयोपरि भत्ता नहीं मिला हैं । खैर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों के मध्य अन्तर है, यह अन्तर काफी भेदभाव पैदा कर रहा है और यह भावना फैल रही है कि सरकारी कर्मचारी अधिक फायदे में हैं ।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मेरे तीन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री मोरारजी देसाई : यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों से यह आशा की जाती है कि 24 घंटे कार्य करने को तैयार रहें। परन्तु में आशा करता हूं कि माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि इसके बारे में कुछ विनियम होना चाहियें। आप सरकारी कर्मचारियों को नींद लेने अथवा उनके रोजमर्रा के जीवन में आवश्यक समय देने को मना नहीं कर सकते। राजपत्रित अधिकारियो को कोई समयोपरिभत्ता नहीं दिया जाता है। इसलिए मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है कि माननीय सदस्य को, जब वे पदाधिकारी थे, यह भत्ता नहीं मिला, केन्द्र में भी राजपत्रित अधिकारियों को समयोपरि भत्ता नहीं मिलता। अराजपत्रित कर्मचारी वृन्द को ही, जो कि श्रम कानून और अन्य बातों के अन्तर्गत आते हैं, यह समयोपरि भत्ता मिलता है। मैं जानता हूं कि इसका बहुत दुरुपयोग होता है। हम इसका समाधान ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि अगर किसी व्यक्ति को कार्य करने के घंटे के बाद बैठना पड़े तो उससे हम बिना प्रतिकर दिये कार्य लें। यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है।

श्री लोबो प्रभु : मेरे कार्य वितरण के बारे में पूछे गए प्रश्न का क्या हुआ और साथ में राज्य कर्मचारियों पर प्रभाव.....(व्यवधान).

श्री मोरारजी देसाई : इसके बारे में वे सचेत हैं। मैं चाहता हूं कि वे उसको यहां शुरु नहीं करते और तब ये सब बातें नहीं होती। परन्तु यह कुछ समय पूर्व उदारतावाद के विचार से आरम्भ की गई जो कि अच्छी चीज है परन्तु हमेशा नहीं। वितरण के प्रश्न पर भी अब विचार किया जा रहा है, हम विचार कर रहे हैं कि हम इस मालले में क्या करें। हम समाधान ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे यह सब रीतियां समाप्त हो जायें।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : हम इस बात को मानने के लिए तैयार है कि कुछ अत्यावश्यक और अधिक काम को समयोपरिभत्ता देकर कराया जाये, परन्तु काफी सीमा तक इस समयोपरि भत्ते ने, जो कि सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, बहुत सी गलत बातें पैदा कर दीं है, डाक विभाग में, जिसका मुझे ज्ञान है, बहुत सा कार्य काम में सामान्य घंटो में इस आशा से नहीं किया जाता कि इसके लिए समयोपरि भत्ता दिया जायेगा। इस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, और पक्षपात को जन्म दिया है और कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में शत्रुता की भावना को फैलाया है, अतएव वित्त मंत्री इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि क्या यह समस्त समयोपरि भत्ता देने की व्यवस्था को कम से कम सरकारी क्षेत्र में समाप्त कर दिया जा सकता है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र और विरोधी दल के माननीय मित्र, जो कि श्रम-क्षेत्र से सम्बधित हैं इस बुराई को समाप्त करने में मेरी सहायता करेंगे।

Rules Framed Under River Disputes Act.

*757. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is fact that a draft of the rules framed under the River Disputes Act has been sent to the State Governments for eliciting their opinion thereon ; and

(b) if so, the reaction of the State Governments thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) No amendment has been suggested by any State Government.

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether you have examined how far the rule, which you have framed, will solve the wator disputes between different States ?

डा० कु० ल० राव : इन नियमों में जो परिवर्तन किए गए हैं उसके अनुसार अब एक के बदले तीन न्यायाधीश होंगे, केवल वही संशोधन उन नियमों में किया गया है, जल विवाद के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है ।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know that since the State Governments have not shown any objection on this rule. whether Government apply will this rule on those States like Maharashtra, Andhra Pradesh, Mysore and Madhya Pradesh, where there is a water disputes, to end the disputes and by what time the decision will be taken ?

डा० कु० ल० राव : इस विचार को ही लेकर इन नियमों में शीघ्र संशोधन किया गया है । स्वाभाविक रूप से ये नियम शीघ्र लागू होंगे ।

श्री एस० एम० कृष्ण : भारत सरकार ने एक यह निर्णय लिया था कि कृष्णा नदी विवाद न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसको न्यायाधिकरण को सौंपने में इतनी अधिक देरी क्यों की जा रही है ? यह मेरा प्रश्न है, दूसरा, समाचारपत्रों में यह छपा है कि केन्द्रीय सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधीश का नाम बताने को कहा है । मैं जाना चाहता हूं कि देरी क्यो हों रही है ? क्या यह देरी मुख्य न्यायाधीश अथवा भारत सरकार के कारण हो रही है ?

डा० कु० ल० राव : इसमें किसी बात की देरी नहीं हो रही है । सब कार्यवाही को पूरा करना है । हम चाहते थे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधिकरण मनोनीत करते । हम उनके नाम दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू : जब सरकार ने इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला कर लिया था तो सरकार को चाहिए था कि न्यायाधिकरण के निर्णय लेने तक कुछ न करती । इसी बीच सरकार इन जल-विवाद के बारे में कैसे कार्यवाही कर सकती है । एक ओर तो मंत्री महोदय कहते हैं कि हम इस विवाद को न्यायाधिकरण को सौंप रहे है, तो दूसरी ओर मंत्री महोदय ने कतिपय राज्यों में कुछ योजनाओं की स्वीकृति दे दी है । ऐसा मंत्री महोदय कैसे कर सकते हैं जबकि उन्होंने कहा है कि वे इन मामलों को न्यायाधिकरण को सौंप रहे हैं, न्यायाधिकरण के निर्णय देने के पहले ही मंत्री महोदय कैसे कतिपय राज्यों में कुछ योजनाओं की स्वीकृति दे सकते हैं, क्या यह उचित हैं ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य को ठीक सूचना नहीं मिली है, न्यायाधिकरण को यह मामला सौंपने के बाद विवादग्रस्त चेकों में कोई परियोजना की स्वीकृती नहीं दीगई है।

श्री चेंगलराया नायडू : मैसूर राज्य में इसकी स्वीकृति दी हुई है।

श्री क० लकप्पा : भारत सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जो जल विवाद है, उसे सुलझाने में अनिश्चित रूप से देरी कर रही है। जल विवाद को सुलझाने सम्बन्धी बनाने में भी काफी देरी की गई है। कृष्णा-गोदावरी विवाद ग्रस्त ऐसे भी मामले हैं जिनको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा गया है और उन्होंने अन्तिम निर्णय करने के लिए न्यायाधीशों के नाम देने हैं। इस अत्यधिक देरी ने सम्बन्धित क्षेत्रों के आर्थिक विकास को काफी हद तक अव्यवस्थित कर दिया है। इसके अतिरिक्त मैसूर और उड़ीसा जैसे राज्यों के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं नहीं दी गई है, सरकार की ओर से इन मामलों में देरी करने से इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को धक्का पहुंचा है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार आगे से ऐसे देरी को दूर करने, मामले को मित्रता पूर्ण ढंग से सुलझाने ओर इस सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए यथाशीघ्र क्या कदम उठा रही है?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने कहा है कि उसके राज्य के मामले में देरी की गई है। परन्तु उनके राज्य के मामले में शीघ्र कार्यवाही की गई है, इस माननीय सभा ने अगस्त के महीने में संशोधन पारित किया था, तब यह शीघ्र ही राज्यों में परिचालित किया गया था, और उनको इसका उत्तर देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया, राज्यों को इस पर आपत्ति नहीं थी। यह राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और यह सभा के समक्ष रखा गया था। वास्तव में इसके पूर्व ही कार्यवाही की गई थी। मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया था कि वे न्यायाधीश नियुक्त करें, स्वाभाविक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में कुछ कठिनाईयां रही हैं और हम मुख्य न्यायाधीश से नाम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री क० लकप्पा : क्या भारत सरकार उच्चतम न्यायालय पर शीघ्र ही न्यायाधीशों को मनोनीत करने के लिए दबाव डालेगी ?

डा० कु० ल० राव : इसमें कोई देरी नहीं हुई है, हम मुख्य न्यायाधीश से नाम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : सरकार कितने न्यायाधिकरण नियुक्त करने का विचार रखती है और इन न्यायाधिकरणों में कौन से विवादों को सौंपा जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : अन्तर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम के धारा 4 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण नियुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित राज्यों से यह निर्देश आना आवश्यक है कि यह मामला न्यायाधिकरण को सुपुर्द किया जाये, इस पर हमें मैसूर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से कृष्णा व गोदावरी नदी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, इन दो नदियों के लिए दो न्यायाधिकरण नियुक्त किये जा सकते हैं, गुजरात सरकार ने भी नर्मदा नदी के लिए न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिए हमसे अनुरोध किया है। अधिनियम में यह उल्लिखित है कि जब

तक भारत सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि इसको बातचीत द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता तब तक हमें इस मामले को न्यायाधिकरण को सुपुर्द नहीं करना चाहिए। भारत सरकार यह समझती है कि नर्मदा नदी के मामले को सुलझाने के लिए कुछ और प्रयत्न किये जाने चाहिए, अतएव, हम शीघ्र ही नर्मदा के लिए न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं,

Shrimati Lakshmi Kanthamma : What attempts are being made by the Government to negotiate between various States ? have the Government got some success in it ?

डा० कु० ल० राव : भारत में अन्तरराज्यीय नदियों की संख्या बहुत अधिक है, वास्तव में हर नदी एक अन्तरराज्यीय नदी हैं, हमने कई मामलों में समाधान खोज निकाला है। केवल दो नदियों, यथा कृष्णा और गोदावरी, के मामलों में कुछ कठिनाइयां हैं, काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी हम सम्बधित राज्य सरकारों के मध्य कोई समझौता नहीं करा सके हैं अतएव हमें इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपना पड़ा। नर्मदा के मामले में, जैसा कि मैंनें पहले कहा है, हम इसको न्यायाधिकरण को सौंपने से पूर्व कुछ और अधिक समझौता कराने का प्रयत्न करना चाहते हैं।

राजस्व की प्राप्तियां

758. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में राजस्व की प्राप्तियां बजट के आंकड़ों से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो किन शीर्षकों के अन्तर्गत आय लक्ष्य से अधिक हुई है और किन मदों में लक्ष्य से कम हुई है; और

(ग) आयकर और सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क को शीघ्रता से एकत्रित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : जी, नहीं। 1 अप्रैल 1968 से 31 अक्टूबर 1968 तक की अवधि के दौरान आय-कर, निगम-कर, सम्पदा-शुल्क, धन-कर, दान-कर और व्यय-कर तथा सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कुल राजस्व प्राप्तियां यथानुपात बजट प्राक्कलन से अधिक नहीं है। जब कि आय के उपर्युक्त किसी भी शीर्ष से वसूलियां बजट प्राक्कलनों पर आधारित 7 महीनों के लिये यथानुपात प्रत्याशाओं से अधिक नहीं हुई है, आयात माल पर सीमाशुल्क से प्राप्तियों में निश्चित रूप से कमी हुई है। राजस्व की अन्य मदों से प्राप्तियां चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक बजट प्राक्कलन की रकमों तक या उनसे कुछ अधिक होने की सम्भावना है।

(ग) आय-कर के वसूली तंत्र को चुस्त बनाने के लिये हाल ही में की गई कुछ कार्यवाही का विवरणपत्र सभा की मेज पर रखा गया है। सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूलियों में शीघ्रता लाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये शुल्क सामान्यतया: माल की निकासियों से पहले ही वसूल कर लिये जाते हैं।

विवरण

आय-कर वसूली तंत्र को चुस्त बनाने के लिये हाल ही में की गई कुछ कार्यवाही

(i) सभी आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में वसूली का कार्य राज्य सरकारों से आय-कर विभाग द्वारा अपने हाथ में लेना ।

(ii) चालू वर्ष में जारी की गई मांगों की वसूली पर और अधिक जोर देना ।

(iii) जिन मामलों में बकाया शेष रहती हैं उनमें उपयुक्त कार्यवाही करने की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों पर डालना जैसे कि

अधिकारी	बकाया के मामले
आय-कर अधिकारी	1 लाख रु० से कम ।
आय-कर निरीक्षी सहायक	1 लाख रु० से अधिक और
आयुक्त	5 लाख रु० से कम ।
आय-कर आयुक्त	5 लाख रु० से अधिक

(iv) विलम्ब से की गई अदायगियों पर 1 अक्तूबर, 1967 से ब्याज की दर प्रतिशत से बढ़ा कर 9 प्रतिशत करना ।

(v) बम्बई और कलकत्ता में एक-एक सहायक आयुक्त की नियुक्ति जिसका एक-मा कार्य वसूली पर नजर रखना होगा ।

(vi) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना चालू करना, जिसके अधीन क की वसूली एक या एकाधिक आय-कर अधिकारियों का एक विशिष्ट कर्त्तव्य बना दिया गया है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : आय-कर विभाग में कार्य के वितरण सम्बन्धी कार्य-योजना की कार्य प्रणाली के बारे में सरकार का क्या अनुभव है? इस सन्दर्भ में क्या कठिनाईयां सरकार के सामने आई ? क्या इस प्रणाली से कर प्राप्त करने में कुछ सहायता मिली ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : अब तक का अनुभव तो यह है कि यह योजना पूर्णतया लाभकारी रही है । लेखों और फाइलों के केन्द्रीयकरण में कुछ कठिनाइयां भी आई है । इन पर ध्यान दिया जा रहा है । हम समझते हैं कि इस योजना को चलाया जाना चाहिए परन्तु इसको और क्षेत्रों में चालू करने से पूर्व, जहां यह योजना इस समय चालू है वहीं पूरी तरह समेकत्र करना चाहते हैं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : सरकार के विचार से राजस्व और व्यय का क्या अनुमान है । इन अनुमानों का घाटे की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है कि सीमा-शुल्क को छोड़कर राजस्व की अन्य मुख्य मदों को तो इस वर्ष के अन्त तक तो सीमित कर दिया जायेगा यदि वे बढ़ी नहीं। यही सामान्य स्थिति है।

श्री उमानाथ : पिछला बजट पेश करते समय इसके काफ़ी भाग को शामिल नहीं किया गया था। मंत्री महोदय के उत्तर से मालूम होता है कि कुछ मदों में प्राप्तियां लक्ष्यों से आगे नहीं बढ़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गये बजट में छोड़े गये अन्तर को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये है ? और क्या घाटे की बजट-योजना भी एक उपाय है, और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने पहले कहा है इसे स्पष्ट करता हूं कि यह स्थिति तो केवल सात मास की है तथा यथानुपात गणना के अनुसार हैं, प्राप्तियां आशा से कम वसूल हो रही है परन्तु वर्ष के अन्त में हमें आशा है कि सीमा शुल्क को छोड़ कर अन्य सभी मदों में अगर अधिक नहीं तो पूरा अवश्य कर लेंगे।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि राजस्व व्यय से कम प्राप्त हुआ है तथा क्या बजट में घाटा दिखाना होगा, यह बात मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न तो पिछले वर्ष के बजट में छोड़े गये अन्तर से है। इन सात महीनों के दौरान, इस अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इन सात महीनों में, अन्तर को पूरा करने के लिये कर लगाने सम्बन्धी कोई उपाय नहीं किये गये हैं। कर लगाये बिना कैसे अन्तर पूरा किया जा सकता है।

श्री उमानाथ : मैं यही जानना चाहता था। उन्होंने मुझ से ही प्रश्न कर दिया है कि ये कर लगाये बिना कैसे पूरा किया जा सकता है। मैं उनसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। यदि वह मुझसे ही अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो वह इस ओर आ बैठे और प्रश्न पूछ लें। मेरा प्रश्न तो यह था कि बजट में एक निश्चित अन्तर छोड़ दिया गया था। सात महीने बीत चुके हैं। यह बताया जाय कि क्या उस छोड़े गये भाग का कोई हिस्सा पूरा किया जा चुका है और यदि हां, तो किन उपायों से ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं माननीय सदस्य की मनन शक्ति के प्रति बड़ा आदर भाव रखता हूं। मैंने सोचा था कि मेरे प्रश्न करने से ही वह उत्तर का मनन कर लेंगे। मेरे विचार से उसमें कोई कठिनाई नहीं है। संसदीय प्रणाली में उत्तर देने का यह भी एक ढंग है। यदि माननीय सदस्य यह नहीं जानते तो उन्हें यह जान लेना चाहिये।

श्री उमानाथ : अब वह मेरे इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दें।

श्री मोरारजी देसाई : अब क्योंकि उन्होंने पूछा ही है तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मैं नहीं समझता कि वह इतनी जल्दी इसे नहीं समझ सकते।

जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, नये कर लगाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि सभा में बताये बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री उमानाथ : मैं कर लगाने के बारे में नहीं पूछ रहा हूं।

श्री मोरारजी देसाई : कुछ क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने के लिये किये गये उपायों का परिणाम क्या हुआ है यह तो मैं वर्ष के अन्त में ही जान सकता हूं।

श्री उमानाथ : मैं किये उपायों का परिणाम नहीं बल्कि जो उपाय किये गये हैं वह जानना चाहता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : वे मैं उन्हें नहीं बताऊंगा।

श्री उमानाथ : इसमें क्या रहस्य है ? वह सदन से केवल रहस्यपूर्ण बातें ही छिपा सकते है। वह कहते हैं कि कुछ उपाय किये गये हैं तथा वर्ष के अन्त में सरकार को उन पर पुन विचार करना है। वह किये गये उपायों को बताने को तैयार नहीं है। वह किस नियम के अधीन उन उपायों के बारे में नहीं बता रहे हैं। सदन यह जानना चाहता है कि क्या उपाय किये गये हैं।

श्री मोरारजी देसाई: यदि वे उपाय विशिष्ट प्रकार के होते तो मैं उन्हें अवश्य बताता। परन्तु यदि सामान्य उपाय ही किये गये है जो कि प्रायः किये जाते हैं, तो उनका वर्णन करना सम्भव नही क्योंकि इस पर माननीय सदस्य.....

श्री उमानाथ : विशिष्ट रूप से कौन से उपाय किये गये हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य इस मामले को पुनः उठायें और यह कहें कि आपने तो यह कहा था। यह क्या हो रहा हैं? इत्यादि मैं उन्हें तभी बताऊंगा जब कि हम कोई कार्य विशिष्ट रूप से करेंगे, मैं नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा। सम्भव है अधिक कर वसूली हो। हम यथासम्भव अधिक वसूली करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही प्रयत्न हम बकाया राशि और अन्य बातों के लिये कर रहे हैं। यही वे विभिन्न उपाय हैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जहां कहीं फालतू का खर्च नजर आता हैं, हम इसे रोक देते हैं। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि किस बारे में हम यह कर रहे हैं और किस बारे में नहीं। प्रायः ऐसा ही होता है। यदि मैं इन सभी उपायों का वर्णन करूं तो सम्भव है वह कुछ बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाने लगेंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस तथ्य को देखते हुए कि अपील आयुक्तों तथा अपील पचाटों के आदेशों के पालन में अवांछित विलम्ब होता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन आदेशों के पालन करने हेतु अधिकाम समयावधि निश्चित करने के बारे में विचार

किया है और क्या इस बारे में कुछ आंकड़े जुटाये है तथा क्या हमें सरकार बतायेगी कि ऐसे कितने आदेश है जो पांच वर्ष से अधिक की अवधि से अपालित पड़े हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि वह अलग से प्रश्न की सूचना देंगे तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : मेरे प्रश्न के (क) भाग का उत्तर दीजिये ।

श्री मोरारजी देसाई : कोई भी ऐसी समयावधि तय नहीं की जा सकती है जिसमें त्रुटिहीन हो । परन्तु मैं ऐसे निर्देश दे सकता हूं कि यथासम्भव शीघ्रता से काम किया जाये, और मैं समझता हूं कि एक मास अथवा ऐसी ही किसी अवधि की सीमा निश्चित है । माननीय सदस्य सलाहकार समिति के सदस्य है और मेरे विचार से वह यह बात जानते हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पिछले बजट में छोड़े गये अन्तर को दूर करने हेतु घाटे की बजट-योजना के लिये क्या मानदण्ड अब तक रखा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ....

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मांग को पूरा करने हेतु किस सीमा तक अधिक नोट छापे गये है ? अर्थव्यवस्था सम्बन्धी सीधे शब्दों में घाटे की बजट योजना का यही अर्थ होता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न का सीधा अभिप्राय तो यह है कि क्या कुछ घाटे की बजट-योजना भी है । श्री उमानाथ ने यह प्रश्न पूछा था और उप-प्रधान मन्त्री ने इसका उत्तर दिया था ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा प्रश्न है कि वह क्या धन राशि है ....

श्री मोरारजी देसाई : वर्ष के अन्त में होने वाली घाटे की बजट योजना का मतलब निश्चय ही नये नोट छपवाना होता है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उन्हें आवेश में नहीं आना चाहिए ।

श्री मोरारजी देसाई : आवेश में कहां आये । माननीय सदस्य को हर जगह आवेश ही दिखाई देता है । मैंने कहा कि स्वभावतः ही न शामिल किये गये घाटे का अर्थ नये नोटों के छपवाने से है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा प्रश्न विशिष्ट प्रकार का था ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते थे कि इस अवधि के दौरान कितनी धन राशि का घाटा दिखाया गया है । मेरे विचार मे मन्त्री महोदय ने बत या है कि यह तो वर्ष के अन्त में मालूम होगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : बजट में 289 करोड़ रुपये का न शामिल किया गया घाटा दिखाया गया है ।

Shri S. M. Joshi : In the begginning, when you showed a deficit in the Budget we knew that the shortage of money should be made up and it would have been better if it could have been done by levying other new taxes. Therefore, as a public representative, may I know how could you cover the shortage as you could not levy new taxes ? Now only three months are left in this financial year and as you have not imposed any taxes, you must have printed new notes; that is what I want to know.

Shri Morarji Desai : How can it be said whether the new notes were printed or not ? This all is calculated at the end of the year and not before that. But the shortage will be made up. It may increase also; I can't say that. Deficit financing may show an increase in loss at the end of the year as you might have seen. And I have already said that at the end of the year the deficit financing will be in the notes only.

श्री पीलू मोदी : आप इनमें से कुछ व्यक्तियों को वित्त सम्बन्धी मामलों के बारे में प्रश्न करने की अनुमति न दीजिए । यह कोई पाठशाला नहीं है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मन्त्री महोदय ने कहा है कि घाटे के बारे में वर्ष के अन्त में मालूम होगा । यह बिल्कुल सही बात है । परन्तु इस समय प्रचलित नोटों की संख्या में वृद्धि हो रही है । नये नोटों के छपने से कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बताना आज मेरे लिए सम्भव नहीं है ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : किसी विशिष्ट पद के अन्तर्गत राजस्व में लगातार कमी होने का एक कारण तो यह है कि कोई विशिष्ट वस्तु अथवा निर्मित चीज अर्थव्यवस्था के किसी निर्धारित स्तर तक कर का भार वहन नहीं कर सकती । इन तथ्यों तथा सरकार के पास अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, क्या इस प्रकार के उपाय उचित समय पर किये जायेंगे कि अधिकाधिक अगले बजट के पेश किये जाने तक, राजस्व में कमी करने वाली निष्कार्य क्षमता अथवा उत्पादन में कमी के कारण उत्पन्न इन असन्तुलनों को ठीक किया जा सके ?

श्री मोरारजी देसाई : निष्कार्य क्षमता के बारे में हम सभी चिन्तित हैं परन्तु यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री पीलू मोदी : हम समझते थे कि वह इसे महसूस नहीं करेंगे ।

Shri Beni Shanker Sharma : The hon. Finance Minister has stated something about the steps taken by him to recover Income Tax, Wealth Tax and Estate Duty. Is he aware that much strictness is being enforced on assessies who are really experiencing great difficulties in paying these so called arrears ? I can say that in connection, Section 220(6) has been made rather ineffective as the required time has not been given to the assessies to pay their arrears. For example, if an assessies has actually to pay Rs. 10,000 as tax but the Income Tax Officer levies Rs. 5 lakh which, after an appeal, comes to Rs. 20 or 25 thousand, in such a case, adequate time is not given to the assessies. I whuld like to know from the hon. Minister whether he issue instructions to the effect that the assessies, who are entitled to a caution, should be given adequate time ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : As has been stated a number of times in this House, more than Rs. 600 crores are lying in arrears of which Rs. 350 crores are effective arrears and we are anxious to collect them as early as possible. For this purpose, we might be strict if we have to collect them.

श्री पीलू मोदी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या बजट में ही सोची गई घाटे की योजना के अतिरिक्त भी, राजस्व और पूंजी खाते पर व्यय बजट में अनुमानित व्यय से भी अधिक हो गया है तथा क्या इस अतिरिक्त व्यय के कारण भी बजट में घाटे की योजना बनाई जा रही है ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं तो यही कह सकता हूं कि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है ।

Crisis in Sindri Fertilizer Factory due to supply of inferior quality of gypsum

***759. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sindri Fertilizer Factory is facing a crisis due to supply of inferior quality of gypsum and they propose to change their production process;

(b) whether it is a fact that good quality gypsum is available in Bhutan and that an expenditure of only Rs. 4 crores is involved in bringing gypsum from the mine-head to the railway line which is within the capacity of the Fertilizer Factory;

(c) whether it is also a fact that this gypsum would be cheaper at Sindri as compared to that brought from Rajasthan or imported from Pakistan;

(d) whether it is further a fact that the implementation of this scheme would be financially profitable to Bhutan apart from creating employment potential there; and

(e) if so, the reasons for not concluding an agreement to this effect with Bbutan ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क), (ख), (ग) (घ) और (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) यदि राजस्थान के घटिया किस्म के जिप्सम के कारण सिन्दरी उर्वरक कारखाना उत्पादन में हानि एवं कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि सिन्दरी में संकट है । उत्पादन-प्रक्रियां में परिवर्तन का प्रस्ताव है ताकि फास्फेटिक उर्वरकों को शामिल करते हुए, सिन्दरी के मिश्र-उत्पाद में परिवर्तन किया जाय और इस प्रक्रिया में खनिज जिप्सम के स्थान पर उपोत्पादक जिप्सम का इस्तेमाल किया जाए । इस स्कीम के अन्तर्गत, जो सिन्दरी रेशनलाइजेशन स्कीम के नाम से विख्यात है, फास्फोरिक एसिड रौक फास्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल (जो अमझौर पाइराइटस से बनाया जायेगा) के मिलान से तैयार किया जायेगा । जिप्सम इस प्रक्रिया का एक उपोत्पाद है ।

(ख) यह मालूम हुआ है कि भूटान में अच्छी किस्म का जिप्सम उपलब्ध है । लेकिन इसके समुपयोजन में होने वाली पूंजी-लागत और आवश्यक परिवहन सुविधाओं का सही अनुमान नहीं है ।

(ग) रेशनलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत सिन्दरी में इस्तेमाल के लिए प्रस्तावित उपोत्पाद जिप्सम की तुलना में खनिज जिप्सम, चाहे वह भूटान या राजस्थान या पाकिस्तान से उपलब्ध हो, सस्ता नहीं होगा ।

(घ) भूटान की अर्थ-व्यवस्था पर भूटान में जिप्सम के समुपयोजन के प्रभावों का अभी पूर्णतया अध्ययन नहीं किया गया है । एक अध्ययन दल के जो भूटान-जिप्सम के प्रयोग की सम्भावना पर विचार करने के लिए हाल ही में स्थापित किया गया है इस विषय पर प्रकाश डालने की सम्भावना है ।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तरों को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

Shri Maharaj Singh Bharati : In their statement, the Govt. have admitted that a superior quality of gypsum is available in Bhutan. But besides that they say that it will not cheaper here and they do not know what the cost would be. They already know that it would not be cheaper here. In view of our relations with Bhutan and also in view of the fact that we have been sending goods there unilaterally, and if we now develop the gypsum-mines there and bring gypsum here; and also in view of the fact that this will provide for employment and financial benefits to the Bhutanese people as also ropes for our own defence services, besides bring about a mutual transaction of goods between both the countries and, thereby, proving that it will be very useful for us to exploit the Bhutanese gypsum irrespective of its quality; I would like to whether it is a fact that as advised by one of their coward and inexperience Govt. official that it might be dangerous to develop these mines since they happen to be near China, the Govt. are not going to develop those mines ?

श्री रघुरामैया : इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है कि सरकार इन खानों का विकास नहीं करना चाहती । वास्तव में तो आर्थिक रूप से सुविधाजनक तथा उपयुक्तता की दृष्टि से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बारे में डा० काने सहित कई अन्य अन्य आदमियों की एक समिति नियुक्त की गई है । यह सच है कि यह पता लगा है कि यह जिप्सम संश्लिष्ट जिप्सम से सस्ता नहीं सिद्ध होगा जो कि सिन्दरी में युक्तिकरण-उपयोग योजना के पूरा होने के पश्चात उपलब्ध होगा परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि भूटानी जिप्सम किसी अन्य काम के लिए उपयोग ही नहीं किया जा सकता । यदि इस काम में नहीं तो कहीं और उसका उपयोग किया जा सकता है । सीमेंट में भी इसका उपयोग किया जा सकता है । परन्तु सारे मामले पर आर्थिक सुविधा की दृष्टि से विचार करना होगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Deputy Speaker Neptha can be available near our borders adjoining Bhutan where we have set up our refinery and through which the pipe lines have passed. Assam's extra gas which is being used for burning, can also be brought through these pipe-lines. I, therefore, want to know whether the Govt. would think over setting up a fertilizer factory in Bihar near the borders of India and Bhutan so as to exploit Bhutanese gypsum ?

श्री रघुरामैया : पहले तो हम यह देखें कि यह कितनी मात्रा में तथा किस स्तर का मिलता है तभी हम यह विचार करेंगे कि इसका कैसे अधिकाधिक उपयोग हो सकता है ।

श्री गाडिलिंगन गौड: क्या यह सत्य है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या संसार के किसी भी ऐसे और इतने बड़े कारखाने के कर्मचारियों की संख्या से 7 गुना है। यदि नहीं तो वहां नियुक्त कर्मचारियों का क्या अनुपात है।

श्री रघुरामैया : मैं इसके लिए सूचना चाहूंगा।

Shri Randhir Singh : The imported fertilizer is much costlier than the one produced by these factories and the poor farmers cannot purchase it. I, therefore, want to know whether the Govt. would fix a time limit by which the fertiliser would be available at cheaper rates within the reach of the farmers or the Govt. would give subsidies in this behalf as they give for other industries. May I know whether the Govt. have any scheme to provide fertiliser at cheaper rates to the farmers so that they may produce enough to feed the country and also to export ?

श्री रघुरामैया : बहुत से वर्तमान कारखाने पुराने ढंग के हैं परन्तु हमारे अधिकतम नये कारखाने नये तकनीक-युक्त होंगे तथा उनमें उत्पादन आरम्भ होगा तो उर्वरक के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों जैसे हो सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

Shri Rabi Ray : You will permit me atleast. In the morning you had said that.

उपाध्यक्ष महोदय : केवल तभी जबकि मैं सारे प्रश्न पूरे कर सकता एक दौर पूरा हो जाता यदि कुछ सदस्य अनुपस्थित होते तभी आपको अवसर मिलता। अब तो केवल तीन प्रश्नों पर ही चर्चा हुई है।

Shri Rabi Ray : In the letter just now received from your Secretary, you have admitted that this question has been split up.

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, प्रश्न समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वित्त मन्त्री के निजी सचिव के रूप में उनका पुत्र

***751. श्री मधुलिमये:** क्या वित्त मन्त्री 30 अप्रैल, 24 जुलाई तथा 12 अगस्त, 968 के अपने वक्तव्यों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1967 से अगस्त, 1968 की अवधि में उनके पुत्र ने विभिन्न लोगों के साथ हुए पत्र व्यवहार में अपने आपको उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री के निजी सहायक अथवा निजी सचिव के रूप में बताया था;

(ख) यदि हां, को कितने अवसरों पर उनके पुत्र ने ऐसा किया था; और

(ग) किन कारणों से उनके पुत्र को अत्यधिक गोपनीय पत्रों की प्राप्ति भेजने तथा मन्त्री के सरकारी कार्यों तथा कर्तव्यों के बारे में उनसे मिलने आने वालों के लिए समय निश्चित करने को कहा गया था ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : मेरा लड़का मेरे काम में जो जो सहायता करता था, उसके बारे में मैंने लोक-सभा में, 20 अगस्त, 1968 को जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने यह कहा था 'मेरे लड़के ने न तो इस पत्र में और न किसी अन्य पत्र में, जो मैंने देखा है, अपनी इस प्रकार की पद-संज्ञा लिखी है।"

इस प्रश्न की स्वीकृति के बाद पत्र-व्यवहार की सम्बद्ध फाइलों की नये सिरे से जांच-पड़ताल की गई थी और जहां तक रिकार्ड में रखे हुए 850 पत्रों की प्रतियों से पता लगा, ऐसा नहीं मालूम होता कि मेरे लड़के ने उप प्रधान मन्त्री के व्यक्तिगत सहायक या निजी सचिव के रूप में हस्ता र किये हैं। हो सकता है कि असावधानी से निजी सचिव के पत्र-पैड पर एक-दो पत्र टाइप हुए हों और उन पर भूल से उसने हस्ताक्षर किये हों।

(ग उस वक्तव्य में यह बताया गया है "मेरा लड़का गैर-सरकारी कामों में, अर्थात् सामाजिक कार्यक्रम, मुझ से मिलने वालों के लिए समय निश्चित करने और जन-सम्पर्क के काम में मेरी सहायता करता था। उपर्युक्त कामों के अलावा और कोई काम उसके कार्य-क्षेत्र में नहीं था। कुछ पत्रों की प्राप्तियों की सूचना देना और मुझ से मुलाकात करने वालों के लिए मेरी हिदायतों के अनुसार समय निश्चित करना, रोज मर्रे का काम समझा जाता था। ऐसे कुछ पत्र जिनमें सुझाव दिए गए हों "गोपनीय" अंकित करके भेजे जा सकते हैं, किन्तु इन पत्रों के ऐसे उत्तर गोपनीय नहीं होंगे जिनमें उन सुझावों पर विचार न किया गया हो, बल्कि पत्र भेजने वालों से अपने सुझावों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मुझसे केवल मिलने के लिए कहा गया हो।

सरकारी उपक्रम

***752 श्री जि० ब० सिंह :**
श्री शारदानन्द :

क्या **वित्त मन्त्री** 12 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 424 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के 14 कारखानों की पूरी स्थापित क्षमता का उपयोग करने के लिए इस बीच क्या नई कार्यवाही की गई है;

(ख) इन कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारण गत एक वर्ष में कुल कितनी हानि हुई;

(ग) इन कारखानों में कुल कितनी राशि लगाई गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि जब तक उनकी स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता तब तक किसी भी कारखाने का विस्तार नहीं किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने अपनी स्थापित क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए दो तरह की अर्थात—

(1) विभिन्न प्रकार की वस्तुयें तैयार करने के प्रयत्नों द्वारा; और

(2) निर्यात द्वारा, कार्रवाई की है।

अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से, सरकारी क्षेत्र के जिन कारखानों ने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार करने के लिए उपाय किए हैं या जो कारखाने ऐसे उपाय कर रहे हैं उनमें नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड, प्रागा टूल्स लिमिटेड, हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीनटूल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड आदि उल्लेखनीय है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के कुछ कारखानों ने निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करके, अपनी कुछ फालतू क्षमता का उपयोग करने का प्रयत्न किया है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के कारखानों के सम्बन्ध में 1967-68 के लेखे अभी बन्द नहीं किये गये हैं। इसलिए यदि कोई हानि हुई हो तो उसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। स्थापित क्षमता का इस्तेमाल न किए जाने के कारण जो हानि हुई हो, उसका भी ठीक-ठीक हिसाब लगाना सम्भव नहीं हैं क्योंकि और भी कई कारण है जिनसे सरकारी क्षेत्र के कारखानों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) 31 मार्च, 1967 को इन 14 कारखानों में लगाई गई कुल पूंजी का (सामान्य शेयरों और ऋणों के रूप में) ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(करोड़ रुपयों में)

कारखाने का नाम	लगाई गई पूंजी (31 मार्च, 1967 को)
(1)	(2)
1. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	1028.50
2. नेशनल कोल डवेलेपमेण्ट कारपोरेशन	153.72
3. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड	2.47
4. हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	1.79
5. प्रागा टूल्स लिमिटेड	3.67
6. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड	159.06
7. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्लस लिमिटेड (3 एकक)	46.78
8. गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड	2.13
9. नेशनल इस्ट्रूमेंटस लिमिटेड (दो एकक)	3.79
10. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	27.23
11. हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड	98.35

12. हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	185.84
13. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड	43.19
14. साक्रमर साल्टस लिमिटेड	1.00

(घ) नीति के अनुसार, केवल उन्हीं वस्तुओं के निर्माण में विस्तार करने की अनुमति दी जा रही है जिनकी मांग ज्यादा है ।

कास्टिक सोडा के मूल्य में वृद्धि

*753. **श्री रा० की० अमीन** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशुल्क आयोग की अनुमति न मिलने के बावजूद सरकार ने कास्टिक सोडा के मूल्य में 82 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shifting of Safdarjung Airport

*756. **Shri Prakash vir Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2795 on the 5th August, 1968 and state:

(a) the time by which a final decision would be taken in regard to the shifting of Safdarjung Aerodrome and for converting it into parks and playgrounds;

(b) whether it is also a fact that there is some difference of opinion between the Central Government and the Delhi Administration on this matter; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) to (c) : The proposal to shift aircraft operations from the Safdarjung Airport to a new site is still under consideration of the Government. In the event of aircraft operations being shifted to another site, the land under the Safdarjang aerodrome can be utilised according to the Master Plan.

शुल्क-वापसी जांच समिति का प्रतिवेदन

*760. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शुल्क-वापसी जांच समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : जी हां।

सरकार के अस्थायी निष्कर्षों पर निर्यात सम्बन्धी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सलाहकार परिषद् के सदस्यों से उनके विचार पूछे गये थे। उनके विचार प्राप्त हो चुके हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है। अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाएंगे।

बिहार में सिंचाई योजनायें

***761. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को फिलहाल अपनी दीर्घकालीन योजनाओं को छोड़ देने की अल्पकालीन उपायों द्वारा अपनी अधिकतम भूमि में सिंचाई करने की सलाह दी है; और

(ख) सिंचाई के लिये वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये यदि सरकार द्वारा बिहार को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है तो कितनी राशि ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) बिहार में गंडक और कोसी परियोजनाओं के लिए शतप्रतिशत पृथक-रक्षित ऋण सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष गंडक परियोजना के लिए 6 करोड़ रुपये की और सोन उच्च स्तरीय नहर परियोजना के लिए 70 लाख रुपये की विशेष सहायता दी गई थी। अन्य परियोजनाओं को समग्र योजना के लिए राज्य सरकार को दिए जा रहे विविध विकास ऋणों द्वारा परोक्ष रूप से सहायता दी जा रही है।

बरौनी तापीय विद्युत परियोजना में जेनेरेटर प्लाट

***762. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2627 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरौनी में पचास-पचास मेगावाट के दो जेनेरेटर लगाने का काम इस बीच पूरा हो गया है और वह चालू हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उनके चालू होने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या मुजफ्फरपुर और छापरा के अतिरिक्त मधुबनी और बतियां में भी 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मांकोमद पुल के आर पार 100 एच० वी० ए० के एफ 132 के० वी० केबल को डालने का काम पूरा हो गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) बरौनी ताप बिजली घर में प्रथम 50 मेगावाट यूनिट का प्रतिष्ठापन कार्य पूर्ण हो गया है और इसके दिसम्बर, 1968 के अन्त तक चालू होने की संभावना है। दूसरे यूनिट का प्रतिष्ठापन कार्य जारी है। इसके मई, 1969 तक चालू होने की संभावना है।

(ग) और (घ) : बेटिया को इस समय बिजली गण्डक निर्माण डीजल बिजलीघर से 33 के० वी० लाइन द्वारा अनुपूरित अपने ही स्थानीय डीजल बिजली उत्पादन केन्द्र से दी जाती है। इस समय भार लगभग 2.5 एम०वी०ए० है। जब मुजफ्फरपुर मातीहारी 132 के०वी० लाइन पूर्ण हो जाएगी, इसको मोतीहारी से एक 33 के. वी. लाइन द्वारा बिजली दी जाएगी। इस 132 के. वी. लाइन पर अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। परन्तु 1969-70 में निर्माण-कार्य शुरू करने का और 1970-71 में पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

मधुबनी को इस समय दरभंगा 33 के०वी० उप-केन्द्र से 11 के० वी० लाइन द्वारा बिजली दी जा रही है। एक 33 के०वी० लाइन समस्तीपुर से दरभंगा तक विद्यमान है। मधुबनी का वर्तमान भार लगभग 1.5 एम वी०ए० है। जब क्षेत्र के भार में वृद्धि हो जाएगी तो समस्तीपुर से दरभंगा तक 132 के० वी० लाइन के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ङ) और (च) : 100 एम वी ए क्षमता के 132 के वी केबिल बिछाने का कार्य जारी है और इसके अप्रैल, 1969 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन

*763. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन किस वर्ष स्थापित किया गया था और उस समय के इसके निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम क्या थे तथा वही निदेशक मंडल कब तक चलता रहा;

(ख) इसके वर्तमान निदेशक मंडल के सदस्यों, अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या है; और

(ग) उनकी नियुक्ति किन-किन तारीखों को हुई थी और उनका कार्यकाल कितना है तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या है।

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन 1.9.1964 को गठित की गई थी। एक विवरण पत्र, जिसमें उस समय के इसके निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम दिये गये है, सभापटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2703/68**] इस मंडल में पहला परिवर्तन 18-12-1964 को किया था।

(ख) और (ग) एक दूसरा विवरण पत्र, जिसमें मौजूदा चेयरमैन और निदेशक मडल के सदस्यों के नाम उनकी नियुक्ति की तारीख और उनकी कार्यकाल एवं नियुक्ति की

शर्तें दी गई हैं, सभा पटल पर रख दिया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2703/68]

भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिस्थापन

*764. श्री एस० आर० दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया है कि निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन के लिए किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में अर्थ-व्यवस्था में किस हद तक सुधार हुआ है;

(ख) क्या अध्ययन के परिणामों से आशा होती है कि इस वर्ष विदेशी सहायता में कटौती को पूरा किया जा सकेगा; और

(ग) निर्यात उत्पादन को हानि पहुंचाये बिना किन क्षेत्रों में भारी कटौती की जा सकती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग): निर्यात संवर्धन और आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में वैसी ही वस्तुएं तैयार करने के लिये किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के पहली छमाही में निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी हुई है । यदि यह प्रगति भी जारी रहे, तो भी यह प्रवृत्ति उत्साहवर्धक है । फिर भी अपनी विकास-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे लिये विदेशी सहायता की जरूरत बनी रहेगी । स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है और अर्थ-व्यवस्था को नुक-सान पहुंचाये बिना जब कभी आयात में कमी करना सम्भव होता हैं, तब ऐसा किया जाता है ।

Hindi Typewriters

*765. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Field Publicity Directorate had demanded one Hindi Typewriter for more than 60 cities;

(b) if so, whether the sanction has been accorded in this regard;

(c) the names of Ministries and their subordinate offices and establishments under them whose requests for the purchase of typewriters and appointment of Hindi Typis's and Stenographers have been received and the number thereof;

(d) the number of requests accepted and those rejected and the reasons therefor; and

(e) the policy generally adopted by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) and (b): Yes sir. The Directorate of Field Publicity has asked for provision of funds for the

purchase of Hindi typewriters for supply to the Field Units. This demand is under examination and funds as considered necessary will be provided in the Budget of the year 1969-70.

(c) to (e) within the budget provision the Ministries and Departments are competent to purchase Hindi typewriters and create posts of Hindi Typists and Stenographers as considered necessary bythem without reference to the Ministry of Finance. Until details can be worked out on the basis of actual experience Ministries may approach the Ministry of Finance for a lump sum Grant for meeting the estimated expenditure for the purchase of Hindi Typewriters and strengthening of translation arrangements.

Training of Nurses

*766. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the total number of nurses in the country and the number of nurses required;

(b) the steps taken to train more nurses; and

(c) whether the future of the nurses recruited in the Nursing Training Centre in Sholapur (Maharashtra) has become uncertain on a account of non-payment of Government grant ?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) The present number of registered nurses in the country is 58,890 as against 99,000 required on the basis of 1 nurse to 6,000 population.

(b) In the Fourth Plan it is proposed to expand existing institutions for the training of nurses.

(c) Grants are expected to be made by the State Government after due scrutiny.

बरौनी उर्वरक परियोजना के लिये नैफ्था

*767. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक परियोजना के लिये नैफ्था उपलब्ध करा दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र नैफ्था पर आधारित होगा ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

गांवों में परिवार नियोजन

*768. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गांवों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये कितना काम किया गया है और इसमें कितनी सफलता मिली है; और

(ख) गांवों के मुकाबले नगरों को अधिक महत्व दिये जाने और नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक व्यय किये जाने का क्या कारण है जबकि 15 प्रतिशत से भी कम जनता नगरों में रहती है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) : पुनर्जनन की आयु वर्ग में आने वाले 10 करोड़ दम्पत्तियों में से 8 करोड़ दम्पति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है, वे इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य हैं। जिला परिवार नियोजन कार्यालय के जनप्रचार कर्मचारियों के अलावा लघु परिवार आदर्श के संदेश को फैलाने के लिए गांवों में जिन जाने-माने अन्य विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है वे ये हैं -कथा, भजन मण्डली, कठपुतली का तमाशा और नाटकों का प्रदर्शन। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में भीत्ति चित्र भी बनाये जा रहे हैं। सामान्यतया परिवार नियोजन की सेवाएं स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। और इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों को परिवार नियोजन कार्यक्रम में उचित महत्व दिया गया है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जो 80,000 की ग्रामीण आबादी की सेवा करता है, एक परिपूर्ण ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें शिक्षा, प्रोत्साहन और सेवा कर्मचारी रखे गये हैं। प्रत्येक 10,000 की ग्रामीण आबादी के लिए एक उप केन्द्र होता है। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 50,000 आबादी के लिए एक नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र खोला जाता है। जिला सचल एककों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के अलावा हाल ही में प्राप्त सूचना के अनुसार 1771 नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 5068 मुख्य केन्द्र और 19090 उप-केन्द्र परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

गांवों और नगरों में लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकता की जानकारी देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

Training of Family Planning Workers

***769. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state:

(a) whether any scheme is under consideration of Government to train the Family Planning Workers; and

(b) if so, the number of persons who would be trained for this work during 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Family Planning Workers are being trained since 1957.

(b) About twenty-eight thousand persons are likely to be trained during the year 1968-69.

पश्चिम बंगाल में बाढ़

***770. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों के फालतू जल के कारण जो दामोदर घाटी निगम के चार बांधों में जमा नहीं किया जा सका, 1968 में पश्चिमी बंगाल में बाढ़ें आई थी;

(ख) यदि हां, तो धन के रूप में कुल कितनी हानि हुई,

(ग) जिन व्यक्तियों की हानि हुई है क्या उनकी हानि को पूरा करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भावी बाढ़ों को रोकने के लिये जैसी कि पहले योजना बनाई गई थी, अधिक बांध बनाने आदि के कोई स्थायी उपाय किये जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो भविष्य में बाढ़ों को किस प्रकार से रोकने का विचार किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) निचली दामोदर घाटी की नालियों से चाहे दामोदर जलाशयों के 2 लाख निस्सार को ग्रहण करने की आशा की जा सकती है, 1968 के बाढ़-काल में अधिकतम लगभग 1 लाख पानी का निस्सार हुआ ।

जलाशयों में पड़ने वाले पानी, जलाशयों में उपलब्ध शेष क्षमता संरचनाओं की सुरक्षा और भविष्य में आने वाली बाढ़ों की संम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए, दामोदर प्रणाली के जलाशयों को इस प्रकार से नियन्त्रित किया गया था कि वे निम्नवर्ती क्षेत्रों को बाढ़ से अधिकतम सुरक्षा प्रदान कर सके ।

(ख) भारी वर्षा और जल विकास की परिस्थितियों के कारण दामोदर घाटी निगम के कार्यक्षेत्र में हुगली, हावड़ा, वरदवान और बांकुरा के जिले बाढ़ से प्रभावित हुए । फसलों, मकानों और जनोपयोगी कार्यों को अनुमानतः कुल लगभग 12 करोड़ रुपयों की क्षति पहुँची है ।

(ग) राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के उपाय हाथ में ले लिये हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं:—मुफ्त सहायता, सहायतार्थ रसोई घर, राहत कार्य, मकान बनाने के लिए अनुदान, शिक्षण शुल्क की छूट, कपड़े का स्थानीय क्रय, कृषि सम्बन्धी ऋण ।

(घ) और (ङ) : निचली दामोदर घाटी की जल निकास प्रणाली में नालियां बनाकर सुधार लाने के प्रति सर्वप्रथम ध्यान दिया जा रहा है।

Foreign Exchange to Foreign Artistes for Performances in Hotels

*771. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foreign artistes are permitted to visit India to perform sensual cabaret dances in big hotels of the country;

(b) if so, the amount of foreign exchange given to such artistes during the last three years; and

(c) whether Government propose to impose a ban on such semi-nude dances so that along with Moral degradation misuse of foreign exchange could also be prevented ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) and (c) do not arise.

जापान द्वारा दी जाने वाली सहायता

*772. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जापान ने भारत को सहायता देने से इस आधार पर इन्कार कर दिया है कि भारत अपने वर्तमान ऋणों के भुगतान के लिये सहायता मांग रहा है और भारत की अर्थ व्यवस्था की प्रगति बहुत निराशाजनक रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

इलाको हाउस, कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के कार्यालय में संगणकों का लगाया जाना

*773. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस समाचार के फैल जाने पर कि जीवन बीमा निगम के अधिकारी कलकत्ता के इलाको हाउस में कम्प्यूटर लगाने की कोशिश करेंगे, जीवन बीमा निगम के स्वयंसेवकों ने उस स्थान के निकट दूसरे दिन भी चौबीसों घंटे निगरानी रखी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख): पता चला है कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ और कलकत्ता प्रभाग जीवन बीमा कर्मचारी संघ के स्वयंसेवक इलाको हाउस, कलकत्ता की चौबीसों घंटे चौकसी कर रहे हैं, जहां उनके ख्याल में मशीनी-संगणक लगाया जायगा ।

उत्तर प्रदेश में कृषि के लिये बिजली की दरों में राजसहायता

*774. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के लिये बिजली की दरें कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार से राज-सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली की सप्लाई की औसत दरों को 15 पैसे प्रति

यूनिट से घटाकर 12 पैसे प्रति यूनिट तक लाने में लगने वाले उपदान को अदा करने के लिए भारत सरकार से कहा है। उपदान स्कीम में यह व्यवस्था है कि कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली की दरों को घटा कर 12 पैसे प्रति यूनिट तक लाने में लगने वाले उपदान का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार देगी। इस स्कीम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कृषि उद्देश्यों के लिए 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक बिजली दरों की अधिकता को ज्ञात करने के लिए, 1 जनवरी, 1966 को लागू दरों अथवा इस तिथि के पश्चात प्रचलित दरों को, इनमें जो भी कम होंगी, गणना में लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया है कि वे उपर्युक्त आधार पर अपने प्रस्ताव भेजें। उनके संशोधित प्रस्ताव अभी तक नहीं आए हैं।

उर्वरक कारखाना लगाने में रूस का सहयोग

***775. श्री श्रद्धाकर सुपकार :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने भारत में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करने में सहयोग देने का हाल ही में एक प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित कारखाने की क्षमता कितनी होगी ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख): सितम्बर-अक्तूबर, 1968 में योजन आयोग के उप-प्रधान के नेतृत्व में एक शिष्ट-मंडल रूस के दौरे पर गया था। उस समय उर्वरक सन्यन्त्रों की स्थापना के बारे में रूसी सहायता की सम्भाव्यता पर बातचीत हुई थी। अनुसरण पद्धति के तौर पर, एक तकनीकी दल मास्को को यह निर्धारण करने के लिये भेजा गया है कि रूस किस सीमा तक उर्वरक सन्यन्त्रों के लिये उपकरणों की सप्लाई में समर्थ होगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा नये समान शेयरों में विनियोजन

***776. श्री म० सुदर्शनम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने नये समान शेयरों में धन लगाना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

Sabotage in Electricity Department in Siliguri, West Bengal

***777.** Shri Ranjit Singh : Will the Minister of Irrigation and Power be Pleased to state :

(a) Whether an incident of sabotage took place in the Electricity Department in Siliguri icty near-about the Ist october, 1968 ; and

(b) if so, the details in this regard and loss suffered as a result thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) : The 66 KV single-circuit line from Jaldhaka to Siliguri was sabotaged a few miles away from Siliguri town on the night of 29/30th September, 1968, by short-circuiting of the line and destruction of the strain insulators. Power supply from the Jaldhaka Hydel Power Station was thus completely disrupted affecting the districts of Darjeeling and Jalpaiguri including Bagdogra Airport, Defence Colony, Bengdubi Airbase and all India Radio. On the 1st of October, 1968, the 33 KV line from Siliguri to Kurseong was short-circuited near Siliguri Town, thereby cutting off power from Kurseong Hydro Power Station to Siliguri Town. There was also acts of Sabotage affecting power supply to other areas in West Bengal during the strike by some employees of the West Bengal State Electricity Board which began on 19th September, 1968, and was unconditionally withdrawn by one of the Unions on 11th October, 1968 and by the other Union on 14th October, 1968. It has been reported by the West Bengal State Electricity Board that the loss of revenue of the Board due to acts of sabotage affecting power supply has been estimated at about Rs. 6 lakhs.

भारत में मैडिकल शिक्षा प्रणाली के अध्ययन के लिये आयोग

***778. डा० सुशीला नैयर :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मैडिकल शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए कोई आयोग नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) उसके निदेश-पद क्या हैं ; और

(घ) आयोग अपना प्रतिवेदन कब सरकार को प्रस्तुत कर देगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) भारत सरकार ने 28 नवम्बर 1968 को एक समिति नियुक्त कर ली है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2704/68**]

(ग) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या में एकरूपता की आवश्यकता, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षण की अवधि, चिकित्सा कालेजों में प्रवेशार्थियों का चयन, विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में पारस्परिक संबंध और चिकित्सा शिक्षा के मामले में स्थानिक प्रतिबन्ध जैसे विषयों पर विचार करना ।

(घ) यह समिति संभवतया अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1968 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी ।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में लू लगने के कारण मृत्यु

*779. श्री हिम्मतसिंहका : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बिहार तथा उत्तर प्रदेश में लू लगने से कितने व्यक्ति मरे ;

(ख) क्या इतनी अधिक संख्या में लोगों के मरने के मुख्य कारणों का पता लगाने का कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) ऐसी मौतों को रोकने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत के स्टेट बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण

*780. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में भारत के स्टेट बैंक को (1) लघु उद्योगों (2) सहकारी कृषि समितियों (3) अन्य सहकारी समितियों तथा (4) भेषज फर्मों से ऋण के लिए क्षेत्रवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे,

(ख) प्रत्येक वर्ग के आवेदनकर्ताओं ने (क्षेत्रवार) कुल कितनी राशि का ऋण मांगा था,

(ग) उपर्युक्त अवधि में भारत के स्टेट बैंक ने प्रत्येक वर्ग के आवेदनकर्त्ताओं के (क्षेत्रवार) कितने आवेदन पत्र मंजूर किये, और

(घ) प्रत्येक वर्ग के आवेदनकर्त्ताओं को (क्षेत्रवार) वास्तव में कुल कितना ऋण मंजूर किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ): जो सूचना उपलब्ध है वह सभा की मेज पर रख दी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2705/68] कुछ समय पहले स्टेट बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों में से केवल दो प्रतिशत प्रार्थना-पत्र नामंजूर किये गये थे ।

कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में गैस का रिसना

4534. श्री हेमराज : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गागरेट क्षेत्र में नलकूप से गैस रिसने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा कोई जांच कराई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) : जी हां। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गारगेट क्षेत्र में एक नल कूप से कम गहराई पर पाई गई गैस के चिन्हों का अन्वेषण किया था। जांच पर यह मालूम हुआ कि इस झलक का व्यापारिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

4535. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायः हस्तक्षेप किये जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की स्थिति में नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस को प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में अधिक आयकर देने वाले प्रथम पचास व्यक्ति

4536. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सबसे अधिक आयकर देने वाले प्रथम पचास व्यक्तियों के नाम क्या हैं और 1965-66 में प्रत्येक व्यक्ति पर कितना आयकर लगाया गया तथा प्रत्येक व्यक्ति ने कितने आयकर का भुगतान किया;

(ख) 31 मार्च, 1968 को प्रत्येक व्यक्ति की और आयकर की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग) : मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सभा की मेज़ पर रख दी जायगी।

राज्यों द्वारा लगाया गया कृषि आयकर

4537. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस राज्य द्वारा किस-किस वर्ष में कृषि आयकर लगाया गया है ;

(ख) राज्यवार इस कर की वर्तमान दरें क्या हैं ;

(ग) कृषि कर द्वारा प्रत्येक राज्य द्वारा वर्ष में कितनी-कितनी राशि एकत्र की जाती है ;

(घ) जम्मू और काश्मीर राज्य में अधिनियम को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) शेष राज्यों द्वारा इस कर को कब तक लगाये जाने की सम्भावना है ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग): एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2706/68]**

(घ) राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि चूंकि वह राज्य के फलों के बागों से मोटर गाड़ियों द्वारा फलों की ढुलाई पर अतिरिक्त पथ-कर वसूल कर रही है, इसलिए उसने कृषि आयकर अधिनियम को लागू करने का काम अभी स्थगित कर दिया है।

(ङ) चूंकि संविधान के अनुसार कराधान की यह मद राज्य-सूची के अन्तर्गत है, इसलिए इस मामले पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है ।

'नेपाल में उत्पाद' मार्का लगा कर स्काच व्हिस्की का आयात तथा नेपाल से तस्करी

4538. श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार नेपाल से कितनी तथा कितने मूल्य की ऐसीं स्काच व्हिस्की लाई गई जिस पर 'नेपाल का उत्पाद' मार्का है और जिसको उत्पादन शुल्क का भुगतान किए बिना भारत में लाने तथा बेचने की अनुमती है ;

(ख) नेपाल से प्रतिवर्ष विदेशों में बनी कितनी तथा कितने मूल्य की वस्तुयें अर्थात् फाउन्टेन पेन, कलाई घड़ियां, ट्रांजिस्टर, ब्लेड, कैमरे, रैफरीजरेटर, चीनी आदि भारत में चोरी-छिपे लाई जाती हैं ; और

(ग) नेपाल द्वारा भारत और नेपाल के बीच हुए करार पर जिसमें तीसरे देश में निर्मित वस्तुओं का आयात निषिद्ध है, पालन न किये जाने के क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नेपाल में निर्मित व्हिस्की, जिन तथा रम 13 रुपया प्रति बल्क लिटर के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क अदा करके भारत में आयात करने दी जाती है। इस प्रकार किये गये आयात की मात्रा और मूल्य ये हैं :-

वर्ष	मात्रा बल्क लिटर में	मूल्य
1966	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1967	5,580	1.92 लाख रुपये
1968 (अक्तूबर के अन्त तक)	1,12,948	15.59 लाख रुपये

(ख) विदेशों में बनी जिन वस्तुओं का नेपाल से भारत में तस्कर आयात किया गया है उनकी मात्रा तथा मूल्य ठीक ठीक बता सकना सम्भव नहीं है। फिर भी पिछले दो वर्षों में पकड़े गये ऐसे माल का मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	पकड़े गये माल का मूल्य
1966	3.21 लाख रुपये
1967	5.87 लाख रुपये
1968 (सितम्बर 1968 तक)	15.14 लाख रुपये

(ग) व्यापार वार्ता के दौरान हमने नेपाल के महामहिम की सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह तीसरे देश के माल के भारत में आयात को रोकने की दिशा में हमें सहयोग दें। नेपाल के महामहिम की सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार के इस अनुरोध को मान भी लिया है।

मध्य प्रदेश में ग्राम आवास परियोजना

4539. श्री बाबू राव पटेल : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1957 में लागू की गई ग्राम आवास परियोजना योजना को मध्य प्रदेश के कितने ग्रामों में क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) 1957 से 1968 तक वर्ष-वार मध्य प्रदेश को उक्त प्रयोजन हेतु कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और ऋण किस ढंग से दिये गये हैं तथा कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(घ) क्या ग्रामों का चयन राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ; और

(ङ) सरकार द्वारा ऋणों के प्रयोग को उचित प्रयोजन हेतु सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इक़बाल सिंह) : (क) : यह योजना मध्य प्रदेश में 1958-59 में आरंभ की गई। राज्य सरकार से मार्च, 1968 के अन्त तक प्राप्त हुए प्रगति-विवरणों के अनुसार योजना 101 ग्रामों में क्रियान्वित की जा रही थी।

(ख) वर्ष के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय (आउटले) को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारें, उनके द्वारा सूचित किए व्यय के आधार पर, प्रति वर्ष ऋण तथा अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता लेती हैं। मध्य प्रदेश सरकार के लिए नियत की गई तथा उनके द्वारा ली गई सहायता का वर्षानुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2707/68]**

(ग) 3,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अन्दर, ग्रामीणों को अथवा उनकी सहकारी समितियों को नए मकान बनाने के लिए, अथवा वर्तमान मकानों को सुधारने के लिए, मकान की लागत के 80 प्रतिशत तक के ऋण दिए जाते हैं। उन व्यक्तियों को ऋण नहीं दिया जाता, जो 5,000 रुपये प्रति मकान से अधिक की संभावित लागत के मकानों का निर्माण करना चाहते हैं। ब्याज सहित ऋण की वसूली 20 वर्षों की अवधि में फैलाई गई

आसान किस्तों में दी जाती है । ऋण के लिए जमानत के रूप में ऋण लेने वाले को मकान तथा भूमि गिरवी रखना जरूरी होता है, अथवा उसे राज्य सरकार को स्वीकार्य किसी अन्य रूप में जमानत देनी होती है । ऋण का संवितरण निर्माण की अवस्था से सम्बन्धित है, तथा किस्तों में किया जाता है । राज्य सरकारें योजना को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत नियम बनाने में समर्थ हैं ।

योजना इनकी भी परिकल्पना करती है :-

(i) भूमिहीन खेतीहर मजदूरों (लैन्डलेस एग्रीकल्चरल वर्कर) को मकानों के लिए स्थानों की व्यवस्था करने के लिए तथा कुछ चुने हुए गांवों में गलियां तथा नालियां बनाने के लिए, राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान ।

(ii) राज्यों के ग्रामीण आवास कक्षों (स्टेट रूरल हाउसिंग सेल्स) के माध्यम से, ग्रामीणों तथा स्थानीय अधिकारियों को मकानों के नक्शे तथा डिज़ाइन बनाने के लिए और मकानों के वास्तविक निर्माण के लिए मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता । कक्ष के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की 50 प्रतिशत लागत केन्द्रीय अनुदान से पूरी की जाती है ।

(घ) राज्य सरकार के द्वारा ।

(ङ) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम राज्य आयोजन की स्कीम है । राज्य सरकारें योजना को कार्यन्वित करने के लिए विस्तृत नियम बनाने में समर्थ हैं । वे केन्द्रीय ऋण की वापसी के लिए भी उत्तरदायी हैं । स्कीम के राज्य-क्षेत्र में होने के कारण केन्द्रीय सरकार इस स्थिति में नहीं है कि स्कीम के अधीन उनको दी गई सारी केन्द्रीय सहायता को स्कीम के उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित रूप से उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकारों को विवश कर सके ।

Assistance for Housing Schemes in Madhya Pradesh

4540. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the total amount which has been sanctioned during the Three Plan periods and during the years 1967-68 and 1968-69 so far by the Central Government for Madhya Pradesh under (i) subsidised industrial housing scheme, (ii) slum clearance scheme, (iii) house construction scheme for tea plantation labourers respectively ;

(b) the total actual amount paid for the said scheme ; and

(c) the number of units of houses or flats which were to be constructed by this time in Madhya Pradesh under each of the said schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) : A statement giving the required information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-270 /68]**

Financial Assistance Given to Madhya Pradesh During Three Plans

4541. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of financial assistance given to Madhya Pradesh during the First, Second and Third Five Year Plan periods, respectively, and the amounts out of them surrendered due to their non-utilisation ;

(b) whether the State Government had requested for the allocation of more funds during the last five years ; and

(c) if so, the amount of funds for which the State Government had requested and the action taken thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) : A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2709/68] No part of the assistance paid was surrendered on account of non-utilisation.

(b) : Yes ; Sir.

(c) : Requests were received from the State Government from time to time for additional assistance for Plan programmes. Many of these requests were for general assistance for the Plan and no specific amounts were asked for. However, specific requests were received for the following programmes/projects: Minor Irrigation and Rural Electrification (Rs. 4 crores), Tawa Project (Rs. 2 crores), Kharkara Project (Rs. 6. 70 crores) and Chambal Project (Rs. 0. 70 crore).

The various requests were examined and additional assistance was agreed to where justified, keeping in view the position regarding availability of resources.

The additional Central assistance allocated to Madhya Pradesh during the last five years is shown in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2709/68]

राजदूत होटल, नई दिल्ली द्वारा प्रयोग की गई भूमि में परिवर्तन किया जाना

4542. श्री शंकरनराज माने : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1880 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजदूत होटल, नई दिल्ली, तथा नेशनल आइस एण्ड कोल्ड स्टोरज, सब्जीमण्डी, दिल्ली द्वारा प्रयोग की गई भूमि को, जो कि क्रमश : ग्रीन बैल्ट तथा शिक्षा के अन्तर्गत आती हैं ; वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोग की भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य,परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति): (क) और (ख) : यह सच नहीं कि राजदूत होटल द्वारा उपयोग में लाई गई भूमि "ग्रीन बैल्ट" के अन्तर्गत है । दिल्ली के मास्टर प्लान में यह स्थान " रिहायशी " उपयोग के निमित्त दिखाया गया है । मास्टर प्लान में विशेष अपील को मंजूरी के बाद रिहायशी क्षेत्र के अन्तर्गत होटलों तथा मोटलों के लिये स्थान निर्धारित करने की अनुमति दी जा सकती है । राजदूत होटल के स्थान निधारण की आज्ञा विशेष अपील के उपरान्त ही दी गई है ।

नेशनल आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, सब्जीमण्डी जिस प्लाट में स्थित है, वास्तव में वह प्लाट रिहायशी उपयोग के लिए था और उसे गलती से ऐसे रंग से दर्शा दिया गया जिससे

कि वह एक पाठशाला की जगह प्रतीत हो । इस गलती को ठीक किया गया । बाद में इस क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना का अनुमोदन करते समय केन्द्रीय सरकार ने इस भूमि के उपयोग को " रिहायशी से बदल कर " सर्विस इन्डस्ट्री के लिए कर दिया ।

अपर बेला रोड के शरणार्थियों की आइस फैक्टरियों को पट्टे का दिया जाना

4543. **श्री शंकरराव माने :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने भारत सरकार के निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव को 4 मार्च, 1958 को अपर बेला रोड, दिल्ली की शरणार्थियों की चार आइस फैक्टरियों को पट्टा दिये जाने की शर्तों के बारे में एक पत्र संख्या एफ० 5(40)1157-एल० एस० जी० लिखा था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके ब्यौरों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन ने उल्लिखित पत्र में सरकार के विचारार्थ कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। क्योंकि यह सरकारी पत्र-व्यवहार का एक भाग है और सरकार का अन्तिम निर्णय नहीं है, अतएव सभा पटल पर इसकी प्रतिलिपि रखना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए सहायता उपाय

4544. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कन्टाई तथा अन्य भागों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सहायता कार्य आरम्भ करने के लिए वहां की भूमि अभी पर्याप्त रूप से शुष्क नहीं हुई है ;

(ख) क्या उपरोक्त कारणों हेतु बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य बड़े पैमाने (परीक्षण) पर आरम्भ नहीं किये गये हैं ;

(ग) क्या इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त दी जाने वाली सहायता में कटौती कर दी गई है ;

(घ) क्या बाढ़ द्वारा पूर्णतया नष्ट हो गये क्षेत्रों में जीविका के साधन न होने तथा मुफ्त दिये जाने वाले सहायता लाभों को बड़े पैमाने पर वापिस ले लिए जाने के फलस्वरूप लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इन क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने सूचना दी है कि मिदनापुर जिले के, बाढ़ से ग्रस्त 1562 वर्गमील के क्षेत्र में से

केवल 180 वर्ग मील का क्षेत्र ही ऐसा है जहां पर सहायता कार्य नहीं किये जा सकते। इस क्षेत्र के कुछ भागों में बोरो की खेती के लिए पानी रोक लिया गया है। कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सहायता-कार्य, सूखी मिट्टी उपलब्ध न होने के कारण, नहीं किये जा सकते। अन्य क्षेत्रों में, जहां संभव हुआ, सहायता-कार्य शुरू कर दिये गये हैं और इस समय लगभग 150 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) नवम्बर, 1968 के अन्त तक मुफ्त सहायता का वितरण पूरी तरह से किया गया है। फसल काटने का मौसम आरम्भ हो जाने के कारण, सहायता के वितरण का क्षेत्र अब धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को, राज्य सरकार, दान के रूप में सहायता दे रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कन्टाई सब-डिवीजन में तूफान

4545. श्री समर गुह : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्टाई सब-डिवीजन के तटीय क्षेत्र में हाल में तूफान आया था ;

(ख) यदि हां, तो लोगों को धान तथा मकानों के रूप में कितनी हानि उठानी पड़ी ; और

(ग) उस प्रभावित क्षेत्र में सहायता तथा पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):(क) और (ख): पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि कन्टाई सब-डिवीजन में आए हाल के चक्रवात के कारण, खड़ी फसलों और रिहायशी मकानों को कुछ क्षति पहुंची थी। कन्टाई सब-डिवीजन के तटीय क्षेत्र में खड़ी फसलों का लगभग 20 प्रतिशत भाग, जिसकी कीमत लगभग 1.05 करोड़ रुपये है, क्षतिग्रस्त हुआ। सब-डिवीजन के शेष क्षेत्रों में खड़ी फसलों का 10 प्रतिशत भाग, जिसकी कीमत लगभग 6.94 लाख रुपये है, क्षतिग्रस्त हुआ। 430 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हुए और क्षति की कीमत लगभग 50,000 रुपये है।

(ग) प्रभावित व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही 21 क्विन्टल खाद्यान्न बांट चुकी है। भवन निर्माण अनुदान और ऋण भी दिये जा रहे हैं।

कलकत्ता के विकास के लिए विश्व बक से सहायता

4546. श्री समर गुह : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपनी हाल की कलकत्ता यात्रा के दौरान कलकत्ता मैट्रोपालिटेन प्लानिंग आरगेनाइजेशन सहायता जिसको अमरीका के अनेक समाचार पत्रों ने

पूर्व का नष्ट हो रहा नगर कहा है, के विकास के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार को सहायता के लिए कोई वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वचनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों द्वारा पानी के मीटरों का खरीदा जाना

4547. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली नगरपालिका आयुक्त (जल सम्भरण तथा निस्सारण उप क्रम) ने समाचार पत्रों द्वारा हल ही में अधिसूचना जारी की है कि जो सरकारी कर्मचारी ऐसे क्वार्टरों में रह रहे हैं जिनमें पानी के मीटर नहीं लगे हैं उनको अपने क्वार्टर में या तो अपने पानी के मीटर खरीद कर लगाने होंगे या उन्हें निगम द्वारा मीटर लगाने के लिये छः महीने के भीतर जमानत के तौर पर 75 रुपये जमा करने होंगे ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सम्बद्ध कार्यालयों से उक्त धनराशि के प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत कर देने के बावजूद भी सरकार द्वारा उनसे नकद जमा करने की मांग की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) : दिल्ली नगर निगम ने यह निर्णय किया है कि बगैर मीटर के निवासों के आंवटियों को मीटर लगाने के लिए नगर निगम में 75 रुपये जमानत जमा के करने होंगे । अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए नगर निगम से अनुरोध किया गया था और उनसे यह अनुरोध किया गया कि आंवटियों के कार्यालयों से उनके जमानती पत्रों (सीक्योरिटी लैटर्स) को स्वीकार्य कर लिया जाये किन्तु उन्होंने (नगर निगम ने) यह अस्वीकार कर दिया ।

गुजरांवाला मकान निर्माण सहकारी समिति दिल्ली

4548. **श्री गयूर अली खां** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरांवाला मकान निर्माण सहकारी समिति ने विभिन्न आकार के प्लाटों के लिए अपने सदस्यों से पूरी राशि ले ली है परन्तु उनको छोटे आकार के प्लाट दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि शेष प्लाटों का आंवटन शीघ्र तथा न्यायोचित ढंग से हो, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि में अधिक से अधिक सदस्यों को प्लाट देने तथा मास्टर प्लान के अनुसार आबादी का घनत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्लाटों के आकार कम करने पड़े और यह सोसाइटी की सामान्य निकाय ने इसकी पुष्टि कर दी थी। दिसम्बर, 1966 में यह स्थिति सदस्यों को स्पष्ट कर दी गई थी और उन्हें दिये गये प्लाटों के संशोधित आकार के अनुसार शेष किस्त की रकम जमा करने के लिए कहा गया था और तदनुसार सदस्यों ने रकम जमा कर दी है।

(ग) गुजरांवाला कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के स्वीकृति नक्शे में विभिन्न आकारों के 592 रिहायशी प्लाटों में से 167 वर्ग गज वाले 260 प्लाटों के लिए 18-8-1968 को पर्ची निकाली गई। तथापि 167 वर्ग गज वाले प्लाटों के आवंटन की मंजूरी अभी नहीं दी गयी है क्योंकि सोसायटी के नाम रिहायशी प्लाटों का स्थायी पट्टा अभी नहीं लिखा गया है। 260 प्लाटों के पर्ची निकाले जाने के तुरन्त बाद सोसाइटी ने शेष वर्गों के प्लाटों के आवंटन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। चूंकि प्रत्येक श्रेणी में सदस्यों की संख्या की अपेक्षा प्लाटों की संख्या कम थी इसलिए सदस्यों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्लाट आवंटित करने का सोसाइटी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 27-9-1968 को सोसाइटी को यथाशीघ्र पर्ची निकालने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। दिल्ली प्रशासन के दो राजपत्रित अधिकारियों की देख रेख में पर्ची निकाली जाएंगी ताकि सभी सदस्यों को आवंटन निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में वास्तुशिल्पी

4549. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कुछ वास्तुशिल्पियों को वरिष्ठ कर्मचारियों की अवहेलना कर पदोन्नत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस बारे में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : हाल ही में एक वास्तुशिल्पी परियोजना वास्तुशिल्पी के रूप में नियुक्त हुआ, यद्यपि वरिष्ठता सूची में उसका रेंक दूसरा था। यह अधिकारी इसमें चुना गया क्योंकि वह अपने से वरिष्ठ व्यक्ति की अपेक्षा इस पद के लिए अधिक उपयुक्त समझा गया।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में वास्तुशिल्पी

4550. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय मे तीन वर्ष से अधिक अवधि से काम कर रहे ऐसे सहायक वास्तुशिल्पी कितने हैं जो अभी तक अस्थायी हैं ;

(ख) उनको स्थायी न किये जाने के विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(ग) उनके कब तक स्थायी किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) आठ।

(ख) और (ग) : स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में सहायक वास्तुशिल्पी के 6 स्थाई पदों के विरुद्ध एक अधिकारी को पहले ही स्थायी किया जा चुका है। पात्र उम्मीदवारों को वरिष्ठता के बारे में कुछ अभ्यावेदन मिलने के कारण शेष पांच पदों के विरुद्ध अन्य अधिकारियों को अब तक स्थायी नहीं किया जा सका। इन अभ्यावेदनों के निपटाये जाते ही वरिष्ठता सूची अन्तिम रूप से तैयार कर दी जायेगी और लगभग तीन महीनों में स्थायी नियुक्ति सम्बन्धी आवश्यक आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में नक्शानवीसों को स्थायी किया जाना

4551. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कितने नक्शानवीसों को अब तक स्थायी नहीं बनाया गया हैं ; और

(ख) उनको स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं और उनको कब तक स्थायी बनाये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सैंतीस।

(ख) 43 स्थायी पदों के विरुद्ध 8 व्यक्तियों की नियुक्ति पहले ही स्थायी की जा चुकी है। ड्राफ्टसमैनों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाते ही शेष 35 व्यक्तियों की नियुक्ति को भी स्थायी कर दिया जायेगा। इस काम को तीन महीने लग जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में सैक्शनल अधिकारियों तथा सहायक इन्जीनियरों की पदोन्नति

4552. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मन्त्रालय के अनुदेशों के अनुसार एक असाधारण योग्यता के अधिकारी को एक वर्ष में सम्भवतः रिक्त स्थानों से पांच अथवा छः गुना व्यक्तियों में से चुने जाने के अतिरिक्त चयन पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो गृह मंत्रालय द्वारा चलाई गई इस प्रक्रिया को सैक्शनल अधिकारियों तथा सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति के लिए जो कि एक लम्बी अवधि से पदोन्नति के लिये प्रतीक्षा सूची में हैं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह व्यवस्था केवल अनुमति-आत्मक है, न कि अनिवार्य।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तु सूचिया

4553. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निदेश दिये हैं कि वे अपनी वस्तु सूचियों में कटौती करे और इतने ही मूल्य की वस्तुओं को अपनी वस्तु सूची में रखें जितने मूल्य की वस्तुओं का उन्होंने गत छः महीनों में उत्पादन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के वे उपक्रम कौन-कौन से हैं जिन्होंने इस सिद्धान्त को लागू कर लिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकारी उद्यम कार्यालयों ने सरकारी उपक्रमों को उन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कई हिदायतें दी है जिनके अनुसार तालिकागत माल में कमी करने के लिये कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन हमेशा यह सम्भव नहीं हो सकता कि 6 महीने के उत्पादन स्तर के अनुसार तालिकागत माल रखा जाये।

इस सम्बन्ध में यह भी बताया जा सकता है कि सरकारी उद्यम कार्यालय, इस उद्देश्य से अलग अलग उपक्रमों की जांच कर रहा है उनकी तालिकागत माल के प्रबन्ध की प्रणालियों को युक्ति संगत बनाया जा सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तु सूचियां

4554. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के लिये कोई विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये हैं कि वह अपने वस्तु प्रबन्ध तरीकों में सुधार करें तथा वस्तु सूची बनाते समय वैज्ञानिक माल तकनीक अपनाये ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकारी उपक्रमों को उन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में पहले ही कई हिदायतें दी गयी है, जिनके अनुसार, तालिकागत माल में कमी करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

सरकारी उद्यम कार्यालय इस उद्देश्य से अलग-अलग उपक्रमों की जांच भी कर रहा है कि उनकी, तालिकागत माल के प्रबन्ध की प्रणालियों को युक्ति संगत बनाया जा सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4555. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों ने 15 महीने के उत्पादन मूल्य के आधार पर वस्तु सूचियां बनाई हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वस्तु सूची की इस प्रतिशतता का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की औसत उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सभी उपक्रमों ने 1967-68 के अपने वार्षिक लेखे बन्द नहीं किये हैं। 1966-67 के सम्बन्ध में, उत्पादन करने वाले 30 चालू प्रतिष्ठानों में में 11 प्रतिष्ठानों के मामले में वर्ष के अन्त के तालिकागत माल का मूल्य उस वर्ष के उत्पादन के अनुसार 15 महीने या इससे अधिक अवधि के उत्पादन के मूल्य के बराबर निकला हैं।

(ख) यद्यपि तालिकागत माल की अधिकता का उत्पादन की लागत पर प्रभाव पड़ता है तो भी उत्पादन की लागत पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का ठीक-ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इस लागत पर अन्य विभिन्न बातों का भी प्रभाव पड़ता है।

गुजरात में चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण

4556. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये अपने प्रस्ताव बना कर केन्द्रीय सरकार को भेज दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : गुजरात बिजली बोर्ड ने चौथी योजना में ग्राम विद्युतीकरण के अधीन 50 000 कृषि पम्पों को ऊर्जित करने के लिये 25 करोड़ रुपयों की लागत के कार्य हाथ में लेने का कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम की क्रियान्वित चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिससे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, उपलब्ध धनराशियों पर निर्भर करेगी।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग, नई दिल्ली में सैंट्रल डिजाइन आफिस की स्थापना

4557. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वर्ष में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इन्जीनियर-इन-चीफ के कार्यालय में एक सैन्ट्रल डिजाइन आफिस स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस आफिस के क्या कार्य होंगे और इसके कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस आफिस की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सैन्ट्रल डिजाइन आफिस के निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य है:—

(i) आवृतिमय प्रकार के निर्माण-कार्यों के डिजाइन, प्राक्कलन तथा विशिष्टियों का मानकीकरण।

(ii) विशेष स्थापत्य तथा इन्जीनियरिंग समस्याओं सहित, महत्वपूर्ण निर्माण-कार्यों का तकनीकी विवरण तैयार करना।

(iii) भवन के निर्माण तथा योजना में हुए नवीनतम विकास तथा भारत और विदेश में हो रहे भवन निर्माण सम्बन्धी अनुसन्धान की जानकारी रखना।

(iv) अपनाये जाने वाले प्रतिबल (स्ट्रेसेज) तथा अन्य मानकों के बारे में नीति निर्धारित करना, और भारतीय मानक संस्था, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन आदि, जैसी संस्थाओं से प्राप्त हुए शोध पत्रों की जांच करना।

(v) मानक विशिष्टयां और शैड्यूल आफ रेट्स तैयार करना।

(vi) अनुसन्धान तथा परीक्षण-कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला, और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के (तकनीकी) पुस्तकालय की देखभाल करना।

चालू वित्तीय वर्ष में इस संगठन को स्थापित कर दिया जायेगा ।

(ग) सरकार ने नवम्बर, 1968 में ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, अतएव इसमें विलम्ब नहीं हुआ है ।

सरकारी कर्मचारियों को दैनिक भत्ता

4558. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि को देखते हुए मार्च, 1968 में सरकारी कर्मचारियों का दैनिक भत्ता बढ़ाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों की प्रति मील की दरों तथा मोटर साइकिल भत्ते में वृद्धि करने का है ; और यदि हां तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रशासनिक व्यय में किफायत की दृष्टि से मील-भत्ते और मोटर साइकिल भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली

4559. **श्री एस० पी० राममूर्ति :**
श्री गयूर अली खां :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली को अलाट की गई भूमि का पूर्णतया विकास हो गया और उसका नक्शा मंजूर हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो भूमि की प्रति गज लागत और विकास लागत क्या है ;

(ग) सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों से प्रति गज भूमि की क्या कीमत ली जा रही है अथवा ली गई है ;

(घ) सोसाइटी ने स्थापना से अब तक सदस्यों को उनके द्वारा जमा की गई अग्रिम धन राशि पर कितना बोनस और लाभांश दिया और वह किस प्रकार दिया गया ;

(ङ) क्या सब प्लाट अलाट कर दिये गये हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) प्लाट अलाट करने और मकान बनाने के लिये क्या समय निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग काआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली को आलाट की गई भूमि का नक्शा 1966 में मंजूर किया गया था और उसका विकास कार्य पूरा होने वाला है।

(ख) इस सोसाइटी ने उसको दी गई 315 बीघा 15 विस्वा अविकसित भूमि की कुल कीमत के रूप में 20,31,372.00 रुपये का भुगतान किया। सोसाइटी को वस्तुतः कुल कितनी कीमत देनी होगी, इसका पता अन्तिम रूप से भूमि विकास कार्य पूरा होने पर ही लगेगा।

(ग) अब तक सोसाइटी ने अपने सदस्यों से भूमि की कीमत और उसकी विकास लागत के रूप में 32 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से लिया है। विकास कार्य के पूरा होने पर सदस्यों से ली गई धन राशि को समंजन कर दिया जायेगा।

(च) सोसाइटी के उप नियमों के अधीन सदस्यों द्वारा जमा की गई धन राशि पर कोई बोनस नहीं दिया जाता।

(ङ) और (च) : 592 रिहायशी प्लाटों में से 167 वर्ग गज वाले 260 प्लाटों की पर्ची 18-8-1968 को निकाली गई। अन्य प्लाटों का नियतन अपने सदस्यों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर करने के सम्बन्ध में सोसाइटी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और 27-9-68 को सोसाइटी से यह कह दिया गया कि वह यथाशीघ्र पर्ची निकालने की व्यवस्था करे। सोसाइटी ने अभी तक पर्ची निकालने के लिये तिथि निश्चित नहीं की है। मंजूर शुदा नक्शे। सर्विस प्लान के अनुसार भूमि का विकास कार्य पूरा हो जाने पर रिहायशी प्लाटों का स्थायी पट्टा सोसाइटी के नाम कर दिया जायेगा। इसके पश्चात् सोसाइटी के रिहायशी प्लाटों के उप-पट्टे प्रत्येक सदस्य के नाम कर दिये जायेंगे। सदस्यों को प्लाटों पर मकान बनाने के लिये दो वर्ष का समय दिया जाता है।

उत्तरी बंगाल में बाढ

4560. श्री समर गुह : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में हाल में आई बाढ़ के दौरान निरन्तर वर्षा के परिणाम स्वरुप जल-स्तर धीरे धीरे और समान रूप से बढ़ने के बजाय तीस्ता ब्रिज पर जल स्तर असाधारण रूप से एक बड़ी ज्वार तरंग का भयंकर रूप धारण करते हुए 65 फुट की ऊंचाई पर यकायक पहुंच गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमालय के क्षेत्र में तीस्ता नदी के मार्ग का, बाढ़ के कारणों को जानने के प्रयोजन से, सर्वेक्षण किया गया है या किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया है कि उत्तरी बंगाल में हाल में आई बाढ़ का कारण चीन द्वारा तिब्बत के क्षेत्र में परमाणु विस्फोट करना था, जहां चीन की सेना भारतीय सीमाओं के साथ साथ विस्फोटक सुरंगे (केन वर्क्स) बिछाने का उन्मत्त प्रयास कर रही है ;

(घ) क्या सरकार उत्तरी बंगाल में हाल में आई बाढ़ के कारणों के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर अन्तिम रूप से पहुँच गई ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐन्डर्सन पुल पर उच्चतम बाढ़ स्तर से पानी का 60 फुट ऊंचा चले जाना यह सिद्ध करता है कि तीस्ता नदी के तल में तटों से भूस्थल के कारण कुछ अवरोध पैदा हो गया था। इसकी और भी पुष्टि उस समय हो गई जब नदी में पानी कम हो गया और ऐन्डेर्सन पुल के नीचे 30 फुट ऊंची रुकावट पाई गई।

(ख) और (ङ) : हाल की बाढ़ों के कारणों की जांच करने तथा भविष्य में बड़े पैमाने की क्षति को तथा संचार-सेवाओं के भंग होने को रोकने के हेतु प्रतिकारात्मक उपाय ढूंढने के लिए, भारत सरकार ने एक तकनीकी समिति स्थापित की है। समिति को अपनी रिपोर्ट इस माह के अन्त तक प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।

कलकत्ते का विकास

4561. श्री समर गुह : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ते, जिसे हाल ही में बहुत से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों ने "मृत नगर" बताया है, के विकास के लिये केन्द्र से विशेष धनराशि अलाट करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की मांग की गई है और कलकत्ता के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विभाजन से पूर्व ऐतिहासिक और विभाजन के बाद आर्थिक कारणों से कलकत्ते के नगरीय विकास की समस्याओं को केन्द्रीय सरकार ने विशेष राष्ट्रीय समस्या के रूप में पूरा किया जाना आवश्यक समझा ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय निधि से मांगी गई सहायता देने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (घ) : 2 सितम्बर, 1968 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल प्रधान मन्त्री को नई दिल्ली में मिले। इस भेंट में यह निश्चय किया गया कि कलकत्ता महानगर क्षेत्र में विशिष्ट योजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार चालू वर्ष में 2.3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि देगी। इन योजनाओं के ब्यौरे राज्य सरकार से परामर्श करके तय किये जाने हैं।

(ग) कलकत्ते के विकास के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की एक विकास योजना पहले ही तैयार कर ली है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के लिए प्रत्येक योजना के लिये निर्धारित सहायता स्वरूप के अनुसार वित्तीय सहायता दे रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सर्वप्रिय कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली

4562. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वप्रिय कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली की स्थापना कब हुई थी ;

(ख) सोसाइटी के स्थापित किये जाने के बाद कार्यकारी समिति के विभिन्न सदस्य किस तारीख से काम कर रहें है ;

(ग) उक्त सोसाइटी की 'साधारण सभा" (जनरल बाडी मिटिंग) की अब तक कितनी बैठकें हुई और वे किन-किन तारीखों को हुई ; और

(घ) वर्तमान कानून में उक्त बैठकों के बारे में क्या व्यवस्था है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप - मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सर्वप्रिय कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली

4563. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी अधिकारी/कर्मचारी सर्वप्रिय कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे हैं या अभी भी सदस्य है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम, पद क्या है, तथा उनके कार्यालयों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली में सैक्शनल अधिकारियों का सलेक्शन ग्रेड

4564. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में "सैक्शन" अधिकारियों के 'सलेक्शन ग्रेड' में पदोन्नति के लिए तालिका प्रतिवर्ष नहीं बनाई जा रही है और सलेक्शन ग्रेड में खाली होने वाले स्थानों को अनुमोदित तालिका से तुरन्त नहीं भरा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : सैक्शनल आफीसर्स की सलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति उन सैक्शनल आफीसर्स में से की जाती है जिन्होंने इस ग्रेड में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है । जब कभी सलेक्शन ग्रेड में रिक्तियां होती है तब इस प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं तथा इस प्रयोजन के लिए पात्र सैक्शनल आफीसर्स की सूची तैयार रखी जाती है ।

वित्त मन्त्री के पुत्र द्वारा सरकारी फाइलों पर लिखे गये टिप्पण

4565. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मन्त्री 30 अप्रैल, 24 जुलाई, 12 अगस्त, 19 अगस्त तथा 20 अगस्त, 1968 के दिये गये अपने वक्तव्यों के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके पुत्र ने मार्च, 1967 से अगस्त, 1968 की अवधि के बीच किसी सरकारी फाइल पर कोई टिप्पण लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुत्र ने सरकारी फाइलों पर कितनी बार टिप्पण लिखे हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दरभंगा मैडिकल कालेज

4566. श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा मैडिकल कालेज के बारे में पूछी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई कार्यवाही की जा रही है कि दरभंगा मैडिकल कालेज में स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति विद्या में एम० बी० बी०एस० तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए परीक्षकों का प्रमुख (हैड आफ एग्जामिलेशन्स) एक अर्हता प्राप्त प्रोफेसर बने ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : दरभंगा मैडिकल कालेज, बिहार के प्रसूति विद्या तथा स्त्री रोग विज्ञान विभाग में कोई प्राध्यापक (इण्टर्नल) परीक्षक नहीं है ।

प्रसूति विद्या तथा स्त्री रोग विज्ञान के प्राध्यापक को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया है किंतु वह कोर्ट इन्जेक्शन के कारण अभी काम कर रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय ने उनके परीक्षक के रूप में काम करने पर रोक लगा दी है। बिहार विश्वविद्यालय के विनियमों तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों के अनुसार किसी प्राध्यापक को मुख्य परीक्षक के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है।

मध्य प्रदेश के मन्त्रियों द्वारा आयात की गयी राइफलें

4567. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य मन्त्री, तथा वन मन्त्री और वन मन्त्री के भतीजे, श्री विश्नुपाल सिंह नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) के श्री वी० एस० कोहली डी० ऐफ० और (मध्य प्रदेश) के जिला नरसिंहपुर के सेनेगी के बक्शी रामप्रकाश छिब्बड़ के लाइसेंसों में दर्ज की गई तथा की जाने वाली राइफलों की अपेक्षित सीमा-शुल्क के भुगतान के बाद कानूनी तथा वैध रूप से आयात किया गया था ;

(ख) यदि इनमें से कोई रायफल चोरी छिपे लायी गयी हो तो क्या इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और वह यथासम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड

4568. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड को इसके आरम्भ होने से लेकर अब तक (1) अनियमितताओं (2) चोरी (3) स्टाक की कमी (4) आग लगने तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से कितनी हानि हुई ; और

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं तो इसके क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Repair of Government Quarters of Arambagh, Paharganj, Delhi

4569. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state ;

(a) whether Government have received complaints to the effect that quarters of Government employees residing in Arambagh, Paharganj are not repaired in time and the condition of roads and drains in that area is also very bad

(b) whe her it is also a fact that there is no Community Centre in that area ; and

(c) if so, whether Government would make arrangements for meeting all these requirements of the residents of the said area and if not, the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Although there is no proper Community Centre, yet a temporary building housing a library and reading room is available in the area of the peons quarters.

(c) The complaints about repairs to the quarters, bajri paths and lawns etc. are already being attended to.

As regards the Community Centre, this would be provided under the redevelopment plan of the area.

Construction of Houses in Delhi

4570. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Develoment** be pleased to state :

(a) the number of houses falling short of requirements in Delhi ;

(b) the number of houses proposed to be constructed in Delhi during the next three years ;

(c) the number of houses out of them to be constructed by the Delhi Development Authority, Municipal Corporation and the Central Government, respectively ; and

(d) the figures thereof, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अमृतसर शहर की श्रेणी

4571. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के अमृतसर नगर के लोगों ने सरकार से यह मांग की है कि अमृतसर को 'बी' श्रेणी का शहर घोषित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । मकान-किराया भत्ता तथा प्रतिकर (नगर) भत्तों की दरों के निमित्त अमृतसर शहर का 'बी-2' में वर्गीकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के अमृतसर स्थित कर्मचारियों की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार किसी शहर के 'बी–2' में वर्गीकरण के लिए आवश्यक है कि 1961 की जनगणना के अनुसार उस नगर की मुख्य नगरपालिका की तथा संश्लिष्ट नगरपालिकाओं (छावनी) अधिसूचित क्षेत्रों की जनसंख्या 4 लाख से अधिक हो 1961 की जनगणना के अनुसार अमृतसर शहर, की जनसंख्या, छेहर्त, नगरपालिका तथा अमृतसर छावनी की जनसंख्या को मिलाकर भी 4 लाख से कम ही है, इसलिए यह 'बी–2' श्रेणी का दर्जा पाने के योग्य नहीं है।

अमृतसर में रेशम के कपड़े पर बिक्री कर के हटाये जाने की मांग

4572. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर के लोगों द्वारा यह मांग की गई है कि शुद्ध रेशम के कपड़ों पर से बिक्री कर हटा लिया जाना चाहिये ताकि वहां के व्यापार और उद्योग में वृद्धि हो सके ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप–प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : पंजाब रिटेल क्लाथ मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, अमृतसर की ओर से पंजाब सरकार को एक दरख्वास्त प्राप्त हुई है जिसमें एसोसिएशन ने शुद्ध रेशम के कपड़ों पर लगे बिक्री–कर को हटाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

Non-Utilization of Capacity of Government Presses

4573. **Shri Ram Swarup Vidyarathi :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the actual capacity of Government Presses is not being utilised fully ;

(b) if so, the actual capacity of each of Government Presses during the year 1967-68 and the extent to which it was utilised ;

(c) the reasons for not utilising their full capacity ; and

(d) whether Government propose to look into this matter and take proper action against the officers found responsible therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : A scientific assessment of the capacity of the presses has not been arrived at so far. Such an assessment presents several difficulties, particularly because the capacity of any given press at a given time will depend upon.

(1) The type and age of the machines.

(2) Sanctioned strength of the staff.

(3) Type and volume of work entrusted from time to time.

(4) The quantum of urgent and important Government printing work required to be done on a priority basis.

The Government presses have during 1967-68 achieved 4.83 lakhs of mechanical composing and 81.37 sheet impressions in printing.

In order to assess scientifically, the installed capacity of the presses and for framing of norms, the matter has been entrusted to the National Productivity Council who have already started the study.

(c) Full complement of staff has not yet been sanctioned for two new Presses at Coimbatore and Koratty. There were also strikes in Faridabad Press and New Delhi Press at Minto Road in that year.

(d) Does not arise in view of (c) above.

Study Team on Jhuggi and Jhonpri Problem in Delhi

4574. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state the action taken on each recommendation of the study team on Jhuggi Jhonpri problem in Delhi and the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : A statement indicating the position is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT-2710/68].**

Smuggling of Gold and Other Goods

4575. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri P. L. Barupal :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri R. Barua :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the value of smuggled gold and other goods seized at various places in India in 1967-68 and 1968-69 so far as also the names of these places ;

(b) the number of persons against whom legal action was taken or is being taken ; and

(c) the steps taken by Government to stop smuggling of gold and other goods ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information in this regard is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

(c) Among the important steps taken by Government to check sumggling are : systematic collection and follow-up of information, setting up of reliable informers and keeping a watchful eye on the various gangs of smugglers, rummaging of suspected vessels and aircraft, patrolling of vulnerable sections of the coastal waters, and the coastline and land frontiers, and launching of prosecution in suitable cases in addition to departmental adjudication. The Customs Act is also being suitably amended and a Bill to this effect has been introduced in the Lok Sabha.

Arrangements for Drinking Water in Delhi

4576. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrangements for drinking water have not so far been made in some areas of Delhi ;

(b) if so, the names of the areas where this problem is still persisting ; and

(c) the time by which these difficulties would be obviated in those areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) : The required information is awaited from the Municipal Corporation, Delhi, and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

Increase of Hospitals in Delhi

4577. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of hospitals and particularly the number of beds in them is inadequate as compared to the number of patients in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that a large number of patients come to Delhi from its adjoining areas for treatment because of i s being the Capital ;

(c) if so, whether any proposal to increase the number of hospitals in Delhi is under consideration ; and

(d) if so, when it is likely to be finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There are at present 7 General Hospitals and a number of private hospitals in Delhi accounting for about 9000 beds. This works out to a ratio of 2.8 beds per thousand population in Delhi while the All India average is 0.61 bed per thousand. Delhi is, therefore, in a better position when compared to other parts of the country.

(b) Yes. The remedy is to have peripheral services in the adjoining areas.

(c) and (d) : The starting of 2 new hospitals is contemplated during the Fourth Plan which is not yet finalised.

Shortage of Medicines in Hospitals a d Dispensaries of Bihar

4578. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of medicines in the various Hospitals and dispensaries in Bihar ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to ensure adequate supply of medicines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The existing financial provision is not adequate because of the rising costs.

(b) Improvement will be made subject to the availability of funds.

Non-Government Servants in Public Undertakings and Attached to Committees set up by Various Ministries

4579. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri J. B. Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of the public undertakings and Committees of Ministries in which non-Government servants are working ;

(b) the expenditure incurred on them during the last one year ; and

(c) the amenities being provided to them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The bulk of the employees working in all the Public Enterprises are non-Government servants. With regards to Committees of Ministries (other than ad hoc Committees) in which non-Government servants are working, the information is being collected and will be placed on the Table of the House, in due course.

(b) The expenditure incurred on the employees of Public Enterprises, by way of salaries, wages, etc. during 1966-67, which is the latest year for which the accounts of all Public Enterprises are available, was of the order of Rs. 180 crores.

(c) The amenities provided to the employees of Public Enterprises relate to housing, medical, etc. and these vary from enterprise to enterprise.

मैसर्स एन्ट्रीफ्रिक्शन बेयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई

4580. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सी० सी० देसाई मैसर्स एन्ट्रीफ्रिक्शन बेयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई, 1 के निर्देशक के पद से रोटशन से सेवा निवृत्त होने वाले थे परन्तु यदि वह ऐसा करने के उपयुक्त हों तो उन्होंने 7 जून, 1968 की वार्षिक साधारण सभा में अपने पुनः चुनाव की पेशकश की है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपस्थित अंशधारियों में कुछ ने इस संकल्प का विरोध किया था और तत्पश्चात मतदान हुआ और उनको चुना गया घोषित कर दिया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस विवादास्पद चुनाव के मतदान में जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि ने पुनः चुनाव के लिए मतदान किया था ;

(घ) क्या जीवन बीमा निगम जैसे सरकारी उपक्रम की यह नीति है कि अंशधारियों का विरोध होने पर भी श्री देसाई के लिए जो विवादास्पद थे और जो भारत सरकार की सरकारी क्षेत्र की नीति के विरोधी है, उनके निदेशक पद के लिए मतदान करें ; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में इस पर ध्यान देगी कि जो व्यक्ति उनकी समाजवादी नीति के विरोधी है उनको सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संरक्षण न दे ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के कम्पनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ शेयर-धारियों ने जो कुल शेयरधारियों की संख्या के 1 प्रतिशत से कम थे, श्री सी० सी० देसाई के पुनर्निर्वाचन का विरोध किया था।

(ग) से (ङ) : जीवन बीमा निगम श्री देसाई के पक्ष में मत देने वालों में से था। निगम की नीति किसी निदेशक विशेष के पुनर्निर्वाचन का तभी विरोध करने की है जब उसके सामने यह मानने के लिए कारण हो कि इस प्रकार का पुनर्निर्वाचन कम्पनी के हित में नहीं होगा। कम्पनियों की आम सभाओं में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए निगम व्यक्ति विशेष के राजनैतिक विचारों की ओर ध्यान नहीं देता।

बिहार के दरभंगा जिले में बाढ़

4581. श्री मधु लिमये : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के दरभंगा जिले में भूती वालान नदी द्वारा किये गये विनाश की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूती वालान नदी को नियन्त्रित करने के लिये कोई बाढ़ सुरक्षा योजना तैयार की गई है ;

(ग) उस पर किये जाने वाले परिव्यय का क्या अनुमान है ; और

(घ) योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि भूतही वालान नदी पर बाढ़-रक्षा स्कीम के लिये विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है।

(ग) इसका अनुसंधान कार्य हो जाने पर और राज्य सरकार द्वारा प्राक्कलन तैयार करने के पश्चात् ही पता चलेगा।

(घ) इसको यदि अन्तिम रूप दे दिया गया और अनुमोदन मिल गया, तो इसे चौथी योजना के दौरान शुरू किया जा सकेगा।

Allocation of Funds to the Research and Development Division, Sindri in the Fourth Plan

4582. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the amount proposed to be allocated for the development of the Research and Development Division, Sindri, during the Fourth Plan period;

(b) whether all the required plants could be installed with those funds; and

(c) if not, the details of the programme proposed to be chalked out for alloca-ting more funds in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) The P & D Division, Sindri is a part of the Fertilizer Corporation of India and no separate allocation of funds for the activities of this Division is made by the Government. In its yearly budget, the Fertilizer Corporation of India provides funds to the Division commensurate with its resources. The programme of the Division for the Fourth Plan period is at present under the consideration of the Corporation.

(b) and (c) Do not arise in view of the answer to (a) above.

Research and Development Division , Sindri

4583. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the institutions which offer problems for research to the Research and Development Division, Sindri;

(b) whether it is a fact that the research is being conducted there at the instance of the chemical factories running at present and Government have not sent any problem to this Centre in a wider perspective in view of resources and requirements of India;

(c) whether it is also a fact that the aforesaid Division can meet the requirements of the country fully by 1970-71 but Government have called for foreign collaboration in this regard; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) All the units/Divisions of the Fertilizer Corporation of India as well as other undertakings in public and private sector refer their problems to Planning and Development Division of Fertilizer Corporation of India. A statement showing names of public and private sector companies other than Fertilizer Corporation of India's own units to whom Planning and Development Division has given advice, assistance and co-operation, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2711/68]**

(b) No, Sir. Apart from assignments undertaken on behalf of Public and private sector undertakings, the P & D Division also attends to assignments referred to it by the Govt. organisations.

(c) and (d) No, Sir. The facilities available with the Planning and Development Division of the Fertilizer Corporation of India would not be adequate to meet the requirements of the country fully.

Deposits of Rock Phosphate

4584. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of deposits of rock phosphate discovered in the country and the names of places where it was discovered and the area yet to be surveyed;

(b) whether it is a fact that there are large deposits of gypsum in an area of 120 K. M. in Uttar Pradesh;

(c) the cost of rock phosphate and sulphuric acid, as compared to the cost of gypsum per tonne of fertilizer proposed to be used in place of gypsum in Sindri and the places from where the rock phosphate will have to be brought and how it will compare with gypsum; and

(d) whether gypsum is proposed to be imported from certain African countries for Sindri ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) Rock Phosphate deposits have been located mainly in Rajasthan and U. P. apart from a small deposit near Visakhapatnam. In Rajasthan, rock phosphate deposits have been found in Jaisalmer and Udaipur districts. In U. P. the hills between Mussoorie and Ranendranagar have rock phosphate deposits. Apart from these major deposits which have been located, there are other possible areas in India which need to be explored for rock phosphate deposits.

(b) No, Sir.

(c) It is not correct to make a simple comparison between the cost of rock-phosphate and sulphuric acid on the one hand and the cost of gypsum on the other as the two sets of materials represent two different types of nutrients, phosphoric and nitrogenous. They are direct and exact substitutes of one another. Mineral gypsum will be replaced by the by-product gypsum to be produced in the manufacture of phosphoric acid by the acidulation of rock phosphate with sulphuric acid. The cost of by-product gypsum will be negligible as compared to the cost of mineral gypsum. Rock-phosphate will be imported till the indigenous deposits are developed and become capable of supplying the required quantity.

(d) No, Sir.

मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड

4586. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को इसकी अधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को केन्द्रीय सरकार, बैंकों अथवा अन्य फर्मों का इस कम्पनी पर कितना-कितना ऋण शेष था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) इस कम्पनी के पिछले तीन वर्षों के कार्य के क्या परिणाम निकले हैं; कितना लाभ कमाया गया है और यदि हानि हुई है, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क)

	स्थापना के समय (दिसम्बर, 1966)	31-3-1968 को
अधिकृत पूंजी	8.65 करोड़ रुपये	14.00 करोड़ रुपये
प्रदत्त पूंजी	शून्य रुपये	13.65 करोड़ रुपये

(ख) शून्य ।

(ग) शून्य ।

(घ) परियोजना अभी निर्माणाधीन है ।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड

4587. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को उसकी अधिकृत और चुकता पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को उस कम्पनी ने कितना ऋण देना था, इसमें से केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पक्षों का कितना-कितना ऋण था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी राशि दी; और

(घ) इसके पिछले तीन वर्षों के कार्य के क्या परिणाम हैं, इसे कितना लाभ हुआ और यदि हानि हुई, तो हानि होने के मुख्य कारण क्या थे और वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क)

(लाख रुपयों में)

पूंजी	1954-55	1967-68
1. अधिकृत	100	130
2. प्रदत्त	16	125.47

(ख) शून्य

(ग) 62,306 रुपये ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के कार्य के परिणाम और 1968-69 के प्राक्कलन निम्न प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69 के लिये प्राक्कलन
कुल बिक्री	162.44	186.86	204.46	211.81
कुल लाभ	48.10	54.75	36.99	उपलब्ध नहीं
मूल्यह्रास	6.82	7.33	7.33	उपलब्ध नहीं
कर से पहले लाभ	41.28	47.42	30.66	33.36

कर के लिये व्यवस्था	20.00	20.00	12.00)	16.00
उपदान के लिये व्यवस्था	—	1.03	1.03)	
कर और उपदान की व्यवस्था के पश्चात शुद्ध लाभ	21.28	26.39	17.63	18.66
लाभांश	7.53	7.53	7.53	7.53
	(6% की दर से)	(6% की दर से)	(6% की दर से)	(6% की दर से)

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड

4588. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को उसकी अधिकृत और चुकता पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को उस कम्पनी ने कितना ऋण देना था, इसमें से केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पक्षों का कितना-कितना ऋण था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी राशि दी; और

(घ) इसके पिछले तीन वर्षों के कार्य के क्या परिणाम हैं, इसे कितना लाभ हुआ और यदि हानि हुई, तो हानि होने के मुख्य कारण क्या थें और वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(लाख रुपयों में)

		1954–55	1967–68
(क)	1. अधिकृत पूंजी	400	400
	2. चुकता पूंजी	100	247.26

(ख) शून्य

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कर. ह्रास, बोनस, विकास-कटौती, उत्पादन और लाभांश की व्यवस्था करने के बाद पिछले तीन सालों के कार्यों के परिणाम तथा 1968–69 के प्राक्कलन निम्न प्रकार हैं :–

(लाख रुपयों में)

	1965–66	1966–67	1967–68	1968–69 के लिए प्राक्कलन
वर्ष में कुल बिक्री	572.04	759.01	707.97	873.04 (उत्पादन लक्ष्यों में कटौती के कारण कम होने की संभावना)

कर से पहले लेकिन हास, बोनस, विकास-कटौती और उत्पादन की व्यवस्था के बाद अर्जित लाभ ।	143.67	180.39	139.59	उपलब्ध नहीं
वर्ष में लाभ पर कर	71.60	106.77	64.00	उपलब्ध नहीं
वर्ष में शुद्ध लाभ	72.07	73.62	61.94	59.34 (उत्पादन लक्ष्यों में कटौती के कारण कम होने की संभावना)
लाभांश				
(1) सामान्यत: 10% की दर से	24.73	24.73	24.73	
(2) विशेष		12.36 (5%)	9.89 (4%)	
रिप्लेसमैण्ट रिजर्व	47.60	32.40	37.21	उपलब्ध नहीं
को स्थानान्तरण				
जनरल रिज़र्व को स्थानान्तरण		4.13		

Use of Hindi in Life Insurance Corporation

4589. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Life Insurance Corporation has prevented their men from working in Hindi in the Hindi Speaking areas; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Some members of the staff in one of the Division Offices began noting in Hindi on office files. Since in that office, as in other offices of the Corporation where transfers are on an all-India basis, there were employees who did not have adequate command of Hindi, this gave rise to difficulties in practice. Further, insurance being technical involves the use of a large number of technical terms. In view of the practical difficulties it was decided that notings should continue to be in English.

(b) While this did not involve an infringement of the provisions of the Official Languages Act, the L.I.C. is fully conscious of the importance of the progressive use of Hindi to the extent it is administratively possible.

Hospitals in Delhi

4590. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Hukum Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of existing hospitals and the number of hospitals required on the basis of the population of Delhi; and

(b) the population beyond Yamuna river and the name of the hospital which attends to their needs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There are at present 7 General Hospitals and a number of private hospitals, maternity hospitals and T.B. Hospitals. There is also one Infectious Diseases Hospital and one Mental Hospital.

The Delhi Master Plan suggests the establishment of 20 additional hospitals, calculated on the basis of one hospital of 500 beds to serve a population of 1.25 lacs.

(b) The population in the trans-Yamuna river area is over 2 lakhs. At present the Shahdara General Hospital with 50 beds and the Shahdara Civil Hospital with 12 beds run by the Delhi Municipal Corporation are located in this area. However the people from this area make use of the Irwin Hospital, New Delhi.

Use of Hindi in Finance Ministry

4591. **Shri Narain Swarup Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of tenders, agreements, contracts, licences, permits, advertisements, notifications, forms and administrative reports which have not been issued in Hindi by his Ministry and its subordinate offices and institutions in August and September, 1968;

(b) the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken to issue them in Hindi ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Accounts in Banks Abroad

4592. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5948 on the 1st April, 1968 and state :

(a) the total amount deposited in the 1220 accounts in the banks abroad;

(b) the names of the account holders among them who were permitted to send their money abroad; and

(c) the amount so sent abroad and the reasons for granting permission for this purpose ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being collected and will soon be laid on the Table of the House.

(b) and (c) : Remittances are not normally allowed merely to open or feed accounts abroad. These mostly represent or have been created out of the earnings abroad.

Wealth Tax Paid by Ministers

4593. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of Central Ministers who are paying Wealth tax;

(b) the value of wealth possessed by each Minister;

(c) the names of Ministers whose declared wealth has been increased by the Wealth-tax Officers during the last four years and the amount of increase effected in each case; and

(d) whether Government have taken necessary steps to assess the wealth of these Ministers ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d) The requisite information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the House as early as possible.

Income Tax Assessment of Mills in Ujjain

4594. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the Income-tax assessed against the Bharat Commerce Mill, Grecim Mill, Nagada in District Ujjain, since 1962 till date; and

(b) the amount of Income tax paid by the Mills, the amount which remains to be realised and the action being taken by Government to realise the arrears ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : The information, which is not readily available, is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

Income Tax Paid by Textile Mills

4595. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax assessed on the Swadeshi Mill, Kalyan Mill and Malwa Mill of Indore and the Heera Mill of Ujjain since 1962 to-date; and

(b) the amount of Income-tax realised by Government from those Mills during the above period and the amount of outstanding Income-tax at present ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information, which is not readily available, is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

Indian Tubes Company LTD., Calcutta

4596. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4354 on the 19th August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the Income-tax paid by M/s. Indian Tubes Company LTD. Calcutta, during the year 1967-68 has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when it would be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The same has since been furnished to the Parliament. A copy of the same is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2712/68].**

Foreign Exchange Released to M/s. Kirloskar Oil Engines LTD., Poona

4597. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4353 on the 19th August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the amount of foreign exchange granted to M/s. Kirloskar Oil Engines Limited Poona during the last five years has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and the further time likely to be taken in collecting the aforesaid information ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (e) Yes, Sir. The required information has since been collected and a statement in implementation of the Assurance is being laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT 2713/68]**

(b) Details are given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-2713/68]**

(c) Does not arise.

गुजरात के गांव में पीने के पानी की कमी

4598. श्री रा० की० अमीन : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में 100 से अधिक जन संख्या वाले ऐसे कितने गांव है जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) उन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और उन सब गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और मिल जाने पर यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Foreign Exchange for Persons Accompanying the Prime Minister on her Tour Abroad

4599. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange sanctioned to each of the persons who accompanied the Prime Minister on her recent tour to the Latin American countries:

(b) whether necessary particulars have been received from all those persons required under the Foreign Exchange Regulation; and

(c) if not, the reasons therefor and the time by which the particulars are likely to be received ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) A statement indicating the names of the officials who accoo mpanied the Prime Minister and the quantum of foreign exchange sanctioned from India for personal incidentals in their favour is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2714/68]**. In addition, these persons would have been paid Daily Allowance etc. in foreign currencies directly by our Missions in the countries visited at the prescribed scales.

(b) and (c : For such releases on accounts are required to be submitted on return. However, in respect of payments out of government funds, Government servants are required to submit T. A. Bills for finalising these payments.

रावी नदी पर थीन बान्ध परियोजना

4600. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी नदी के जल का उपयोग करने के लिये रावी नदी पर थीन बान्ध परियोजना के निर्माण कार्य के लिये सरकार ने चौथी योजना में धन की क्या व्यवस्था की है; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) - (क) चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) परियोजना की अभी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में जांच हो रही है ।

Use of Tallow in Soaps

4601. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether orders for fixing labels on soaps indicating the use of tallow in soaps have been given;

(b) the total annual consumption of tallow

(c) the formula for preparation of tallow indigenously;

(d) whether any substitute has been found to replace tallow; and

(e) whether Government propose to provide more facilities to those small and big soap factories which prepare soap without the use of tallow ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raguramaiah) : (a) No, Sir. The matter is under consideration of the Government in consultation with the Indian Soaps and Toiletries Makers' Association. The latter's views are awaited.

(b) The required information is given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-2715/68]**

(c) No formula for the preparation of tallow indigenously has come to notice.

(d) Local mohwa oil and hydrogenated groundnut and other oils and improted palm oil can substitute tallow in most of its uses.

(e) it is for the soap manufacturers to choose from the raw materials available having regard to all the relevant factors such as price, consumer preference etc.

Forced Vasectomy Operation at a Family Planning Centre, Agra

4602. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the news published in Vir Arjun of the 5th September is correct that a bachelor named Kailashi was operated upon for vasectomy at a Family Planning Centre in Agra;

(b) whether it is also a fact that he is the only son of his parents and was to be married in the near future; and

(c) if so, the punishment awarded to the guilty persons ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) : The news item is not wholly correct. A man named Kailashi was operated upon for vasectomy at the District Hospital in Agra on August 23, 1968. Enquiries have, however, revealed that although Shri Kailashi is the only son of his parents, he was already married at the time of the operation,

(c) Does not arise.

Income-tax paid by M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mckenzies Ltd.

4603. Shri Onkar Singh :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5872 on the 26th August, 1968, and state :

(a) whether the information is regard to income-tax assessed on the Directors of M/s Meckenzies and M/s. Oriental Timber Trading Corporation has since been collected;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) when it is likely to be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir

(b) Total tax demand of Rs. 1,70,560/-was raised against the directors of M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. and M/s. Mckenzies Ltd. during the last three years.

(c) and (d) : Do not arise.

आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर अपीलीय आदेशों की क्रियान्विति

4604. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर अधिकारियों द्वारा सहायक अपीलीय आयुक्तों और न्यायाधिकरणों के बड़ी संख्या में आय-कर अपीलीय आदेशों का पालन नहीं कराया जाता और कई मामलों में तो तीन वर्ष से भी अधिक अवधि तक कार्यवाही नहीं की जाती;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उन लम्बित आदेशों के बारे में संबंधित सर्किलों से सूचना प्राप्त करेगा; और

(ग) क्या बोर्ड ऐसे आदेश जारी करेगा कि अधिक से अधिक बारह महीनों में उनका निपटारा किया जाना चाहिए और भविष्य में आय-कर अधिकारी तीन महीनों के अन्दर ऐसे अपीलीय आदेशों का पालन करायें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। अपीलीय आदेशों पर शीघ्र ही अमल किया जाता है, और यह अमल साधारणतः एक से तीन महीने में हो जाता है। बहुत ही थोड़े मामले होते हैं जो तीन साल से अधिक समय तक पड़े रहते हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना प्राप्त कर ली गई है। केवल 43 मामले ऐसे हैं जिनमें अपीलीय आदेशों पर तीन वर्ष के अन्दर अन्दर अमल नहीं हुआ है। ये मामले केवल तीन आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों से सम्बन्धित है, इनमें 40 दिल्ली (केन्द्रीय) आयुक्त के अधिकार। 2 बम्बई नगर और 1 गुजरात में हैं। इन 43 आदेशों में से 42 मामले इस लिए पड़े हैं कि अपीलीय अधिकारियों के आदेशनुसार निर्धारितियों से मांगाई गई सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा एक मामला अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला होने तक रोक रखा गया है।

(ग) बोर्ड ने आदेश जारी कर दिये हैं कि सभी अपीलीय आदेशों पर उनकी प्राप्ति से तीन महीने के अन्दर अमल किया जाय।

भारतीय अर्थ व्यवस्था का मूल्यांकन

4605 श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किये गये मूल्यांकन से इस बात का संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था मंदी से बाहर निकल रही हैं, यद्यपि इसकी गति मंद है; और

(ख) यदि हां, तो आर्थिक कार्यकलापों में शीघ्र सक्रियता लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सब से हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1968 के पहले आठ महीनों में औद्योगिक उत्पादन का औसत मासिक सूचक अंक (आधार 1960 = 100) 159.2 रहा । यह 1967 की इसी अवधि के औद्योगिक उत्पादन के स्तर की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत अधिक है ।

(ख) सरकार ने औद्योगिक उत्पादन में फिर से तेजी लाने के लिए अनेक उपाय किये है । इन उपायों में अन्य उपायों के साथ साथ ये शामिल हैं :-

(1) सरकारी क्षेत्र, विशेष रूप से रेलवे द्वारा औद्योगिक वस्तुओं के लिए पेशगी आर्डरों का दिया जाना;

(2) बैंक दर को घटाना तथा कृषि, निर्यात और छोटे पैमाने के उद्योगों जैसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की दिये जाने वाले ऋण की लागत में कमी करना;

(3) विदेशों में औद्योगिक वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात शुल्कों में परिवर्तन करने और निर्यात करने वाले एककों को तरजीह देने जैसे उपाय करना ।

(4) देश में उद्योगों की उत्पादन-क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए खास-खास वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाना , और

(5) उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार करने के सम्बन्ध में नियमों को उदार बनाना ।

नर्बदा बेसिन में भूसंरक्षण तथा वनरोपण

4606. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों पर बान्ध आदि का निर्माण करने से पहले भूसंरक्षण और वनरोपण के ठोस कार्य किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो नर्बदा बेसिन में भूसंरक्षण तथा वनरोपण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि यह कार्य शीघ्र आरम्भ नहीं किया जायेगा तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भू-संरक्षण और वनरोपण कार्य सामान्यतः नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ किये जाते हैं ।

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि नर्बदा बेसिन में भू-संरक्षण और वनरोपण कार्यों के चौथी योजना में ही आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ।

सरकारी उपक्रमों में महा प्रबन्ध

4607. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रमों में से प्रत्येक उपक्रम में नियुक्त महा-प्रबन्धक किस-किस राज्य के थे, और प्रत्येक महाप्रबन्धक के कार्यकाल में कितने-कितने कर्म चारी नियुक्त किये गये और उन कर्मचारियों में से कितने-कितने व्यक्ति महाप्रबन्धकों के राज्यों के थे ?

पैट्रोलियम रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मौजूदा महा प्रबन्धकों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी । अन्य सूचना को एकत्रित करने में लगाया गया समय एवं श्रम परिणाम स्वरूप लाभ के अनुरूप नहीं होगा ।

Shortage of Psychiatrists in india.

4603. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an acute shortage of Psychiatrists in the country; and

(b) the action being taken by Government to increase the educational in this field of medical science ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There is no shortage in relation to the demand.

(b) Does not arise.

बैंकों को दी गई पुनर्वित्त की सुविधायें

4609. श्री रवि राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय और बागानों के विकास के लिये तथा समाप्त प्रायः सम्पदाओं और उपयुक्त भूमि की खरीद के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा निर्वित हेतु उपलब्ध की गई सुविधाओं का लाभ उठाने में वाणिज्यिक बैंक विफल रहें हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : फरवरी, 1968 में कृषि पुनर्वित निगम ने बागान लगाने के उद्देश्य से उपेक्षित और नयी जमीन (वर्जिन लैण्ड) प्राप्त करने और उनका विकास करने के लिये वित्तीय सहायता देने की एक योजना की घोषणा की थी (योजना का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है) । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2716/68**] अभी तक इस योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के लिये किसी भी बैंक ने निगम के पास आवेदन पत्र नहीं भेजा है ।

बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोना पकड़ा जाना

4610. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 सितम्बर, 1968 को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई के सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर कोचीन जाने वाले इण्डियन एयर लाइन्स के एक विमान के यात्री के पास से 40,000 रुपये के मूल्य की सोने की छड़ें तथा गिन्नियां पकड़ी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । पकड़ा गया सोना भारतीय बाजार मूल्य के अनुसार लगभग 40,000 रुपये का है ।

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया व्यापार

4611. श्री म० सुदर्शनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में उससे पहले वर्ष की तुलना में जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी पालिसियां जारी की गई ;

(ख) वर्ष 1966–67 की तुलना में वर्ष 1967–68 में कुल कितनी पालिसियां व्यपगत हुई ; और

(ग) पहले वर्ष की तुलना में उक्त वर्ष में पालिसियों पर कितना बोनस घोषित किया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1966-67 की 14,11,920 पालिसियों के मुकाबले वर्ष 1967–68 में 14,28,043 पालिसियां जारी की गई थीं ।

(ख) फिर से चालू की गई पालिसियों को छोड़कर, व्यपगत पालिसियां 1966–67 की 4,93,876 की कुल संख्या के मुकाबले 1967–68 में 4,62,508 थी ।

(ग) निगम द्वारा जारी की गई बोनस-भोगी पालिसियों पर 31-3-1967 को द्विवार्षिक-स्थिति-मूल्यांकन के आधार पर आजीवन बीमा पालिसियों पर प्रत्येक हजार की बीमे की रकम पर 20 रु० वार्षिक और निर्धारित समय की बीमा पालिसियों पर प्रत्येक हजार की बीमे की रकम पर 16 रू० वार्षिक बोनस घोषित किया गया। ये दरें वही हैं जो 31-3-65 को द्विवार्षिक स्थिति-मूल्यांकन के आधार पर घोषित की गई थी। पूर्ववर्ती बीमा कर्ता कम्पनियों द्वारा जारी की गई पालिसियों के सम्बन्ध में बोनस, जीवन बीमा निगम (वर्गगत बोनस निमित्त पालिसी वर्गीकरण) विनियम 1961 के अनुसार घोषित किये जाते हैं।

Rural Electrification in Ladakh

4612. Shri Kushak Bakula : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased state the progress made in providing electricity in the Villages of Ladakh District of the Jammu aud Kashmir State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri. Siddheshwar Prasad) : One generating unit of 3kw has been installed at Nurla village in Tehsil Leh during 1966-67 and about twenty electric connections have been given. A generating unit of 5 kw is being installed during the current year in each of the two villages viz. Khaltse and Tengcy. Orders for supply of two 10 kw and 15 kw generating units have been placed for installation at villages Temisgam and Sankoo respectively. These units are expected to be installed during 1969-70.

नेपाल को सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क की वापसी

4613. श्री हिम्मतसिंह का : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल को सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क वापस करने के प्रश्न पर हाल ही में भारत और नेपाल के बीच बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई करार हुआ है तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): जी हां। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत उन शुल्क-योग्य पदार्थों पर जो नेपाल को निर्यात किए जाते है लगाया जाने वाला केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (अर्थात्, मूल केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क) नेपाल के महामहिम की सरकार को पहले ही वापस किया जा रहा है। नवंबर, 1968 में हुई पिछली भारत-नेपाल व्यापार वार्ता के दौरान नेपाल के महामहिम की सरकार ने विशेष उत्पादन-शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क और उनके बकाया की वापसी की मांग की थी। हालांकि नेपाल में आयात किये जाने वाले भारतीय पदार्थों पर भारत में लगे अतिरिक्त तथा विशेष उत्पादन-शुल्क के बकाया के सम्बन्ध में नेपाल के महामहिम की सरकार के दावे की वैधता को स्वीकार करने में भारतीय शिष्ट-मंडल ने असमर्थता प्रकट की किन्तु नेपाल के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय शिष्ट मंडल भारत सरकार से इस बात की सिफारिश करने के लिये सहमत हो गया कि दोनों सरकारों के बीच मान्य एकमुश्त रकम एतदर्थ आधार पर नेपाल को सुलभ की जाय। भारतीय शिष्ट मंडल इस बात पर भी सहमत हो गया कि ज्योंही नेपाली आयात शुल्क सूची को व्यापार तथा पार गमन संधि, 1960 के

अनुच्छेद" के 11 उपबंध के समकक्ष लाने के संबंध में समझौता हो जाय त्योंही विशेष उत्पादन-शुल्क तथा, यदि संबंधित अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था हो तो भारत में बिक्री कर के स्थान पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को भी नेपाल के महामहिम की सरकार को उसी प्रकार वापस कर दिया जायगा जिस प्रकार कि इस समय मूल उत्पादन-शुल्क वापस किया जाता है।

गोहाटी तेल शोधक कारखाने का मिट्टी के तेल वाला एकक

4614. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी तेल शोधन शाला के मिट्टी के तेल के कारखाने में यंत्रों में कुछ बड़ी खराबी उत्पन्न हो जाने के कारण इस वर्ष अक्तूबर में वह कारखाना बन्द हो गया था ;

(ख) यदि हां, मशीनरी में क्या और कितनी बड़ी खराबी आ गई थी और कितनी अवधि तक उस कारखाने ने उत्पादन नहीं किया ;

(ग) उस वर्ष उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) इस त्रुटि को ठीक करने में कितना धन व्यय हुआ ?

पैट्रोलियम तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) ब्लेडों के टूट जाने से कम्प्रैशर ने काम करना बन्द कर दिया इस कारण सन्यन्त्र को बन्द करना पड़ा। सन्यन्त्र 18-9-1968 को बन्द कर दिया था और 15 दिसम्बर तक इसके चालू किये जाने की आशा है।

(ग) शोधन कारखानों की थरुपुट (Throughput) में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु इसमें बढ़िया मिट्टी का तेल उत्पादित नहीं हो सका। बढ़िया मिट्टी के तेल के उत्पादन में 4110 मीटरी टन की हानि हुई।

(घ) मरम्मत पर 27,000 रुपये खर्च हो जाने का अनुमान है।

लघु उद्योगों के लिये स्टेट बैंक द्वारा दिया गया ऋण

4615. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1963-64 से 1967-68 तक वर्षवार प्रत्येक राज्य में भारत स्टेट बैंक द्वारा लघु उद्योगों को कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों की सीमाओं का मार्च, 1963 के अन्त से मार्च 1968 के अन्त तक का राज्यवार विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी० 2717/68**]

Import of Tallow for Soap Manufacturing From U. S. A.

4616. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tallow is used in making soap ;

(b) whether it is also a fact that tallow is imported from U. S. A. under PL 480 and the cost of tallow is not paid in terms of foreign exchange but the amount thereof is deposited in Indian banks in the account of the United States of America ;

(c) whether the amount thus deposited by the U. S. Embassy in India is spent for religious conversions ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The amount is deposited in rupees in the Reserve Bank of India.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

आसाम उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हैजा

4617. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय मंत्री विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1968 में आसाम के विभिन्न जिलों तथा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हैजा फैल गया था ;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ों के दौरान तथा उसके पश्चात् इस बीमारी के कारण बिहार समेत पूर्वी क्षेत्र में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा इस अवधि में उक्त क्षेत्र के प्रत्येक बाढ़ग्रस्त राज्य में हैजे से कितने व्यक्ति बीमार हुए ;

(ग) क्या इस बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस रोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और बाढ़ से पीड़ित लोगों को क्या केन्द्रीय सहायता दी जा रही हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) अक्तूबर, 1968 के मास के दौरान आसाम के कुछ जिलों और उड़ीसा के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में हैजा फैल गया । पश्चिम बंगाल के किसी भी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र से हैजा के कोई घटना या मौत होने की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) पूर्वी क्षेत्र के बाढ़-प्रभावित राज्यों से, जिनमें बिहार शामिल है, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1968 के महीनों के दौरान हैजा की घटनाओं और उसके कारण हुई मौतों की

बतलाई गई संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर	
	घटना	मृत्यु	घटना	मृत्यु	घटना	मृत्यु
असम	109	42	450	210	16	8
बिहार	268	78	1726	457	1273	435
उड़ीसा	68	23	66	15	25	10
*पश्चिम बंगाल	13	3	35	7	5	1

*(बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अलावा)

(ग) असम और बिहार में महामारी का प्रकोप मामूली था।

(घ) मेडिकल स्टोर डिपो के जरिए आवश्यक औषधियां और रोगाणुनाशक तत्काल दे दिए गये और यूनिसेफ के जरिए पूरक आहार की भी व्यवस्था की गई थी।

बीमारी की रोक-थाम के लिए राज्यों द्वारा बरते गये उपायों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Beautificatino of Capital By N. D. M. C.

4618. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Health Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the New Delhi Municipal Commi tee is spending lakhs of rupees by changing designs of roads, gardens, cross-roads, etc. in various areas time and again on the pretext of beautifying New Delhi area at the expense of other civic amenities ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : The designing of roads and crossroads is being done by the New Delhi Municipal Committee as provided in the Delhi Master Plan. Generally it is true that while undertaking certain items of functional utility, the Committee has attempted to contribute to the beautification of the city. This is not being done at the cost of other civic amenities.

लोमड़ियों और चूहों द्वारा बनाये गये बिलों के कारण कोसी बांध में दरारें

4619. डा० सुशीला नैयर :
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कोसी बांध में लोमड़ियों, गीदड़ों तथा चूहों ने छेद कर लिये हैं, जिनके कारण उस बांध में दराडें पड़ गई है, तथा हाल में बांढ़ आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बांध में ठेकेदारों द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री तथा उस बांध की मरम्मत आदि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के आचरण के बारे में कोई जांच कराई गई है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को पुन: होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोसी परियोजना में कोई बांध नहीं है । शायद बांध शब्द से आशय "तटबंध" से है । तब तो उत्तर 'हां' में है ।

(ख) इस्तेमाल की गई सामग्री स्थानीय रेत और मिट्टी है । राज्य सरकार ने दो ओवरसीयर और कार्य प्रभारित स्टाफ को निलंबित कर दिया है और कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के लिये उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है । राज्य सरकार जांच भी कर रही है ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जांच कार्य समाप्त होने पर बाढ़ क्षेत्र की गश्त और सुरक्षा-कार्यों में सुधार के लिये उचित कार्रवाई की जाएगी ।

Landslides in Jalpaiguri and Darjeelinga West Bengal

4620. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the extent of loss to life and property as a result of eandlides in Jalpaiguri and Darjeeling, West Bengal, has been finally estimated ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government have looked into the causes of the landslides ; and

(d) if so, whether Government propose to take any measures to prevent landslides in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sinddeshwar Prasad) : (a) and (b) : The Government of West Bengal have reported that no landslides occurred in the District of Jalpaiguri. The district of Darjeeling suffered both as a result of floods and landslides during the first week of October, 1968 and the details of the damage caused in Darjeeling district have been reported by the State Government as follows ;

Area affected	174 sq. miles
Population affected	63,982
Villages affected	298
Human lives lost	704

Heads of cattle lost		2,382
Houses damaged or destroyed		4,207
Cropped area affected		33,703 acres
Value of crops lost	Rs.	4,61 crores
Loss of public utilities in monetary terms	Rs.	98 lakhs

The extent of flood damage in Jalpaiguri district has been assessed by the State Government as follows :

Area affected	420 sq. miles
Population affected	4,25 lakhs
Villages affected	90
Human lives lost	1,975
Heads of cattle lost	56,956
Houses damaged or destroyed	41,400
Cropped area affected	1.08 lakh acres
Value of crops lost	Rs. 2.55 crores

(c) and (d) : A high level Technical Committee has been set up by the Ministry of Irrigation and Power to go into the causes of the recent floods in North Bengal. The Director General Geological survey of India, has also been included on this Committee.

कोचीन में तेल के गोदामों में आग लगने की घटना

4621. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पहले कोचीन में एक तेल गोदाम में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी हानि हुई ; और

(ग) आग लगने के क्या कारण थे और इस मामले में यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 1850 रूपये ।

(ग) पैट्रोलियम प्रस्थापन के बाहरी क्षेत्र में वर्षा के पानी के साथ तेल के कतरों का एक नग्न बती (नेकड लाइट) को छूने से सम्भवतः आग लगी ।

बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बिजली के लिए धन की व्यवस्था

4622. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और बिजली के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई थी जिस के परिणामस्वरूप बिहार और उत्तर प्रदेश में योजनाओं की प्रगति में बाधा पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उन राज्यों को इस काम के लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश और बिहार समेत सारे देश की सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति पर संसाधनों में तंगी का प्रभाव पड़ा है ।

(ग) और (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

भारत की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं

4623. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में देश में कितनी मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का कार्य आरम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) किन-किन राज्यों में से परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं अथवा आरम्भ की जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : संबंधित राज्य सरकारों को 1968-69 में निम्नलिखित बृहत् सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये अनुमोदन दिया गया है ;

1. सोन उच्च स्तरीय नहर (बिहार)

2. कूकाडी चरण । (महाराष्ट्र)

3. निचली सारदा नहर प्रणाली, चरण । (उत्तर प्रदेश)

'डी' टाइप एम० पी० फ्लैटों में बरसाती का निर्माण

4624. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मंजिल वाले 'डी' टाइप एम० पी० फ्लेटों में बरसाती के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना

4625. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये अब तक अपनाये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक कितने गांवों में ये उपाय किये गये हैं ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं ।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) दिल्ली के गांवों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए अब तक जो उपाय किये गये हैं उनमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :

1. गांवों में दीवारों पर परिवार नियोजन के नारों और निशान को पेन्ट करना ।

2. प्रदर्शिनियों का आयोजन ।

3. सिनेमा का प्रदर्शन ।

4. ओरियन्टेशन शिविरों और गोष्ठियों का आयोजन ।

5. गीत, कव्वाली, भजन, नाटक आदि जैसे जन प्रचार माध्यमों का प्रयोग ।

6. परिवार नियोजन पर छपी हुई सामग्री का वितरण ।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम दिल्ली के सभी 278 गांवों में चलाया जा रहा है ।

(ग) इसकी सफलता इस प्रकार है :—

	लूप	नसबन्दी
1966–67	555	108
1967-68	276	929
*1968–69	447	237

*सितम्बर, 1968 तक ।

मध्य प्रदेश में तेल शोधनशाला पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

4626. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का इरादा गुजरात के तेल को साफ करने के लिये मध्य प्रदेश में एक तेल शोधनशाला स्थापित करने और आसाम के तेल को साफ करने के लिये बिहार में स्थापित की गई बरौनी तेल शोधनशाला के समान ही मध्य प्रदेश में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने की वांछनीयता का विचार करने का है ?

पैट्रोलियम रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मलेरिया का प्रकोप

4627. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मलेरिया पुनः महामारी के रूप में फैल गया है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के लिये केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश के लिये समय पर पर्याप्त कर्मचारी उपकरण और कीटनाशी दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर सकी है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की कम सफलता के कारणों का पता लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार को समय पर सहायता उपलब्ध न किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ङ) मलेरिया उन्मूलन योजना को सफल बनाने के लिये अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के कतिपय क्षेत्रों में मलेरिया पोकल रूप में फैला है ।

(ख) जी नहीं । केन्द्रीय सरकार को आयात किये जाने वाले कीटनाशकों की प्राप्ति करने में कठिनाई हुई है । किन्तु शेष मामलों में कार्य-संचालन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है ।

(ग) कुछ राज्यों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की कम सफलता के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) अपर्याप्त छिड़काव कार्य ।

(2) निगरानी स्टाफ का अपर्याप्त व्यवस्था विशेषतया कठिन क्षेत्रों में न होने के कारण अपर्याप्त निगरानी (सक्रिय तथा निष्क्रिय)

(3) प्रयोगशाला तकनीशियनों की अपर्याप्त संख्या के कारण असन्तोषजनक प्रयोगशाला सेवाएं ।

(4) अप्रभावकारी देख-रेख तथा अपर्याप्त क्षेत्रीय स्टाफ ।

(5) धना भाव के कारण शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा मलेरिया उन्मूलन में असमर्थता ।

(6) कतिपय क्षेत्रों की कीटनाशकों के प्रति वेक्टरों का प्रतिरोधी होना ।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार को अपेक्षित कीटनाशक उपलब्ध किये गये । आवश्वक स्टाफ की व्यवस्था करना राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी थी ।

(ङ) पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की अवस्थाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है । चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस कार्यक्रम को एक केन्द्र चालित योजना के रूप में रखने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत राज्यों को सौ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ।

तपेदिक के इलाज के लिये ऐथियोनामाइड

4628. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट में और अन्य स्थानों में हाल में किये गये अनुसन्धान से यह पता चला है कि अब तपेदिक का एक नया जीवाणु पैदा हुआ है जिसने आई० एम० एच० पी० ए० एस० और स्ट्रैप्टोमाइसीन जैसी परम्परागत दवाइओं का प्रयोग कम प्रभावी कर दिया है ;

(ख) क्या इस नये जीवाणु से होने वाले तपेदिक के इलाज के लिये विशेषज्ञों ने एथोयोनामाइट का प्रयोग करने की सिफारिश की है ; जिसका विदेशों से आयात करना पड़ेगा ;

(ग) क्या इस दवाई की कीमत इतनी अधिक है कि निर्धन वर्ग वाले तपेदिक के रोगी नहीं खरीद सकते ; और

(घ) यदि हां, तो इस दवाई को भारत में बनाने तथा कम कीमत पर निर्धन वर्ग के रोगियों को इसकी सप्लाई करने की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : बल्लभ भाई पटेल वक्ष-संस्थान दिल्ली में तपेदिक के किसी नये जीवाणु की खोज नहीं की गई है । यह संभव है कि अनेक क्षय रोगियों में इस रोग के आरम्भ से ही (प्राथमिक औषध सहिष्णुता) कारक-जीव (तपेदिक-जीवाणु) प्रतिरोधी हों अथवा

आइ० एन० एच० पी० ए० एस०, स्ट्रैप्टोमाइसिन और थिएसेटाजोन जैसे क्षय रोग उपचार की मानक औषध के प्रति प्रतिरोधी शक्ति (गौण औषध प्रतिरोध) प्राप्त कर लें। ऐसे रोगियों में जिनमें औषध प्रतिरोधी जीवाणु होते हैं उनका उपचार पाइराजिनामाइड, एथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन जैसी क्षय रोग निरोधी अन्य प्रकार की औषधियों से करना पड़ता है।

(ग) एथियोनामाइड एक आयात की जाने वाली औषधि है और प्रतिदिन प्रति रोग पर अनुमानित खर्च एक रुपया बैठता है।

(घ) कुछ भेषज निर्माताओं ने अब एथियोनामाइड का उत्पादन देश में ही शुरु दिया है। इन दूसरे प्रकार की क्षयनिरोधी औषधियों के उपचार करने पर खर्च अधिक होने के अलावा उपचार के परिणाम भी सन्तोषजनक नहीं बतलाये जाते हैं। वे रोगी जो कुछ महीने तक थियासेटाजोन का सेवन कर लेते हैं उन्हें एथियोनामाइड से कोई लाभ नहीं होता है। अतः एथियोनामाइड की उपयोगिता सीमित है। इसलिए मानक-प्रभावकारी औषधियों की व्यवस्था करने पर बल देने की नीति ही अधिक उत्तम समझी जाती है।

पश्चिम बंगाल में वाणिज्य कराधिकारी

4629. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 6 नवम्बर, 1967 को एक आदेश पास करके वाणिज्य कराधिकारियों के दर्जों को समाप्त कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस आदेश को लागू कर दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री ने यद्यपि वाणिज्य कर-अधिकारियों के दोनों ग्रेड का एकीकरण करना मान लिया था लेकिन उस सरकार के पतन से पहले इस बारे में में कोई आदेश पास नहीं किये जा सके थे।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

घड़ियों की तस्करी

4630. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार के अनुमान के अनुसार 1958–59 तक प्रति वर्ष भारत में कुल कितने मूल्य की घड़ियां चोरी-छिपे लाई गई ; और

(ख) 1958-59 से 1967–68 तक प्रतिवर्ष घड़ियों की तस्तरी के कितने मामलों का पता लगाया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : ऐसे कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं जिनसे भारत में चोरी छिपे लाई गई घड़ियों के मूल्य का अन्दाजा

लगाया जा सके। सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 1958–59 से 1967–68 के वर्षों में पकड़ी गई घड़ियों के मूल्य और जिन मामलों का पता लगाया गया है उनके बारे में वर्ष–वार सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	पकड़ी गई घड़ियों का बाजार भाव (लाख रुपयों में) लगभग	पता लगाए गए मामलों की संख्या
1958–59	11 36	456
1959–60	17.49	842
1960–61	18.91	888
1961–62	34.28	794
1962–63	50.94	682
1963–64	59.51	966
1964–65	80.35	1,302
1965–66	69.12	1,427
1966–67	121.65	1,184
1967–68	183.53	1,275

उत्तर बंगाल को खाद्यान्न तथा औषधियों की सप्लाई

4631. डा० रानेन सेन : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर बंगाल को 7 से 20 अक्तूबर, 1968 के बीच कितने मूल्य के खाद्य पदार्थ, बाल आहार तथा अन्य सामग्री भेजी थी; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी सामग्री की मांग की थी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 7 और 20 अक्तूबर, 1968 के बीच एक लाख पौंड सपरेटा-पाउडर और 15 टन ब्लीचिंग पाउडर भेजा गया।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने एक लाख पौंड सपरेटा पाउडर और 25 टन ब्लीचिंग पाउडर की मांग की थी। शेष 10 टन ब्लीचिंग पाउडर 20 अक्तूबर के पश्चात भेज दिया गया।

Financial Assistance to Bihar For Flood Affected People

4632. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have asked the Central Government to increase financial assistance given to Bihar for the flood affected areas in Bihar;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether in the meeting of the Bihar Parliamentary Consultative Committee held at Patna on the 10th October, 1968, a member demanded ten crores of rupees as an aid for the flood-stricken people; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) : On the basis of the report of a Central Team of Officers, which visited the State to assess the flood situation, a ceiling of expenditure of Rs. 3 crores in 1968-69 has been adopted for purposes of Central assistance and this has been communicated to the Government of Bihar. There has been no further request for enhancement of this ceiling from the State Government. A loan of Rs. 50 lakhs has already been advanced by the Ministry of Finance to the State Government and the release of further assistance will be considered in the light of the Team's recommendations and the progress of expenditure.

(c) The question of providing adequate funds for flood relief operations was discussed at the meeting of the Consultative Committee on Bihar Legislation held at Patna on the 0th October, 1968.

(d) The position has been explained in reply to parts (a) and (b) above.

Acceptance of Hindi Signatures by State Bank

4633. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi signatures are not accepted in the Karol Bagh Branch of the State Bank of India in Delhi in spite of the fact that Hindi is the official language;

(b) whether it is also a fact that even when Hindi signatures are accepted on somebody's insistance, he is asked to get them attested by some other person;

c) whether it is further a fact that no such condition is attested to English signatures;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the action proposed to be taken by Government in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Signature in Hindi are accepted at the Karol Bagh Branch of the State Bank of India.

(b) to (e) : Do not arise.

Production of Chemical Fertilizers

4634. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the quantity of Chemical fertilizers produced in the public sector undertakings in 1967-68; and

(b) the per maund price fixed therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) **Sindri**

Ammonium sulphate	2,41,300	tonnes
Double Salt	61,384	,,
Urea	16,164	,,
Nangal		
Calcium amm. nitrate (20.5%N)	1,43,597	,,
Calcium amm. nitrate (25% N)	1,92,911	,,
Trombay		
Urea	57,436	,,
Nitro-phosphate (16 : 13)	22,355	,,
Sulphate (20:20)	70,652	,,
F. A. C. T , Udyogamandal		
Ammonium sulphate	77,699	,,
Ammonium phosphate	55,881	,,
Superphosphate	42,196	,,
Rourkela		
Calcium amm. nitrate	1,89,503	,,
Neyveli		
Urea	71,414	,,

(b) The prices per tonne are given below :

	(Rs. per tonne)
Sindri	
Amm. sulphate	492
Double salt	577
Urea	840
Nangal	
C. A. N. (20.5% N)	437
C, A, N. (25% N)	510
Trombay	
Urea	840
Nitro-phosphate (16 : 13)	683
Suphala (20 : 20)	890 reduced to 870 from 18-9-1968,
F. A. C. T.	
Amm. sulphate	495
Amm. phosphate	710
Superphosphate	312

Rourkela	
C. A. N.	385 for farmers and 406 for p plantation
Neyveli	
Urea	800

विलिंग्डन अस्पताल में ढ़ाई वर्ष की आयु के बालक का लापरवाही से उपचार

4635. **श्री सुदर्शनम्** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विलिंग्डन अस्पताल में ढ़ाई वर्ष की आयु के बालक का लापरवाही से किये गये उपचार के बारे में 16 अक्तूबर, 1968 को "टाइम्स आफ इण्डिया" और 17 अक्तूबर, 1968 को "पैट्रियट" में प्रकाशित हुए पत्र की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है और यदि हां, तो क्या उस पत्र में लिखी बातें सही हैं; और

(ग) यदि वे बातें सही हैं तो सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . प्रारम्भिक छान-बीन करने के पश्चात औपचारिक-जांच करने का आदेश दे दिया गया है। इस प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही से वांछित लक्ष्य के पूरा होने का अनुमान लगाया जाता है।

Alleged Irregularities in Kanpur Loop Factory

4636. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints of irregularities being committed in the Kanpur Loop Factory in Kanpur, Uttar Pradesh;

(b) whether it is a fact that on the 5th June, 1967, the then Additional Director of Industries had seized and taken away a number of its documents and files without preparing a list thereof;

(c) whether it is also a fact that in September, 1967 that factory was raided and a number of documents pertaining to that year were again seized;

(d) if so, whether Government have taken any action into the matter; and

(e) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr.S Chandrasekhar) : The IUCD Factory at Kanpur belongs to and is being run by the State Government of Uttar Pradesh and these matters fall within their jurisdiction. According to the information received from that Government, the position is as follows :—

(a) Yes.

(b) The Additional Director of Industries (Heavy Industries) visited the I.U.C.D. Factory in June, 1967 and collected three files from the Incharge of Factory under acknowledgment.

(c) In September, 1967 the factory was again visited by two Additional Directors of Industries and the Financial Controller of Industries and records connected with the enquiry were got locked and sealed in a wooden almirah in the presence of the Incharge, IUCD Factory.

(d) and (e) : On the basis of the report of the Financial Controller of Industries, the Incharge, IUCD Factory has been suspended pending detailed enquiry by the Vigilance Department.

Roads in Patna City

4637. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the condition of roads in Patna Town, the Capital of Bihar, is worst;

(b) whether it is also a fact that neither the State Government nor the Patna Municipal Corporation is undertaking the repairs of these roads;

(c) if so, whether Government have farmulated any scheme for their repairs;

(d) if so, the outlines thereof; and

(e) the amount sanctioned by Government therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) It is a fact that most of the roads in Patna City are in a state of disrepair. Many of these roads were damaged during the floods in 1967.

(b) It is not a fact,

(c) A scheme for repairs of important roads has been formulated.

(d) The scheme contemplates repairs of 58 important thoroughfares at a total cost of about Rs. 15 lakhs.

(e) A sum of Rs 2.32 lakhs has already been spent on the execution of this scheme upto the end of September, 1968. A further sum of Rs. 3 lakhs is expected to be made available to the Corporation for this purpose during the current financial year.

बरुआ बांध की बांई नहर

4638. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरुआ बांध की बांई नहर का मुहाना इसकी दांई नहर के मुहाने से 20 फुट ऊंचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने बिहार राज्य के इंजीनियरों को कोई हिदायत दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) दांई ओर, उपयुक्त ऊंचाई पर, 8 फुट व्यास की सुरंग के रूप में एक अनुपूरक निकासमार्ग के निर्माण के लिए सुझाव दिया गया था, ताकि जलाशय के स्तर के 380 फुट के नीचे चले जाने पर दांई नहर में पानी डाला जा सके ।

(ग) स्थल का एक भू-वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण हो चुका है और भूमिगत स्थितियों को निर्धारित करने के लिए अनुसंधान कार्य प्रगति कर रहे हैं । अनुसंधान सम्बन्धी इन कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात ही सुरंग का विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाएगा ।

किराया नियन्त्रक, दिल्ली की अदालत में अनिर्णीत मुकदमें

4639. श्री रामावतार शर्मा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किराया नियन्त्रक, दिल्ली की अदालत में डिग्रियों के निष्पादन के मुकदमें बड़ी भारी संख्या में अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 अक्तूबर, 1968 को इन मुकदमों की संख्या कितनी थी;

(ग) इन मुकदमों के निपटारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : जी, नहीं 1 अक्तूबर, 1967 तक किराया नियन्त्रक, दिल्ली की अदालतों में, 3,204 मुकदमें अनिर्णीत पड़े थे । 30 सितम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में, 6,160 नये मामले चलाए गए । 9,364 मामलों में से, 5,947 मामलों का 1 अक्तूबर, 1967 से 30 सितम्बर, 1968 के बीच निर्णय किया गया और इसी अवधि में 671 डिग्रियां निष्पादित हुई, तथा 1 अक्तूबर 1968 को 597 डिग्री के निष्पादन के मामले अनिर्णीत थे । इसमें से 175 स्थगित (स्टे) हुए पड़े हैं तथा केवल 131 मामले एक वर्ष से पुराने हैं । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि डिग्रियों के निष्पादन के मुकदमें बड़ी भारी संख्या में अनिर्णीत पड़े हैं ।

Flood Control Know-How

4640. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2059 on the 25th November, 1968 and state :

(a) whether the Department concerned was already in possession of the necessary know-how in regard to flood control;

(b) if so, the reasons for undertaking this tour; and

(c) if not, the reasons for not acquiring the necesary know-how in advance so that such a heavy loss to life and property could have been averted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) : The delegation visited the U. S. A. to make a detailed study and hold discussions with the top flood control engineers of that country on flood control measures, particulary with reference to dredging and back stablisation which have been done on a large scale in the U. S. A., but have not yet been undertaken in India. As such works require considerable investigations and studies and financial outlays, it was considered necessary to examine them closely to come to conclusions about the manner and the extent to which similar measures could be taken in India.

(c) Acquisition of technical know-how is a continuous process, as various measures are adopted in those countries which have made rapid studies in technological development and the methods adopted there could be studied with advantage in order to improve on our techniques.

Opening of Medical College in Bhagalpur Circle, Bihar

4641. Shri Gunanand Thakur : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether there is no Medical College in Bhagalpur Circle of Bihar;

(b) whether Government have received any recommendation from the State Government in this regard; and

(c) if so, the details thereof and the time by which Government propose to open a medical college there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : Yes.

(c) No details are available. The proposal of the State Government is to start the medical college in the Fourth Five Year Plan period as and when funds are available.

Government Hospitals Affected by Kosi Floods

4642. Shri Gunanand Thakur : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Government hospitals in the areas affected by recent floods in Kosi river and their present condition;

(b) whether it is a fact that there is only one hospital in a place called Kundeh, where the Government building has also been damaged by the floods and there are no beds there for the patients now and if so, the steps proposed to be taken to make improvements there;

(c) whether it is proposed to open Government hospitals in Bhavtiyahi, Marona and other place on the bank of Kosi for the facility of the flood affected people; and

(d) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri S. B. Murthy) : (a) Twelve Dispensaries and 17 Health-Sub-Centres were affected by the Kosi Floods. The repairs to the buildings are under consideration of the State Government.

(b) At Kundel there is only one Health Centre with provision for 6 beds. This has also been affected by the floods. This Health Centre is at present functioning in the house

of a local Mahant. The State Government have called for proposals from the local offices for necessary improvement.

(c) There is no such proposal as a Health Sub-centre is already functioning in Nirmali Block. In Marauna there is a Health Centre with a 6 bedded ward.

(d) Does not arise.

Sadar Hospital in District Saharsa, Bihar

4643. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the reasons for not appointing a lady doctor in the Sadar Hospital in District Saharsa (Bihar);

(b) the date by which arrangement would be made for a lady doctor there;

(c) whether it is a fact that there is no arrangement for electric fans in the said Hospital as a result of which patients have to face great inconvenience;

(d) if so, the reasons therefor and the time by which arrangements would be made for the electric fans there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : There is only one post of lady doctor in Saharsa Hospital and a lady doctor is working in that post.

(c) and (d) : Electric Fans could not be provided in the wards of the Saharsa Hospital due to financial stringency. Estimates for the installation have been called for.

Rehabilitation of Flood Affected People Settled on Embankment of Kosi River

4644. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the devastating floods on the river Kosi during this year have forced the people settled on both the sides of the embankments of the river to leave their homes and hearths;

(b) whether it is also a fact that these said people have not so far been given any compensation or financial assistance;

(c) if so, whether Government are considering any scheme on a national level to rehabilitate the said people; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The people living within the embankments had to be evacuated on account of floods in the river Kosi.

(b) No, Sir Under the rehabilitation scheme of the Kosi Project, people living within the embankments have been given facilities to rehabilitate themselves at selected rehabilitation sites outside the embankments and have also been paid house building grants;

(c) and (d) : A Rehabilitation Scheme already forms part of the Kosi Project for rehabilitation of those whose houses fell within embankments of the Kosi river.

Vasectomy Operations on Bachelors and Old Man in Khurja, Bulandshahr

4645. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in Hindustan daily of the 23rd October, 1968 to the effect that only bachelor youngmen and old people have been operated upon for vasectomy in a village near Khurja in Bulandshahr;

(b) whether it is a fact that the State Government have also received a complaint in this regard;

(c) whether it is also a fact that only bachelor youngmen and old people have been made victims of most of the vasectomy operations in other places also in Bulandshahr; and

(d) if so, the action taken against the officers concerned in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri S. Chandrasekhar) : (a) Yes

(b) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is available.

आई० एन० एफ० ए०, आई० एन० एफ० ए० पब्लिकेशन्स और दुर्गादास एसोसियेट्स का कर निर्धारण तथा कुछ फर्मों को विदेशी मुद्रा दिया जाना

4646. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1967 तक दुर्गादास (प्राइवेट) लिमिटेड और आई० एन० एफ० ए०, दुर्गादास एसोसियेट्स और आई० एन० एफ० ए० पब्लिकेशन्स जैसी फर्मों और निदेशकों की आय पर कितना-कितना कर लगाया गया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में विदेशी जन सम्पर्क तथा समाचार अभिकरणों के सहयोग के द्वारा इन कम्पनियों ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(ग) क्या विदेशों में यात्रा और व्यापार के लिए इन पार्टियों को कोई विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2718/68]

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

विदेशी राजनयिकों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिये भेजी जाने वाली राशि पर प्रतिबन्ध

4647. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री दामानी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी राजनयिकों द्वारा आयात किये गये शुल्क-मुक्त माल की कीमत की राशि को विदेश भेजने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या विशिष्ट प्रतिबन्ध लगाने का विचार किया गया है और इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होने की सम्भावना है;

(ग) क्या अन्य देशों में इस प्रकार प्रतिबन्ध पहले से ही लगे हुए हैं और यदि हां, तो किन-किन देशों में; और

(घ) सरकार को किन परिस्थितियों के कारण इस समय ये प्रतिबन्ध लगाने के लिये बाध्य होना पड़ा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (घ) : अब राजनयिक मिशनों को सीधे आयात के लिए भारत से बाहर धन भेजने की कोई सुविधा नहीं दी जाती । इस प्रकार के आयातों के लिए विदेशों से सीधी अदायगियां करनी पड़ती हैं । इसी तरह राजनयिक मिशन के सदस्य भारत के आबद्ध भंडारों मालगोदामों से खरीदे गये माल के लिए उन विशिष्ट खातों के नाम जारी किये गये रेखांकित चैकों के जरिये ही अदायगियां कर सकते हैं जो, इस प्रयोजन के लिए खास तौर से स्वीकृत किये गये हैं और जिनमें विदेशों से भेजी जाने वाली रकमें ही जमा की जाती हैं । जिन राजनयिक मिशनों ने भारत के साथ ऐसी विशेष व्यवस्था की हो जिससे उनके दूतावास का खर्च रुपयों में पूरा किया जा सके उन मिशनों को आबद्ध मालगोदामों को कुछ सीमा तक रुपयों में अदायगी करने की सुविधा प्राप्त है । भारत में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के व्यापार-प्रतिनिधि-कार्यालय को भी यह सुविधा दी गयी है ।

ये प्रतिबन्ध इसलिए लगाये गये हैं कि हमारे देश के साधनों पर इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के खर्च का भार न पड़े । विदेशी मुद्रा की बचत कितनी होती है इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी, हां । अल्जीरिया, बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, चीन, घना, लाओस, मोरक्को, नेपाल, उत्तर वियतनाम, पाकिस्तान, दक्षिण वियतनाम, तुर्की और संयुक्त अरब गणराज्य ।

कानपुर के उद्योगपति श्री राम रतन गुप्त से जीवन बीमा निगम के ऋण की वसूली

4648. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 में कानपुर के उद्योगपति श्री राम रतन गुप्त के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री की 14,17,158 रुपये की राशि तथा उस पर 1954 से 4 प्रतिशत के ब्याज की राशि को वसूल करने के लिये जीवन बीमा निगम ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह सच है कि श्री राम रतन गुप्त की सम्पदाओं की नीलामी करके, जिनकी पहले कुर्की की गई थी, डिग्री वाली राशि को वसूल करने के जीवन बीमा निगम के प्रयासों को आयकर विभाग ने निष्फल कर दिया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय के अनुसार ऋणी की निजी आय-कर की बकाया राशि, जीवन बीमा निगम द्वारा कुर्क कराई गई सम्पत्ति के मूल्य से कम है और इसको बेचने से प्राप्त होने वाली राशि जीवन बीमा निगम और आयकर विभाग के दावों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है, यदि जीवन बीमा निगम और आयकर विभाग एक दूसरे के मार्ग से बाधक नहीं बनते ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री रामरतन गुप्त के विरुद्ध डिग्री के निष्पादन के लिये निगम ने आवश्यक कार्यवाही की है तथा इस बारे में कई कार्यवाहियां न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(ख) जी नहीं। आयकर विभाग ने 13 अप्रैल, 1968 को एक याचिका दायर की थी जिसके जरिये उसने निगम को देय रकम के मुकाबले उसे देय रकम को प्राथमिकता देने का दावा किया था, परन्तु इस आधार पर निष्पादन की कार्यवाही स्थगित नहीं की गई है।

(ग) निगम के अनुमान के अनुसार उसके द्वारा पहले ही कुर्क की गई सम्पत्ति में निर्णीत ऋणी का हिस्सा लगभग 2,81,000 रु० है। इस अनुमान के आधार पर, उसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम निगम और आय-कर विभाग की देय रकमों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होगी।

सम्भरण तथा निपटान निदेशालय द्वारा लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर को दिये गये क्रियादेश

4649. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्भरण तथा निपटान निदेशालय ने लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कानपुर को अक्तूबर, 1967 से जब यह मिल एक वर्ष बन्द रहने के बाद पुनः खुली थी, कितने मूल्य के माल के लिये क्रयादेश दिये; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त मिल को सम्भरण तथा निपटान निदेशालय से क्रयादेश मिलते रहे हैं, यद्यपि वह प्रति वर्ष आयकर भुगतान प्रमाणपत्र, वार्षिक प्रतिवेदन, सन्तुलन पत्र और लाभ तथा हानि का वृत्त पिछले कई वर्षों से प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिसके बिना किसी भी फर्म का नाम स्वीकृत ठेकेदार के रूप में पंजीबद्ध नहीं हो सकता और उसे सम्भरण तथा निपटान निदेशालय से क्रयादेश नहीं मिल सकते ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) लगभग 159 लाख रुपये।

(ख) मैसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल, कानपुर सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय में 30 जून, 1967 तक पंजीबद्ध थी। उस मिल की पंजीयन के नवीकरण की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई थी, क्योंकि वह मिल आय-कर अदायगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर सकी। परन्तु

फिर भी, उसके गत संतोषजनक कार्य को देखते हुए और उपलब्ध सीमित क्षमता को तथा फर्म द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी दरों को दृष्टि में रखते हुए उस फर्म को उक्त (क) में उल्लिखित मूल्य के ठेके दिए गए थे।

औषधियों और भेषजों का उपलब्ध न होना

4650. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी भेषज और औषधियां जैसे (1) सल्फा डाय-मापैडीन टैबलैट्स (2) पोटाशियम साइट्रास (3) जैन्सियन बाओलेट (4) पी० ए० एस० (5) ग्लिसरीन (6) लिक्विड पैराफीन (7) टिन्चर बैंजोइन (8) पाउडर टैमेरिक एसिड (9) अमूनियम कार्ब (10) एक्रिफलैविन (11) विटामिन 'बी' कम्पलैक्स तथा अच्छी किस्म के विटामिन 'सी' भारत में कहीं भी यहां तक कि सरकारी तथा बड़े गैर-सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वित्त मन्त्रालय में उक्त भेषजों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा देने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) इन औषधियों के उपलब्ध न होने के कारण कितने रोगियों को कठिनाई हो रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। यह सच नहीं है। सल्फा डिमिडीन एक अन्यात की जाने वाली औषधि है और निर्माताओं को इसका आयात करने के लिए खुली छूट दी जाती है। पोटेशियम साइट्रेट देश में आयात किये गये साइट्रिक एसिड से तैयार किया जाता है। जनशियन वाओलेट एक ऐसी वस्तु है जिसके आयात की अनुमति दी जाती है। जहां तक पी० ए० एस० का संबंध है इस औषधि की कमी का अंदेशा था और सोडियम पी० ए० एस० का आयात एक मुश्त करने के लिए यथा समय कार्यवाही की गई थी। आयात की जाने वाली सामग्री में से कुछ आ चुकी है और पी० ए० एस० औषध-योगों के निर्माताओं को बांट दी गई है। ग्लेसिरिन एक देशी दवा है और यद्यपि गत वर्ष इसकी कुछ कमी बताई गई थी। बहुत दिनों से अब इस बारे में कोई शिकायत नहीं की गई है। लिक्विड पैराफीन भी आयातित क्रूड आयल से देश में ही तैयार की जाती है। निर्माताओं को क्रूड आयल यथा समय न मिलने के कारण कभी कभी इसकी कमी बताई जाती है। किन्तु हाल में इसकी कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। टिंकचर बेन्जाइन देश में ही तैयार किया जाता है। टैनिक एसिड (मेडिसिनल क्वालिटी) के आयात की अनुमति दी जाती है। अमोनियम कार्बोनेट देश में उपलब्ध होता है। एक्री फ्लैवाइन देश में तैयार नहीं किया जाता किन्तु इसके आयात को निर्बाध रूप से अनुमति दी जाती है। वैसे, प्रोफ्लैवाइन जोकि एक्री-फ्लैवाइन से उत्तम है, देश में तैयार किया जाता है। विटामिन 'बी' कम्प्लैक्स प्रीपरेशन तथा फार्मेकोपिएल क्वालिटी का विटामिन 'सी' का उत्पादन देश में ही हो रहा है और इनकी कोई कमी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । औषधि और फार्मेस्यूटिकल इण्डस्ट्री को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और इस इण्डस्ट्री को अपेक्षित समस्त आयातित कच्चा माल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Employees Working in Central Excise Office, Bombay

4651. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the employees working in the Central Excise Office, Bombay are deprived of the benefits available to them in accordnance with the Home Ministry's letter No. 71/88/58 C. S. (C) dated the 24th October, 1958, in case of their untimely death; and

(b) if not, the number of Scheduled Casts, Scheduled Tribes and non-Scheduled Castes employees of the said office who were given the said benefit from 1964 to July 1968 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) As a result of the introduction of self removal procedure on a number of excisable commodities with effect from 1.6.1968, a large number of executive staff have become surplus in the Central Excise Department. With a view to provide them with alternative jobs, direct recruitment appointments in the Central Excise Department even in relaxation of the normal Employment Exchange procedure have been stopped since 13.5.1968.

(b) The benefits under the said instructions are given in case of persons belonging to families in indigent circumstances. 10 cases (including 1 case in respect of a Scheduled Caste candidate) were sponsored by the Collector of Central Excise, Bombay during the period in question. The Government considered these cases on merits and allowed the benefit of the concession in case of six persons and refused it in case of four persons (including one Scheduled Caste candidate).

फिल्मों सम्बन्धी लोगों द्वारा आय का छिपाया जाना

4652. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (1) श्री बी० के० आदर्श (2) नौशाद (3) मैसर्स नासिर हुसैन फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में आय छिपाने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो आय के छिपाने का पता कब चला है और प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री बी० के० आदर्श के मामले में आय के छिपाने का पता चला है । अन्य दो मामलों में जांच पड़ताल अभी भी चल रही है ।

(ख) श्री बी० के० आदर्श के मामले में जिस आय के छिपाने का पता चला है, उसका सम्बन्ध कर-निर्धारण वर्ष 1957-58 से 1961-62 और 1963-64 से था । कर-निर्धारण

से बच निकली आय पर कर लगाने के बाद ये कर-निर्धारण पूरे किये जा चुके हैं। आय छिपाने और करों की अदायगी में चूक करने के लिए दण्ड भी लगाये जा चुके हैं।

पी० एल० 480 निधियां

4653. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत बिक्री के धन में से अब तक कितना धन भारत में व्यय किया गया है; और

(ख) अब तक कितनी राशि विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की गयी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। 1956 से 30 सितम्बर, 1968 तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत के हाथ कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के बेचे जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के नाम रुपया निधि में (जिसे पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि कहा जाता है) कुल 2083.26 करोड़ रुपया जमा हुआ। इस रकम में से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1956 से 30 सितम्बर, 1968 तक निम्नलिखित खर्च किया है :—

	(करोड़ रुपयों में)
(क) भारत सरकार को ऋण :	1128.85
(ख) भारत सरकार को अनुदान :	339.90
(ग) भारत में चलाये जा रहे भारत अमेरिका के संयुक्त उद्यमों को भारत सरकार के परामर्श से कुल ऋण :	68.64
(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका का खर्च :	170.82
जोड़	1708.21

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के, ऊपर (घ) में बताये गये 170.82 करोड़ रुपये के खर्च में विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की गयी कुछ रकमें शामिल हैं, जो इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
कृषि बाजार विकास के लिए :	5.67
शिक्षार्थियों के आदान-प्रदान के कार्य-क्रम के लिए :	7.17
अमरीकी पर्यटकों के हाथ बिक्री के लिए :	0.13
अमरीकी नागरिकों और संयुक्त राज्य अमेरिका की निधियों के हाथ बिक्री के लिए :	4.36
जोड़	17.33

Recovery of Contraband Gold

4654. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police has recovered a large quantity of contraband gold by conducting raids in August and September, 1968 in the various parts of the country;

(b) if so, the quantity of gold recovered; and

(c) the action taken against the persons found guilty ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) During August and September, 1968 approximately 445 Kgs. of gold were recovered in the raids conducted by the Police at Bombay. In all 24 persons have so far been arrested in this connection. Further investigations are in progress. In one case of seizure of about 0.35 Kg. of gold from a person in one of the above raids, the gold has been confiscated to Government and a penalty of Rs. 150/- each under the Customs Act, 1962 and the Gold Control Rules has been imposed on the person. The question of launching prosecution against this person is under examination.

फिल्मी सम्बन्धी लोगों द्वारा आयकर का भुगतान

4655. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में निम्नलिखित कर-दाताओं ने कितनी आय की घोषणा की और सरकार ने कितनी वास्तविक आय पर कर लगाया :- (1) श्री विजय भट्ट (2) श्री शंकर भट्ट (3) श्री नासिर खां (4) श्री ज० बी० एच० वाडिया (5) श्री सोहराब मोदी (6) श्री एस० मुकर्जी (7) श्री सदाशिव जे० राव कवि (8) श्री नासिर हुसैन (9) श्री एच० एस० रवेल (10) श्री ए० ए० नाडियाडवाला (11) श्री जे० ओम प्रकाश (12) श्री आई० एस० जौहर; और

(ख) क्या उक्त व्यक्ति इस अवधि में कर अपवंचन करते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

सिंचित भूमि

4656. **श्री स० कुण्डू** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के अन्त में विभिन्न राज्यों में सिंचाई वाली कुल कितनी भूमि थी और यह भूमि प्रत्येक राज्य में खेती के योग्य और खेती के अयोग्य भूमि के कितने प्रतिशत है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजनाओं पर अब तक कितनी राशि व्यय की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2719/68]**

(ख) बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 1967–68 के अन्त तक कुल लगभग 1600 करोड़ रुपये व्यय हुए है।

बैंकों की आय

4657. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने युनाइटेड बैंक के अध्यक्ष के इस आशय के वक्तव्य की जांच की है कि बैंकों की सकल आय में से 91.4 प्रतिशत राशि कर्मचारियों पर खर्च हो जाती है। 4.4 प्रतिशत अंशधारियों को दे दी जाती है और 1.2 प्रतिशत सुरक्षित निधि में डाली जाती है;

(ख) ब्रिटेन, अमरीका और जापान में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) यदि ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो क्या सरकार का विचार ये आंकड़े प्राप्त करने का है जो जनता और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण रखने के लिये अत्यन्त आवश्यक है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रश्न से यह बात साफ नहीं है कि उपर्युक्त वक्तव्य कब और कहां दिया गया था। रिजर्व बैंक के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 1966 में अपनी कुल आमदनी का 32.8 प्रतिशत भाग प्रतिष्ठान व्यय और कर्मचारियों को बोनस। उपदान देने पर खर्च किया, 1.5 प्रतिशत भाग प्रारक्षित निधि या अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए निर्धारित किया और 1.8 प्रतिशत भाग शेयर होल्डरों को लाभांश के रूप में बांट दिया।

(ख) और (ग) : संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रारक्षण व्यवस्था (फेडरल रिजर्व सिस्टम) के सदस्य बैंकों ने 1966 में अपनी कुल आमदनी का 23.6 प्रतिशत भाग कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी और उन्हें दी जाने वाली अन्य सुविधाओं पर खर्च किया, 6.6 प्रतिशत भाग अपने पास रख लिया, तथा 7.1 प्रतिशत भाग शेयर-होल्डरों को लाभांश के रूप में बांट दिया। ब्रिटेन और जापान के सम्बन्ध में यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है परन्तु इसे इकट्ठा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रस्तावित बैंकिंग जांच आयोग वाणिज्यिक बैंकों के खर्च के सम्बन्ध में जांच करेगा।

भारत के स्टेट बैंक के प्रबन्ध व्यय में कमी

4658. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या भारत के स्टेट बैंक के प्रबन्ध व्यय को घटाया जा सकता है ताकि ऋणों पर ब्याज की दर को कम किया जा सके और जमा राशियों पर ब्याज दर को बढ़ाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : स्टेट बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की तुलना गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से की जा सकती है। बैंक के विभिन्न स्तरों के प्रबन्ध-अधिकारी समय-समय पर बैंक के संचालन-व्यय की जांच करते हैं। सामान्य रूप से, बैंक की ऋण देने की दरें प्रतियोगितात्मक हैं, परन्तु कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योगों जैसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले बैंक के अग्रिमों पर कम दरों से ब्याज लिया जाता है। जहां तक जमा रकमों का सम्बन्ध है, सभी वाणिज्यिक बैंकों की दरें मानकित हैं।

पश्चिम बंगाल के पी० डब्लू० डी० निर्माण बोर्ड में धोखाधड़ी

4659. श्री स० चं० सामन्त : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के महालेखाकार कार्यालय ने केन्द्रीय जांच विभाग तथा राज्य प्रवर्तन निदेशालय को सूचना दी कि पश्चिम बंगाल का पी० डब्ल्यू० डी० निर्माण बोर्ड धोखाधड़ी कर रहा है और फर्जी दस्तावेज दिखाने वाले धोखेबाजों को नकद धनराशि दे रहा है;

(ख) क्या आपराधिक जांच ऐजेंसियों द्वारा कथित आरोपों की जांच की गई है; और

(ग) सम्बद्ध जिम्मेवार इंजीनियरों द्वारा वास्तविक पार्टियों को जमानत राशि न देकर धोखेबाजों को इसका भुगतान किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल विकास निगम

4660. श्री स० चं० सामन्त : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल विकास निगम का परिसमापन हो गया है;

(ख) इस निकाय के उद्देश्य क्या थे और इसके परिसमापन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निकाय का सौंपे गये स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी इंजीनियरी कार्यक्रम पूरे हो गये हैं;

(घ) क्या 31 अक्तूबर, 1968 को कर्मचारियों और ठेकेदारों के प्रति इस परिसमाप्त निकाय के दायित्वों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार को सरकारी परिसमापक के काम और विभिन्न पक्षों को भुगतान में विलम्ब सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल विकास निगम पश्चिम बंगाल विकास निगम अधिनियम, 1954 के अधीन स्थापित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार को ऐसे विशेष कार्यों और खासकर निम्नलिखित कार्यों के बारे में विकास योजनाएं चलाने के लिए निगम को अधिकार देने की शक्ति प्राप्त है।

(1) उप-नगर बसाने अथवा गृह निर्माण योजनाएं चलाने के लिये अथवा कृषि केलिए भूमि का पुनर्ग्रहण और सुधार।

(2) जलपूर्ति।

(3) नालियां और सिंचाई।

(4) मल का निपटान और सिवेज गैस का निर्माण।

(5) मत्स्यपालन।

(6) डेरी फार्म।

(7) मुर्गी पालन और पशु पालन।

(8) नमक निर्माण।

इस निगम को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करते समय यह विचारा गया था कि यह निगम ऐसी योजनाएं चलायेगा जो बाद में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायेगी और शेयर जारी करके तथा बाजार से ऋण लेकर धन एकत्र कर लेगा ताकि इस निगम को सौंपी गई योजनाओं और इसकी स्थापना का खर्च राज-कोष के ऊपर बोझ न बने। यह योजना बिल्कुल नहीं चली। निगम पूर्णतः सरकार द्वारा समय-समय पर अग्रिम रूप में दिये गये धन पर ही निर्भर करता रहा और इसे सौंपी गई योजनाओं की क्रियान्विति के मामले में वस्तुतः सरकारी एजेन्सी के रूप में ही कार्य करता रहा। निगम के प्रशासनिक और इंजीनियरी स्थापना का खर्च निगम के काम की मात्रा को देखते हुए कहीं अधिक आ रहा था। चूंकि इस निगम में जितना काम था वह सरकार के अन्य इंजीनियरी निदेशालयों द्वारा आसानी से किया जा सकता था। इसलिए पश्चिम बंगाल विकास निगम को 1-4-66 को तोड़ दिया गया।

(ग) निगम को सौंपी गई चार म्युनिसिपल जल पूर्ति योजनाओं में से तीन जलपूर्ति योजनाएं नामतः (1) दमदम जल पूर्ति योजना (2) उत्तरी दमदम जलपूर्ति योजना और

(3) हुगली-चिनसुरा म्युनिसिपल जलपूर्ति योजना, उक्त निगम ने पूरी कर ली थीं और उन्हें सम्बन्धित म्यूनिसिपल अधिकारियों को सौंप दिया था। शेष म्युनिसिपल जलपूर्ति योजना अर्थात् दक्षिण दमदम म्युनिसिपल जलपूर्ति योजना के काम का प्रमुख भाग भी उक्त निगम ने पूरा कर लिया था।

(घ) जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है 31-10-1968 की स्थिति के अनुसार कुछ छोटे-मोटे टी० ए० बिलों के अतिरिक्त उक्त निगम के जिम्मे कोई देय हिसाब नहीं था। ठेकेदारों को दी जाने वाली बकाया देय राशि लगभग 1,25,000 रुपये थीं।

(ङ) लिक्विडेटर पश्चिम बंगाल विकास निगम के कार्यालय के कार्य संचालन के बारे में राज्य सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली। पैसे के भुगतान के बारे में विलम्ब की कुछ शिकायतें जरूर मिली थीं और इनका कारण यह था कि इन योजनाओं पर स्वीकृत प्राक्कलनों से अधिक खर्च हो जाने के कारण ठेकेदारों के कुछ बिलों के भुगतान में विलम्ब हो गया था और संशोधित प्राक्कलनों के स्वीकृत होने से पहले इन्हें भुगतान नहीं हो सका था।

जी० ई० सी० आफ़ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड

4661. **श्री के० रमानी :**
श्री प० गोपालन :
श्री भगवान दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को एक भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने में सहायता के लिये सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं में कई ढीलें देने का आश्वासन दिया हैं; और

(ख) जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को क्या विशेष रियायतें दी जा रही हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, समवाय अधिनियम के अधीन निगमित एक भारतीय प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी थी। समवाय अधिनियम की धारा 44 के अनुसार कोई भी भारतीय प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी निम्नलिखित उन अनुच्छेदों को हटा कर अपने आपको एक भारतीय लिमिटेड कम्पनी में बदल सकती है जिनके कारण।

(i) कम्पनी के शेयरों के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध हो;

(ii) कम्पनी के सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित रखी जाती हो; और

(iii) कम्पनी की पूंजी में जनता द्वारा रुपया लगाया जाना निषिद्ध हो।

इस तरह ऐसे परिवर्तन के लिए सरकार से किसी प्रकार की विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को 12 सितम्बर, 1968 को एक भारतीय पब्लिक कम्पनी में बदल दिया गया था।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड

4662. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री नम्बियार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड के निदेशकों को भेजे गये दिनांक 16 मई, 1968 के एक औपचारिक परिपत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा इस समय किया जा रहा कुछ वस्तुओं का व्यापार जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या जी० ई० सी० का यह परिषद् रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, के नियमों की धारा 18ए का उल्लंघन करता है; और

(ग) यदि हां, तो जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रश्न में जिस परिपत्र का उल्लेख किया गया है सरकार को उसकी जानकारी नहीं है। जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, जो अब एक भारतीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बना दी गयी है, जी० ई० सी० लिमिटेड, लन्दन की ऐसी सहायक कम्पनी है जिस पर उसका पूर्ण स्वामित्व है। ए० ई० आई० लिमिटेड एक भारतीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसके $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत सामान्य शेयर ए० ई० आई० लिमिटेड, लन्दन के पास है। जी० ई० सी० आफ इण्डिया लिमिटेड ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने समवाय अधिनियम की धारा 391 के अनुसार ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड को अपने साथ मिलाने की अनुमति मांगी है। यदि मिलने वाली किसी कम्पनी की अभिकरण-व्यवस्था (एजेन्सी मैनेजमेण्ट) दूसरी कम्पनी को सौंपी जानी हो, तो उसके लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 18–क के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। चूंकि इन दोनों कम्पनियों के मिल जाने से बनने वाली नयी कम्पनी पर विदेशी नियन्त्रण रहेगा, इसलिए नयी कम्पनी को इन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी की एजेन्सी को अपने अधिकार में लेने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 18–क के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मंत्रालय में अधिकारियों का वेतन

4663. श्री अब्दुल गनी दार : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले आठ वर्षों में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अपनी नियुक्ति के समय से दुगुना अथवा इससे अधिक वेतन ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक अधिकारी के मामले में उनके वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

अधिकारी का नाम	वर्ष 1960 में वेतन	वृद्धि की मात्रा	वृद्धि के कारण
	रुपये	रुपये	
1. श्री पी. डी. खन्ना आशुलिपिक	113	172	वे (क्रमसंख्या 1–4) शुरु में लोअर डिवीजन क्लर्कस ग्रेड
2. श्री के० एल० चोपड़ा आशुलिपिक	113	137	में नियुक्त किये गये थे लेकिन बाद में उन्होंने संघ लोक
3. श्री राम सहजवानी आशुलिपिक	119	121	सेवा आयोग की परीक्षा में अर्हता प्राप्त की और
4. श्री डी० वी० तलवार आशुलिपिक	119	121	वे स्टैनोग्राफर के उच्च ग्रेड में नियुक्त किये गये।
5. श्री बी० आर० अग्रवाल यू. डी. सी. स्टैनो-टाइपिस्ट	117	137	वह सामान्य पद्धति में निम्न ग्रेड से उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया गया है।
6. श्री वी० डी० शर्मा हिन्दी आशुलिपिक	110	120	श्री शर्मा के, भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन मंत्री के निजी स्टाफ में एक पद के लिए चुने जाने पर, वेतन में वृद्धि हुई है। वृद्धि पहले और नये पदों के वेतन में भिन्नता को निर्दिष्ट करती है।

Electric Motors for Tube Wells in Delhi

4664

4663. **Shri Shardha Nand :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of tube-wells in the Centrally-Administered Area of Delhi from where electric motors have been stolen since the 1st January, 1968 till date;

(b) the number of electric motors recovered so far; and

(c) the number of applications received by Government from the residents of this area for installation of tube-wells and the number of motors supplied by Government for this purpose and the reasons for which electrice motors were not supplied in the remaining cases ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) 23 cases were reported to the police.

(b) One.

(c) The total number of applications for energisation of tubewells received by the Delhi Electric Supply Undertaking up to 9th November, 1968, was 3689. 755 applications were cancelled on account of the applicants not depositing service line charges or test reports. 2584 tubewells were energised. Out of the remaining 350 applications pending, 130 cases are under execution, in 15 cases security charges are awaited, 87 cases are under estimation, in 83 cases service line charges are awaited from the consumers and 35 cases are under examination.

सर्वप्रिय सहकारी गृह-निर्माण समिति

4665. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबंटित की गई भूमि, जिस में कि सरकारी कर्मचारी सर्वोदय गृह-निर्माण सहकारी समिति से सर्वप्रिय सहकारी गृह-निर्माण समिति दिल्ली को हस्तान्तरित भूमि भी है, के नक्शे/सेवाओं को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं और इस समय मामले की स्थिति क्या है;

(ग) सरकार क्या उपाय कर रही है या करने पर विचार कर रही है ताकि समिति भूमि के विकास तथा तत्पश्चात समिति के सदस्यों को आवंटन में अनावश्यक विलम्ब न करें; और

(च) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो समिति से सदस्यों को कब तक भूमि के आवंटन की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) सोसाइटी ने इसका नक्शा पहली बार 16 फरवरी, 1968 को भेजा था । इसका निरीक्षण करने से नाले के रूख, एक सड़क की चौड़ाई आदि के बारे में इसमें त्रुटियां पायीं

गई और सोसाइटी से उन्हें दूर करने के लिए कहा गया। दिल्ली विकास प्राधिकार को संशोधित नक्शा 29 अगस्त, 1968 को प्राप्त हुआ। इस नक्शे पर विचार किया जा रहा है।

(ग) सोसाइटी को विकास का कार्य समझौते की क्रियान्वयन तिथि (अर्थात 5-9-66) तीन वर्षों के भीतर पूर्ण करना है। यह तीन वर्षों की अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सर्वप्रिय सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली

4666. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वप्रिय सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पदनाम तथा पते क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों में समिति की कितनी साधारण बैठकें हुई और अन्तिम बैठक कब हुई थी;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों की सर्वोदय सहकारी गृह-निर्माण समिति से स्थानान्तरित सदस्यों को उन बैठकों में निमंत्रित किया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सर्वोदय सहकारी गृह-निर्माण समिति के गठन के नियमों तथा विनियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क)

नाम तथा पता	पद
1. श्री जगदीश कुदेसिया, सी-61, इर्विन रोड, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. श्री उत्तम सिंह अरोरा, बी-45, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली।	सचिव
3. श्री बी० आर० अग्रवाल, 725, लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली।	कोषाध्यक्ष
4. श्री महाराज कुमार कपूर, 15, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली।	सदस्य
5. श्री भागमल, टण्डन फर्निसिंग हाउस मुस्तानी ढांडा, पहार गंज, नई दिल्ली।	सदस्य
6. श्री किशन चन्द नारंग, कटरा सुभाष, चांदनी चौक, दिल्ली।	सदस्य

(ख) पिछले दो वर्षों में कोई बैठक नहीं हुई । अन्तिम बैठक 9 मई, 1965 को हुई थी।

(ग) उपर्युक्त (ख) को दृष्टि में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इसकी प्रति सीधे रजिस्ट्रार, सहकारिता समिति विभाग, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त की जा सकती है ।

सर्वप्रिय गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली

4667. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से सर्वप्रिय गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली की साधारण सभा की कोई बैठक नहीं हुई है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) समिति के उपनियमों के अन्तर्गत साधारण सभा की बैठक के लिये समय सीमा क्या है;

(ग) क्या सभी सदस्यों को शेयर पत्र जारी किये गये जा चुके हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रतीक्षा सूची के सदस्यों की क्या स्थिति है और क्या शेयर की राशि का भुगतान करने पर वे सदस्य बन गये हैं;

(ङ) सरकार के साथ किये गये समझौते के अनुसार, विकास कार्य के पूरे हो जाने के बाद विकसित प्लाटों के आवंटन की प्रक्रिया क्या है; और

(च) सर्वप्रिय गृह निर्माण सहकारी समिति और सरकारी कर्मचारी सर्वोदय सहकारी गृह-निर्माण समितियों की और उनके सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता क्या होगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 9 मई, 1965 के बाद साधारण सभा की कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि प्रबन्धक समिति ने इसे बुलाया ही नहीं है ।

(ख) अपने उप-नियमों के अनुसार सोसाइटी को वर्ष भर का हिसाब किताब करने के लिए निर्धारित की गई तिथि से तीन महीने के भीतर प्रतिवर्ष अपनी साधारण सभा की बैठक बुलानी होती है ।

(ग) सभी सदस्यों से कह दिया गया था कि वे अपने-अपने शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी के कार्यालय से ले लें । सोसाइटी ने इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी कर दिया था ।

(घ) सोसाइटी की नियमित सूची में अंकित सदस्यों की व्यवस्था हो जाने के पश्चात ही प्रतीक्षा सूची के सदस्यों को प्लाट आवंटित करने के बारे में विचार किया जायेगा । अलाट-मेण्ट के लिए केवल उन्हीं सदस्यों के बारे में विचार किया जाता है जिन्होंने शेयर राशि का भुगतान कर दिया है और जिन पर कुछ बकाया नहीं है ।

(ङ) सोसाइटी के अलग-अलग सदस्यों को प्लाटों का अलाटमेण्ट सदस्यों तथा दिल्ली प्रशासन के सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पर्ची डाल कर किया जायेगा। सदस्यों को भूमि का नियतन नाम दर्ज कराने की तिथि के अनुसार ही किया जायेगा।

(च) इन दोनों समितियों द्वारा किये गये समझौते के मुताबिक प्रत्येक समिति को भूमि का नियतन पृथक पृथक किया जायेगा। इसलिए इन दो समितियों के सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता का प्रश्न नहीं उठता।

साराभाई मर्क ग्राफ बड़ौदा द्वारा विटामिन 'सी' का उत्पादन

4668. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 से साराभाई मर्क लिमिटेड का विटामिन 'सी' के उत्पादन का एकाधिकार है क्योंकि अन्य निर्माताओं को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और 1966 से अन्य देशों से विटामिन 'सी' का आयात बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि आयातित विटामिन 'सी' की लागत केवल 25 रुपये से 29 रुपये प्रति किलोग्राम है परन्तु साराभाई का विटामिन 'सी' 73.50 रुपये से 79.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा जाता है;

(ग) साराभाई मर्क को इस महत्वपूर्ण वस्तु पर इतना अधिक लाभ दिलाने के क्या कारण हैं; और

(घ) 1962 से विटामिन सी' के निर्माण के लाइसेंस के लिये कितने आवेदन अस्वीकार किये गये उन आवेदकों के नाम क्या हैं तथा अस्वीकृति के क्या कारण है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं। मैसर्स हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पूना को भी विटामिन 'सी' के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है। लेकिन इस समय केवल मैसर्स साराभाई मर्क ही विटामिन 'सी' का उत्पादन करते हैं।

(ख) और (ग) : जी हां। किन्तु आयातित विटामिन 'सी' के मूल्य और स्वदेश में निर्मित विटामिन 'सी' के मूल्य, जो कच्चे माल की लागत, सन्यन्त्र के आकार और मूल अवस्था से निर्माण की पूंजीगत लागत इत्यादि विभिन्न तकनीकी-आर्थिक तत्वों पर आधारित है, में साधारण रूप से तुलना करना ठीक नहीं है। टैरिफ आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर अन्य अत्यावश्यक भेषजों के साथ इस समय विटामिन 'सी' के मूल्य का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

(घ) 1962 से विटामिन 'सी' के निर्माण के लिये पांच आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये। इसका मुख्य कारण यह है कि साराभाई और हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स के लिये लाइसेंस की गई क्षमता देश में मांगों के अनुमोदित लक्ष्य को पूरा करने में पर्याप्त होगी। प्रत्येक मामले के अन्य कारण निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	प्रार्थी का नाम	अस्वीकृति का कारण
1.	मैसर्स अनिल स्टार्च प्रोडक्टस अहमदाबाद	और क्षमता की स्थापना के लिये कोई गुंजाइश नहीं।
2.	मैसर्स फाइजर लि०, बम्बई	फर्म को उत्पादन की लागत पेश करने के लिये कहा गया था और क्योंकि वह पेश नहीं की गई, मामले पर कार्यवाही बन्द कर दी थी।
3.	मैसर्स अतुल प्रोडक्टस लि०, अतुल	(1) और क्षमता की स्थापना के लिये कोई गुंजाइश नहीं। (2) प्रस्ताव में विदेशी सहयोग शामिल था। (3) स्कीम में उपकरण और कच्चे माल की आयात के लिये विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में खर्च शामिल था।
4.	मैसर्स टेपिओका प्रोडक्टस, अहमदाबाद	(1) प्रस्ताव में विदेशी सहयोग शामिल था। (2) स्कीम में उपकरण की आयात के लिये विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा का खर्च शामिल था। (3) और क्षमता की स्थापना की कोई शीघ्र आवश्यकता नहीं है।
5.	मैसर्स कनक कैमिकल इंडस्ट्रीज कलकत्ता।	(1) और क्षमता की स्थापना की कोई शीघ्र आवश्यकता नहीं है। (2) प्रस्ताव में उपकरण की आयात के लिये विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा का खर्च शामिल था।

रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन करने के लिये तरल अमोनिया नेफ्था और कोयले के गुण

4669. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त अनुसंधान तथा विकास समिति ने रसायनिक उर्वरकों के बनाने के लिये तरल अमोनिया, नेपथा, भारी पैट्रोलियम तथा कोयले के गुणों की कच्चे माल के विकल्प के रूप में तुलनात्मक जांच का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा उत्पादित अमोनियम क्लोराइड की बिक्री के लिये एजेन्सी का नवीकरण

4670. श्री पी० विश्वम्भरन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लिमिटेड द्वारा उत्पादित अमोनियम क्लोराइड की बिक्री के लिये इम्पीरियल कैमिकल्स इंडस्ट्रीज को दी गई एकमात्र ऐजेन्सी का नवीकरण 1965 में किया गया था;

(ख) 1964–65 और 1965-66 में इम्पीरियल कैमिकल्स इंडस्ट्री ने कितनी मात्रा में अमोनियम क्लोराइड की बिक्री की;

(ग) 1964-65 और 1965-66 में इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्री को कमीशन के रूप में कितनी राशि दी गयी; और

(घ) क्या 1965 में कमीशन की दर बढ़ायी गयी थी, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं । तथापि 31.12.1965 को समाप्त हुये एजेन्सी के करार को, वितरण के वैकल्पिक प्रबन्धों के निलम्बित रहने तक, 31.9.1966 तक जारी रहने की अनुमति दी गई थी ।

	वर्ष	कुल (मीटरी टन)
(ख)	1964-65	4705.550
	1965-66	4077.525
(ग)	1964-65	1,26,196,80 रुपये
	1965-66	1;61,778.30 रुपये

(घ) एजेन्ट द्वारा अतिरिक्त उत्तरदायित्व संभालने के लिये कमीशन की दर बढ़ायी गई थी ।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर के उत्पादकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये ठेका

4671. श्री विश्वम्भरन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर के उत्पादकों को एक गोदाम से दूसरे गोदाम और गोदाम से रेलवे स्टेशन तक लाने ले जाने के लिये ठेके दिये जाने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने मामलों में ठेके बिना टेन्डर मांगे बातचीत द्वारा दिये गये; और

(ग) बातचीत द्वारा इन ठेकों को दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता, कोचीन

4672. श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :

क्या वित्त मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता, कोचीन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता आयोग ने विशेष पुलिस संस्थान की जांच रिपोर्ट पर विचार कर लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है और विलम्ब का क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । पता चला है कि विशेष पुलिस विभाग की जांच रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

कालटेक्स द्वारा दक्षिण वियतनाम को एस्फाल्ट का निर्यात

4673. श्री के० एम० अब्राहम :
श्री नम्बियार :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कारणों को मालूम किया है कि कालटैक्स ने 5000 टन एसफाल्ट दक्षिण वियतनाम को भेजने के बारे में उत्तर क्यों नहीं दिया; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या कारण बताये हैं और वे कब तक उत्तर देंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : मैसर्स कालटैक्स (इण्डिया) लि. ने सूचित किया है कि वे दक्षिण वियतनाम को एस्फाल्ट निर्यात करने के प्रस्ताव का अनुसरण नहीं कर रहे हैं :

मिठापुर स्थित टाटा फर्टिलाइजर प्लांट

4674. श्री प० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री के० रमानी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिठापुर में फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिये टाटा ने किन सुझावों को स्वीकार किया है;

(ख) किन-किन विषयों पर अभी विचार हो रहा है; और

(ग) यदि विचार पूरा हो चुका है तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम, और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) से (ग) : मामला अभी विचाराधीन हैं और इस समय ब्यौरों का बताना जनहित में नहीं है।

मन्नम शूगर मिल्स कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर को देय राशि

4675. श्री ए० श्रीधरन् : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मन्नम शूगर मिल्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड संख्या 4334 मंडलम द्वारा फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड का देय राशि के बारे में वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 के लिये फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड के लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदन में उल्लिखित टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस चीनी मिल से बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) मन्नम शूगर मिल्स ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड को अभी कुल कितना पैसा देना है ;

(घ) क्या यह सच है कि मन्नम शूगर मिल्स के भूतपूर्व महा-प्रबन्धक श्री पी० सदाशिवन पिल्ले को इस बीच फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड में प्रादेशिक विधि अधिकारी नियुक्त किया गया है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना इकटठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने द्वारा दरों में वृद्धि

4676. श्री बसुमतारी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने द्वारा दरों में की गई वृद्धि के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) सिन्दरी स्थित उर्वरक कारखाने ने समय-समय पर कारखाने-पर मूल्यों का पुनरीक्षण किया ताकि उन्हें निम्नलिखित उर्वरक पल मूल्यों के अनुरुप रखा जा सके:—

	उपभोक्ता मूल्य (रुपये/एम०टी०)	
	1.4.67 को पुनरीक्षित	1.4.68 को पुनरीक्षित
अमोनियम सल्फेट	492.00	502.00
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	577.00	577.00
यूरिया	840.00	860.00

उर्वरक पूल द्वारा निर्धारित अन्तिम उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि निम्न प्रकार है :—

	वृद्धि (रुपये/एम० टी०)	
	1.4.67 को वृद्धि	1.4.68 को वृद्धि
अमोनियम सल्फेट	87.00	10.00
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	62.00	—
यूरिया	160.00	20.00

सोडियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क

4677. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3746 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण है कि चिली से रैलिस इन्डिया लिमिटेड के माध्यम से, जिसके पास सोडियम नाइट्रेट की अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी है, मंगाने के बजाये, उसका रुपये में भुगतान करने वाले देशों से बहुत अधिक दामों पर आयात किया जाता है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : जी हां। यह कहना ठीक नहीं है कि सोडियम नाइट्रेट पर हाल ही में पहली बार 60% यथा मूल्य सीमा शुल्क लगाया गया है। जब सोडा का नाइट्रेट खाद के प्रयोग के लिए आयात करना बताया जाता है, तो यह इण्डियन कस्टम टैरिफ के 35(1) मद में निर्दिष्ट है, जो एक निशुल्क पदार्थ है। सोडा का नाइट्रेट, जो इण्डियन कस्टम टैरिफ के 35 (1) मद के अन्तर्गत नहीं है, इण्डियन कस्टम टैरिफ के 28 मद के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, जिस मद का 'तमाम किस्म के केमीकल्स, भेषज और औषध से सम्बन्ध है, जो अन्य प्रकार से निर्दिष्ट नही है"। इस पदार्थ के लिए निर्धारित शुल्क की सांविधिक दर यथा मूल्य 60% (स्टैंड) / 50% यथा मूल्य (प्रैफ) है। परन्तु इण्डियन कस्टम टैरिफ के मद 28 के अन्तर्गत पदार्थों पर लागू शुल्क की प्रभावकारी दर 1-3-1968 से पहले एक अधिसूचना के अनुसार 50% यथा मूल्य (स्टैंड)। 40% यथा मूल्य (प्रैफ) निर्धारित की गई थी। 1-3-1968 से शुल्क की प्रभावकारी दर सांविधिक दर के बराबर लायी गई है। शुल्क का यह पुनरीक्षण बजट प्रस्ताव, 1968 का एक भाग है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

बर्मा शैल द्वारा बम्बई में उर्वरक कारखाना की स्थापना

4678. **श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3364 के **उत्तर के सम्बन्ध** में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक **कारखाने के स्थापित** किये जाने के सम्बन्ध में बर्मा शैल द्वारा प्रस्तुत की गई योजना की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख)। प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन

4679. श्री जुगल मंडल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3747 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन करने के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1967-68 में कागज उद्योग के लिये काफी भारी मात्रा में सोडियम सल्फेट का आयात किया गया था ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : जी हां । अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

भारतीय उर्वरक निगम सोडियम नाइट्रेट का स्वदेशी रुप में निर्माण कर सकता है । जहां तक सोडियम नाइट्रेट के आयातित मूल्यों से समता का सम्बन्ध है, भारतीय उर्वरक निगम सोडियम नाइट्रेट को मितव्ययता वाय-एबल आधार पर बेचने के लिए समर्थ होगा यदि, उत्पादन शुल्क को शामिल करते हुए, आयातित सोडियम नाइट्रेट के गोदाम पर मूल्य को ध्यान में रखा जाये ।

नाइट्रेट अम्ल के उत्पादन की लागत 100% सान्द्रित अम्ल के आधार पर आकित की जाती है । वर्ष 1966-67 और 1967-68 में अमोनिया के औसत विक्रय मूल्य पर आधारित 100% नाइट्रेट अम्ल के उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार है :—

1966-67	1967-68
(रुपये । टन)	(रुपये । टन)
719.62	542.03

संश्लेषी नाइट्रेट अम्ल का कारखाने पर विक्रय मूल्य निम्न प्रकार था :—

वर्ष	रुपये । टन	अम्ल प्रतिशत
1965-66	745	55/56
1966-67	710	55/56
1967-68	687	55/56
वर्तमान मूल्य	645	60

(ग) 1967-68 में तकनीकी विकास के महा निदेशालय ने कागज उद्योगों को 621 मीटरी टन सोडियम सल्फेट के आयात के लिए वास्तविक प्रयोगकर्ता लाइसेन्सों (Actual Users' Licence) की सिफारिश की थी । इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम ने कागज-उद्योगों के लिए 2,500 मीटरी टन सोडियम सल्फेट आयातित किया था । अप्रैल, 1968 से सोडियम सल्फेट का आयात प्रतिबन्धित किया गया है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की तेल शोधन शालाओं में विस्तार

4680. श्री जुगल मंडल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2598 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की तेल शोधन शालाओं में विस्तार करने की शर्तों में छूट देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि शर्तों में छूट देने का निर्णय किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : गैर-सरकारी क्षेत्र में शोधन शालाओं की क्षमताओं में वृद्धि की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वह जनहित में हो । अब तक सरकार की यह नीति रही है और इसमें छूट देने का प्रस्ताव नहीं है ।

बड़ी सिंचाई योजना के अन्तर्गत कुल सिंचित क्षेत्र

4681. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् से बड़ी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितनी भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य था ;

(ख) वास्तव में अब तक कितनी भूमि की सिंचाई की गई है ; और

(ग) कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वर्ष में एक से अधिक बार फसल उगाई जाती है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) योजनावधि के दौरान प्रारम्भ की गई बृहत् सिंचाई परियोजनाओं की कुल सिंचाई क्षमता अन्ततः 374 लाख एकड़ होगी ।

(ख) इन परियोजनाओं से मार्च, 1968 के अन्त तक 115 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगी थी । मार्च, 1969 तक 127 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है ।

(ग) 1965-66 के दौरान वह कुल सिंचित क्षेत्र, जहां एक से अधिक फसलें उत्पन्न हुई, कुल सिंचित क्षेत्र का 17 प्रतिशत भाग था ।

फिल्म कम्पनियों द्वारा भुगतान किया गया आयकर

4682. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 से 1968 की अवधि में निम्नलिखित करदाताओं ने कितनी वार्षिक आय घोषित की तथा आय-कर विभाग ने वास्तव में कितनी आय पर कर लगाया ;

(1) फिल्मिस्तान प्राईवेट लिमिटेड ; (2) वीनस मोवीज ; (3) नज़ीर हुसैन फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड ; (4) जोहर फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड ; (5) श्री सी० बी० श्रीधर ; (6) श्री बी० नागी रेड्डी ; (7) प्रसाद प्रोडक्शन्स (प्राईवेट) लिमिटेड ; और

(ख) गलत घोषणा करने पर किन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, वह इकट्ठी की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

फिल्म कलाकारों से बकाया आय-कर

4683. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को (1) श्रीमति सुचित्रा सेन (2) मुहम्मद रफी (3) आशा भौंसले (4) सुश्री तनूजा समर्थ (5) श्री जानी वाकर (6) श्री शशि कपूर और (7) श्री दिलिप कुमार पर कितना आयकर बकाया था ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में फिल्म उद्योग के इन लोगों ने कितना आय-कर दिया ; और

(ग) कौन-कौन से व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है. वह इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Inadequate Water Supply Position in A Canal in U. P.

4684. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 18 years ago, a canal 12 miles long being fed by pumping water from the Bhakhera lake, District Basti, Uttar Pradesh was constructed and the said canal ends near Sahjanwa, Gorakhpur (Uttar Pradesh) ;

(b) whether it is also a fact that the total area irrigated by the canal is 10,000 acres and that water is supplied from the said canal only once a year for rabi crop and that it takes 20 days for the water to reach the farthest end and thus there is no water left for irrigation for the areas at the farthest end ; and

(c) the reasons for which a Government tubewell has been installed at Bhagora in the said canal area and the steps being taken by Government to make adequate arrangements for irrigation from the said canal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारतीय तेल निगम के एर्णाकुलम केन्द्र में आग

4685. श्री विश्वनाथ मेनन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1 अक्तूबर, 1968 को भारतीय तेल निगम के एर्णाकुलम केन्द्र में लगी आग के बारे में केरिथला, बेरान, एर्णाकुलम के निवासियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है ; और

(ग) इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2720/68**] ।

(ग) (1) जल निकास के लिए अहाते की दिवार में सुराखों को बन्द कर दिया गया है । टैंक फार्म में से तेल की किसी धारा के प्रवाह को रोकने के लिए टैंकियों में चहुं और एक अलग मेड़-दिवार का निर्माण किया जा रहा है ।

(2) प्रस्थापनों पर आग-बुझाने के साज-सामानों की व्यवस्था की गई है । आग-बुझाने की कवायद को नियमित रूप से किया जा रहा है ।

(3) चौकीदारों को, जो 24 घण्टे ड्यूटी पर रहते हैं, आपत कालीन स्थिति में प्रस्थापन मैनेजर और दमकल के साथ सम्पर्क बनाये रखने के अनुदेश दिये गये हैं । प्रस्थापन की ओर जाने वाले मार्ग को यथासम्भव चौड़ा कराने के लिए स्थानीय म्युनिसिपल अधिकारियों से सम्पर्क किया जा रहा है ताकि भारी गाड़िया प्रस्थापन तक शीघ्र पहुंच सकें ।

समाचार पत्र संस्थानों को दिया गया ऋण

4686. श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962-67 की अवधि में स्टेट बक आफ इन्डिया अथवा भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में समाचार पत्र संस्थापनों अथवा समाचार पत्रों के मालिकों को ऋण के रूप में धन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों के नाम क्या है तथा प्रत्येक समाचार पत्र को कितनी-कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) धन किस उद्देश्य हेतु दिया गया है और इसके वापिस लौटाये जाने की शर्तें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है । स्टेट बैंक आफ इण्डिया के लिए, उसके कानून के अनुसार, इस प्रकार की सूचना देना मना है ।

कांग्रेस के संसदसदस्यों तथा कांग्रेस दल के संसदीय कार्यालय के कर्मचारियों का फ्रांस का दौरा

4687. **श्री हेम बरूआ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस के कुछ सदस्य तथा कांग्रेस दल के संसदीय कार्यालय के कुछ कर्मचारी फ्रांस के रानौल्ट निगम के महमानों के रूप में हाल में फ्रांस गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें 'पी' फार्म दिये गये थे और यदि ह, तो किस आधार पर ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : संसद् की कांग्रेस पार्टी के जन सम्पर्क अधिकारी को फ्रांस की यात्रा के लिए 'पी' फार्म सम्बन्धी अनुमति दी गयी थी । फ्रांस में उनके खर्च और यात्रा के खर्च का सारा प्रबन्ध रिनाल्ट कारपोरेशन ने किया था ।

मनीपुर में जल-विद्युत् विभाग के कर्मचारियों की दुर्घटना

4688. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल-विद्युत् विभाग, मनीपुर के कितने कर्मचारी 1 दिसम्बर, 1967 से अक्तूबर, 1968 के अन्त तक काम करते समय दुर्घटना हो जाने से मारे गये ;

(ख) उन कर्मचारियों के नाम क्या-क्या हैं तथा बिजली लगने से मरने वाले कर्मचारियों का मृत्यु के समय कितना-कितना वेतन था ;

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा के अन्तर्गत मुआवजा दिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो मुआवजा देने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1 दिसम्बर, 1967 से 31 अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में काम करते हुए कार्य प्रभारित दो सहायक बिजली मिस्त्रियों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई ।

(ख) उनके नाम आर० के० ईबोचौबी सिंह और एम० बाबू यैमासिंह थे और वे क्रमशः 172 रुपये और 130 रुपये मासिक वेतन ले रहे थे ।

(ग) और (घ) मणिपुर सरकार वहां के बिजली निरीक्षक के साथ परामर्श करके मुआवजा देने के प्रश्न पर निर्णय ले रही है । मणिपुर के प्रिन्सिपल इन्जीनियर से कह दिया गया है कि वे शीघ्र ही इन मामलों का निपटारा करें ।

मनीपुर के सरकारी अस्पताल की नर्सें

4689. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मनीपुर के सरकारी अस्पतालों की नर्सें उन अनेक भत्तों की मांग कर रही हैं जो उन्हें 1 अप्रैल, 1964 से उनके वेतन में संशोधित किये जाने से पहले मिल रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन भत्तों का ब्यौरा क्या ; और

(ग) यदि उन्हें अब तक भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है तो उन्हें उपर्युक्त भत्ते न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) मणिपुर सरकार ने अपने नर्सिंग स्टाफ को असम में ऐसे ही स्टाफ को दिये जा रहे भत्तों की दरों पर ही निम्नलिखित भत्ते दिये जाने की सिफारिश की है :

(1) **वर्दी भत्ता**

(1)	मैट्रन	— पहले वर्ष 100 रु० तथा बाद के वर्षों में 60 रु० प्रति वर्ष ।
(2)	नर्सिंग सिस्टर	— पहले वर्ष 100 रु० तथा बाद के वर्षों में 60 रु० प्रति वर्ष ।
(3)	सिस्टर ट्यूटर	— तदेव
(4)	सहायक नर्स	— पहले वर्ष 75 रु० इसके उपरान्त तीस रुपये प्रति वर्ष ।
(5)	नर्स धात्री	— तदेव

(2) धुलाई भत्ता — 2 रु० प्रति मास

स्टाफ नर्स-स्टाफ की नर्सों के लिए निम्नलिखित भत्तों का प्रस्ताव किया गया है :—

(1) मेस भत्ता — 30 रु० प्रति मास

(2) धुलाई भत्ता — 2 रु० प्रति मास

(3) मकान किराया

स्टाफ नर्सों, सहायक नर्सों और नर्स धात्रियों के लिए बिना किराये के क्वार्टर के बजाय बीस रुपये प्रति मास मकान किराया अथवा वास्तविक रूप से दिया गया किराया जो भी कम हो।

(ग) क्योंकि भत्तों की मंजूरी मणिपुर कर्मचारी (वेतन संशोधन) नियम, 1966 के अधीन नहीं दी गई थी इन भत्तों का भुगतान 1 अप्रैल, 1964 से रोक दिया गया।

Bifurcation of Electric Department of Bulandshahr

4690. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Electricity Department of Bulandshahr has been bifurcated into two;

(b) whether it is also a fact that casteism had been followed in posting the employees in the two bifurcated departments separately; and

(c) if so, the reasons for which this policy had been adopted in posting the employess ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : Hydel Divison, Bulandshahr, has been bifurcated on account of increase in the work load. Vacancies have been filled up solely on the basis of suitability and availability of the personnel for the posts.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

मनीपुर में सुनारों को सहायता

4691. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के बेरोज़गार सुनारों को अब तक कुल कितनी सहायता दी गई है;

(ख) अभी तक प्रति व्यक्ति कम से कम और अधिक से अधिक कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रणादेश द्वारा प्रभावित उपरोक्त श्रेणी के सुनारों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता राशि से वह राशि जो अब तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऐसे सुनारों को दी गई हैं, बहुत कम है; और

(घ) क्या विस्थापित सुनार संघ ने मनीपुर सरकार से अधिक सहायता के लिये अनुरोध किया है और मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अधिक अनुदान के लिये अनुरोध किया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मणिपुर में, विस्थापित स्वर्णकारों को अब तक 3 लाख रुपये की रकम ऋण के रूप में दी जा चुकी है। स्वर्णकारों के बच्चों को शिक्षा-सहायता के लिये अनुदान के रूप में भी 25,014 रुपये की अतिरिक्त रकम दी जा चुकी है।

(ख) मणिपुर सरकार ने बताया है कि प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को ऋण के रूप में कम से कम 600 और अधिक से अधिक 2,000 रुपये की रकम मंजूर की गई है। शिक्षा-सहायता के लिये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष--कम से कम 30 और अधिक से अधिक 453 रुपये की रकम मंजूर की गई।

(ग) जी, नहीं। प्रत्येक मामले में कितनी रकम ऋण के रूप में दी जाय, इसका विवेकाधिकार पूर्ण रूप से राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को है।

(घ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने मणिपुर सरकार से कहा है कि वह स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में स्वर्णकारों के हित में किये गये उन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी मांगें संशोधित करें, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुमति दी गई है कि जिन स्वर्णकारों ने वैकल्पिक व्यवसाय में लगने के लिए पहले पुनर्वास ऋण लिये थे वे चाहें तो कुछ शर्तों के अधीन, स्वर्णकारी धन्धे को फिर से अपना सकते हैं। मणिपुर सरकार की संशोधित मांगें प्राप्त होने पर, यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त रकम मंजूर की जायगी।

राजस्थान में सूखा सहायता योजना

4692. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने विभिन्न सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सहायता की व्यवस्था करने हेतु एक योजना तैयार की है कि जिस पर 62 करोड़ रुपये व्यय होंगे;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि राज्य के इन जिलों की समस्या को हल करने के लिए और धन दें; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र ने राज्य को अब तक कितना अग्रिम धन दे दिया है तथा क्या उपरोक्त अनुरोध के अनुसरण में इस राज्य को और अधिक धन दिया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के एक दल ने राजस्थान के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए धन की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए वहां जो दौरा किया था, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने लगभग 62 करोड़ रुपये के खर्च का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया था । इस रकम में तात्कालिक सहायता कार्यों के लिए और लम्बी अवधि की कुछ विकास-योजनाओं के लिए 1968-69 और 1969-70 की आवश्यकताओं के अनुमान शामिल है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता । फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि सहायता और पुनर्वास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों पर 1968-69 में जो 8.96 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा उसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है ।

फिल्म उद्योग के लोगों की आय का आंका जाना

4693. श्री अर्जुनसिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म उद्योग के निम्नलिखित लोगों और कम्पनियों ने अपनी-अपनी वार्षिक आय कितनी-कितनी घोषित की है और सरकार ने कराधान के लिये उनकी वार्षिक आय कितनी-कितनी आंकी है; (1) श्री जे० ओम प्रकाश (2) मनोरंजन पिक्चर्स (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली (3) रजेंद्र भाटिया (4) मैसर्स मास्टर मुवीज़ बम्बई (5) मैसर्स सेठ एन्टर प्राइज़िज, दिल्ली (6) मैसर्स धनलक्ष्मी पिक्चर्स सिकन्दराबाद (आन्ध्र-प्रदेश) (7) प्रोड्यूसर सी० वी० श्रीधर (8) श्री के० ए० अब्बास (9) विजयश्री पिक्चर्स (मद्रास) (10) शत्रुजीत फिल्मस बम्बई; और

(ख) फिल्म उद्योग के उन लोगों और कम्पनियों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध वार्षिक आय सम्बन्धी झूठी घोषणा करेंने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है और प्रत्येक के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है, वह इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्तपोषण

4694. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने औद्योगिक बिलों में जूट की योजना तथा सीधी ऋण व्यवस्था के अधीन रूई मिल उद्योग को किस हद तक पुनः वित्तीय सहायता दी है और दोनों श्रेणियों के अधीन कितने मिलों को सहायता दी गई है;

(ख) औद्योगिक विकास बैंक ने उपरोक्त योजना के अधीन सात वर्ष की अवधि के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये रूई मिलों के चयन का कौनसा मापदण्ड अपनाया है और इस आधार पर कितने मिलों को ऋण दिया गया है;

(ग) इन ऋणों पर ब्याज की दर क्या होगी और ऋण लेने वाले मिलों पर इन ऋणों का कुल कितना भार पड़ेगा; और

(घ) क्या इस ऋण की अवधि सब रूई मिलों के लिये 7 वर्ष और कुछ उपयुक्त मामलों में 10 वर्ष तक बढ़ाने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय

4695. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एक डाक्टर को कितने रोगियों को प्रति दिन देखना होता है;

(ख) क्या उस योजना में डाक्टरों की वर्तमान संख्या प्रति दिन देखे जाने वाले रोगियों की संख्या के अनुपात में हैं; और

(ग) क्या उन औषधालयों में कम्पाउण्डरों को प्रर्याप्त संख्या में रखा गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टर को एक दिन में 70 से 80 रोगियों को देखना चाहिए । इस संवर्ग में पद खाली हैं और चिकित्सा अधिकारी एक दिन में लगभग 120 रोगियों की जांच कर रहे हैं ।

(ग) जी हां ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में डाक्टरों की काम करने की अवधि

4696. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों का एक औषधालय से दूसरे औषधालय में तबादला किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उन डाक्टरों को एक औषधालय से कितने समय तक काम करना पड़ता है;

(ग) क्या निश्चित समय के बाद उनका अपने आप तबादला कर दिया जाता है;

(घ) क्या कुछ ऐसे भी मामले है जहां डाक्टर लगभग 10 वर्षों से एक ही औषधालय में काम कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन डाक्टरों का अब तबादला कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों में काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के लिए किसी एक औषधालय में काम करने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है । फिर भी साधारणतया एक चिकित्सा अधिकारी को एक ही औषधालय में पांच वर्ष से अधिक नहीं रखा जाता, बशर्ते कि कोई प्रशासनिक असुविधा न हो ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : ऐसा कोई मामला नहीं है जहां एक डाक्टर लगभग दस वर्षों से एक ही औषधालय में लगातार काम कर रहा हो ।

Inadequate Water Supply to Ganganagar District, Rajasthan

4697. **Shri P.L. Barupal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while canal water is being given to Pakistan, the Agricultural District Ganganagar of Rajasthan, which is adjoining to Pakistan border, is not being supplied adequate water with the result it is able to produce 50 percent less for want of adequate water supply and semi-famine conditions are prevailing there; and

(b) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir. Water is supplied to Pakistan only according to the terms of the Indus Waters Treaty and the quantity due and being given to Pakistan at present is nil. As aresult of this, additional waters have currently become available to certain Indian Canals, including the Gang Canal which irrigates areas in the Ganganagar District.

(b) Does not arise.

विशाखापटनम में उर्वरक कारखाना

4698. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापटनम में उर्वरक कारखाने की स्थापना करने वाले भारतीय सहयोगियों के नाम क्या क्या हैं तथा सम्बन्धित भागीदारी के बीज अंशों को कैसे बांटा गया है ; और

(ख) उस कारखाने में आरम्भ में कितना उर्वरक का उत्पादन हो सकेगा तथा उसे किस हद तक कच्चे माल के आयात पर निर्भर करना पड़ेगा ?

पैट्रोलियम रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) मैसर्स आक्सीडैण्टल पैट्रोलियम कम्पनी से, जिसे विशाखापटनम में उर्वरक कारखाने के लिए आशय-पत्र जारी किया गया है, भारतीय शेयर-धारियों के नाम और उनके

शेयरों की मात्रा के बारे में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। तो भी, यह मालूम हुआ है कि मैसर्स आक्सीडैण्टल पैट्रोलियम कम्पनी के 52.2% शेयर होंगे।

(ख) सम्मिश्र उर्वरक के रूप में सन्यन्त्र की प्रारम्भिक क्षमता प्रतिवर्ष 1,40,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 140,000 मीटरी टन पी 2 ओ 5 होगी। फर्म को 18 महीनों के लिए अमोनिया और 5 वर्ष के लिए फास्फोरिक अम्ल (जो कुछ शर्तों के अन्तर्गत 7 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है) के आयात की अनुमति होगी।

Institutional Funds for Capital Investment in Madhya Pradesh

4699. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the institutional funds sanctioned by the Industrial Development Bank, State Finance Corporation, Agricultural Finance Corporation, Industrial Finance Corporation and the Life Insurance Corporation in Madhya Pradesh for capital investment for the period from 1960 to November 1968, have been inadequate;

(b) whether the Madhya Pradesh Government had asked for more funds during the above mentioned period and that it has not been given its due share; and

(c) if so, the manner in which Government propose to increase these funds ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विश्व बैंक द्वारा ब्याज की दर में वृद्धि

4700. श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विकासशील देशों को दिये गये ऋणों पर विश्व बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ाये जाने की संम्भावना है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत के ऋण दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख): जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

निषिद्ध माल की विदेशियों द्वारा तस्करी

4701. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशियों द्वारा तस्करी से निषिद्ध माल भारत में लाये जाने की घटनाएं बहुत बढ़ गयी हैं;

(ख) क्या इन घटनाओं को देखते हुए जांच पड़ताल करने की वर्तमान व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार के पास निष्कर्स पर पहुंचने के लिये कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है कि विदेशियों द्वारा अवैध माल का चोरी छिपे लाना-ले जाना वृद्धि पर है ।

(ख) और (ग) : छानबीन सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था में संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में गुप्त सूचना इकट्ठी करना और उनके यहां पहुंचने, उनकी खुद की, उनके असबाब की तलाशी लेना तथा, आवश्यक होने पर उनके शरीर का एक्स-रे करना भी शामिल है । सीमा-शुल्क अधिकारी विदेशों से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने में अपने कौशल का उपयोग करते हैं तथा संदिग्ध व्यक्तियों के असबाब और उनके शरीर की पूरी-पूरी जांच की जाती है । जो व्यक्ति विदेशों से अपने शरीर अथवा असबाब में अवैध माल छिपाकर लाते हैं उनसे निबटने के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त समझी गई है ।

फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों की और करों की बकाया राशि

4702. श्री बसुमतारी : क्या वित्त मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों पर करों की बकाया राशि के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना अनुबन्ध में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2721/68**]

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

राजस्थान को बिजली की सप्लाई में कमी

4703. डा० कर्णी सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उत्तरी क्षेत्रों में आगामी वर्ष के आरम्भ से जून, 1969 तक की अवधि में बिजली की संभावित कमी को दृष्टि में रखते हुए राजस्थान में बिजली के

अन्तर्क्षेत्रीय वितरण (ट्रांसपर) के कारण पहले से ही बिजली की अपर्याप्त सप्लाई से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए राजस्थान में बिजली पैदा करने वाली किन निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जबकि चम्बल सतपुड़ा और भाखड़ा-नांगल प्रणालियों से इस समय उपलब्ध बिजली को राजस्थान की चालू वर्ष की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है, फिर भी यह निर्णय किया गया है कि बुरवाहा और उज्जैन के बीच 132 के० वी० के अन्तर्क्षेत्रीय परिषण पथ में दूसरे सर्किट में शीघ्र ही तारें लगाई जाएं ताकि सतपुड़ा ताप बिजली घर से राजस्थान अपना पूरा भाग ले सके ।

जनवरी, 1969 तक लुधियाना से हिसार तक और हिसार से जयपुर तक 220 के०वी० के परिषणपथों के पूरा हो जाने पर राजस्थान भाखड़ा-नांगल प्रणाली से भी अपना पूरा भाग ले लेने में समर्थ हो जाएगा ।

(ख) राणाप्रताप सागर पनबिजली घर में 43–43 मेगावाट के तीसरे और चौथे यूनिट को चालू करने के लिए शीघ्रता से काम किया जा रहा है । इन दोनों यूनिटों के मार्च; 1969 तक चालू हो जाने की संभावना है ।

विषाक्त भोजन के कारण मृत्यु

4704. श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंगेर गांव में विषाक्त भोजन के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/328 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा जांच अब पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, उसका क्या परिणाम निकला तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह जांच शीघ्र पूरी करवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों से जांच कार्य पूरा करने तथा विलम्ब के कारणों के बारे में अवगत कराने के लिए कह दिया है

अधावडा समूह की नदियों की योजना से सम्बन्धित जाफर अली समिति की सिफारिशें

4705. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 988 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जफर अली समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं तथा उसमें मथरानी आयोग की सिफारिशों से क्या भिन्नता है ?

(ख) क्या जफर अली समिति की सिफारिशों में अधावड़ा समूह की नदियों के संबंध में बाढ़ नियंत्रण तथा सिचाई योजना को क्रियान्वित न करने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अधावड़ा ग्रुप की नदियों की बाढ़ों का नियन्त्रण करने के लिये जाफर अली समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:--

1. लखनदेयी के बाएं किनारे के साथ साथ कलंजर घाट से बेनीवाद तक तदबन्ध ।

2. दरभंगा बागमती और करेह के साथ साथ वर्तमान खिरोई तटबंध के सान्तत्य में एकमीघाट से जठमलपुर तक तटबंध और हयाघाट पर रेलवे पुल का पुनरूंपण ।

3. नवादाह से खिरोई के दायें तटबन्ध तक मोहिनी के दायें किनारे पर तटबन्ध का निर्माण तथा नवादाह बेनीवाद सड़क को ऊंचा करना ।

4. स्थानीय वर्षा पानी को निकालने के लिए पम्पों का लगाना ।

5. दरभंगा बागमती के बाएं किनारे के साथ साथ तटबंध और एक कट-आफ चैनल ।

6. सिघवारा से खिरोई के दायें तटबन्ध तक मोहिनी के बाएं किनारे पर तटबन्ध ।

7. नियामक कपाट (स्लूस) द्वारा राधौली पर पुरानी कमला नदी में धौस के कुछ पानी को मोड़ना ।

8. बुढ़नद के दायें किनारे के साथ साथ अग्रीपट्टी तक राधौली नियामक कपाट के पार्श्व बंध का विस्तार ।

अधावड़ा नदियों की समस्याओं की जांच करने के लिये "मथ्रानी आयोग" नाम का कोई आयोग स्थापित नहीं किया गया था ।

(ख) और (ग) जाफ़र अली समिति ने जलाशयों, निरोध (डिटेन्शन) बेसिनों और तालों तथा सिंचाई एवं बाढ़-नियमन के लिये विविध नालियों के जरिये बाढ़ पानी के वितरण की संभाव्यता पर भी विचार किया परन्तु वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली परिस्थितियों में ये कार्य व्यवहार्य नहीं हैं।

हरिहरपुर कालीगांव के समीप मोहिनी नदी पर जल कपाट (स्लूस गेट) का निर्माण

4706. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने दरभंगा जिले में मोहिनी नदी पर हरिहरपुर कालीगांव और मुरैथा पर जल कपाट (स्लूस गेट) बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि खिरोई नदी पर हरिहरपुर, कालीगांव, और मुरैठ पर जल-कपाट (स्लूस गेट) निर्माण करने के प्रस्ताव पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तकनीकी जांच की मई, 1969 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

दिल्ली में प्लाटों की बिक्री

4707. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री 17 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक भू-गृहादि (अनधिकृत अधिभोक्ताओं की बेदखली) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत बेदखली की जो कार्यवाही आरम्भ की गई बताई गई थी वह अब पूरी हो गई है तथा क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने सम्बन्धित भू-प्लाट अपने कब्जे में ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं तथा बेदखली की कार्यवाही पूरी करने में दिल्ली विकास प्राधिकार को और कितना समय लगेगा;

(ग) क्या टेंडरदाताओं की यह प्रार्थना मानने के बारे में निर्णय कर लिया है कि पट्टे का करार केवल एक टेंडरदाता के नाम में तैयार किया जाये और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) क्या इन प्लाटों से बेदखली की कार्यवाही में संभावित और विलम्ब को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार टैंडर दाताओं को दूसरा प्लाट देने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जयपुर में नकली इंजैक्शनों को बनाने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

4708. **डा० कर्णी सिंह** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या यह सच है कि जयपुर में बहुत बड़े पैमाने पर नकली इंजैक्शन बनाने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर डाक्रिस्टसीन तथा कोम्बाइटिक्स इंजैक्शन बनाता था और उन पर सारा-भाई केमिकल्स का लेबल चिपका कर उन्हें लोगों को बेचकर उनके जीवन को खतरे में डालता था;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह गिरोह एक वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहा था और उसने लाखों रुपये कमाये है; और

(घ) देश में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, नवम्बर, 1968 में।

(ख) ऐसा पता चला है कि यह गिरोह डाक्रिस्टसीन-एस और कोम्बाइटिक्स इंजैक्शन बनाता था और वाइलों पर संबंधित फर्म का लेबल चिपकाता था।

(ग) इस सम्बन्ध में की गई छानबीन जो कि अभी भी चल रही है, ऐसा जान पड़ता है कि यह गिरोह लगभग छः महीने से इस काम को कर रहा था।

(घ) राजस्थान राज्य सरकार ने अपने औषध नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ करने के लिये कदम उठाये हैं। देश में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए बरते गये उपायों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2722/68**]

नेपाल से कृत्रिम धागे से बने कपड़े के आयात पर हुए लाभ पर आयकर

4710. **श्री चित्ति बाबू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में नेपाल से कुल 90 लाख रुपये का कृत्रिम धागे से बने कपड़े का निर्यात किया गया जो कि भारत में लगभग 3.04 करोड़ रुपये का बेचा गया जिससे आयातकों को लगभग 2 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इतने अधिक मुनाफे पर आयकर लिया गया हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 1967–68 में नेपाल से भारत में 90.9 लाख रुपये के मूल्य के कृत्रिम कपड़ों का आयात हुआ। आयातकर्ता इन कपड़ों को भारत में किसी भी भाव पर बेच सकते हैं क्योंकि कृत्रिम कपड़ों पर कोई कानूनी मूल्य नियंत्रण नहीं है। अतः इन कपड़ों की बिक्री से आयातकर्ताओं को दरअसल कितने लाभ की गुंजाइश रही, इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) आयात किये गये माल की बिक्री से होने वाले लाभ पर आय–कर देना होता है। 1967–68 में नेपाल से कृत्रिम कपड़ों के प्रत्येक आयातकर्त्ता ने ऐसे लाभों पर आय–कर दिया है, अथवा नहीं, इस सम्बन्धी सूचना को इकट्ठा करने में विषम अनुपात में समय और श्रम लगेगा।

राजस्थान में कुछ नगरों में बिजली की सप्लाई

4711. डा० कर्णी सिंह: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि राजगढ़ तथा रतनगढ़ से होकर हिसार से बीकानेर तक ट्रांसमिशन लाइन से जिन शहरों को बिजली दी जाती है उन्हें उतनी बिजली नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए और तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि इस लाइन को काफी मजबूत नहीं बनाया जाता; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि 18 नवम्बर 1968 को लोक-सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 1081 के उत्तर में बताया गया था, 220 के. वी. हिसार-खेतरी-जयपुर पारेषण पथ का हिसार खेतरी, खण्ड अक्तूबर 1968 में पूर्ण हो गया है। आशा है कि खेतरी और जयपुर के बीच की लाइन के खंड की जनवरी, 1969 के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है। भाखड़ा से हिसार तक (ब-रास्ता लुधियाना और संगरूर) 220 के. वी. लाइन के पूर्ण होने पर इस पथ को ऊर्जित किया जाएगा। इस पथ के जनवरी, 1969 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है। रतनगढ़ से बीकानेर तक 132 के. वी. लाइन का सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है और इस लाइन का निर्माण शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। उपर्युक्त पथों के पूर्ण होने पर प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित क्षेत्रों में बिजली की स्थिति में बहुत सुधार हो जाएगा।

मैसूर में कालीनदी पन–बिजली परियोजना

4712. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीनदी पन-बिजली परियोजना, मैसूर को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी राशि नियत करने का विचार है ; और

(ग) इसके कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कालीनदी परियोजना, जिसके सम्बन्ध में इस समय अनुसंधान कार्य हो रहा है, को पांचवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है। इसके साथ ही इस पर अग्रिम कार्यवाही, किसी समय चौथी योजना के दौरान ही अधिकृत करने का प्रस्ताव भी है।

(ख) चौथी योजना में इस परियोजना के लिये विशिष्ट व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है। मैसूर में नई पन-बिजली स्कीमों के लिए चौथी योजना के दौरान 6 करोड़ रुपये के प्रबन्ध का सुझाव दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने यह बताया है कि इस परियोजना के पूर्ण होने में आठ से दस वर्ष तक लगने की संभावना है। बहरहाल, परियोजना के प्रारम्भिक चरण से लगभग 6 से 7 वर्षों में लाभ प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

किसानों को वित्तीय सहायता

4713. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि कृषि के लिये वित्तीय सहायता से सम्बन्धित सहायता कार्यों में समन्वय के लिये इन दोनों बैंकों के प्रतिनिधियों तथा भूमि विकास बैंक और कृषि वित्त निगम के सदस्यों की प्रत्येक राज्य में एक समिति बनायी जाय,

(ख) क्या यह सिफारिश भी की गई है कि रिजर्व बैंक को सहकारी धन के प्रयोग के बारे में अपनी नीति उदार बनानी चाहिए ताकि सहकारी बैंक भारत के स्टेट बैंक के अलावा अन्य बैंकों में अपना धन जमा करा सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रत्येक राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। रिजर्व बैंक ने राज्यों के रजिस्ट्रारों को पहले ही यह सूचित कर दिया है कि यदि राज्यीय और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अन्य वाणिज्यिक बैंकों में चालू खाते खोलने से अपने सामान्य बैंक कारबार में सुविधा मिलती हो तो उनके ऐसा करने पर कोई

आपत्ति नहीं हो सकती और राज्य सहकारी बैंक अपनी अधिशेष रकमों के एक भाग को मांग जमा या सांवधिक जमा के रूप में उन वाणिज्यिक बैंकों में निविष्ट भी कर सकते हैं, जिन्होंने राज्य के सहकारी बैंकों की या सामान्यतः राज्य के सहकारी आन्दोलन की सहायता की हो।

यूनानी चिकित्सा प्रणाली

4714. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनानी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

(क) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2723/68]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कांडला में दूसरा तेल शोधक कारखाना

4715. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने उस राज्य में कांडला में दूसरे तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि उसे मंजूर कर लिया गया है, तो उसके लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

पैट्रोलियम रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ): कुछ समय पहले गुजरात राज्य ने कांडला में एक शोधनशाला की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। जब चौथी पंचवर्षीय योजना या उसके बाद में नई शोधन शालाओं की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जायेगा तब इस प्रस्ताव का निरीक्षण किया जायेगा।

कैंसर रोग के उपचार के लिये सड़े आलू की औषधि

4716. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यादवपुर विश्वविद्यालय के भेषज विज्ञान के प्रोफेसर डा० दुर्लभ राय ने कैंसर रोग के उपचार के लिए सड़े आलू से कोई औषधि तैयार की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आगे और अनुसंधान करने के हेतु उन्हें सुविधाएं देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनकी खोज किस अवस्था में है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्रोफेसर दुर्लभ के० राय ने सड़े आलू से (जवाहरीन) एक सक्रिय तत्व पृथक किया है जिसके बारे में उनका दावा है कि वह तत्व कैन्सर सैलों पर कुछ प्रभावकारी है।

(ख) जी नहीं। यदि एक प्रस्ताव भेजा जाये तो उस पर विचार किया जा सकता है।

(ग) प्रो० राय प्रतिरोधित पशु रसोलियों में नैदानिक परीक्षण के लिए भारतीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई से सहयोग करने में समर्थ हुए। उनके आग्रह पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के जीवरसायन विभाग के अध्यक्ष प्रो० एस० सी० राय ने अपने कैंसर अनुसन्धान एकक में उक्त सामग्री का परीक्षण किया। डा० राय ने चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता के डा० एस० मित्र के सहयोग से चूहों की अतिश्वेत रक्तता के अनुसन्धान कार्य भी किया। यह अभी भी प्रयोगात्मक स्तर पर है।

Discrimination Against Local Labourers of Bihar

4718. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item appearing in the Indian Nation of the 18th November, 1968 to the effect that some months back the labourers called from outside Bihar had been engaged on earth work on a daily wage at Rupees Seven whereas the local labourers had not even been engaged at Rupees three per day;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the nature and value of contracts given to non-Bihar contractors as also the number and value of contracts given to local contractors or to those belonging to Bihar during the last year in connection with the river valley projects of Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Enough local labour was not available for completing the priority zone of Tirhut Canal.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सरकारी टकसालों में काम के घंटों में कटौती

4719. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता, बम्बई, और हैदराबाद स्थित भारत सरकार के टकसालों में 18 नवम्बर, 1968 से सप्ताह में काम करने के घंटों को 60 से घटाकर 48 कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कमी किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को एक सौ रुपये से लेकर ढाई सौ रुपये तक प्रति मास नुकसान हो रहा है; और

(घ) क्या उनके इस नुकसान को पूरा कर दिया जायेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। इससे केवल समयोपरि काम करने के घंटों में कमी हुई है।

(ख) सिक्के ढालने की जरूरत में कमी होने के कारण समयोपरि काम करने के घंटों में कमी की गयी है।

(ग) एक सप्ताह में काम के लिए निर्धारित 37½ घण्टों के अलावा प्रति सप्ताह अब केवल 10½ घंटों के लिए ही समयोपरि भत्ता दिया जायेगा। समयोपरि भत्ते में कमी अलग अलग मामलों में अलग-अलग होगी और वह इस बात पर निर्भर होगी कि एक व्यक्ति ने वास्तव में कितने घण्टे काम किया है और उसका वेतन कितना है आदि आदि। जो व्यक्ति काम के सभी दिनों में समयोपरि काम करते हैं, उन्हें मिलने वाले समयोपरि भत्ते में उतना अन्तर हो सकता है जितने का संकेत प्रश्न में किया गया है।

(घ) सिक्कों के ढालने की जरूरत के अनुसार ही समयोपरि काम करने के घण्टों में घट-बढ़ करनी पड़ती है। समयोपरि भत्ते में कमी के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है।

नेपाल में नाइलोन और पोलिस्टर धागे का आयात

4720. **श्री चित्ति बाबू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1967-68 में नेपाल द्वारा कलकत्ता तथा अन्य भारतीय पत्तनों के द्वारा ल्यूरेक्स मैटेलिक यार्न सहित कितने नाइलोन और पोलिस्टर धागे का आयात किया गया; और

(ख) यदि इन धागों का भारत में आयात किया जाता तो कितना शुल्क लगता ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नेपाल द्वारा कलकत्ते के मार्ग से वर्ष 1967-68 के दौरान आयात किये गये पालिस्टर तथा मेटेलिक सूत की मात्रा इस प्रकार है : —

1. नायलोन तथा पालिस्टर सूत – 5,76,575 कि० ग्रा०

2. मेटेलिक सूत – 18,523 कि० ग्रा०

नेपाल द्वारा दूसरे भारतीय बन्दरगाहों के जरिए इस प्रकार के सूत का कोई आयात नहीं किया गया।

(ख) अगर यह माल भारत में आयात किया गया होता तो इस पर लगाए जाने वाले शुल्क की रकम निम्नलिखित होती:—

1. नायलान तथा पालिस्टर सूत – 267 68 लाख रुपये।

2. मेटेलिक सूत – 4.44 लाख रुपये।

टैक्सिंड कारपोरेशन बम्बई

4721. श्री रामजी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टैक्सिंड कारपोरेशन बम्बई के मामलों के बारे में की जा रही जांच अब पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है जिन्होंने इस मामले के सम्बन्ध में कथित अनियमितताएं की थीं;

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या-क्या हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पकड़ी गई कुछ फाइलों को उस पार्टी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा उनकी जांच किये बिना, लौटाने के कारण आय-कर तथा सीमा-शुल्क के रूप में सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग : प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोपों से युक्त कुछेक लिखित शिकायतें प्राप्त होने पर प्रवर्त्तन निदेशक ने मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया, जिन्होंने उन शिकायतों की जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में प्रवर्त्तन निदेशालय के कार्यालयों से कुछ फाइलें अपने कब्जे में ले लीं। मेसर्स टेक्सिंड कारपोरेशन, बम्बई, से सम्बन्धित फाइलें उन फाइलों में से हैं जिन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से एक आरोप यह था कि पकड़ी गई कुछ फाइलें सीमा-शुल्क तथा आयकर अधिकारियों को बताए बिना ही कम्पनी को वापस कर दी गई।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच-पड़ताल हाल ही में पूरी की गई है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इस रिपोर्ट की छानबीन कर ली जाने पर ही इस बात

का निश्चय किया जा सकेगा कि सीमाशुल्क, आय-कर तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए, यदि कोई हो तो, मेसर्स टेक्सिंड कारपोरेशन, बम्बई, की क्रियाकलापों की जांच पड़ताल आवश्यक है अथवा नहीं।

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों के नाम और पदनाम इस समय बतलाना जनहित में नहीं होगा।

(ङ) यह बता सकना संभव नहीं है कि पकड़ी गई कुछ फाइलें लौटा देने से सरकार को राजस्व सम्बन्धी कोई हानि हुई भी है अथवा नहीं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा फाइलें पकड़ना

4722. श्री रामजी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने निम्नलिखित पार्टियों से सम्बन्धित फाइलें पकड़ीं थीं;

(1) श्रीमती माला सिंहा,

(2) केसरवल्ला, घाटकोपर, बम्बई

(3) मेसर्स के० मोहन एण्ड कम्पनी, हमलवाडी,

(4) मेसर्स नेशनल कामर्शियल कंपनी बम्बई पिकेट रोड, बम्बई

(5) मेसर्स होम इन्स्यूरेन्स कम्पनी, सर पी० एम० रोड, बम्बई

(6) बलराम सुवनानी आफ लुल्ला नगर, पूना;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त पार्टियों के बारे में जांच अब पूरी हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रवर्त्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोपों से युक्त एक लिखित शिकायतें प्राप्त होने पर प्रवर्त्तन-निदेशक ने मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया, जिन्होंने उन शिकायतों की जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में प्रवर्त्तन निदेशालय के कार्यालयों से कुछ फाइलें अपने कब्जे में लीं। प्रश्न में उल्लिखित पार्टियों से सम्बन्धित फाइलें उन फाइलों में से हैं जिन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने कब्जे में ले लिया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मामले की जांच-पड़ताल हाल ही में पूरी की गयी है और उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

4723. **श्री रामजी राम :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाटकोपर, बम्बई के केशरबल्ला (बम्बई के० जे० पी०) ने आरोप लगायें हैं कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अर्थात् डिप्टी डायरैक्टर, असिस्टेन्ट डायरैक्टर, मुख्य प्रवर्तन पदाधिकारी तथा कई प्रवर्तन अधिकारी उनके मकान में तलाशी का वारन्ट लेकर घुस आये थे परन्तु 40,000 रुपये जो उन्होंने मांगे थे कि घूस लेकर बिना तलाशी लिए चले गये;

(ख) क्या केशरवल्ला द्वारा लगाया गया आरोप सच है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध पर्याप्त सक्ष्य इकट्ठा कर लिया है जिससे उनका अपराध सिद्ध हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अक्तूबर, 1964 में प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्रकार से इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों द्वारा बम्बई में श्री एच०के० केसरवाला के निवास-स्थान की तलाशी ली गई थी, लेकिन मामले को 40,000 रुपये की घूंस लेकर दबा दिया गया ।

(ख) से (घ): बम्बई के भूतपूर्व प्रवर्तन उप निदेशक के खिलाफ जांच-पड़ताल से सम्बन्धित आरोपों में यह भी एक आरोप होने के कारण मामले की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई है । उनकी जांच-रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इस रिपोर्ट के प्राप्त होते ही उसकी जांच-पड़ताल की जाएगी और जांच-पड़ताल के परिणामों के प्रकाश में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

मेसर्स पहिलाज एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा आयकर का अपवंचन

4724. **श्री रामजी राम :** क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स एच० एन० पहिलाज एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा आय कर अपवंचन के मामले की, जिसका पता 3 सितम्बर, 1966 को प्रर्वतन निदेशालय द्वारा इस कम्पनी पर छापा मारे जाने के परिणामस्वरूप लगा था, जांच इस बीच पूरी हो गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या वर्ष 1963–64 और 1964–65 का आय-कर निर्धारण कर लिया गया है, और यदि हां, तो आय-कर की वर्ष वार, कितनी राशि तथा कितना जुर्माना किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1963–64 और 1964-65 के लिये इस फर्म द्वारा देय आय कर और जुर्माना वसूल कर लिया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि इस फर्म से पकड़े गये रिकार्ड में आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक के दिल्ली तथा बम्बई स्थित कार्यालय के तथा हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली

के कुछ अधिकारियों द्वारा लिखे गये मूल पत्र भी हैं जिनसे इस बात का पता लगता है कि इन अधिकारियों ने आयात लाइसेंस देने के बारे में उक्त फर्म के साथ अत्यधिक कृपा की है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों को दण्ड देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पकड़े गये कागज अभी भी प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में हैं। आय-कर विभाग द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में जो दस्तावेज हैं, उनकी आयकर बिभाग जांच कर रहा है। इस मामले में ग्रस्त इन्दराजों की बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुये जांच-पड़ताल में समय लगने की सम्भावना है।

(ख) कर-निर्धारण वर्ष 196 -64 के कर-निर्धारण की कार्यवाही एकतरफा तौर पर पूरी कर ली गई है और 5,18,149 रुपये के कर की मांग जारी की गई है। 1964-65 का कर-निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 के लिए अभी तक कोई दण्ड नहीं लगाया गया है। उक्त वर्ष के लिए दण्ड लगाने सम्बन्धी कार्यवाही अभी चल रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अभी तक ऐसे कोई पत्र देखने में नहीं आये हैं।

(ङ) यह सवाल नहीं उठता।

प्रवर्तन उप निदेशक, बम्बई के विरुद्ध जांच

4725. श्री रामजी राम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी अधिकारियों के लिये रक्षित कोटे से प्राप्त कार को लाभदायक मूल्य पर बेचने के सम्बन्ध में वर्तमान प्रवर्तन उप निदेशक, बम्बई, के विरुद्ध की गई जांच का क्या परिणाम रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वह अधिकारी जो कि अप्रैल, 1968 में डोडसाल कार्यालयों में छापा मारने से सम्बन्धित था, उस खोज-कार्य के दूसरे ही दिन छुट्टी पर बम्बई छोड़कर महाबलेश्वर चला गया था जिसमें बहुत सी फाइलें पकड़ी गई थीं और यदि हां, तो उसने पकड़ी गई फाइलें तथा दस्तावेज किसके पास रखे थे जिससे यह सुनिश्चित हो सकता कि उनमें कोई गड़बड़ी न की जा सकेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह जांच करने का है कि सम्बन्धित अधिकारी के आवास तथा भोजन का प्रबन्ध महाबलेश्वर में, जहां वह छुट्टी पर गया था, किस व्यक्ति ने किया ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बम्बई के वर्तमान उप-निदेशक, प्रवर्त्तन निदेशालय के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई पूछताछ का सम्बन्ध एक पुरानी फिएट मोटर कार की खरीद-बिक्री से था। विशेष पुलिस विभाग ने इस मामले में पूछताछ की थी और उसका निष्कर्ष यह था कि उक्त अवधि में मोटरकारों के दामों में वृद्धि हो गई

थी, इसलिये अधिकारी के खिलाफ सौदे से लाभ उठाने का आरोप सिद्ध नहीं हो सका, और यह कि मामला समाप्त कर दिया जाये। इस पर भी, अधिकारी से जवाब तलब किया गया कि उसने, नियमों की अपेक्षा के अनुसार, सरकार से पूर्व अनुमति लिये बिना मोटरकार क्यों खरीदी। उसके जवाब को दृष्टि में रखकर और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से उस चूक को तकनीकी मानने का निश्चय किया गया और अधिकारी को चेतावनी दी गई।

(ख) डोडसाल लिमिटेड के स्थानों की तलाशी 14 मई, 1968 को समाप्त हुई। पकड़े गये दस्तावेज (रिकार्ड), बम्बई के प्रतिनि-उपनिदेशक से भिन्न एक अन्य अधिकारी के संरक्षण में रखे गये थे। उप निदेशक 17 मई, 1968 से 22 मई, 1968 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके छुट्टी पर रहा।

(ग) सामान्य प्रचलन के अनुसार, सरकार ऐसे मामलों में तभी पूछताछ करती है जब कोई विशिष्ट आरोप प्राप्त होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के बाल आपात कोष की सहायता से टीके बनाने का कारखाना स्थापित करना

4726. **श्री रा० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के बाल आपात कोष की सहायता से देश में टीके बनाने का एक नया कारखाना खोलने का विचार है ताकि देश में टीकों के उत्पादन और मांग के अन्तर को दूर किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने में कितने टीके बन सकेंगे; और

(ग) उनसे वर्तमान अन्तर को कहां तक दूर किया जा सकेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस समय जमायी गई शुष्क चेचक वैक्सीन के उत्पादन में लगे हुये चार राज्य वैक्सीन संस्थानों में लगाने के लिये अतिरिक्त उपकरण यूनिसेफ से प्राप्त करने का विचार है। कोई नया एकक स्थापित करने का विचार नहीं है।

(ख) चारों राज्य वैक्सीन संस्थानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 6 करोड़ मात्रा की है यूनिसेफ के अतिरिक्त उपकरणों से 1971-72 तक वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़ कर 15 करोड़ 60 लाख मात्रा तक हो जाने की आशा है।

(ग) वैक्सीन की कुल आवश्यकता प्रतिवर्ष लगभग 18 करोड़ मात्रा के होने का अनुमान है जिसमें से 1971-72 तक 15 करोड़ 60 लाख मात्राओं की पूर्ति देश में हुये उत्पादन से हो जाने की आशा है।

Sadullapur Minor of District Bulandshahr, U. P.

4727. **Shri P.L. Barupal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Quetsion No. 8872 on the 29th April, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that the Executive Engineer had received certain complaints in respect of distributary No. 24 on Sadullapur Minor of District Bulandshahr, Uttar Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the employees of the Department who were sent there by the Executive Engineer did not carry out the ncessary repairs on the aforesaid distributary and obtained a false certificate from the farmers who do not own any land there to the effect that needful has been done;

(c) whether it is further a fact that neither any repairs have so far been carried out in the said distributory nor it is proving useful for irrigation purposes; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

नई दिल्ली में आयोजित जनरल प्रैक्टिस विश्व सम्मेलन

4728. श्री रा०बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 नवम्बर, 1968 को नई दिल्ली में जनरल प्रैक्टिस विश्व सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) उसमें कितने देशों ने भाग लिया और क्या निर्णय किये गये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जनरल प्रैक्टिस पर तीसरा विश्व सम्मेलन 24 से 28 नवम्बर, 1968 तक नई दिल्ली में हुआ था ।

(ख) सम्मेलन का मुख्य विषय "जनरल प्रैक्टिशनर और जनरल प्रैक्टिस अप्रतिस्थाप्य हैं" था जिस पर निम्नलिखित चार शीर्षकों के अन्तर्गत विचार-विमर्श किया गया—

1. जनरल प्रैक्टिस--इसकी विषयवस्तु

2. जनरल प्रैक्टिस--इसका संगठन तथा प्रशासन ।

3. जनरल प्रैक्टिस का शिक्षण

   (क) उप स्नातक स्तर पर

   (ख) स्नातकोत्तर स्तर पर

   (ग) शैक्षक कार्यक्रम को जारी रखना

   (घ) शिक्षक कार्यक्रमों में जनरल प्रैक्टिशनरों का योगदान

4. जनरल प्रैक्टिस में अनुसन्धान ।

(ग) सम्मेलन में 10 देशों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में पारित संकल्पों की प्रतियां संलग्न हैं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 272468]

अमरीकी गैर-सरकारी पूंजी

4729. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक का अध्यक्ष हाल में भारत आया था तथा उसने अमरीकी गैर सरकारी पूंजी को बड़ी मात्रा में भारत में लगाने की सम्भावनाओं के बारे में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर बातचीत की थी; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूयार्क के अध्यक्ष, श्री जार्ज एस० मूर, एशिया के अपने दौरे के समय हाल ही में भारत भी आये थे । उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ गैर-सरकारी अमरीकी पूंजी को भारत में बड़ी मात्रा में लगाये जाने की गुंजाइश के सम्बन्ध में बातचीत नहीं की थी । "इकनामिक टाइम्स" के 29 नवम्बर, 1968 के अंक में छपे समाचार से पता चलता है कि श्री मूर ने भारत में उन्नति की दिशा में "स्पष्ट प्रगति" देखी और वहां विदेशी पूंजी लगाने के लिये उससे कहीं अधिक अनुकूल वातावरण पाया जितना कि विदेशों में लोग महसूस करते हैं । उन्होंने, नई दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में उप-प्रधान मन्त्री और अन्य भारतीय मन्त्रियों तथा अधिकारियों द्वारा विदेशी पूंजी लगाये जाने के सम्बन्ध में भारत की नीति पर दिये गये वक्तव्यों को "निश्चित और महत्वपूर्ण" बताया । इस सम्बन्ध में उन्होंने सरकार की इस घोषणा का विशेष रूप से स्वागत किया जिसमें यह कहा गया है कि विदेशी सहयोग के मामले को तीन महीने के अन्दर निपटा दिया जायेगा । उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि यदि विदेशी व्यापारी, भारत सरकार की नीतियों को और अच्छी तरह समझें और भारत में विकास की तेज गति को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि भारत में पूंजी लगाने के ऐसे अवसर मौजूद हैं जिनसे काफी लाभ हो सकता है ।

राजस्थान में इन्जीनियरों की बेरोजगारी

4730. श्री नि० रं० लास्कर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राणा प्रताप सागर बांध परियोजना तथा सीमावर्ती सड़कों के निर्माण कार्य के पूरा हो जाने से अगले वर्ष राजस्थान सरकार की सेवा में काम कर रहे लगभग 1000 इन्जीनियरों तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या 1971 में जवाहर सागर बांध के पूरा हो जाने से स्थिति और भी बिगड़ जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों को अन्य रोजगार देने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजनाओं के पूर्ण होने पर कुछ इन्जीनियर तथा तकनीकी कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। यदि माही बांसवाड़ा (वंसवाड़ा) परियोजना चौथी योजना के दौरान शुरू की गई तो इनमें बहुत से लोग उस परियोजना पर खपाए जा सकते हैं।

रामेश्वरम् के निकट तेल का सर्वेक्षण

4731. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारम्भिक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि रामेश्वरम् के आस-पास तेल के व्यापक भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उपपत्तियां क्या है; और

(ग) उस क्षेत्र से व्यापारिक दृष्टि से तेल निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : जी नहीं, सर्वेक्षणों से केवल हाईड्रोकारबन्स के संग्रह के लिए अनुकूल स्थल-मण्डल परिस्थितियों का पता चला है। इसका व्यधन द्वारा परीक्षण करने की आवश्यकता होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Central Government Employees

4732. Shri Nibal Singh : Will the Minister of Finance be pleased to state the basic scales of the Class I, Class II and Class III employees of the Central Government and the rates of increments in each category ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : It is not readily feasible to give information in respect of all categories of Central Government employees. The information in respect of common categories of posts in the Central Secretariat is given in the Annexure. [Placed in Library See No. L T. 2725/68]

नई दिल्ली स्थित आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज में न्यूरोलाजी के प्रोफेसर का चयन

4733. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित आल इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज में न्यूरोलाजी के प्रोफेसर के पद के लिए हाल ही में विज्ञापन निकाला गया था और यदि हां, तो उसके लिये क्या अर्हताएं-शिक्षा और व्यवसाय सम्बन्धी नियत की गई थीं;

(ख) इस पद के लिए कितने आवेदन-पत्र आये थे और प्रत्येक आवेदक की शिक्षा और व्यवसाय सम्बन्धी अर्हताएं क्या-क्या थीं और प्रत्येक का अनुभव क्या-क्या था;

(ग) सफल उम्मीदवार का चयन और नियुक्ति करने की रीति क्या थीं;

(घ) क्या यह सच है कि जो आवेदक इस पद के लिए चुना गया है उसे न तो स्नातकोत्तर छात्रों को निश्चित वर्षों तक न्यूरोलाजी पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है और न ही उसे न्यूरोलाजी के क्षेत्र से सम्बन्धित कोई विशिष्ट शैक्षिक या व्यावसायिक योग्यता और प्रशिक्षण प्राप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को छांट लेने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। इस पद के लिए विहित अर्हताएं तथा अनुभव इस प्रकार थे--

अनिवार्य

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची के भाग दो में उल्लिखित एक चिकित्सा अर्हता (तीसरी अनुसूची के भाग दो में उल्लिखित अर्हता धारी व्यक्तियों को इस अधिनियम की धारा 13(3) में विहित शर्तों की पूर्ति करनी चाहिए)।

(2) इस क्षेत्र में एक उच्च स्नातकोत्तर अर्हता।

(3) किसी राज्य चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत।

(4) इस क्षेत्र में विहित स्नातकोत्तर अर्हता के उपरान्त कम-से-कम दस वर्ष का शिक्षण और अथवा अनुसन्धान कार्य का अनुभव।

वांछित

(1) चिकित्सा सामाजिक कार्य।

(2) खेल और मनोरंजन गतिविधियों के उन्नयन।

(3) चिकित्सा विषयक पत्रकारिता तथा अन्य साहित्यिक गतिविधियों का अनुभव तथा इनके संगठन में योगदान। चयन अधिकारी की स्वेच्छा से अनिवार्य अर्हताओं में छूट दी जा सकती थी।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2726/68]

(ग) इस पद के लिये चयन इस संस्थान की चयन समिति ने सामान्य कार्य विधि के अनुसार किया था तथा इस पद पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से की गई थी जैसा कि संस्थान के सांविधिक नियमों के अधीन अपेक्षित था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गृह-कार्य मन्त्रालय के प्रवक्ता द्वारा हरयाणा के बारे में कथित वक्तव्य

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I call the attention of the Ministry of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon:

"Reported statement by the spokesman of the Home Ministry and Broadcast by the AIR on the 10th December, 1968 that the Chief Minister of Haryana, who had lost the majority in the Assembly, was within his rights to advise the Governor to dissolve the State Legislative Assembly."

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैंने गत सप्ताह हरयाणा की घटनाओं के बारे में प्रेस का कोई वक्तव्य नहीं दिया था । मैं इस सदन में एक से अधिक बार बता चुका हूँ कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को सांविधानिक मुखिया के रुप में और अपने मंत्री मण्डल की सलाह से कार्य करना होता है । हरयाणा की घटनाओं के बारे में सरकारी प्रवक्ताओं के वक्तव्यों के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचार राज्यपालों की सांविधानिक स्थिति के बारे में मेरी टिप्पणियों से निकाले गये निष्कर्षों पर आधारित प्रतीत होते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question is whether the spokesman of the Home Ministry made this statement to the Press including the AIR that if the Chief Minister of Haryana advises the Governor to dissolve the Assembly, the Governor will have to act upon his advice ? It is very surprising that the hon. Home Minister has denied this fact. In my calling Attention Notice I have used the words 'spekesman of the Home Ministry' and I am prepared to prove it. You refer this matter to the Privileges Committee and I shall prove my contention. After all AIR is a Govt. organ and it cannot broadcats anything in the name of spokesman of the Home Ministry unless it actually emanates from there,

Mr. Deputy Speaker on the 9th December, 41 MLAs of Haryana presented themselves before the Governor and handed him over a memorandum on behalf of the 42 MLAs. It thus became evident that the Bansilal Ministry did not enjoy the support of the majority. We raised this issue here on the 10th December. The hon. speaker then ruled that it was for the State Assembly to decided this issue and that the meeting of

the Assembly should be called within a week. But instead of instructing the Governor to summon the Assembly for a trial of strength, the Home Minister is denying the statement that appeared in his name in the "Statesman." I am quoting the "Statesman."

"Bansilal is within his rights to advise the dissolution Chavan."

Is the Home Minister prepared to apply this yardstick in the case of other States? We have the cases of Punjab and West Bengal before us. There the Governors acted quite differently. I want to know whether the statement of the spokesman of the Home Ministry was based on any decision of the Cabinet ?

I am raising a question of principle. This thing should not apply only to a particular State or a particular party. We shall have to evolve certain traditions for the whole country. will the Governors apply different yardsticks ? Will the Home Ministry hold out the threat of dissolution when some Congress Ministry was in danger ? What happened in Haryan ?

Can Governors act arbitrarily as has happened in Haryana ? Will the Home Ministry interpret important constitutional provisions on conside rations of party ? I want answers to all these questions and they should not try to evade them.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। केन्द्रीय सरकार का इस मामले में कोई दृष्टिकोण बनाने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि केन्द्रीय सरकार का काम संविधान की व्याख्या करना नहीं है। जब मध्य प्रदेश की समस्या पर यहां विचार हो रहा था तब मैंने कहा था कि मुख्य मंत्री द्वारा राज्यपाल को जो सलाह दी जाती है राज्यपाल को उसे मानना चाहिये।

माननीय सदस्य ने आकाशवाणी की घोषणा का उल्लेख किया है। उसमें 'आफिशियल स्पोक्समैन' का उल्लेख नहीं है अपितु 'आफिशियल सर्किल्स' का उल्लेख है। "आफिशियल सर्किल्स" मैंने पहले जो कुछ कहा यदि उसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें गलती क्या है ? हरयाणा में इस समय जो स्थिति है, यह राज्यपाल, मुख्य मंत्री और विधान सभा के बीच का मामला है। हम इसमें क्या कर सकते हैं ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had asked whether the view expressed by the Home Minister that a Chief Minister whose Ministry was in danger was within his rights to advise the Governor to dissolve the Assembly in his own or of the Committee on Defections or of the whole Cabinet? What is the policy of the Cabinet ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य संविधान को ठीक तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। मंत्रिमण्डल का तो इस मामले में कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज्यपाल क्या करे, क्या न करे केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has made contradictory statements. On the one hand, he says that what a Governor should do or should not do is none of the business of the Central Government. On the other, he says that Governor is bound to accept the advice of the Chief Minister.

I do not think that there is any difference between "official spokesman" and "official circles". The hon. speaker had expressed the view that the Assembly should be summoned within a week. That advice remained unheaded. But on the other hand, advice is tendered by the Centre that whatever the Chief Minister says the Governor is bound to accept his recommendation.

I want to know whether the Governors of other States will also be issued such instructions ? When the Chief Minister of Punjab, Sardar Gurnam Singh, advised the Governor to dissolve the Assembly, why the Governor did not act upon that advice ? Did the Home Minister then remaind the Governor that he was bound to accept his advice ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि मेरे से पूछा जाता तो उस समय भी मैं यही राय देता ।

Shri Rabi Ray (Puri) : According to the "Statesman" the Home Minister said. "Bansilal is within his rights to advise dissolution " If he had not made such a statement it should have been contradicted by the Home Ministry.

The Home Minister is to see that the Constitutioal provisions are implemented properly. But the reality is that the Ministry have a different yardstick to apply in different cases. In Punjab and West Bengal they wanted to see the downfall of the non-Congress Governments and but in Haryana their objective was to save the Congress Ministry. The AIR broadcast was meant to give a handle to the Haryana Chief Minister.The report of the Defection Committee has been received. Was the question of dissolution discussed in the committee; if so whether it did not come before the committee that a chief Minister enjoying the support of the minority would not be permitted to advise dissolution of the Assembly to the Governor ? Do they agree with it ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दल बदल समिति में जो विचार विमर्श हुआ वह बड़ा मजेदार है । रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर उस पर विचार होगा । परन्तु मेरे लिये समिति के सदस्यों के विचार संक्षिप्त में बताना बड़ा कठिन काम है ।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : गृह मन्त्री महोदय संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल के अधिकारों के बारे में कह रहे थे । यह तथ्य है कि हरयाणा के मुख्य मन्त्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है परन्तु गृह मन्त्री तथा राज्यपाल केन्द्र के इशारे पर उन्हें बनाए रखना चाहते हैं । यह मापदण्ड जो अब लागू किया जा रहा है श्री अजय कुमार मुकर्जी के मामले में क्यों नहीं लागू किया गया ? उत्तर प्रदेश के विधायक राष्ट्रपति के सामने उपस्थित हुए और उन्हें बताया कि वे अभी भी बहुमत में हैं परन्तु उनकी गिनती भी नहीं की गई और उस मन्त्रालय को बर्खास्त कर दिया गया । मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि वे अपने इन दोहरे मापदण्डों को कब छोड़ेंगे । क्या वे अब राज्यपाल को हिदायत देंगे कि वे बिना विलम्ब विधान सभा की बैठक बुलाएं । वहां पर विधायकों को खरीदा जा रहा है । उन्हें मन्त्री पद का लालच दिया जा रहा है । केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा गैर-कांग्रेसी सरकारों विशेषकर केरल सरकार की आलोचना की जा रही है । केन्द्रीय सरकार की नीति किसी न किसी

तरह गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने तथा उनके स्थान पर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने की रही है । क्या उनकी नीति यही रहेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण , माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है । उन्होंने तो मुझ पर दोहरे मापदण्ड का आरोप लगाया है । उन्हें स्वयं से पूछना चाहिये कि क्या वे स्वयं दो मापदण्ड नहीं अपना रहे हैं-एक बंगाल के बारे में और दूसरा हरयाणा के बारे में ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बात नहीं है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : बात बिल्कुल यही है । हरयाणा और बंगाल में स्थिति भिन्न-भिन्न है । बंगाल में राज्यपाल को विश्वास हो गया था कि सरकार बहुमत में नहीं थी । परन्तु इस मामले में राज्यपाल ने सरकार को अल्पमत में नहीं पाया ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : कांग्रेसी नेता 20 वर्षों से दल बदल को बढ़ावा देते आ रहे थे परन्तु 1967 के चुनावों के बाद दलबदल के कारण एक के बाद एक कांग्रेसी मन्त्रालय गिरने लगे तो उन्हें चिन्ता हुई कि इसकी रोकथाम के उपाय खोजे जायें । इसके लिये समितियां नियुक्त की गईं । कहीं से यह सुझाव प्राप्त हुआ कि दलबदल को रोकने के लिये प्रधान मन्त्री तथा मुख्य मंत्रियों को जिन्हें दल बदल का खतरा हो या जो बहुमत में नहीं रहे हों सभा का विघटन करने की शक्ति दी जानी चाहिये । सभा में तथा दलबदल समिति में भी यही कहा गया कि उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये और इसके समर्थन में ब्रिटेन की परम्परा का उल्लेख भी किया गया ।

भारत में इस तरह का कोई पूर्व उदाहरण न होने के कारण राज्यपालों द्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तरीके अपनाए गये । इसे दृष्टि में रखकर आपके कहने पर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया । सम्मेलन द्वारा सुझाव दिया गया कि बहुमत के समर्थन के बारे में सन्देह होने पर मुख्य मंत्री को एक सप्ताह के अन्दर विधान सभा की बैठक बुलानी चाहिये और विधान सभा में इसका निर्णय किया जाना चाहिये । यदि कोई परिपाटी या सिद्धान्त न बनाए हुए होते तो कोई बात नहीं थी परन्तु इन सिद्धान्तों के होते हुए हरयाणा के मुख्य मंत्री ने राज्यपाल को एक सप्ताह के अन्दर विधान-सभा की बैठक बुलाने की सलाह क्यों नहीं दी ? यह मेरा आरोप है । आकाशवाणी तथा समाचारपत्रों द्वारा इस समाचार ने, चाहे वह 'अधिशियल सर्किल्स' के माध्यम से प्राप्त हुआ था या गृह-मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था, धमकी का काम दिया । इसका कुछ विधायकों को वापस जीतने के लिये प्रयोग किया गया । जिस बात की गृह-मंत्री तथा हम निन्दा करते आए हैं उसी बात को गृह-मंत्रालय के प्रवक्ता ने बढ़ावा दिया ।

दूसरे यह सिद्धान्त बनाया गया है कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों की कोई सीमा होनी चाहिये । हमें पता चला है कि हरयाणा मंत्रालय का विस्तार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । क्या ऐसे सिद्धान्त के होते हुए यह विस्तार न्यायोचित होगा ?

मेरा पहला प्रश्न यह है । क्या आकाशवाणी को यह समाचार गृह मन्त्रालय के किसी प्रवक्ता द्वारा दिया गया था या गृह मंत्री के पिछले वक्तव्यों से यह निष्कर्ष निकाला गया और

यदि किसी ने आकाशवाणी को यह खबर दी थी तो उस व्यक्ति का नाम क्या है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है। क्या बहुमत के न होने पर भी राज्यपाल के लिये मुख्य मंत्री की बात मानना जरुरी है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पीठासीन अधिकारियों की उपर्युक्त सिफारिश को मानती है ? अभी भी हरियाणा में बहुमत का कोई पता नहीं है। क्या अब भी वे राज्यपाल को विधान सभा की बैठक बुलाने के लिये कहेंगे जिससे यह पता लग सके कि मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने दल बदल समिति में विचार विमर्श के बारे में कुछ प्रश्न उठाए हैं। वे उसके सदस्य थे। उन्हें पता है कि वहां पर उन्होंने क्या कहा था।

जहां तक मन्त्रालयों के सदस्यों की अधिकतम संख्या का प्रश्न है, समिति ने इस बारे में सिफारिश की है। परन्तु अभी उसका प्रतिवेदन सभा के सामने नहीं आया है और न ही सभा ने उसे स्वीकार किया है। जब तक उन सिफारिशों के आधार पर कोई विधान नहीं बन जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया गया है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि किस ने वह समाचार दिया, मैंने कहा है कि हो सकता है कि मेरे मंत्रालय के ही किसी अधिकारी ने मेरे 1967 के वक्तव्य के आधार पर इस तरह उसकी व्याख्या करने की कोशिश की हो। मेरा उसमें कोई दोष नहीं है।

श्री बलराज मधोक : : मेरे प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर नहीं दिये गये हैं।

क्या सरकार पीठसीन अधिकारियों के सम्मेलन की सिफारिशों को मानती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं उनके प्रस्तावों का सम्मान करता हूं परन्तु उन पर अमल करना मेरे बस की बात नहीं है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं एक गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्री शशि भूषण ने इस विषय को लेकर भूख हड़ताल शुरू की हुई है कि बड़ला भवन को राष्ट्रीय स्मारक का रूप दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों को नहीं देखा है। मैं उन्हें देखूंगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के जीवन बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारत के जीवन

बीमा निगम के 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2693/68**]

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 25 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) विज्ञापनों पर, जिसमें नगर महापालिका, कानपुर, द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन शामिल नहीं हैं, कर के निर्धारण तथा वसूली संबंधी नियम, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के उत्तर प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4313 बी/XI-सी- 31-एम टी-62 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विज्ञापनों पर, जिसमें नगर महापालिका, वाराणसी, द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन शामिल नहीं हैं, कर के निर्धारण तथा वसूली संबंधी नियम, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968, के उत्तर प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4345-बी/XI-सी-56-एम टी-60 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2694/68**]

छोटा परिवार आदर्श समिति का प्रतिवेदन

डा० एस० चन्द्रशेखर : मैं छोटा परिवार आदर्श समिति के प्रतिवेदन (1968) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2695/68**]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-

(एक) जी० एस० आर० 2125 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, और जिसमें दिनांक 16 नवम्बर, 1968 की जी० एस० आर० 2019 का शुद्धि पत्र दिया गया है ।

(दो) जी० एस० आर० 2141 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 2142 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी० एस० आर० 2143 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2696/68]**

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (18 वां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2089 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (19 वां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2091 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (20वां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2102 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2697/68]**

(3) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 25 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधिसूचना संख्या एस०टी०-3686/ X-1008 (56)-67 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 15 नवम्बर, 1968 के उत्तर प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[पुस्तकालय में रख गई। देखिये संख्या एल० टी० 2698/68]**

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, हिन्दुस्तान इसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के वर्ष 1967–68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड का 1967–68 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां।

(2) (एक हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2699/68]**

उत्तर प्रदेश सिविल विधियां संशोधन अधिनियम, 1968

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मै श्री मुहम्मद यूनस सलीम की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सिविल विधियां संशोधन अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 35) की एक प्रति जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2700/68]**

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): I beg to lay on the Table :

(1) (i) A copy of the Annual Accounts of the West Bengal State Electricity Board, for the year 1966-67 and the Audit Report thereon, under sub-section (5) of section 69 of the Electricity (Supply) Act, 1948, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 20th February, 1968, issued by the President in relation to the State of West Bengal.

(ii) A statement showing reasons for delay in laying the above accounts.

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2701/68]

(2) (i) A copy each of the following documents under sub section (1) of section 75 of the Electricity (Supply) Act, 1948, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 25th February, 1968 as varied by Proclamation dated the 15th April, 1968, issued by the President in relation to the State of Uttar Pradesh :—

(a) Annual Administration Report of the Uttar Pradesh State Electricity Board for the year 1963-64. (Hindi and English versions).

(b) Annual Administration Report of the Uttar Pradesh State Electricity Board for the year 1964-65.

(ii) A statement showing reasons for delay in laying the above Reports.

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2702/68]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

कार्यवाही सारांश

श्री तिरुमल राव (काकीनाडा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 8वीं बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 8वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित 14 सदस्यों को प्रतिवेदन में दिखाई गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी है : —

(1) रानी ललिता राज्य लक्ष्मी

(2) श्री ललित सेन

(3) श्री के० आर० गणेश

(4) श्री पेंदेकन्टि वेंकटासुब्बया

(5) श्री तयप्पा हरि सोनावने

(6) श्रीमती इलापाल चौधरी

(7) श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी

(8) श्री के० जगैया

(9) श्री एम० एन० नाघनूर

(10) महारानी विजयमाला राजाराम छत्रपति भोंसले

(11) श्री मधु लिमये

(12) श्री पाशाभाई पटेल

(13) श्री एस० आर० दामानी

(14) श्री इब्राहीम सुलेमान सेट

क्या सभ समिति की सिफारिशों से सहमत है ?

माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति की अनुमति दी जाती है । इन सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा ।

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

INDIAN POST OFFICE (AMENDMENT) BILL

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

डा० राम सुभग सिंह : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I oppose this Bill. This Amending Bill is not in keeping with the recommendations of the Tariff Commission. The Commission has recommended that the automobile industry should continue under the present scheme of protection. But by this Bill this protection is being discontinued.

The Tariff Commission has recommended that the development of this industry should be watched but the Bill contains an amendment in regard thereto as well.

This Bill is not going to accelerate the pace of development of industries and particularly of the automobile industry. Therefore I oppose it.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं और संसद् के दो अन्य सदस्य दंगों के कारणों के बारे में सूचना एकत्र करने, राज्य सरकार तथा अन्य लोगों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि पीड़ित व्यक्तियों को समुचित मुआवजा दिया जाये, कटक के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गये ।

यह खेद की बात है कि पुलिस के कुछ लोग (विशेष शाखा) हम लोगों का पीछा करते रहे । वे लोग निस्सन्देह जनता के साथ हमारी बातचीत को दर्ज करने के लिये तैनात किये गये थे । यह स्पष्ट है कि सरकार का इरादा संसद सदस्यों के कार्यों में बाधा डालना था । उड़ीसा सरकार के इस तरह के आचरण से इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है ।

केन्द्रीय सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : This should be take up as a privilege issue,

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हम भी कई बार कुछ राज्यों के दौरे पर गये हैं। मैं नहीं कह सकता कि मेरा पीछा नहीं किया गया था। अंग्रेजी शासन में भी पीछा किया जाता था और वर्तमान शासन में भी पीछा किया जाता है। पीछा किये जाने के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी तो यह सुरक्षा का काम देता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या हम फासिस्ट राज्य में हैं।

श्री रंगा : निस्संदेह मैं चाहता हूं कि किसी का हर समय पीछा नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु किसी भी देश में बिना इसके कार्य नहीं चल सकता है। किन्तु यह अवश्य होना चाहिए कि पीछा दिखा कर नहीं होना चाहिए और जिसका पीछा किया जाये उसे तंग न होना पड़े। अतः मैं समझता हूँ कि किसी सदस्य द्वारा भारत सरकार से यह मांग करने के लिये कहना उचित नहीं है कि इस मामले की जांच की जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस मामले में माननीय सदस्य श्री रंगा द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूँ : यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। कभी कठिन परिस्थिति से गुजरने वाले व्यक्ति के लिये सुरक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता है। मैं यह मानता हूँ कि पीछा खुले आम नहीं करना चाहिए। यह भी सच है कि माननीय सदस्यों को कोई कार्य करने से नहीं रोका गया था।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मुझे आशंका है कि गृह मंत्री महोदय ने यह मामला और अधिक बिगाड़ दिया है। हमारा कहना यह है कि किसी सदस्य को अपना कार्य बिना किसी बाधा के करने देना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु आदि अपना कार्य अच्छी तरह नहीं कर सके क्योंकि उनका पीछा किया गया था। स्वतंत्र देश में इस प्रकार की कार्यवाही उचित नहीं है। यह एक गंभीर मामला है, इसलिये यह विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। ऐसा करने से राज्य सरकार का किसी प्रकार का अपमान नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने यह श्री ज्योतिर्मय बसु से सुना है किन्तु मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं सुनी। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु से बातचीत करके कठिनाई का पता लगाऊंगा और उसके बाद ही इस बात का निर्णय किया जा सकेगा कि इसे विशेषधिकार समिति को सोंपा जाये अथवा नहीं। इस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है

आवश्यक सेवाएं (बनाये रखना) अध्यादेश के बारे में संकल्प-जारी

RESOLUTION RE: ESSENTIAL SERVICE (MAINTENANCE) ORDINANCE CONTD

———

आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का विधेयक-जारी

ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL-CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी द्वारा 10 दिसम्बर, 1968 को प्रस्तुत किये गये निम्न लिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी, अर्थात् :—

"यह सभा आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का अध्यादेश, 1968. (1968 का अध्यादेश संख्या 9) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 13 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया था, निरनुमोदन करती है।"

सभा श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा, 11 दिसम्बर, 1968 को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर भी आगे विचार करेगी, अर्थात

"कि कतिपय आवश्यक सेवाएं तथा प्रसामान्य सामुदायिक जीवन बनाये रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

हम इस विधेयक पर पर्याप्त समय ले चुके हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक पर 264 संशोधन है। इसलिये कार्य मंत्रणा समिति ने इसके द्वितीय वाचन के लिये 4 घंटे का समय नियत किया है। इसके अतिरिक्त इस विधेयक के प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ पत्र सदस्यों को दिये जायेंगे या वह सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य देंगे। किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में बिना बताये मंत्री महोदय हमसे चाहते है कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाये।

गृह-कार्य मंत्री तथा गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, दोनों, सभा में उपस्थित हैं। उन्हें इस सम्बन्ध मे वक्तव्य देना चाहिए। इस विधेयक को पारित करने से पहले यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगले सत्र में सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रही है। यह विधेयक भी अगले सत्र में ही पारित किया जा सकता है।

Shri George Fernandes (Bomboy-South) : Sir the other day Mr. Deputy Speaker requested the Minister to give some detailed information about the alternative machinary proposed to be set up by the Government as he thought it useful for the discussion here. But that information has not so far been given.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसके बारे में कल बताऊंगा।

Shri George Fernandes : The rules were reffered to the Surbodinete legislation Committe , Now the report of the Committee has been received. I ave given a notice on it. We would like to have a discussion on the amendment made by the Committee.

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न बहुत सगत हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय आगामी विधेयक के बारे में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देंगे। यह विधेयक अध्यादेश के स्थान पर पारित किया जा रहा है अतः इसे पारित करना भी आवश्यक है। फिर भी यदि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ बता दे तो यह अच्छी बात होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये कहा जाये।

अध्यक्ष महोदय : अधीनस्थ विधान समिति का प्रतिवेदन मंत्री महोदय के पास है ही और यह सभी सदस्यों में बाटी गई थी। जब इस खंड विशेष पर चर्चा होगी तो यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्यों को उस पर चर्चा का अवसर मिलेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : हम इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। अब समिति की सिफारिशें आगई हैं जिनमें उसने वैकल्पिक विधान के लिये कहा है। किन्तु मत्री महोदय ने अभी तक कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैंने एक संशोधन दिया है।

अयध्क्ष महोदय : वह खंड चर्चा के लिये आने पर उस पर चर्चा की जा सकती है। माननीय सदस्य स्वय संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि अध्यक्षपीठ तथा सदस्य चाहें तो मैं वैकल्पिक विधान के बारे में वक्तव्य देने के लिये सदा तैयार हूं। चूंकि अभी तक माननीय सदस्य बोल रहे थे इसलिये मैंने वक्तव्य नहीं दिया।

जहां तक अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रश्न है, यह कहना गलत है कि सरकार उसकी सिफारिश को नहीं मान रही है। हमने एक संशोधन सभा पटल पर रखा है, जिसमें इस समिति की सिफारिश को पूरी तरह मान लिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने संशोधन संख्या 265 तक सभी संशोधन देखे हैं किन्तु उनमें सरकारी संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह अभी तक परिचालित नहीं की गई है तो परिचालित कर दी जायेगी।

मंत्री महोदय भी अध्यक्षपीठ द्वारा कहे जाने पर वैकल्पिक विधान के बारे में कुछ बताने के लिये तैयार हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सभा के पुनः समवेत हो जाने के बाद वक्तव्य दूंगा क्योंकि मैं उस समय सभी सम्बन्धित कागजात अपने साथ ले आऊंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने एक संशोधन रखा है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : (गोंडा) मैंने भी एक संशोधन रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि संशोधन समय पर मिल गये होंगे तो उन्हें परिचालित किया जायेगा । मैं चाहता हूं कि हम इस विधेयक को नियत समय के अन्दर पारित कर लें । इस पर खंडवार विचार के लिये 3 घंटे और तृतीय वाचन के लिये 1 घंटे का समय नियत किया गया है । यदि प्रत्येक खंड पर संशोधन आने लगे तो उन सबको लेना कठिन हो जायेगा । यह समय कार्य मन्त्रणा समिति ने नियत किया है और हमें उसके अनुसार ही चलना है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आपकी अनुपस्थिति में जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि वह एक घंटे का समय और दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक घंटे का अतिरिक्त समय से काम चल सकता है मुझे प्रसन्नता है किन्तु हमें इसका ठीक-ठीक पालन करना होगा । अब स्थिति यह कि इस पर खंडवार विचार के लिये 3 घंटे और तृतीय वाचन के लिये 1 घंटे का समय नियत किया गया है तथा 1 घंटे का समय अध्यक्ष की ओर से बढ़ाया गया है ।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह एक काला और क्रूर कानून है । इस समय जबकि यह कानून बनाया जा रहा है, हमें भारत की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए । यह विधेयक 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के कारण सरकारी कर्मचारियों की उचित मांगों को दबाने के लिये लाया गया है । इस विधेयक के पारित हो जाने से कर्मचारी सामूहिक रूप से अपनी मांगे नहीं रख सकेंगे ।

आज देश में जब मूल्य तेजी से बढ़ रहे है और जीवन निर्वाह सूचकांक बढ़ जाने से देश के लाखों लोग भुखमरी का सामना कर रहे है, सरकार सेना और पुलिस की शक्ति से लोगों को दबाने का प्रयत्न कर रही है । सरकार को वास्तव में करना यह चाहिए था कि जनता की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं पूरी हों ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जिस नीति का आज तक दीर्घकाल से अनुसरण करती आ रही है आज इस विधेयक के द्वारा बिल्कुल उस नीति को समाप्त ही किया जा रहा है । श्रम के सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति के सम्बन्ध में हम लोगों ने प्रधान मंत्री से भी भेंट की तथा उन्हें पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराया ।

अब मैं इस श्रमिक आन्दोलन के इतिहास पर कुछ प्रकाश डालूंगा । वर्ष 1929 में भारतीय व्यापार विवाद अधिनियम के द्वारा हड़ताल करने, सामूहिक रूप से मांगें मनवाने तथा तालाबन्दी करने का अधिकार छीन लिया गया था । इस दिशा में काफी संघर्ष के बाद वर्ष 1939 में बम्बई व्यापार विवाद अधियम स्वेच्छा से समझौते तथा स्वेच्छा से निर्णय की बात मान ली गई थी । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के द्वारा इसे कानूनी रूप दिया गया ।

किन्तु आज वर्ष, 1968 में जबकि अधिकार का और इस अधिक सहित करण किया जाना चाहिए था इस कानून के द्वारा इसे छीना जा रहा है। सरकार कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार तो छीन रही है किन्तु वह कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने तथा विवादों को हल करने के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही है। जापान, अमरीका आदि पूंजीवादी देशों में भी हड़ताल पर इस प्रकार मनमाने ढंग से प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार अमरीका में सरकार हड़ताल आदि के अवसरों पर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का अधिकार पर बहुत कम तथा बहुत कम समय के लिये प्रतिबन्ध लगाती है। सरकार वहां पर अधिकतर कर्मचारियों के हित में ही कानून बनाती है। कर्मचारी सामूहिक रूप से अपनी मांगे रख सकते हैं। वहां पर जब कभी भी ऐसे अवसर आते हैं जब कि हड़ताल आदि से देश के हित को हानि पहुंचती है, तभी सरकार थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करती है। सरकार पहले समूचे तथ्यों का पता लगाने के लिये कोई बोर्ड बिठाती है और उसके बाद दोनों पक्षों को परस्पर किसी समझौते पर पहुंचने का पूरा अवसर देती है। किन्तु हम भारत में यह देखते हैं कि सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना तो की है किन्तु इस विधेयक के द्वारा सरकार पिछले अपने करे कराये पर पानी फेर कर कर्मचारियों के अधिकारों को ही छीन रही है।

प्राय: यह कहा जाता है कि उत्पादिता के अनुसार मजूरी निर्धारित की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कुछ निहित स्वार्थों का हाथ है। आज उत्पादिता के अनुसार मजूरी निर्धारित करने की बात पुरानी पड़ गई है। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि मजदूरी अधिक दी जाये तो उत्पादिता बढ़ सकती है, जैसा कि हम जापान आदि देशों में देखते हैं। जापान में वर्ष 1965-66 की तुलना में वास्तविक मजूरी में 13.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। किन्तु भारत में स्थिति शोचनीय है। इस देश की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती ही गई है। वर्ष 1947 से 1955 की अवधि में भारत में वास्तविक मजूरी में कुछ वृद्धि हुई थी। 1955 से 1960 की अवधि में यह स्थिर रही, 1960 से 1965 की अवधि में यह घटती गई और आज यह वर्ष 1961 की तुलना में घट कर 89.8 प्रतिशत रह गई है। दूसरी ओर देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने से जीवन निर्वाह सूचनांक वर्ष 1961-62 में 100 से बढ़ कर आज 213 हो गया है। जो भी पूंजी देश के उद्योगों में लगाई है उससे केवल चन्द लोगों को ही लाभ हुआ है। इसके परिणामस्वरूप धन का कुछ हाथों में केन्द्रीयकरण हो गया है और धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। देश के 70 प्रतिशत बच्चे शिक्षा न पा सकने के कारण निरक्षर ही रह जाते है। फिर भी सरकार समाज के इस निर्बल को सहायता देने के बजाय यह तानाशाही कानून लाकर उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहती है। किन्तु मैं सरकार को स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूं कि कानून द्वारा कर्मचारियों को अपनी मांगे सामूहिक रूप से रखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकार को समय की नब्ज पहचाननी चाहिए और कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थागित हुई

The Lock Sabha Then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बज कर पांच मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re: assembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the chair.* }

श्री स० कुण्डू : हमारे देश की आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है जब कि श्रम सम्बन्धी नीति और आर्थिक विकास में समन्वय रखा जाये। मजदूरों की उचित मांगे पूरी करने पर ही देश का सतुलित आर्थिक विकास हो सकता है और सभी वर्गों को लाभ हो सकता है। सरकार द्वारा आज यह विधेयक लाये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि हम आज 1968 के प्रजातंत्र राज्य में नहीं रह रहें बाल्कि मध्यकालीन पूंजीवादी राज्य में रह रहे हैं।

यह विधेयक संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है। सविधान के अनुसार हमें स्वतंत्र जीवन निर्वाह करने का अधिकार है। कर्मचारियों को सामूहिक रूप से अपनी मांगे रखने तथा हड़ताल करने के अधिकार से वंचित कर करके सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है।

हो सकता है कि आज उच्चतम न्यायालय कहदे कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ग) के अन्तर्गत हड़ताल करने का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। किन्तु कुछ समय के बाद जब समाज ही बदल जायेगा तो उच्चतम न्यायालय को भी यह मानना पड़ेगा कि हड़ताल करने का अधिकार मूलभूत अधिकार है। वर्ष 1952 के मध्य भारत उच्च न्यायालय के एक निर्णय में कहा गया है कि हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार सरकार के पास सीमित है। उस उच्च न्यायालय ने यह माना है कि हड़ताल करने का अधिकार मूलभूत अधिकार है। वर्ष 1962 के उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। न्यायालयों के इन्हीं निर्णयों की पृष्ठ भूमि में हम संविधान के मूलभूत अधिकारी सम्बन्धी अध्याय के संशोधन की मांग कर रहे हैं ताकि इसमें अधिक व्यापकता आ जाये।

सविधान के अनुच्छेद 14 में सब के लिये समान अधिकारों की व्यवस्था हैं। किन्तु इस विधेयक में हम देखते हैं कि मजदूरों से हड़ताल करने का अधिकार तो छीना जा रहा है किन्तु नियोजकों द्वारा तालाबन्दी का मार्ग अपनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। इस प्रकार का भेदभाव सरकार मजदूरों के साथ कर रही है। यदि यह विधेयक इसी स्थिति में पारित किया गया तो न्यायालयों द्वारा यह निष्प्रभावी घोषित कर दिया जायेगा।

विधेयक के खंड 3 में किये जा रहे उपबन्ध के अनुसार यह निर्णय करने का अधिकार अधिकारियों को दिया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में हड़ताल को अवैध घोषित किया जाये। परिस्थितियों के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण विधेयक में नहीं दिया गया है। नौकर-शाह अधिकारी इस अधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग करेंगे जो कि प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। मुझे पूरा विश्वास है कि विधेयक का यह खंड भी कुछ समय के बाद न्यायालयों द्वारा निष्प्रभावी घोषित कर दिया जायेगा।

टोकियो में हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में इस बात पर जो दिया गया था कि जिन देशों ने सामूहिक रूप से मजदूरों द्वारा मांग रखने के सिद्धान्त को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया है वे उसे शीघ्र क्रियान्वित करें। इस बारे में भारत का भी उल्लेख किया गया था। किन्तु सरकार बिल्कुल इस सिद्धान्त के विपरीत कानून बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत संकल्प के विपरीत कार्य कर रही। आज ऐसा प्रतीत हो रहा कि सरकार सत्रहवीं—अठारहवीं शताब्दी की दास प्रथा को, जब कि दास खरीदकर कर अमरीका आदि देशों को बेचे जाते थे, अपनाने जा रही है।

एक सरकार जिसका नैतिक पतन हो गया हो, जो दुर्बल हो गयी हो और जो गिर चुकी हो वह प्रजातंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है। आज हम सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे देश में सभी वर्गों को समान रूप से प्रगति करने, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन निर्वाह करने तथा प्रजातंत्र में स्वतंत्र नागरिक बनने का अधिकार हो। इस सब के लिये सरकार समय की नब्ज पहचान कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : वैकल्पिक व्यवस्था के लिये सरकार जिस प्रस्ताव पर विचार कर रही है उसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार तथा अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी वर्तमान समिति कानूनी आधार दिया जायेगा। मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने योग्य मामले मध्यस्थ निर्णय को सौंपे जायेंगे। ऐसे मामलों के विषय में यदि संसद चाहे तो अपना निर्णय कर सकती है और वही निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

विचाराधीन प्रस्ताव की रूपरेखा इस प्रकार हैं :—

(1) इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्रेणी एक और दो के अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों, प्रबन्धक, प्रशासनिक, पर्यवेक्षक के पत्रों पर कार्य करने वाले किसी निर्धारित सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी सरकारी कर्मचारी आयेंगे।

(2) इस संयुक्त सलाहकार समिति के निम्नलिखित कार्य होगें।

(क) केन्द्रीय सरकार और उसके कर्मचारियों में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाना,

(ख) कर्मचारियों के कल्याण का कार्य करना ;

(ग) कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संम्बन्धित सरकार और कर्मचारियों के विवाद को हल करने का प्रयत्न करना ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य का स्तर तथा कार्यकुशलता में सुधार करने के बारे में विचार करना तथा उसके उपायों के सम्बन्ध सिफारिशें करना।

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, सप्ताह में काम के घंटे, छुट्टी आदि से सम्बन्धित सेवा की शर्तों पर प्रभाव डालने वाली सेवा की शर्तों के बारे में विवाद मध्यस्थ बोर्ड को सौंपे

जायेंगे। यदि वह विवाद मध्यस्थ निर्णय को नहीं सौंपा जायेगा तो उसके कारण बताये जायेंगे। यदि सरकार बोर्ड द्वारा कुछ सिफारिशों में संशोधन करना चाहेगी तो बोर्ड की सिफारिशों तथा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति के लिये संसद के सामने रखा जायेगी। और संसद ही उनमें उचित संशोधन कर सकेगी। चूंकि व्यापक उपायों वाले प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, इसलिये इस विधेयक को आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अध्यादेश के स्थान पर एक अस्थायी कानून के रूप में पारित किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : अब सारी बात समझ में आगई।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर खंड वार विचार करते समय इस विषय पर भी चर्चा की जा सकती है।

श्री स० मो० बनर्जी : आज प्रातः जब व्यवस्था प्रश्न के माध्यम से हमने यह मामला उठाया था, हमें बताया गया कि कोई वैकल्पिक की जायेगी जिससे हम यह समझे थे कि कोई विधेयक लायेगी। किन्तु अब श्री शुक्लजी ने बताया है कि सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मैं समझता हूं जब तक सरकार किये जाने उपायों को किसी विधेयक में शामिल नहीं करती तब तक कार्य कैसे चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारी बात समझ गया हूं। जब कई सदस्यों द्वारा यह मामला व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था, उस समय यह धारणा थी कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक इस विधेयक के मार्ग में बाधाएं ही उत्पन्न होगी। अब मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्तमान विधेयक एक अस्थायी कानून है। यदि माननीय सदस्य मंत्री महोदय के वक्तव्य से संतुष्ट नहीं है तो वह विधेयक पर खंडवार चर्चा के समय संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें विधेयक में शामिल किया जा सकता है। संशोधन के पक्ष में तर्क देना माननीय सदस्यों का काम है और उन्हें स्वीकार करना अथवा न करना सरकार का काम है। मंत्री महोदय ने वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब उसके बारे में विचार व्यक्त करने का माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा।

श्री दत्तात्रय कुण्टे (कोलाबा) : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य का विचाराधीन विधेयक से बहुत कम सम्बन्ध है। अतः मैं इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या इस विचाराधीन प्रस्ताव के लिये इस विधेयक में कोई स्थान है ? यदि नहीं है तो यह केवल वक्तव्य मात्र है। मंत्री महोदय के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है। अतः मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

"अस्थायी" अस्पष्ट है। अस्थायी 10 वर्ष की अवधि के लिये भी हो सकता है। हमें बताया जाना चाहिए कि नया विधेयक कितने समय के बाद लाया जायेगा। मंत्री महोदय का वक्तव्य भ्रम पैदा करने वाला तथा झूठी आशा दिलाने वाला है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति को अधिकार है कि वह सभा पटल पर रखें जाने के बाद नियमों पर विचार कर सकती है और उनमें संशोधन कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर विचार करते समय मैंने विचार व्यक्त किया था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए और उसी के परिणामस्वरूप मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य दिया ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपने यह सुझाव दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसे विधेयक में स्थान दिया जाये ।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : आपने यह तो नहीं कहा था कि यह विधेयक का अंग बने किन्तु यह कहा था कि कर्मचारियों के हड़ताल करने के बुनियादी अधिकार को छीनने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए । जिसका तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध घोषित करने से पहले कुछ व्यवस्था अवश्य होनी ही चाहिए । किन्तु मंत्री महोदय ने आपकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और केवल यह कहा कि कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है । मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पारित होने से पहले ही व्यवस्था के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा संशोधन भी इसी बारे में है कि इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य और इस विधेयक में अन्तर है । विधेयक में ही यह व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ प्रबन्ध कर रही है ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : It has been stated in the statement of objects and reasons that it has always been the endeavour of the Government to provide comprehensive and positive arrangements for the consideration of the legistimate problems and grievances of its employees but in the Bill no such provision has been made. I have, therefore, tabled an amendment in this regard. The Government should clearly state how long it will take them to provide the alternative machinery set out in this Bill so that the objects of the Bill are achieved and assurances given by the Government are fulfilled.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Mr. Deputy Speaker, the proposed scheme to provide alternative machinary is not going to be incorporated in the Bill. It would be better to postpone the consideration of the Bill at this stage with a view to enabling the Government to think seriously over their assurances and incorporate scheme in the Bill itself and place it before the House.

श्री स० कुण्डू : आपने सरकार से यह कह कर बड़ी कृपा की है कि कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार को छीनने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाये । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा केवल वक्तव्य देना ही पर्याप्त नहीं है । ऐसा लगता है कि सरकार अपने वचन से विमुख हो रही है । सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विवाद को सौंपने का है । विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिये न सौंपे जाने की स्थिति में सरकार उसे संसद के सामने रखेगी । इससे समस्या हल नहीं होगी ।

श्री स० मो बनर्जी : इस पर चर्चा स्थगित की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आगे चर्चा आरंभ करे ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There is a saying that charity begins at home. This will be a wrong procedure to say that legislation should be brought if you bring alternate remedy. It is wrong to say that the legislation will be passed only if alternate remedy is brought. If that is applicable to labourers it should also be made applicable to farmers. So many bills have been brought regarding farmers, but at no time alternate remedy was brought regarding them. There have been law of acquisition, law of requisition and so many other laws regarding the farmer, but never any alternate remedy was brought. So my submission is if you are giving alternate remedy then it should be specified that alternate remedy will be given in all cases whether it pertains to the shopkeeper, to the Harijan or to the farmer otherwise it will be a wrong precedure.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : जब मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे थे, तो मैंने उन्हें यह कह कर टोका था कि उन का वक्तव्य 'यदि" और "परन्तु" से भरा हुआ है तथा उसमें निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है । प्रश्न यह है कि जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर पांच वर्ष तक हड़ताल न करने का प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है तो फिर कोई विकल्प भी होना चाहिये । विकल्प की व्यवस्था करने का वचन दिया गया था । परन्तु उन्होने विकल्प के स्थान पर केवल एक वक्तव्य दिया है और उसमें कुछ भी निश्चित नहीं हैं । हम इस विधेयक में अतिरिक्त संशोधन चाहते हैं, ताकि इसमें विकल्प की व्यवस्था की जा सके । हम मानते हैं कि मत्री महोदय को संशोधन लाने में समय लगेगा । परन्तु मेरा निवेदन यह है कि संशोधन अवश्य लाया जाये अन्यथा जो आश्वासन दिये गये हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं । मैंने पहले भी यही सुझाव दिया था तथा अब भी यह सुझाव देता हूँ कि विधेयक का उत्तर देते समय सम्भवतः मंत्री महोदय कुछ और स्पष्टीकरण दे सकेंगा । अतः विधेयक के इस वाचन का समाप्त किया जाये । इस सब बातों पर खंडवार चर्चा के दौरान सम्बद्ध खण्ड पर चर्चा करते समय बहस की जा सकती है ।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) किस खण्ड के अन्तर्गत भविष्य में कुछ करने के आश्वासन की संगत समझा जाये, अन्यथा यह आश्वासन असंगत हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुंटे की बात में कुछ सार है कि विकल्प की व्यवस्था विधेयक में शामिल हो अथवा उसे अलग रखा जाये, परन्तु इस का निर्णय करना मंत्री महोदय का काम है । मैं इस सम्बन्ध में क्या कह सकता हूँ ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Please permit me to make my submission By giving the statement the hon. Minister has admitted that the bill is illconcieved and he has promised to bring another bill to overcome the shortcomings. But this assurance is meaningless. If Government wants to do justice to itself and to the employees also than this Bill should be withdrawn and another bill containing all the assurances whatever Government wants to give should be brought.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : महोदय आपने एक सुझाव दिया था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिये तथा मंत्री महोदय ने कहा था कि वह अवश्य इस पर विचार करेंगे । हम आशा करते थे कि मंत्री महोदय आज जो वक्तव्य देंगे उस में विकल्प की व्यवस्था होगी । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने आज जो वक्तव्य दिया है, क्या आप उस से संतुष्ट हैं ? मैं चाहता हूं कि सरकार को बहुत दृढ़ होना चाहिये तथा साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि कार्मिक संघ भी सुदृढ़ हों । मंत्री महोदय का वक्तव्य संतोषजनक नहीं है । उसमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है । अन्ततः हम कानून बना रहे हैं । उस में निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये । सरकार या क्रमिक संघों या नियोजकों के लिये बाल की खाल उतारने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये तथा इस सम्बन्ध में निश्चित उपबन्ध किये जाने चाहियें, चाहे हमें इसके लिये रात के 12 बजे तक बैठना पड़े । इस में हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे संतुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने एक सुझाव दिया था । मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है । अब यह निर्णय करना सभा का कार्य है कि वह वक्तव्य पर्याप्त है अथवा नहीं ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मेरे माननीय मित्र श्री बनर्जी ने व्यवस्था के प्रश्न के रूप में यह आपत्ति उठाई थी कि इस विधेयक से इस बात का पता नहीं चलता की संयुक्त तंत्र का क्या स्वरूप होगा । उस पर आप ने कहा था कि माननीय मंत्री यह बतायें की संयुक्त तंत्र से उन का क्या अभिप्राय है । माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जिस में सलाहकार मशीनरी की योजना दी गई है । परन्तु उसमें यह नहीं कहा गया है कि इसी समय एक विस्तृत तरीका निकाला जाना चाहिये । इस विधेयक के पीछे इतिहास है । यह एक निश्चित अवधि में अध्यादेश का स्थान लेने के लिये लाया गया है । यदि यह पारित नहीं किया गया तो अध्यादेश व्यपगत हो जायेगा । मशीनरी का पूरा ब्यौरा बनाने में समय लगेगा । अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार पर इस समय दबाव न डालें । सरकार ने इस विधेयक के उद्देश्यों से सम्बन्धित एक योजना बनाई हैं तथा अगले सत्र में माननीय मंत्री से इन सब बातों के बारे में पूछा जा सकता है । सभा को इस का पूरा अधिकार है, परन्तु इस समय सरकार पर दबाव डालना ठीक नहीं है ।

Shri Rabi Ray (Puri): Mr. Deputy Speaker, Sir, my submission is that in pursuance of your suggestion the hon. Home Minister should make some definite provision of an alternate remedy in this Bill. If that is not done and if any definite alternate remedy is not included in this Bill, this Government and this Parliament will become a laughing stock of the people. So my request is that you should direct the Government to call a meeting of the Cabinet for 15 minutes and then suggest a definite remedy In the meantime the discussion of this Bill can be postponed and some otheritem may be taken up. This bill can be taken up a little late. The Government should incorporate a definite alternative remedy in it.

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कहा है खण्डवार चर्चा के समय माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जा सकता है और कोई हल निकाला जा सकता है । इस समय हमें सामान्य चर्चा जारी रखनी चाहिये ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : महोदय आपने कहा था कि चूंकि कर्मचारियों को हड़ताल करने के अधिकार से वंचित करने के विधेयक पर चर्चा की जा रही है, इसलिये उन के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिये । सरकार भी इस बात से सहमत हो गई थी । अब यदि इस विधेयक को वर्तमान रूप में पारित कर दिया जाता है तो यह 13 सितम्बर से लागू हो जायेगा, किन्तु वैकल्पिक व्यवस्था दो महीने क बाद होगी । मेरा सुझाव यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था भी उसी दिन से लागू होनी चाहिये, जिस दिन से विधेयक लागू होता है ।

श्री नारायण राव ने सुझाव दिया है कि हमें इस विधेयक को पारित करना चाहिये, अन्यथा अध्यादेश व्यपगत हो जायेगा । सविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अध्यादेश के स्थान पर हमेशा ही विधेयक लाया जाना चाहिये । संविधान में तो केवल यह कहा गया है कि अध्यादेश को सभा पटल पर रखा जायेगा ।

मैं पुन: अपनी इस बात को दोहराता हूं कि विधेयक तथा वैकल्पिक व्यवस्था एक ही तिथि से लागू होनी चाहियें और इस लिये वैकल्पिक व्यवस्था को भी विधेयक का अंग बनाया जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम इस विधयक से सहमत नहीं है । आप इस विधेयक पर चर्चा जारी रखना चाहते हैं, तो रखिये । माननीय मंत्री ने वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में कुछ कहा है । हम उस से पूर्णतया असहमत है । अत: मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक पर विचारार्थ चर्चा के बाद खण्डवार चर्चा को कल तक स्थागित कर दिया जाये । हमें पता नहीं सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है । सरकार को इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये । माननीय गृह मंत्री द्वारा विरोधी पक्षों की कल 10 बजे बैठक बुलाई जानी चाहिये, ताकि किसी निश्चित बात पर सहमति हो सके । माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि 13 सितम्बर से क्या निश्चित व्यवस्था की जायेगी अन्यथा इस विधेयक के द्वारा तो उन 10,000 कर्मचारियों को सजा ही दी जा रही है, जो इस समय गलियों में भटक रहे हैं ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं । हम नहीं चाहते कि हड़ताल करने के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में खत्म किया जाये । परन्तु साथ ही कुछ सामाजिक परिस्थितियां और आवश्यकतायें हैं जिन में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती । तथापि मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई इस आपत्ति में काफी सार है कि इस प्रकार की सर्वोपरि शक्तियां सरकार को नहीं दी जानी चाहिये जब तक कि सरकार श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती । आपने एक सुझाव दिया था और उसके अनुसरण में सरकार ने एक वक्तव्य दिया है । साधारण परिस्थितियों में सरकार के आश्वासन को स्वीकार किया जाना चाहिये, परन्तु विगत अनुभव के आधार पर माननीय सदस्य सरकार के आश्वासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है । अत: मेरा सुझाव है कि सरकार को जो दो संशोधन, एक श्री लोबो प्रभु द्वारा और एक श्री स० मो० बनर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, उन में से एक संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये । श्री लोबो प्रभु का संशोधन यह है कि हड़ताल पर रोक लगाने वाला कोई आदेश पारित नहीं

किया जायेगा, यदि हड़ताली लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिये वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत हड़ताल कर रहे हैं। श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन है कि यदि दोनों पक्ष अनिवार्य पंच फैसले के लिये राजी हो जाते हैं, तो सरकार को यह कानून पास करने से पहले श्रमिकों को वह अवसर प्रदान करना चाहिये। अतः यदि सरकार समझती है कि वैकल्पिक व्यवस्था को अन्तिम रूप देने में समय लगेगा तो उन्हें इन दो संशोधन में से एक संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम श्रमिकों के विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हो तथा वे अच्छा जीवन व्यतीत करें। परन्तु इसके साथ हम यह भी चाहते हैं कि श्रमिक अपनी जिम्मेदारी समझे।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : It has become clear from the debate on this Bill that Government is not honest in their intention in giving alternate remedy to the employees. While introducing this Bill on 11th instant, the Home Minister said, "We want to give a suitable forum to the Government employees. We are considering to bring for ward a law to provide a good, suitable machinery for positive discussion. We want to put this machinery on a statutory basis so that Government employees have a machinery, so that all their grievances can be discussed between the Government side and the staff side and possible agreement can be achieved. All these matters which have to be agitated outside the statutory bodies can now be agitated inside the body which we are contemplating to make in our law. It is our intention to bring a bill of this kind and come before this hon. House for its approval."

When asked by you as to what Government is contemplating to do about the alternate remedy. The Home Minister said that he would mention that next day. But in his to-day's statement nothing concerete, has been said and it is evident from it that Government in not honest in their intention to provide alternate remedy to the employees. Government has said that this matter is still under their consinderation. They have said that they did not get sufficient time to finalise the proposal. It is an unique argument. The ordinance was promulgated on 13th September and since then Government knew it fully well that they would be replacing it by Bill. So Government got three months time for giving thought to this matter. When Government can bring this Bill. I fail to understand how Government got no time for finalising the proposal of alternate remedy. It is a meaningless argument. So I oppose this Bill.

Almost all the hon. Members who spoke on this Bill have said that this Bill would be declared ultravires and unconstutional by the Supreme Court, when passed. Leaving aside this aspect as to whether it is declared ultravires by the Courts or not, I oppose this Bill very strongly, because it has been brought to curb the Trade Union activities in the country. I want to make it clear that workers are not going to tolerate it. They will definitely defy it with their full strength. I want to warn the Government that Trade Union Movement cannot be curbed by this Bill.

It is very shocking that this Bill to deprive the workers of their right to strike has been brought in the, year 1968, the year in which the 50th Anniversary of Indian Labour Movement is being celebrated, the year in which the centenary of Mahatma Gandhi is being clebr ated and the year which has been declared the year of Human rights by the U.N.O. I want to tell the party in power that the great leaders of past belonging to their party like Shri Jawahar Lal Nehru had relations with the labour movement. The Government is keeping double standards. They are saying something and doing some thing else. I am reminded the Prime Ministers speech which the delievered on the ramparts of Red Fort on 15th August, 1968 in which she expressed her deep sympathy for

the entire weaker section of the society and appealed to them, be they workers, teachers or others to view their demands in the national perspective. She also assured them that Government were fully seized of their difficulties. She expressed every sympathy for them. But what ever is being done is against the assurances which she gave to the poor of the country. The interests of the workers are being jeopardised.

The Government have utterly failed in their policies in all fronts Unemployment is on the increase. According to Government figure more than one crore people are unemployed and they want work. Government is unable to provide them work. An vague argument has been put forward that the wages of Government employees cannot be increased, when they are not in a position to increase the wages of ordinary labourers, farm labourers and other poorer sections of society. The Government should pay attention to their extravagance instead of putting such arguments. Crores of rupees are being spent by Government on unnecessary items.

Lastly I want to say that this year 50th Anniversary of I.L.O. is being celebrated. I challenge the Government that if they are sincere in their goodwill gesture to the employees and workers then they should invite the Fact Finding Commission of I. L. O. and then see, what they say. Have they courage th invite the Commission of I. L. O. regarding Freedom of Association and Right of collective bargaining ? Evidently they have not. want to draw the attention of the House to a resolution adopted by the I. L. O. at their 48th Session in which all Government were urged to co-operate fully in strengthening the activities of I. L. O. The Government had accepted the principles enumerated in that Resolution and have signed that Resolution. But what Government is doing is just opposite to that. My suggestion is that Government should invite the Facts Finding Commission and accept their observations, They should withdraw this Bill. If this bill is not withdrawn the workers and the employees of the country will rise against it.

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय मैं अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले संकल्प का विरोध और विधेयक का समर्थन करता हूं। संयुक्त सलाहकार तन्त्र जिसमें सरकार और कर्मचारी दोनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, के समक्ष तीन मुख्य प्रश्न थे आवश्यकता पर आधारित मजूरी, मजूरी में महंगाई भत्ते का विलय और महंगाई के अनुसार पूरा-पूरा भत्ता देना।

{ **श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R.D. Bhandare *in the chair* }

पहले प्रश्न को छोड़कर सरकार शेष दोनों प्रश्नों को पंचफैसले को सौंपने को तैयार थी।

Shri S. M. Joshi : When we met the Home Minister and requested him to refer the question of merger of D. A. with wages and full neutralisation of D.A. to arbitration, keeping apart the question of need based wages, he declined to do so.

श्री शान्तीलाल शाह : जहां तक महंगाई भत्ते के विलय का प्रश्न है, यह प्रश्न गजेन्द्र-गड़कर समिति को सौंपा गया था और उस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने इस प्रश्न का निबटारा करने को तैयार न थी।

जब ये मामले संयुक्त सलाहकार तन्त्र के सामने आये थे, तो चैयरमैन ने कहा था कि आवश्यकता पर आधारित मजूरी के मामले को पंच फैसले को नहीं सौंपा जा सकता। कार्यवाही वृतान्त में यह दर्ज है कि चैयरमैन ने कार्मिक संघों के नेताओं से मन्त्रिमण्डल की उस उप-समिति से मिलने की प्रार्थना की थी, जिसमें वित मन्त्री, गृह मन्त्री और श्रम मन्त्री शामिल थे। परन्तु वे उस उप समिति से नहीं मिले और इसके विपरीत उन्होंने तुरन्त हड़ताल आरम्भ कर दी। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, जब कि उप समिति को पूरे अधिकार प्राप्त थे ? वे इस सभा में तथा बाहर इस बात का उत्तर देने से इन्कार करते रहे हैं कि वे उप-समिति से क्यों नहीं मिले।

जब हड़ताल करने की घोषणा की गई, तो सरकार से क्या आशा की जा सकती थी। यह हड़ताल सरकार के विरुद्ध नहीं थी। यह हड़ताल जनता के विरुद्ध थी। देश के समस्त सार्वजनिक जीवन को अस्तव्यस्त किया जाना था। रेलें नहीं चलती, डाक नहीं बटती, तार नहीं बंटते। यही नहीं प्रतिरक्षा के असैनिक कर्मचारियों के भी इसमें शामिल होने की सम्भावना थी। यह केवल सांकेतिक हड़ताल नहीं थी, अपितु अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने का पूर्वाभ्यास था, क्योंकि 31 दिसम्बर से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने की घोषणा की गई थी। यह केवल एक हड़ताल का ही मामला नहीं था, अपितु अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ तृतीय श्रेणी की 'पोस्ट' नामक पत्रिका के अगस्त के अंक में कहा गया था कि सारी सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा कर लो। इसलिये सरकार ने रक्षात्मक कदम उठा कर ठीक ही किया है।

आवश्यकता पर आधारित वेतन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और 15वें श्रम सम्मेलन के संकल्प का जिसमें आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की बात मानी गई है, बार-बार उल्लेख किया गया है। मैं भी उस सम्मेलन में शामिल था। मैं भी उस संकल्प को जानता हूं। उस संकल्प में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे छोड़ दिया गया है। संकल्प में यह नहीं कहा गया है कि आवश्यकता पर आधारित वेतन को तुरन्त क्रियान्वित किया जाये, परन्तु संकल्प में कहा गया है कि यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब देश की अर्थ व्यवस्था में इसकी क्षमता हो।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धान्त और उसके द्वारा हाल में पास किये गये संकल्प का भी उल्लेख किया गया है। सरकार पर यह आरोप लगाना व्यर्थ है कि उसने अनुमोदित सिद्धान्तों को तोड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के संविधान में उपबन्ध है कि यदि उन सिद्धान्तों को तोड़ा जाता है, तो किसी देश द्वारा अनुमोदित हों, तो कोई भी व्यक्ति मामला हैग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकता है। यदि श्री जार्ज फरनेन्डीज में हिम्मत है, तो वह इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जायें।

जहां तक आवश्यकता पर आधारित वेतन का सम्बन्ध है, यदि तो प्रत्येक नागरिक इसका भार उठाना पड़ेगा। इसका भार केवल आई०सी०एस० अधिकारियों अथवा उद्योगपतियों पर ही नहीं पड़ेगा, अपितु देश की गरीब जनता को भी इसका भार सहना पड़ेगा। यदि आवश्यकता पर आधारित मजूरी 120 रुपये मासिक बनती है, तो देश के नागरिकों की औसतन आय भी इतनी ही होनी चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है। मजूरी के लिहाज से देश में

सबसे अधिक मजूरी देने वाला उद्योग कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग में महंगाई भत्ते को छोड़कर श्रमिकों को 30 रुपये तक मूल वेतन दिया जाता है। अतः इन परिस्थियों में क्या आवश्यकता पर आधारित मजूरी देने की बात मानी जा सकती है।

हड़तालों की धमकी से सरकार और उसके कर्मचारियों के सम्बन्धों में सुधार होना कभी सम्भव नहीं है। इस विधेयक में तो केवल यह उपबन्ध किया गया है कि कर्मचारी हड़ताल न करें, परन्तु यह देखना सरकार का काम है कि कर्मचारियों के साथ सम्बन्धों को कैसे सुधारा जा सकता है। संयुक्त सलाहकार तन्त्र अपूर्ण है और इसमें फेर बदल की आवश्यकता है। बातचीत के इस उसके आधार को व्यापक करने तथा वातावरण में सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं होगा, राजनैतिक नेताओं द्वारा बिचारे सरकारी कर्मचारियों का शोषण होता रहेगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सरकार को यथासम्भव अधिक से अधिक मामलों को पंच फैसले के लिये सौंपना चाहिये। जब तक नियोजक और कर्मचारियों के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं लाया जायेगा, तब तक विवाद शान्तिपूर्वक हल नहीं हो सकते। इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिये।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि अब समय आ गया है जब तीसरा वेतन आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। पहले सरकार ने दो ऐसे आयोग नियुक्त किये हैं और अब उन्हें एक तीसरा आयोग नियुक्त करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, जो सेवा शर्तों, वेतन और सरकारी कर्मचारियों की अन्य स्थितियों की जांच करे। उसका आयुक्त एक उच्च न्यायिक स्तर का व्यक्ति होना चाहिये।

अब प्रश्न यह है कि क्या हड़ताल का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है? हड़ताल का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, क्योंकि मूलभूत अधिकारों के अध्याय में यह उल्लिखित नहीं है। हड़ताल का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार निर्वाचन में मताधिकार के समान महत्वपूर्ण है, परन्तु जैसे मताधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, उसी प्रकार यह अधिकार भी मूलभूत अधिकार नहीं है। यह अधिकार उचित है जब तक इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा जाये, किन्तु इसे मूलभूत अधिकार नहीं समझा जा सकता।

श्री स०मो० बनर्जी : यह एक मानव अधिकार है।

श्री शान्तालाल शाह : श्री स०मो० बनर्जी का कहना है कि यह एक मानव अधिकार है। मेरे पास मानवीय मानवाधिकारों की सूची है, उसमें हड़ताल के अधिकार का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इसलिये यह एक मानव अधिकार नहीं है।

सरकार को इस विधेयक के पास होने से यह न समझना चाहिये कि वह पूर्णतया सफल हो गई है। उसे कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूं कि सरकार वेतन आयोग नियुक्त करने और प्रत्येक सम्भव मामले को पंचफैसले को सौंपने के मेरे सुझाव स्वीकार करेगी।

श्री श्रीकान्तन नायर : (क्विलोन) यह एक बहुत दमनकारी विधेयक है और विरोधी दलों के हम सब सदस्य इसका विरोध करते हैं। इस विधेयक का मैं दो बातों पर विरोध

करता हूं। पहली बात यह है कि इस विधेयक को इस प्रकार बनाया गया है कि जनता तथा सदस्यों को यह विश्वास हो जाये कि इसका क्षेत्राधिकार केवल भारत सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित है। वास्तव में इस विधेयक का क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है। दूसरे इसे पीछले दरवाजे से लाया जा रहा है। यह एक श्रम विधेयक है और श्रम मन्त्रालय की सलाह नहीं ली गई है। क्योंकि यदि श्रम मंत्रालय की सलाह ली जाती जो इसे त्रिपक्षीय सम्मेलन के समक्ष रखना पड़ता।

अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखने के लिये हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक का क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है। इसका प्रभाव न केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर अपितु देश के प्रत्येक श्रमिक वर्ग पर पड़ेगा। इसका प्रभाव न केवल उन उद्योगों पर जो केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं, अपितु उन उद्योगों पर भी पड़ेगा, जो राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। इसलिये यह विधेयक असंवैधानिक है, तथापि यह निर्णय करना न्यायालयों का काम है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत खनिज उद्योग, खान, बड़े पत्तन तथा निगम केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के विषय हैं और बाकी सभी उद्योग सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। लेकिन प्रस्तुत विधेयक के खण्ड दो में 'अत्यावश्यक सेवाओं' की परिभाषा के अनुसार सभी सेवाएं अत्यावश्यक सेवाएं मानी गई हैं यथा :— (ii) any railway service or any other transport service for the carriage of passengers or goods by land, water or air;

\+ \+

(vi) any service in any must or security press;"

यह खण्ड उन उद्योगों को भी अपने दायरे के भीतर ले आता है जो राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन हैं। खण्ड 8 में व्यवस्था के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम का समूचा क्षेत्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। इस विधेयक के दायरे में वे उद्योग तथा कर्मचारी भी आ जाते हैं जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार को विधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तुत विधेयक का क्षेत्राधिकार केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु बहुत ही व्यापक है जिसका प्रभाव देश भर के सभी श्रमिकों पर चाहे वे किसी क्षेत्र में हों, प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक का उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को सीमित करने का नहीं अपितु देश में कार्मिक संघ आन्दोलन को भी जड़ से कुचलने का है। इस समय स्थिति यह है कि आवश्यक सेवाओं के मामले में हड़ताल तब तक गैर कानूनी घोषित नहीं की जा सकती जब तक विवाद को पंच निर्णय, न्यायिक निर्णय तथा किसी अन्य मशीनरी को नहीं सौंपा जाता, किन्तु प्रस्तुत विधेयक द्वारा राज्य सरकारों की सभी शक्तियां तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की सभी व्यवस्था छीनी जा रही हैं।

जहां तक आवश्यकता पर आधारित मजूरी की मांग का सम्बन्ध है, सरकार खुद इस बात को मानती है कि यह माँग अत्यधिक तथा अनुचित नहीं है लेकिन वह इसे इस समय पूरी नहीं कर सकता। लेकिन यदि सरकार अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी तक नहीं दे सकती, तो फिर उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी उचित न्यूनतम मजूरियां देने से इन्कार नहीं कर सकती।

प्रस्तुत विधेयक का सम्पूर्ण तथा एकमात्र उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखने के नाम पर देश भर में कार्मिक संघ आन्दोलन के सभी पहलुओं तथा क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जाये और उन्हें कुचला जाये, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है यदि वे ऐसा प्रयत्न करती है और उसमें सफल होती है। हो सकता है, सरकार को सरकारी कर्मचारियों के मामले में सफलता मिल जाये, किन्तु यदि हड़ताल करने का अधिकार छीना गया, तो देश के कार्मिक वर्ग का कोई भी अंग इसे चुपचाप सहन नहीं करेगा। रेलवे में ड्राइवरों के साथ क्या हुआ जिन्होंने यह कहा कि वे 14 घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकते ? यहां भी वह समयोपरि का प्रश्न है। सरकार उनके समयोपरि भत्ते की मांग तक को छीनती है, किन्तु वह ऐसा नहीं कर सकती है जब कि वे समयोपरि काम करने को तैयार हैं। लेकिन प्रस्तुत विधेयक के उपलब्धों के अनुसार कर्मचारियों को न्यायोचित समयोपरि भत्ते से भी वंचित किया गया है और दूसरी ओर उसे समयोपरि काम करने से बाध्य किया जा रहा है। यदि सरकार यह समझती है कि कर्मचारियों को इस प्रकार दबाया जा सकेगा, तो यह उसकी भारी भूल है। कर्मचारी जो सभी मध्यम वर्ग के लोग हैं जेल जाने से नहीं डरते, इसलिये उन्हें दाण्डिक दण्ड से डराने अथवा उसकी धमकी देने से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार यह चाहती है कि इस विधेयक में रखे गये उपबन्ध के जरिये अन्य क्षेत्रों में भी श्रमजीवी वर्ग आन्दोलन के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये, लेकिन मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि यदि उसने इस विधेयक को पारित किया, तो कर्मचारी हर कीमत पर उसका विरोध करेंगे और उस पर भी यदि सरकार अड़ी रही, तो देश के हर भाग में खून की नदियां बहेंगी जिसमें वर्तमान गृह-कार्य मंत्री और सरकार दोनों ही डूबेंगे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरी) : प्रस्तुत विधेयक 19 सितम्बर की हड़ताल के फलस्वरूप लाया गया है। उस दिन जो कुछ हुआ वह देश के लिए शोक की बात है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कर्मचारी कठिनाइयों तथा परेशानियों से गुजर रहे हैं और यह जरूरी है कि सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करे। लेकिन प्रश्न है कि वह ऐसा किस प्रकार कर सकती है। आखिर सरकार भी उनकी समस्याओं को एक ही रात में हल नहीं कर सकती क्यों कि उसके आर्थिक तथा अन्य कारण हैं जो तुरन्त दूर नहीं किये जा सकते।

कर्मचारियों के संगठित समूह को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए हड़ताल का सहारा ले सकता है जो सीधी कार्यवाही है, लेकिन हड़ताल तभी होनी चाहिये जब कि सामान्य जनतन्त्रीय व्यवस्था असफल हो गई हो। जब तक संयुक्त सलाहकार व्यवस्था मौजूद है, बातचीत से मामले हल हो सकते हैं, पंचनिर्णय की व्यवस्था है, और उपचार उपलब्ध हैं, तब तक हड़ताल का सहारा लेना उचित नहीं है और कर्मचारियों को उन माध्यमों को अपनाने चाहिये। हमारा यह कर्तव्य है कि हम स्थिति को यथा सम्भव ऐसा मोड़ न लेने दें जहां उपचार उपलब्ध न हों।

प्रस्तुत विधेयक सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता हैं और हमें आशा है इन शक्तियों का प्रयोग सदैव बुद्धिमानी तथा बड़ी सावधानी से किया जायेगा क्योंकि उसे बड़े कड़े दण्डों की व्यवस्था है यथा बिना वारन्ट के गिरफ्तारी और दूसरे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धाराएं निष्क्रिय हो जाती हैं तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता रद्द हो जाती है बशर्ते वैसा करना

लोकहित में हो। इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग करते समय बहुत विवेक, सूझ-बूझ तथा बुद्धिमता से काम लेना जरूरी होगा।

मैं जानती हूँ कि आज बड़े अधिकारियों को बहुत अधिक परिलब्धियां प्राप्त हैं विशेषत: जहां तक आवास, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं तथा स्थानान्तरण का सम्बन्ध है। इसी प्रकार स्टाफ कारों के मामले में भी अन्धा-धुन्धी चलती है और कोई उचित रिकार्ड नहीं रखा जाता। कुछ अधिकारी सरकारी कर्मचारियों को अपने घरेलू काम पर भी लगाते हैं जो अनुचित है। अन्य शहरों में ऐसे भी मामले हैं जहां सरकारी कर्मचारियों को आवास न देकर अन्य लोगों को दिये जाते हैं। मेरा निवेदन है कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कानून का समान रूप से आदर करना चाहिये और इसी प्रकार जनता के लिए भी कानून का आदर करना जरूरी है। जब तक सरकारी कर्मचारी तथा जनता कानून का पालन नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस पहलू पर, मेरा निवेदन है कि कार्मिक संघों के नेताओं को भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यह देखना उनका भी कर्तव्य है कि जनता को, जन-सम्पत्ति को इन कारणों से नुकसान न पहुंचे और देश में ऐसी अप्रिय घटनायें न होने पायें। उस दिन इन्द्रप्रस्थ भवन आदि में जो घटना हुई थी उनसे हमें उतना ही दुख हुआ है जितना कि अन्य लोगों को और ऐसी घटनाएं देश के माथे पर भारी कलंक है।

सरकार को इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि कर्मचारियों को हड़ताल क्यों करनी पड़ती है। यह एक गम्भीर मामला है जिसे, मैं नहीं समझती, कि विधान बनाकर निपटाया जा सकता है। यह मामला जो मानवीय समस्या बन गया है और जिसके कारण इतने गहरे हैं, केवल विधान तथा कानून बनाने से हल नहीं होगा। अत: मैं श्री शान्तीलाल शाह के, जो मुझ से पहले बोले हैं, इस सुझाव का समर्थन करती हूँ कि सरकार को बातचीत करने, संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के उचित उपयोग और अन्य किसी भी लोकतन्त्रीय तरीके को अपनाने के लिए अधिक प्रयत्न करने चाहिए ताकि कर्मचारी ऐसा महसूस न करें कि उन्हें सीधी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से निपटना तथा अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखने का है। 19 सितम्बर की हड़ताल का सामना करने के लिये सरकार द्वारा उससे पहले ही कार्यवाही की गई। लेकिन सरकार का मतलब यदि केवल उसी स्थिति से निपटने का होता, तो विधेयक का खण्ड 9 पर्याप्त था और वह अध्यादेश को व्ययगत होने देती। लेकिन सरकार उससे भी आगे बढ़ना चाहती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में ऐसी स्थिति पुन: उत्पन्न न हों। इसलिये वह यह विधेयक लायी है जिसकी अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। किन्तु श्री नाहाटा ने गृह-कार्य मन्त्री जी से कहा था यदि सम्बन्धित अध्यादेश को दो-तीन महीनों तक यदि विधेयक अथवा अधिनियम का रूप न दिया जाये, तो कौनसी मुसीबत आजायेगी। इससे स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल में इस बात पर मतभेद है। इसके अलावा श्रीमती शारदा मुकर्जी ने भी, जो मुझ से पहले बोली हैं, इस बात पर जोर दिया है कि एक व्यवस्था होनी चाहिए जो इन समस्याओं पर विचार करें।

हमारे सामने इस समय विचारणीय प्रश्न यह है कि अध्यादेश में हड़ताल से निपटने के लिये जो व्यवस्था की गई थी उसे कानूनी रूप देना काफी है अथवा उसे पांच वर्ष के लिये अधिनियम का रूप देना भी जरूरी है। सरकार इस सभा में तथा उसके बाहर सदैव यह वचन देती रही है कि वह हिटले परिषद् की भांति अथवा उसके आधार पर एक व्यवस्था स्थापित करेगी जिससे सरकारी कर्मचारियों की न्यायोचित शिकायतें, कठिनाइयां तथा समस्याएं हल की जायेगी और उनकी फिर कोई शिकायतें नहीं रहेंगी। किन्तु उसने अपना वचन कभी पूरा नहीं किया। 1937 में पहली बार जब औद्योगिक विवाद विधेयक बम्बई विधान सभा में पेश किया गया तो भी नन्दा ने, जो उस समय वहां संसदीय सचिव थे, कहा था कि कर्मचारी की शिकायतों को दूर करना जरूरी है अन्यथा वह हड़ताल की शरण लेगा इसलिये ऐसी व्यवस्था कायम करना आवश्यक है जिससे कर्मचारी को हड़ताल करने की जरूरत ही न पड़े। इसी प्रकार बम्बई के तत्कालीन मुख्य मन्त्री स्व० बी० जी० खेर ने भी कहा था कि कर्मचारी कमजोर होता है इसलिये उसे राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाना जरूरी है। किन्तु हमारी सरकार आज तक ऐसी व्यवस्था कायम नहीं कर सकी जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है। लेकिन वह कहती यही है कि मामला विचाराधीन है। सरकार जब हड़ताल को दबाने के लिये अध्यादेश जारी कर सकती थी, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये उचित व्यवस्था की स्थापना के सम्बन्ध में भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकती थी ?

प्रस्तुत विधेयक के कुछ खण्ड यथा 2(IX) अस्पष्ट हैं। मन्त्री महोदय कहते हैं कि सभी अत्यावश्यक सेवाओं का ब्यौरा देना असम्भव है और सभी पदालियों का निर्धारण करना कठिन है। ठीक है, हम चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था ठीक से चले लेकिन इसके साथ-साथ सरकार को स्पष्टतः यह भी तो कहना चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं हल की जायेंगी और हड़ताल के लिये अवसर नहीं आने दिया जायेगा। यदि ऐसा किया जाये, तो लोग सहमत हो जायेंगे कि कुछ परिस्थितियों में हड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हम चाहते हैं कि सरकार विधेयक तैयार करने में जितना समय चाहे ले सकती है किन्तु उसमें सभी अत्यावश्यक सेवाओं की उचित रूप से परिभाषा दी जाये और पदालियां निर्धारित किये जायें।

{ श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Godilingana Gowd *in the Chair* }

मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में जो चाहें, उचित मशवरा लें, किन्तु विधेयक में इन बातों का समावेश होना जरूरी है अन्यथा वह अपूर्ण है क्योंकि कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों को जिन पर वह लागू होगा, मालूम होना चाहिए कि वे सेवाएं कौन-कौन सी हैं। प्रस्तुत विधेयक के अनुसार समयोपरि काम न करना भी हड़ताल है, हड़ताल की परिभाषा इतनी व्यापक की गई है। जब कर्मचारी पर एक नई शर्त थोपी जा रही है, तो सरकार को उसे यह आश्वासन भी देना चाहिए कि वह खुद विधेयक में उसका संकेत देगी ताकि एक समझदार कर्मचारी यह समझ सके कि उसके लिये हड़ताल करने तथा काम से इन्कार करने का कोई कारण नहीं है।

जब तक अत्यावश्यक सेवाओं की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जाती, सरकारी कर्मचारी कैसे मालूम करेगा कि वह किस सेवा में है। सरकार इस प्रकार सभी कर्मचारियों को डरा तथा धमका रही है। लेकिन अत्यावश्यक सेवाओं का खुलासा होना जरूरी है। कुछ ऐसे विनिर्णय रहे हैं जिनके आधार पर अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने कहा : ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। अब समय आ गया है जब कि उन विनिर्णयों को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। सरकार का इरादा चाहे जो भी हो, किन्तु इस विधेयक से हर एक की धारणा यही बनती है कि सरकार वास्तव में आवश्यकता से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहती है।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : It is not possible to support such a measure in normal conditions. But keeping in view the circumstances through which the nation is passing and the conditions being created in the country, it was necessary to bring such legislation as could curb the activities which can pose a danger to the security of the State. It is absolutely necessary to have a strong economic adm nistration in the country which could improve the economic condition of the country which has deteriorated further during the last three or four years. Far the purpose, it is necessary to curb and keep a strict watch on the activities of these who want to sabotage the indegerous resources of production and disrupt the economy of the country.

The Government employees do not come in the same category in which the labour class in the factories etc. comes. Therefore, there should not be one rule to govern both the categories. The service conditions of government employees and of those working in ordinary factories are quite different. It is therefore, absolutely necessary to adopt some positive measures enabling the Government machinery to run smoothly so that normal life of the community is not paralysed and people are not put to inconvenience.

What we see today is the Government servants are used as an instrument of gaining political ends by certain pol tical parties who misguide them in their own inter sts which are detrimental to the interest and security of the country. Subver ive tende cies are being infused into the minds of the Government employees who are advised to resort to direct action with a view to crippling the Government machinery. The Government should deal firmly with such elements and forces as are raising their ugly heads to paralyse the normal life of the community as a whole. With this view in end, we welcome this measure and congratulate the Government for taking pre autionary steps to meet the situation arising out of the token strike by the Government employees.

I do not agree with the view that the right to str ke is the fundamental right of the Government employees. Even if it is their right to do so, they cannot be allowed to resort to that particularly when the economic and political situation in the country is deteriorting and the elements like Naxalites are emerging and are creating a law and order problem. But, at the same time, the genuine grievances of the employees should also be removed and for the purpose the Government must provide comprehensive and positive arrangements for the consideration of the legitimate problems and grievances of its employees.

So far as the particular situation arising out of the 19th September strike is concerned, the Government had tried their best to reach a solution or a negotiation but all the efforts by them to arrive at a settlement failed because of the intrasigent attitude of their leaders who were being misguided by certain politically motivated unions. In the circumstances, the Government was obliged to issue an ordinance to meet the situation which, otherwise, would have created so many other problems. It would have been much better had the Government made a provision in the ordinance itself for an alternative machinery for the consideration and redress of their grievances.

The opposition has always been advocating the cause of the Government employees and the organised group of workers. But they have never paid their attention towards the m s. rable plight of the peasants and other labours numbering 45 crores in the rural areas, who have no food to eat, no house to live in and no clothes to wear. Ignoring the plight of the majority, or the commonman in the country, they are clamouring for the need based minimum wages for the government employees and other workers only with this view in end that it would serve their political interests and self motions

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब मैंने व्यवस्था के कुछ प्रश्न उठाये थे, तो कहा था कि हमारे देश में आज एक विधान है जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम कहा जाता है और जिसमें हड़तालों को गैर-कानूनी घोषित करने के उपबन्ध है । यदि कोई प्रश्न, मामला अथवा विवाद मध्यस्थ निर्णय अथवा न्यायिक निर्णय के लिये किसी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाता है, तो उसके बाद हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित किया जा सकता है ।

प्रस्तुत विधान संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के प्रतिकूल है । इसलिये हमारी मांग है कि इस विधेयक अथवा उसके विवादास्पद कुछ खण्डों पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिये इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए । इसके अलावा जब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने तथा दण्ड की व्यवस्था करने वाले उपबन्ध हैं, तो फिर इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

1960 की आम हड़ताल के बाद, जो छः दिन चली थी, और जो श्री अशोक मेहता के हस्तक्षेप से वापस चली गई थीं, जब उस बारे में चर्चा हुई थी तो प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हड़तालों पर रोक लगा दी जाये क्योंकि हड़ताल पूंजीवादी प्रणाली की अवश्यभावी सहवर्ती है । और उन्होंने आगे कहा कि ऐसी चीजों पर रोक लगाना तब तक उचित नहीं है जब तक कि विवादों तथा विवादास्पद मामलों को हल करने के लिये कोई समुचित स्थानापन्न व्यवस्था नहीं की जाती । इसलिये हड़ताल करने के अधिकार का वापस लेने का उनका इरादा नहीं है ।

इस काले विधेयक का जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भावना, संविधान की भावना तथा मानव अधिकारों में निहित भावना के प्रतिकूल है, एकमात्र उद्देश्य यही है कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को सबक सिखाया जाये, अध्यादेश की अवधि समाप्त होने से पूर्व सरकार इस विधेयक को पारित करवाना चाहती है और उसे 13 सितम्बर से अधिनियम का रूप देना चाहती है ताकि किसी को छोड़ा न जाये और प्रत्येक को सजा दी जाये, आज स्थिति यह है कि 8,000 कर्मचारी निलम्बित हैं और 4,000 अस्थायी कर्मचारियों को एक माह का वेतन देकर नौकरी से हटा दिया गया है । इस देश में बुरे से बुरे अपराधी को भी अपने बचाव का मौका दिया जाता है लेकिन इन कर्मचारियों को न्यायालय में अपने बचाव का मौका तक नहीं दिया गया । यह बर्खास्तगी बहुत जल्दबाजी मे की गई है ।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair*** }

ऐसा केवल फासिस्ट राज्य में हो सकता है । सरकार इस विधेयक को पारित करके तथा उसे 13 सितम्बर से लागू करवा कर अपनी गैर-कानूनी कार्यवाहियों को विधिमान्य ठहराना

चाहती है और कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबन्ध किये छीनना चाहती है।

प्रस्तुत विधेयक अनावश्यक तथा संविधान के विरुद्ध है विशेषत: उस स्थिति में जब कि देश में औद्योगिक विवाद अधिनियम मौजूद है। कुछ दिन पहले श्री लंका में डाक व तार विभाग की हड़ताल हुई थी लेकिन उन्होंने कोई अध्यादेश जारी नहीं किया और बातचीत से मामला हल किया। फ्रांस में क्या हुआ ? अमरीका तक में जब अत्यावश्यक सेवाओं में हड़ताल हुई, तो उस पर रोक नहीं लगाने दी गयी।

सरकार ने मध्यस्थ निर्णय स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कर्मचारियों से विश्वासघात किया है। उन पर देश द्रोह तथा राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया जा सकता है। यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह विधेयक वापस लें।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हमारा अभिप्राय अध्यादेश जारी करने अथवा संसद के समक्ष यह विधेयक लाने का नहीं था। हमने सरकारी कर्मचारियों के साथ समझौता करने का भरसक प्रयत्न किया है। हमने अन्त तक ऐसे प्रयत्न जारी रखे हैं। इन प्रयत्नों के बावजूद यदि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो अध्यादेश जारी करने के अतिरिक्त सरकार के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। जिसके द्वारा आवश्यक सेवायें बनायी रखी जा सकें।

कर्मचारियों की तीन महत्वपूर्ण मांगों में से दो मांगों पर संयुक्त परामर्श व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् में विचार किया गया था, परन्तु तीसरी मांग पर वहां विचार नहीं किया गया था। कुछ सदस्यों ने तर्क किया है कि यह विधेयक कर्मचारियों का हड़ताल करने का अधिकार छीन लेगा। परन्तु इस विधेयक द्वारा हड़ताल का अधिकार नहीं छीना जा रहा। इसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया जा रहा। केवल उस स्थिति में सरकार हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगा सकेगी, जब उसे यह अनुभव होगा कि हड़ताल के कारण आवश्यक सेवाओं में गड़बड़ी पैदा होगी तथा देश में अव्यवस्था फैलेगी।

हम आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं में हड़ताल करने के बारे में दंड देने का ही उपबन्ध नहीं करना चाहते बल्कि एक वैकल्पिक तंत्र की भी व्यवस्था करना चाहते हैं, आज ही मैंने सरकार के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, ताकि समूचे मामले पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

हम कर्मचारियों के प्रति कठोरता का रवैया नहीं अपनाना चाहते। हम उनके सम्बन्ध में सहानुभूति से विचार करना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि हमारे कर्मचारी देशभक्त हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। सरकार में बदला लेने की भावना नहीं है परन्तु हमें अपने कर्मचारियों की तथा देश के लोगों की रक्षा करनी होगी। सरकार को आपात की स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिये अधिकार ग्रहण करने होते हैं, कि राष्ट्रीय कामों के संचालन में कोई संकट उत्पन्न न होने पाये। यह विधेयक इसी प्रयोजन से लाया गया है। यह कोई दंडात्मक विधि नहीं है।

यह ठीक है कि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जा सकती है परन्तु जब हम नियम बनाते है तथा आवश्यक सेवाओं की घोषणा करते हैं तो यह सभी बातें सभा में प्रस्तुत की जानी चाहियें और सभा द्वारा उनकी पुष्टि की जानी अपेक्षित है। सभा द्वारा पुष्टि की जाने के पश्चात् ही आगे कार्यवाही की जा सकती है।

कई सदस्यों ने यह भी कहा है कि श्रमिक संघ सम्बन्धी अधिकारों तथा सामूहिक सौदेबाज़ी का अधिकार छीना जा रहा है, ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों तथा औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति को नहीं समझ रहे। सरकारी कर्मचारियों पर सांविधिक नियम लागू होते हैं, मालिकों तथा श्रमिकों के बीच हुए करार सभी औद्योगिक श्रमिकों पर, चाहे वे गैर-सरकारी क्षेत्र के हों अथवा सरकारी क्षेत्र के, लागू होगा।

सामूहिक सौदेबाज़ी के सम्बन्ध में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था द्वारा उपबन्ध किया गया है। संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में यदि कोई त्रुटि रह गई हो, तो हम उसे दूर करना चाहते हैं तथा इस तंत्र को कानूनी रूप देते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि यह तंत्र सरकारी कर्मचारियों के लिये एक प्रभावशाली तंत्र बन सके।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के बारे में सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमें पूरी सहानुभूति है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान हुई दुखद घटनाओं के बारे में हमें दुख है, हमने उन्हें रोकने का भरसक प्रयत्न किया है परन्तु इन घटनाओं के लिये सरकार नहीं, बल्कि वे लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार न करके असावधानी से पग उठाये हैं।

जैसा कि मैंने कहा है, यह विधेयक अस्थाई है, जब व्यापार विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा, तो हम उसमें ये दोनों बातें सम्मिलित कर देंगे। फिर हम इस विधेयक की अवधि नहीं बढ़ायेंगे, मैं समझता हूं कि वार्ता व्यवस्था की अनुमति सभा देगी और यदि सभी बातें ठीक हो जायें तो इसकी कोई आवश्यता नहीं रहेगी।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : हम विरोधी दल वाले एक सराहनीय कार्य के लिये प्रयत्न करते रहे हैं ताकि लाखों ऐसे श्रमिकों को लाभ पहुँच सके, जिनके लिये अपना निर्वाह करना कठिन हो रहा है। सरकार को इस बारे में माननीय तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

खण्ड 2 विवादास्पद है और अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के बीच का रास्ता अपनाने का प्रयत्न किया है परन्तु मेरे विचार में वह भी असन्तोषजनक है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि सरकार संयुक्त सलाहकार तंत्र को संहिताबद्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है, अधिकांश सदस्य अनुभव करते हैं कि सरकार को इस विधेयक में कर्मचारियों के मामलों के बारे में बातचीत न्यायनिर्णय तथा पंचनिर्णय के सम्बन्ध में उपयुक्त तंत्र का उपबन्ध किये बिना कर्मचारियों से हड़ताल करने का अधिकार नहीं छीनना चाहिये। सरकार के विधेयक में ही उपबन्ध किया जाना चाहिये कि वह तीन महीनों के अन्दर एक ऐसी योजना प्रस्तुत करे जिसके अन्तर्गत बातचीत न्यायनिर्णय तथा पंचनिर्णय के सम्बन्ध में आवश्यक तंत्र की व्यवस्था की जा सके तथा उस पर संसद की स्वीकृति भी ली जा सके।

माननीय मन्त्री ने मेरे उन तर्कों का कोई उत्तर नहीं दिया है जो अध्यादेश का निरनुमोदन करने के लिये संकल्प प्रस्तुत करते हुए मैंने दिये थे। समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी आपात की स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता समझी गई थी, क्या आपात स्थिति पांच वर्ष तक जारी रहनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि मन्त्री इन व्यापक उपबन्धों को कैसे उचित ठहरा सकते हैं।

मैं समझता हूं कि इस सभा के सभी दल इस बात से सहमत होंगे कि उक्त घटनायें, विशेषतया इन्द्रप्रस्थ भवन की घटनायें और बीकानेर, पठानकोट तथा अन्य स्थानों पर गोली चलाई जाने की घटनायें दुर्भाग्यपूर्ण थीं। हमने मन्त्री महोदय से अनुरोध किया था कि इस बारे में ठीक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये न्यायिक जांच की जानी चाहिये। परन्तु मन्त्री महोदय इस बारे में पूर्णतया चुप हैं।

मैं विधेयक के कुछ अन्य खण्डों का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। खण्ड 6 में उपबन्ध रखा गया है कि जो भी व्यक्ति हड़ताल करने के लिये आर्थिक सहायता देगा उसे कैद का दण्ड दिया जायेगा तथा उस पर अर्थदण्ड भी लगाया जायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी कर्मचारी के ऐसे परिवार को, जो भूख से मर रहा हो, धन देता है तो उसे हड़ताल का समर्थन करने के अपराध में गिरफ्तार किया जायेगा। यह ठीक नहीं है, यह खण्ड विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये अथवा ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिये कि इस तरह की बातें विधेयक में शामिल न की जायें। यदि कोई कर्मचारी कार्य के समय से अधिक समय तक काम करने से इन्कार करता है तो उसे भी हड़ताल पर समझा जायेगा। सरकार को इनमें संशोधन करना चाहिये। जनता तथा सरकार दोनों ही यह उपेक्षा करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कार्य कुशल होना चाहिये तथा उत्पादन बढ़ना चाहिये। परन्तु यदि किसी कर्मचारी को अपने पारिवारिक आयव्ययक को संतुलित रखने तथा दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में चिंतित रहना पड़े तो उसके कार्य-कुशल होने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है! सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दिया जा सके क्योंकि यह मांग उचित है।

अन्त में मैं यह निवेदन करूँगा कि सरकार को पिछली बातें भूल जानी चाहियें तथा अब नया अध्याय शुरू करना चाहिये। सरकार को कर्मचारियों के लिये सहानुभूति का रवैया अपनाना चाहिये तथा उनके निलम्बन के नोटिस और उत्पीड़न के अन्य तरीके समाप्त कर देने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा आवश्यक सेवायें बनाये रखने का अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 9) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 13 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha Divided :

पक्ष में 38 ; विपक्ष में 114

Ayes 38 : Noes 114

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1, 2, 3, 7, 8 तथा 148 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos : 1, 2, 3, 7, 8 and 148 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुई ।

The motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय आवश्यक सेवाएं तथा प्रसामान्य सामुदायिक जीवन बनाये रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha Divided :

पक्ष में 122 ; विपक्ष में 41

Ayes 122 ; Noes 41

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 (परिभाषायें)

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : मैं संशोधन संख्या 29 से 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 41, 42, 48 तथा 49 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री के० रमानी (कोयम्बत्तूर) : मैं संशोधन संख्या 83 से 93 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : मैं संशोधन संख्या 96 से 105 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : मैं संशोधन संख्या 113 से 119 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 160, 162 तथा 163 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटर) : मैं संशोधन संख्या 180 से 182 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिंकरे (पजिम) : मैं संशोधन संख्या 191 तथा 192 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या 209 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं संशोधन संख्या 218 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं संशोधन संख्या 222 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांदा) : मैं संशोधन संख्या 234 तथा 236 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :-

(2) Every notification issued under sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section(1) shall be laid before each House of Parliament immediately after it is made if it in session and on the first day of the commencment of the next session of the House if it is not in session and shall cease to operate at the expiration of forty days from the date of its being so laid or from the re-assembly of Parliament, as the case may be, unless before the expiration of that period a resolution approving the issue of the notification is passed by both Houses of Parliament.

Explanation :- Where the Houses of Parliament are summoned to re-assemble on different dates, the period of forty days shall be reckoned from the later of those dates."

"(2) [उपधारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (9) के अन्तर्गत जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, यदि वह संसद के अधिवेशन के दौरान जारी की जानी है, तो तुरन्त संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी और यदि तब अधिवेशन न हो रहा हो, तो संसद के अगले अधिवेशन के आरम्भ होने के प्रथम दिन ही रखी जायेगी और इस प्रकार रखी जाने तथा संसद के पुनः समवेत होने, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से चालीस दिन पूरे हो जाने पर प्रवृत नहीं रहेगी, जबतक कि उक्त अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अधिसूचना जारी करने का अनुमोदन करने वाला संकल्प स्वीकृत नहीं हो जाता ।

व्याख्या : यदि संसद के सदन पृथक पृथक तिथियों पर समवेत हों, तो चालीस दिन की यह अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जायेगी "]

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{Mr. Deputy Speaker ***in the Chair*****}**

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यद्यपि इस विधेयक पर व्यापक चर्चा की गई है तथापि मालूम होता है कि सभा में दोनों पक्षों ने सामान्य कानूनी उपबन्धों की उपेक्षा की है। सभा के समुख प्रश्न यह नहीं है कि कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार है अथवा नहीं बल्कि प्रश्न यह है कि उन्हें मांगें पूरी करवाने का अधिकार है अथवा नहीं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अपनी मांगें मनवाने का अधिकार न केवल सरकारी कर्मचारियों को बल्कि सभी लोगों को है। परन्तु सरकार के अध्यादेश तथा विधेयक में भी मांगें पूरी करवाने के अधिकार की उपेक्षा की है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी दो वर्गों के अन्तर्गत आते हैं। एक वर्ग औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आता है तथा दूसरा वर्ग संयुक्त सहलाकार तंत्र के अन्तर्गत आता है। जो कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें अपना मामला न्यायनिर्णय के लिये भेजने का अधिकार है। सरकार ने ही इस अधिकार का अवमान किया है क्योंकि वह न्याय निर्णय के अनुरोध को सदा ही टालती रही है। सरकार को इस मामले को न्यायनिर्णय के लिये सौंपना था। उसके बाद यह हड़ताल गैर-कानूनी होती तथा अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता ही न होती।

मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने विधि का पालन करने का भरसक प्रयत्न किया है। मैं उनका ध्यान संयुक्त सलाहकार तंत्र की धारा 14 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि सरकारी प्रतिनिधियों को स्थल पर ही अपना विचार प्रकट करना होगा तथा उसे बाद में सरकारी निर्णय दिये जाने तक नहीं रोका जायेगा परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया है। फिर भी सरकार कह रही है कि उसने नियमों तथा विधि के अनुसार ही काम किया है। सरकारी प्रतिनिधियों को तुरन्त निर्णय देने से रोकने के क्या कारण हैं।

इस विधेयक के सम्बन्ध में भी यही कुछ किया जा रहा है। खण्ड 3 में उपबन्ध रखा गया है कि सरकार आदेश में उल्लिखित किसी भी आवश्यक सेवा में हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय कर सकती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में यह कहा गया है कि मामला न्यायनिर्णय के लिये सौंप दिया जायेगा। तब सरकार ऐसा निर्णय कैसे कर सकती है। क्या सरकार का एक ऐसी विधि बनाने का इरादा है जिसके अन्तर्गत न्याय निर्णय की अनुमति दी गई हो तथा एक अन्य विधि ऐसी हो जिसके अन्तर्गत उक्त अनुमति देने से इन्कार किया गया हो ? मन्त्री महोदय बतायें कि सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों तथा संयुक्त सलाहाकार तंत्र की उपेक्षा क्यों की तथा विवाद न्याय निर्णय के लिये क्यों नहीं सौंपा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल हड़ताल नियोजक के विरुद्ध नहीं है। नियोजक तो अपनी प्रतिपूर्ति कर लेता है। हड़ताल तो उपभोक्ता के विरुद्ध होती है जो कि अधिक मूल्य देता है तथा हड़ताल जनसाधारण के विरुद्ध है जिसे असुविधा होती है। इसलिये हड़ताल पर रोक लगाई जानी चाहिये। खण्ड में एक संशोधन किया जाना चाहिये कि कठिनाई के पश्चात, "उपद्रव अपना असुविधा" शब्द जोड़े जायें। "कठिनाई" को ही हड़ताल अवैध घोषित करने का पर्याप्त कारण नहीं माना जाना चाहिये। "उपद्रव" तथा "असुविधा" भी कठिनाईयां हैं जिन्हें रोका जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 270 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मुझे अभी कुछ और भी कहना है । मेरे संशोधनों का आशय यह कि हड़ताल तब होनी चाहिये जब वर्तमान कानून के अन्तर्गत शिकायतें दूर करने के सभी उपाय कर लिये गये हों ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मेरा संशोधन संख्या 262 खण्ड 2 से सम्बन्धित है । हड़ताल के दिन की रात को मैं दिल्ली से लखनऊ की गाड़ी में यात्रा कर रहा था । उस गाड़ी के ड्राइवर ने यात्रियों की प्रार्थना पर गाड़ी को गन्तव्य स्थान पर पहुंचाया । प्रतिपक्ष वाले जनता के समक्ष इस प्रकार की बात नहीं करते । पहले तो उन्होंने हड़ताल के लिये सरकारी कर्मचारियों को भड़काया और अब अत्यावश्यक सेवाओं के संधारण सम्बन्धी विधेयक का विरोध कर रहे हैं । डाक तथा तार, रेलवे अथवा प्रतिरक्षा से सम्बन्धित सेवाएं अत्यावश्यक सेवाएं हैं ।

यह मामला दलगत राजनीति का विषय नहीं है । यह समूचे राष्ट्र का मामला है । इस पर दो राय नहीं हो सकती । मेरे विचार में तो सरकार ने बहुत ढील तथा नरमी से कार्य किया है । यदि सरकार आरंभ से ही कठोरता का रवैया अपनाती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती । एक जिम्मेदार सरकार जनजीवन को अस्तव्यस्त नहीं होने दे सकती ।

हमें भी देश के श्रमिक वर्ग से पूरी सहानुभूति है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरे विचार में 'अत्यावश्यक सेवाओं' की परिभाषा में त्रुटि है । अब सरकार जिस कार्य/उद्योग को चाहे अत्यावश्यक सेवा घोषित कर सकती है । फिर राज्य सूची के विषयों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लिया जा रहा है । नौवहन कुछ मामलों में केन्द्र के अन्तर्गत है और कुछ मामलों में राज्यों के अन्तर्गत है । यही बात राजपथों के बारे में भी है । इस बारे में इस विधेयक में क्या उपबन्ध किया गया है ? इसके अनुसार तो राज्य सूची में दर्ज विषय पर कानून बनाने के समान है ।

मेरी दूसरी आपत्ति बन्दरगाहों से सम्बन्धित सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित करने से है । छोटी बन्दरगाहें राज्यों के अन्तर्गत आती हैं । केन्द्र सरकार को उनके बारे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । माननीय मंत्री ने कहा है कि वह सेवाओं और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर नियन्त्रण करने जा रहे हैं । मैं तो यह समझता हूं कि सरकार इसके द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी उपक्रम के कर्मचारियों पर भी नियन्त्रण लगा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें स्पष्ट बताना चाहिये कि संसद कहां पर और किन मामलों में हस्तक्षेप कर रही है ?

श्री श्रीनिवास मिश्र : जब सरकार एक सेवा को अत्यावश्यक घोषित करेगी तो क्या उसी प्रकार की अन्य सेवा को अत्यावश्यक नहीं माना जायेगा । अब सरकार इस से अत्याधिक अधिकार प्राप्त कर रही है । यह संसद् द्वारा पारित किये जाने वाले विषयों को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक खण्ड के अनुसार यह भी है कि वह सेवा जनजीवन के बहुत आवश्यक होनी चाहिये ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : ऐसे तो टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी भी जनजीवन के लिये बहुत आवश्यक है । सरकार इस कम्पनी को इस कानून आवश्यक घोषित कर देगी और वहां हड़ताल नहीं की जा सकेगी । इस प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र में भी भेद भाव करने की गुंजाइश रखी जा रही है । एक यूनिट को संरक्षण दिया जा सकेगा और दूसरे के विरुद्ध भेदभाव किया जा सकेगा ।

हमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में कानून बनाने का अधिकार है । परन्तु क्या हमें राज्यों के कर्मचारियों के बारे में भी कानून बनाने का अधिकार है ? क्या सरकार राज्यपालों के अधिकारों को भी हथियाना चाहती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या इससे राज्यों के अधिकारों का हनन तो नहीं होगा ? ऐसी बात नहीं है । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह अधिकार केवल उन्हीं विषयों जिनके बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार है । गैर-सरकारी उद्योगों के विरुद्ध भेदभाव की बात भी कही गयी है । ऐसी स्थिति में सरकार को पहले अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी और बाद में उसका संसद में अनुमोदन होगा । इस सम्बन्ध में हम एक संशोधन रखने जा रहे हैं । ऐसा करने के लिये समय निर्धारित किया जायेगा । यदि संसद के अनुमोदन से किसी गैर-सरकारी यूनिट में हड़ताल पर रोक लगा दी जाये तो वह अनुचित नहीं होगा । यह अधिसूचना 40 दिन के अन्दर संसद द्वारा अनुमोदित होनी चाहिये, नहीं तो वह व्यपगत हो जायगी । ऐसे मामलों में भेदभाव की कोई बात नहीं होगी ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : माननीय मंत्री की बात से यह मालूम होता है कि संसद उस अधिसूचना का अनुमोदन करेगी । परन्तु यदि संसद का सत्र पांच अथवा छः महीनों के बाद होता है तो अनुमोदन 40 दिन में कैसे होगा ?

दूसरी बात जैसे कि श्री मिश्र ने कहा है कि किसी भी सेवा पर यह प्रतिबन्ध लागू किया जा सकता हैं । यह एक अस्पष्ट बात है । माननीय मंत्री के अनुसार इसे किसी पर भी लागू किया जा सकता है । यह उचित नहीं । सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये कि यह विधान केवल सरकारी कर्मचारियों को ही लागू होगा और अन्य को नहीं । माननीय मंत्री को स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

इसी प्रकार जलमार्गों तथा बड़ी और छोटी बन्दरगाहों की बात है । इन में से कुछ राज्य सरकारों के अधीन आते है । क्या उनपर भी यह कानून लागू होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप कृपया पहले उनकी सभी बातें सुन लें और उसके बाद मैं सभी बातों का उत्तर दूंगा । उसके पश्चात् आप अपना विनिर्णय दे सकते हैं । यह मैंने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कहा है । इससे समय बचाया जा सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बड़े न्यायाधीश ने अप्रत्यक्ष रूप से संसद पर आक्षेप किया है कि संसद में पारित होने वाले कानूनों में अनेक त्रुटियां होती हैं । अतः हमें ध्यान से कानून बनाने चाहियें । विधि मंत्री को ध्यान देना चाहिये ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरे विचार में सरकार इस विधेयक द्वारा राज्य विधान मंडलों के अधिकारों का हनन कर रही है । इससे विधान के अनुच्छेद 309 का उल्लघंन हुआ है । सरकार को इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों अर्थात केन्द्रीय कर्मचारियों के बारे में स्पष्ट बताना चाहिये । इसका निर्णय यहां होना चाहिये ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 20 में 'हड़ताल' की परिभाषा की गयी है । अब इस में वही भाषा प्रयोग में लायी गयी है परन्तु यह भिन्न सदर्भ में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह औद्योगिक संस्थानों के बारे में है । सरकारी सेवा कोई संविदा नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब यह विधेयक पारित हो जायेगा तो यह प्रतिरक्षा उद्योगों के और रेलवे के कर्मचारियों पर लागू होगा । उनपर औद्योगिक विवाद अधिनियम भी लागू होता है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : फिर इसके अनुसार सभी वर्गों के कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा घोषित करके उन्हें अतिरिक्त समय में कार्य करने पर बाध्य किया जा सकेगा । इस प्रकार यह कारखाना अधिनियम के विरुद्ध जायेगा । कर्मचारियों को इसके लिये भुगतान करने का कोई उपबन्ध नहीं किया जा रहा है । यह कानून किसी प्रकार की आपतकालीन स्थिति के लिये नहीं है । यदि एक कर्मचारी अतिरिक्त कार्य में काम करने से इन्कार करता है तो उसे हड़ताल पर मान कर उत्पीड़ित किया जा सकेगा ।

सरकार को ऐसी स्थिति में काम लेने के लिये कर्मचारियों को दोगुना समयोपरि भत्ता देने का उपबन्ध करना चाहिये । इस विधेयक द्वारा संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का भी उल्लघंन होगा । सरकार को कानून बनाते समय उनको ध्यान में रखना चाहिये । सरकार इस विधेयक द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक हित की बात को दबाना चाहती है ।

श्री के० नारायण राव (बोंबिली) : सरकार ने केन्द्रीय असैनिक सेवा आचार नियम, 1964 के नियम संख्या 7(2) के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को पहले ही निषिध घोषित किया हुआ है । अब इस विधेयक द्वारा सरकार अपने कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा हड़ताल को अवैध घोषित करने का अधिकार लेने जा रही है । अतः अनुच्छेद का यहां कोई सम्बन्ध नहीं है ।

मैं आपका ध्यान अनुसूची 3 की मद संख्या 22 की ओर दिलाना चाहता हूं । इस के अनुसार संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। सड़क परिवहन अथवा उद्योगों में औद्योगिक विवाद खड़े हो सकते हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के बारे में यह बिल्कुल स्पष्ट है परन्तु इसके अन्तर्गत उन सेवाओं को भी लाया जा सकता है जो केन्द्रीय सरकार के साथ सम्बन्धित हों।

श्री शान्तिलाल शाह : यह देखना उच्चतम न्यायालय का काम है कि क्या यह मूल अधिकारों का उल्लघंन करता है अथवा नहीं। इस में अनुच्छेद 309 का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। अतिरिक्त समय पर कार्य करने के लिये समयोपरि भत्ता तो दिया ही जायेगा। इस बारे में किसी प्रकार के मतभेद की बात ही नहीं है। मेरे विचार में यह कानून गैर-सरकारी क्षेत्र पर भी लागू होगा। माना कि तेलशोधक कारखानों का कार्य अत्यावश्यक सेवा में आता है तो ये कारखाने सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में है। सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि किस कार्य को यह अत्यावश्यक घोषित करे और किस को नहीं।

निदेशक सिद्धान्तों की बात भी कही गयी है। उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां तो सदन को निर्णय करना है कि सरकार को क्या अधिकार दिये जायें ?

संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में तो इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री मिश्र ने संसद् द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रश्न उठाया है। यदि इस बारे में अत्याधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन हो जाता है तो न्यायालय से विचार कर सकते है और इसे रद्द कर सकते हैं। इस विषय पर संसदीय समिति ने विचार किया था।

राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। यह उन्हीं क्षेत्रों विषयों में लागू किया जा सकता है जिनके बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राज्यों के कर्मचारियों के बारे में संसद को अधिकार नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र का यदि कोई उद्योग अत्यावश्यक सेवा घोषित किया जाता है तो यह वहां पर अवश्य लागू होगा।

यह कानून किसी भी बात में औद्योगिक विवाद अधिनियम के विरुद्ध नहीं जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आप का विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय कल दूंगा।

श्री स० कुन्डू : हमे इस विधेयक पर विचार करने के लिये अधिक समय मिलना चाहिये। 'हड़ताल' का क्या अर्थ है...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में विचार किया है। इसका अर्थ 'उचित रोक' लगाना।

श्री स० कुन्डू : यह उचित रोक का प्रश्न नहीं है। जब एक वर्ग हड़ताल करता है तो यह विधेयक आ जाता है परन्तु जब एक व्यक्ति अपना कारखाना बन्द करके तालाबन्दी कर दे, तो क्या संरक्षण होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे
CIRCULAR RALWAY IN CALCUTTA

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : इस चर्चा के द्वारा मैं सरकार का ध्यान कलकत्ता नगर में भीड़ की जटिल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं ।

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd *in the Chair*]

कलकत्ता को समस्याओं का नगर कहा जाता है । वहां अनेकों समस्याएं हैं । वहां की सरकार इन्हें सुलझाने में लगभग असफल है । थोड़ी सी वर्षा से बाढ़ आ जाती है । आवास की समस्या एक बड़ी समस्या है । इस समय मैं केवल भीड़ के बारे में ही कहना चाहता हूं ।

यह एक महानगर है देश के सभी भागों के लोग वहां रहते हैं । अतः यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां की समस्याओं का समाधान करे ।

वहां की जनसंख्या में पिछले 20 वर्षों में बहुत वृद्धि हुई है । अब वहां पर 70 लाख लोग रहते हैं । प्रातः काल तथा सांयकाल वहां एक जनसमूह सड़कों पर देखा जा सकता है । परिवहन उनकी सबसे बड़ी समस्या हैं । वहां की ट्रामें तथा बसें जनता की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त हैं । बसें आदि में अत्याधिक भीड़ रहती है ।

दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है । वहां पर ट्रामों की संख्या 459 है परन्तु वास्तव सेवा में कुल 415 होती है । बसें भी कम संख्या में हैं ।

पश्चिमी बंगाल सरकार इस बारे मे प्रयत्न करती रही है । उसने समस्या पर विचार करने और समाधान सुझाने हेतु समितियां गठित की थी । एक समिति ने 1956 में वृत्ताकार रेलवे की सिफारिश की थी । लन्डन ट्रान्सपोर्ट बोर्ड के मिस्टर पाल ई० गारबट ने पश्चिमी बंगाल सरकार के कहने पर समस्या का अध्ययन किया था । उन्होंने कलकत्ता में भूमिगत रेलवे बनाने का सुझाव दिया था । कलकत्ता में मोटर बसों की संख्या बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा ।

कलकत्ता की सड़कों पर जहां पहले 100 मोटर गाड़ियां चलती थी अब 1000 चलती है । अतः यातायात रुक जाता है और लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । कलकत्ता में अब अधिक सड़कें बनाने के लिये स्थान भी उपलब्ध नहीं है । इसलिये विशेषज्ञों के विचार में इस समस्या का समाधान वृत्ताकार रेलवे, भूमिगत रेलवे अथवा उपरि रेलवे (एरो रेलवे) बना कर किया जा सकता है । परन्तु इसका उत्तर यह दिया जाता है कि इन योजनाओं पर बहुत धन खर्च होगा । जब हम बड़े बड़े विलासी होटल और रिवालविंग टावर आदि बनाने के लिये धन की व्यवस्था कर सकते है तो इस प्रकार की

* आधे घंटे की चर्चा
* Half an hour discussion

अत्यावश्यक सेवाओं के लिये जिन से जनसाधारण को लाभ होगा, धन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। यदि भूमिगत रेलवे अथवा एरो रेलवे पर अधिक खर्च होता है तो सरकार वृत्ताकार रेलवे तो बना ही सकती है। नगर से दूर पश्चिम में पत्तन आयुक्त की रेलवे लाइन है उसे वृत्ताकार रेलवे के रूप में बदला जा सकता है। इस पर लागत भी कम आयेगी। अब कलकत्ता में स्थान स्थान पर गंदगी पड़ी है और यदि वृत्ताकार रेलवे का निर्माण हो जाये तो यह गंदगी वहां से तत्काल हटाई जा सकती है और उसका उपयोग खाद बनाने के लिये किया जा सकता है।

स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था कि कलकत्ता की समस्याएं राष्ट्रीय समस्या है और इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। अतः मंत्री महोदय को वृत्ताकार रेलवे लाइन बनाने के बारे में अभी घोषणा करनी चाहिये। कलकत्ता केवल पश्चिम बंगाल का ही महानगर नहीं है, बल्कि समस्त भारत का है। इस लिये इस नगर की महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने के लिये केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल की सहायता करनी चाहिये।

श्री ब० कुण्डू (बालासोर) : कलकत्ता में वृत्ताकार अथवा भूमिगत रेलवे अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिये कई समितियां बनाई गई है परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। फ्रांस की कम्पनी ने (फ्रिलिंग रिपोर्ट) एक भूमिगत बिजली परिवहन जाल का सुझाव दिया है। इसने हावड़ा और सीलदाह तथा पाइकपुरा और कालीघाट को जोड़ने के लिये एक योजना का भी सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं? उन्होंने हावड़ा से सीलदाह तक वृत्ताकार रेलवे बनाने का सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : वृत्ताकार रेलवे के निर्माण का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ समय बाद यह प्रस्ताव समाप्त ही कर दिया जायेगा अथवा सरकार वृत्ताकार रेलवे बनाने के लिये तैयार है चाहे उस पर कितना ही धन क्यों न खर्च करना पड़े। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या निकट भविष्य में कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का निर्माण किया जायेगा?

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच बिहार) : कलकत्ता नगर की बहुत सी समस्याएं हैं। वहां पर वृत्ताकार रेलवे बनाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। क्या सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये कोई अन्तिम प्रतिवेदन तैयार कर लिया है।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : कलकत्ता नगर में 5,300 उद्योग कार्य कर रहे हैं। कलकत्ता भारत का औद्योगिक केन्द्र है। कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे बनाने का कई बार वचन दिया गया है। फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने कहा है कि भूमिगत रेलवे का प्रस्ताव बिल्कुल व्यावहारिक है। सारंगपाणि प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि वृत्ताकार रेलवे सम्भव है। प्रश्न यह है कि सरकार इन्हें कब तक बनायेगी जिससे कलकत्ता की परिवहन समस्या का समाधान हो जाये?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या सरकार वृत्ताकार रेलवे परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर रही है या नहीं ?

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : मंत्री महोदय इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित करेगी।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : वृत्ताकार रेलवे के सम्बन्ध में कई बार चर्चा की जा चुकी हैं और विभिन्न समितियों ने इस विषय पर विचार विमर्श किया है और अपने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये हैं। हाल ही में योजना आयोग द्वारा स्थापित महानगर परिवहन दल इस बात की जांच आरम्भ कर दी है कि क्या डम डम और केदारपुर के बीच रेल सम्पर्क पुनः स्थापित हो सकता है या नहीं। इस सम्बन्ध में इस दल ने रेलवे, पश्चिम बंगाल सरकार और पत्तन आयुक्तों से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि एक समिति स्थापित की जाये और डम डम से प्रिंसपघाट तक वृत्ताकार रेलवे के सम्बन्ध में उपयुक्तता इंजीनियरी सर्वेक्षण किया जाये।

महानगर परिवहन दल ने रेलवे विभाग से भी सम्पर्क स्थापित किया है और वे कर्मचारियों का खर्च वहन करने के लिये सहमत हो गये हैं। रेलवे ने सर्वेक्षण कार्य करने के लिये एक वरिष्ठ इंजीनियर की सेवाएं भी प्रदान की गई हैं।

मई, 1967 में इस सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई थी और जून, 1967 में सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया गया था।

इस समिति ने फ़रवरी, 1968 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि पूर्वी रेलवे के वर्तमान विद्युतिकृत भाग से बारानगर और डम डम के बीच एक लाइन बनायी जा सकती है। यह लाइन जेसोर रोड, लेक टाउन, उल्टा डांगा, बेलगचिया शोभा बाज़ार, बड़ा बाजार, फेरली प्लेस से होकर अन्त में किद्दरपुर के निकट प्रिंसप घाट पर समाप्त होगी। इस सम्बन्ध में एक और सुझाव दिया गया था कि एक ओर लाइन साल्ट लेक से गुजरेगी और बेलीगंगा क्षेत्र में समाप्त होगी। यह लाइन सघन आबादी वाले क्षेत्रों से गुज़रनी है इसीलिये इस सम्बन्ध में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि अधिग्रहण के बारे में भी पुनर्वास विभाग आदि के साथ विचार विमर्श किया जा रहा हैं :

वित्तीय पहलू वाला प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रतिवेदन जनवरी, 1969 मे प्राप्त होने की आशा है। रेलवे को कलकत्ता की वर्तमान परिवहन समस्या की पूरी जानकारी है। रेलवे अपनी क्षमता बढ़ा कर इस समस्या के साथ निपटने का प्रयास कर रहा है। भूमिगत लाइन अथवा ऊपर उठाने वाली लाइन के बनाने पर ही नहीं अपितु उसकी देखभाल पर भी काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। केवल रेलवे इस परियोजना को आरम्भ नहीं कर सकता। हमने पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और अब हम योजना आयोग के साथ विचार विमर्श कर रहे है। मुझे इस बात का विश्वास है कि चौथी योजना की अवधि में यह कार्य आरम्भ हो जायेगा।

वृत्ताकार रेलवे के साथ साथ हम भूमिगत रेलवे लाइन अथवा पृथ्वी से ऊपर उठी हुई रेलवे लाइन बिछाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसके बिना इस समस्या का समाधान नहीं होगा। परन्तु भूमिगत रेलवे लाइन बनाने पर प्रति मील 5 से 10 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अतः इस सम्बन्ध में परम्परागत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। योजना आयोग भी इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है। इस परियोजना के लिये राज्य सरकार, रेलवे और केन्द्रीय सरकार को अपने संसाधन जुटा कर एक पृथक संस्था स्थापित करनी होगी जो इस परियोजना के कार्य को चलाये। रेलवे अपने साधनों के अनुसार पूरा प्रयत्न करेगा। हम योजना आयोग पर यह ज़ोर दे रहे है कि इस परियोजना को चौथी योजना में सम्मिलित कर लिया जाये।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 17 दिसम्बर, 1968/26 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 17, 1968/ Agrahayana 26, 1890 (Saka).